राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका

(बारहवीं तथा तेरहवीं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन)

पीएच.डी. उपाधि हेतु

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

समाज विज्ञान संकाय

शोधार्थी–मदन लाल मीणा

शोध निदेशक

डॉ. फूलसिंह गुर्जर

(विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग)

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)

शोध अध्ययन केन्द्र

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)

2017

राजस्थान विधानसभा

Candidate's Declaration

I hereby certify that the work, which is being presented in the thesis, entitled राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका (बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन) in partial fulfillment of the requirement for the award of the Degree of Doctor of philosophy, carried under the supervision of **Dr. Phool Singh Gurgar** and submitted to the Research center Govt. PG College, Jhalawar University of Kota, Kota represents my ideas in my own words and where others ideas or words have been included. I have adequately cited and referenced the original sourees. The work presented in this thesis as not been submitted elsewhere for the award of any other degree of diploma from any Institutions. I also declare that I have adhered to all principles of academic honesty and integrity and have not misrepresented or fabricated or falsified any idea/data/fact/source in my submission. I understand that my violation of the above will be cause for disciplinary action by the University and can also evoke penal action from the sources which have thus not been properly cited of from whom proper permission has not been taken when needed.

Date **Madan lal Meena**

This is to certify that the above statement made by Madan lal Meena is correct to the best of my knowledge.

Date **Dr. phool Singh Gurgar**

Head of Department in political science

Govt. PG College, Jhalawar

[Certificate to be given by the supervisor]

CERTIFICATE

I feel great pleasure in certifying that the thesis entitled "राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका'' (बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन) by Madan Lal Meena under my guidance. He has completed the following requirements as per Ph.D. regulations of the University

a. Course work as per the University rules.

b. Residential requirements of the University (200 days)

c. Regularly submitted anual progress report

d. presented his work in the departmental committee

e. published/accepted minimum of one research paper in a referred research journal,

I recommend the submission of thesis.

Date

Dr. Phool Singh Gurjar

Head of Department in political science

Govt. PG College, Jhalawar

Specimen 'B' : Approval Sheet

Thesis Approval for Doctor of Philosophy

This thesis entitled [राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका (बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन) by Madan Lal Meena submitted to the deparment of Political science in Govt. PG college Jhalawar, University of Kota, Kota is approved for the award of Degree or Doctor of Philosophy.

Examiners

……………….
……………….
………………..

Supervisor(s)

………………
……………..
………………

Chairman DRC

……………….
……………….
……………….

Date : ……………….
Place: ……………….

GOVT. COLLEGE, JHALAWAR (RAJ.)

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

D/N……….. Date…………..….

PRE-SUBMISSION SEMINAR CERTIFICATE

This is to certify that-

1. A per- submission seminar for ph.D Thesis was held on **18.05.2017** in the Dept. of polticalScience Govt. College Jhalawar.
2. In this seminer **Madan Lal Meena** research scholar in the Dept. of Political Science gave a presentation on this topic 'राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका' (बारहवीं एवं तेरहवी ंविधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन)
3. All the member present in the meeting appreciated the presentation given by Madan lal Meena.
4. On behalf of all the members we recommend the Thesisto be submitted for the degree of ph.D

Supervisor **HOD** **Principal**

अनुक्रमणिका

	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	i - iv
प्रथम अध्याय	परिचयात्मक	1–44
द्वित्तीय अध्याय	राजस्थान विधानसभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विपक्षो दल	45–87
तृत्तीय अध्याय	राजस्थान विधानसभा में विपक्षो दल और आम चुनाव	88–142
चतुर्थ अध्याय	राजस्थान विधानसभा की व्यावहारिक पृष्ठभूमि और विपक्षी दल	143–213
पंचम अध्याय	विपक्षो दल और सदन के बाहर एवं भीतर धरने व प्रदर्शन	214–247
षष्ठम् अध्याय	उपसंहार	248–263
	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	264–275

प्राक्कथन

किसी भी लोकतंत्र की प्रतिनिधि संस्था में विपक्ष और उसके नेता की भी भूमिका साफ–साफ होनी चाहिए। मौजूदा लोकसभा के संदर्भ में नेता विपक्ष को लेकर जो विवाद रहा है और उस पर जो लेख लिखे जा रहे है, उन सभी को पढ़ते हुए लगता है कि नेता विपक्ष को लेकर स्पष्ट आख्या नहीं है। एक लोकतंत्र के लिए जितना एक सशक्त सरकार की आवश्यकता है, उतनी सबल विपक्ष की। ऐसे उदाहरण सामने है जब जनता ने कमजोर सरकार को जड़ से उखाड़ फेंखा व उसके विकल्प में उस समय के सबल –विपक्ष को बहुमत दिया।सुद्दढ़ व संगठित विपक्ष लोकतंत्र की निशानी है। विपक्ष शब्द विरोध की प्रतिध्वति देता है, जबकि प्रतिपक्ष दायित्व बोध को प्रकट करता है।

संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका का श्री गणेश शासन की आलोचना से होता है। विपक्ष के रूप में वह शासन को सदैव सावधान रखता है। वह शासन की नीतियों की कमियों को प्रकट करते हुए अपनी वैकल्पित नीतियाँ प्रस्तुत करता है। विपक्ष हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का एक अभिन्न एवं अपरिहार्य अंग है। इसलिय कोई भी संसदीय सरकार विपक्ष के बिना नहीं चल सकती, चाहे विपक्ष एक पार्टी का हो या एक से अधिक पार्टी का। विपक्ष सदैव जनता को यह विश्वास दिलाता है कि वह चुस्त, बुद्धिमान, जन–सेवक रचनात्मक व संवैधानिक है जब कि इसके विपरित सरकार भारी भूल करने वाली है। संसदीय प्रजातंत्र का स्वस्थ विकास शक्तिशाली विपक्ष की उपस्थिति में ही हो सकता है।

संसदीय लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर मिलता है चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। यद्यपि शासन की बागडोर सत्ता पक्ष के हाथो में होती है लेकिन शासन के संचालन में विपक्ष का महत्त्व भी कम नहीं होता। विपक्ष ही सत्ता पक्ष को नियमित एवं नियंत्रित करता है।

भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में सत्ता पक्ष व विपक्ष महत्वपूर्ण आधार हैं। विपक्ष शासन की गलतियों एवं त्रुटियों को जनता के सामने रखता ह तथा सत्ता पक्ष के बहुत खोने की स्थिति में सत्ता संभालने को भी तैयार रहता है।

भारतीय संसदीय लोकतंत्र ने अपनी ऐतिहासिक छः दशक यात्रा में बहुत से उतार–चड़ाव देखें हैं। इस अवधि में विपक्ष या विपक्षी दल किन्हीं कारणों से सदैव सत्ता पक्ष का पूर्ण

विकल्प न बन पाया हो लेकिन फिर भी उस पर प्रभावी नियंत्रण रखने का एक प्रमुख साधन अवश्य रहा है।

राजस्थान में लोकतांत्रिक संस्थाओं का उदय 1952 में हो गया था। लेकिन सामंतवादी पृष्ठभूमि के कारण विपक्ष को स्वीकार नहीं किया गया था। इसी कारण 1967 तक विपक्ष को उभरने का मौका ही नहीं मिल पाया। चौथी विधानसभा में काँग्रेस के एकाधिकार को गैर–काँग्रेसी दलों से संगठित 'संयुक्त विधायक दल' की और से चुनौती मिली और चौथी विधानसभा में विपक्ष का महत्त्व परिलक्षित हुआ। 1977 में छठी विधान सभा के हुए चुनावों में काँग्रेस को गैर–काँग्रेसी दलों से संगठित 'जनता पार्टी' से पराजित होने के बाद विपक्ष में बैठना पड़ा।

1977–80 की अल्पावधि को छोड़कर सातवीं और आँठवीं विधानसभा (जून 1980 से मार्च 1990) तक एक बार फिर काँग्रेस पार्टी सत्ता में रही। इसके बाद नौवीं और दसवीं विधान सभा में भारतोय जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली और काँग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाई। दिसम्बर 1998 में गठित ग्यारहवीं विधानसभा में काँग्रेस पार्टी तीन–चौथाई बहुमत के साथ सत्ता में आयी तथा भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में बैठकर बड़ी कुशलता एवं चातुर्यता के साथ विपक्ष की भूमिका को इस प्रकार अंजाम दिया कि बारहवीं विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ सत्तासीन हुई तथा कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। लेकिन काँ ग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। जिसके परिणामस्वरूप 2008 में हुए तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर काँग्रेस ने पुनः शासन की बागडोर संभाल ली।

प्रस्तुत शोध में बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी एवं भारतीय जनतापार्टी का विपक्ष रूप मे तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका (बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन) के अध्ययन के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री सुलभ हुई है, जिसके अध्ययन, विवेचन और विश्लेषण द्वारा यहाँ के प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहकर कार्य किया हैं, उक्त भूमिका की तुलना की गई है।

प्रस्तुत अध्ययन में मुझे अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं का सहयोग मिला है। उन सभा का नामोल्लेख करना तो संभव नहीं हैं तथापि उनमें से कतिपय व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कृतज्ञता ज्ञापित करना में अपना पावन कर्त्तव्य समझता हूँ। इस क्रम में सर्वप्रथम मैं अपने शोध निर्देशक डॉ. फूलसिंह गुर्जर, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय

स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ एवं उनके परिवार के प्रति आभार व्यक्त करना अपना पावन कर्त्तव्य समझता हूँ। उनकी प्रेरणा तथा उत्साहवर्धन से ही प्रस्तुत शोध विषय का चयन, विषय का शोध हेतु पंजीकरण, शोध सामग्री का संकलन तथा शोध प्रबन्ध तैयार किया गया। इनके विद्धतापूर्ण मार्गदर्शन तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप यह शोध यज्ञ पूर्ण हुआ है।

राजस्थान विधानसभा की पूर्व माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह तथा पूर्व माननीय उपाध्यक्ष रामनारायण विश्नोई तथा पूर्व विधानसभा सचिव श्री एच. आर. कुड़ी द्वारा प्रस्तुत अध्ययन के संर्दभ में संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूप से महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है। अतः शोधार्थी इनके प्रति भी कृतज्ञ है। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष
(iii)
श्रीमती सुमित्रासिहं, श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत, उपाध्यक्ष श्री रामनारायण मीणा तथा विधानसभा सचिवालय के उप सचिव रहे श्री कृष्णमुरारी गुप्ता द्वारा इस अध्ययन के संर्दभ में आवश्यक मार्गदर्शन एवं अपेक्षित सहयोग प्रदान किया गया है। साथ में मेरे क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री प्रभुलाल महावर (भाजपा) पीपल्दा विधान सभी क्षेत्र, बारहवीं विधान सभा, श्री प्रेमचन्द नागर (काँग्रेस) तेरहवीं विधान सभा, के प्रति भी शोधार्थी आभार व्यक्त करता ह।

राजस्थान विधानसभा के पूर्व सचिव श्री सुरेश एच. माथुर तथा सेवा–निवृत्त उपसचिव आचार्य भालचन्द्र गोस्वामी 'प्रखर' द्वारा इस अध्ययन के लिए अपने दीर्घकालिक अनुभव के आधार पर व्यावहारिक जानकारी सुलभ करवायी गयी, अतः इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना में अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

प्रस्तुत शोध हेतु सामग्री के संकलन में शोधार्थी को विधान सभा सचिवालय के प्रायः सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित एवं वांछित सहयोग प्रदान किया गया है, अतः शोधार्थी सभी के प्रति आभारी है। शोधार्थी विधानसभा सचिवालय की पुस्तकालय, अन्वेषण एवं संदभ शाखा के प्रभारी अधिकारी डॉ. कैलाश चन्द सैनी के प्रति विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनके महत्त्वपूर्ण सहयोग के कारण ही इस ग्रन्थ के लिए शोध सामग्री सहज रूप से सुलभ हो सकी। मैं विधान सभा के कुछ कर्मचारियों विशेष रूप से राजकुमार टॉक, सुरेश कुमार मीणा, महेश कुमार शर्मा तथा पुस्तकालयाध्यक्ष का भी बहुत–बहुत आभारी हूँ जिन्होनें मुझे कभी भी हतोत्साहित नहीं होने दिया।

इस शोध यज्ञ में सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा के लिए पूज्य पिताजी श्री रामगोपाल मीणा एवं माताजी श्रीमती द्वारिका बाई को धन्यवाद देकर उनके अवदान को कम नहीं करना चाहता। मैं कृष्ण मुरारी मीणा, श्री राम कल्याण मीणा व्याख्याता, राजनीति

विज्ञान,अख्खेराज मीणा व्याख्याता, राजनीति विभाग एवं महाविद्यालय का समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ, राजकीय स्नात्तकोतर महाविद्यालय झालावाड़, श्री रामचरण मीणा, ओमप्रकाश मीणा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राधेश्याम मीणा (शारीरिक शिक्षक), अरूण सोनी, व्याख्याता भूगोल, एस. पी. मित्तल व्याख्याता संस्कृत, डॉ. हंसराम मीणा, व्याख्याता संस्कृत, केशव नारायण वर्मा, सत्यनारायण वर्मा, डॉ. नन्दकिशोर महावर आदि के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी परणा एवं सतत् सहयोग के कारण ही यह शोध कार्य सफलतापूर्वक सम्पूर्ण हो सका।

शोधार्थी अपने परिवार के समस्त सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद प्रकट करना चाहेगा, उनके सहयोग के अभाव में प्रस्तुत शोध कार्य सम्पन्न कर पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य था। इस अतुलनीय सहयोग और स्नेह के लिए में अपनो धर्मपत्नी मौसमी मीणा, बेटियाँ मीताली, शीताली, तनिष्का तथा अनुज महावीर, सीमा, नरेन्द्र, लोकेश, रोहित बगेरा, अशोक तथा कम्प्यूटर टंकण के लिए गौत्तम कम्प्यूटर आदि का नामोल्लेख करना अपना दायित्व समझता हूँ।

मैं उन समस्त गुरूजनों, गुणीजनों एवं अभिभावकों का सदेव ऋणी रहूँगा जिन्होंने मुझें उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित किया। में उन विद्धानों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके ग्रन्थों से अध्ययन को पूर्ण करने में सहायता ली गई है।

राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका

(बारहवीं तथा तेरहवीं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन)

पीएच.डी. उपाधि हेतु

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

समाज विज्ञान संकाय

शोधार्थी–मदन लाल मीणा

शोध निदेशक

डॉ. फूलसिंह गुर्जर

(विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग)

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)

शोध अध्ययन केन्द्र

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)

2017

राजस्थान विधानसभा

Candidate's Declaration

I hereby certify that the work, which is being presented in the thesis, entitled राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका (बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन) in partial fulfillment of the requirement for the award of the Degree of Doctor of philosophy, carried under the supervision of **Dr. Phool Singh Gurgar** and submitted to the Research center Govt. PG College, Jhalawar University of Kota, Kota represents my ideas in my own words and where others ideas or words have been included. I have adequately cited and referenced the original sourees. The work presented in this thesis as not been submitted elsewhere for the award of any other degree of diploma from any Institutions. I also declare that I have adhered to all principles of academic honesty and integrity and have not misrepresented or fabricated or falsified any idea/data/fact/source in my submission. I understand that my violation of the above will be cause for disciplinary action by the University and can also evoke penal action from the sources which have thus not been properly cited of from whom proper permission has not been taken when needed.

Date **Madan lal Meena**

This is to certify that the above statement made by Madan lal Meena is correct to the best of my knowledge.

Date **Dr. phool Singh Gurgar**

Head of Department in political science

Govt. PG College, Jhalawar

[Certificate to be given by the supervisor]

CERTIFICATE

I feel great pleasure in certifying that the thesis entitled "राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका" (बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन) by Madan Lal Meena under my guidance. He has completed the following requirements as per Ph.D. regulations of the University

a. Course work as per the University rules.

b. Residential requirements of the University (200 days)

c. Regularly submitted anual progress report

d. presented his work in the departmental committee

e. published/accepted minimum of one research paper in a referred research journal,

I recommend the submission of thesis.

Date

Dr. Phool Singh Gurjar

Head of Department in political science

Govt. PG College, Jhalawar

Specimen 'B' : Approval Sheet

Thesis Approval for Doctor of Philosophy

This thesis entitled [राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका (बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन) by Madan Lal Meena submitted to the deparment of Political science in Govt. PG college Jhalawar, University of Kota, Kota is approved for the award of Degree or Doctor of Philosophy.

Examiners

……………….
……………….
………………..

Supervisor(s)

………………
……………..
………………

Chairman DRC

……………….
……………….
……………….

Date : ……………….
Place: ……………….

GOVT. COLLEGE, JHALAWAR (RAJ.)

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

D/N……….. Date……………..

PRE-SUBMISSION SEMINAR CERTIFICATE

This is to certify that-

1. A per- submission seminar for ph.D Thesis was held on **18.05.2017** in the Dept. of polticalScience Govt. College Jhalawar.
2. In this seminer **Madan Lal Meena** research scholar in the Dept. of Political Science gave a presentation on this topic 'राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका' (बारहवीं एवं तेरहवी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन)
3. All the member present in the meeting appreciated the presentation given by Madan lal Meena.
4. On behalf of all the members we recommend the Thesisto be submitted for the degree of ph.D

Supervisor **HOD** **Principal**

राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका

(बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन)

शोध प्रबन्ध का संक्षिप्त शोध सार

लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में बहुमत दल शासन संभालता है, अन्य दलों के सदस्य सत्तारूढ़ दल के कार्यकलापों की आलोचना करते हैं। सरकार बनने के बाद जो दल शेष बचते हैं, उनमें सबसे अधिक सदस्यों वाले दल को 'विपक्षी दल' कहा जाता है।

सत्तारूढ़ दल के सदस्य अपने दल की आलोचना प्रायः नही करते, परन्तु विपक्ष बिना किसी भय के सत्तारूढ़ दल की कमियों पर प्रकाश डालता है। समय–समय पर काम राको प्रस्तावों, मतविभाजन की माँग और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों द्वारा सरकार के कार्यो में रूकावट पैदा करता है। इन सबका उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यो के ओचित्य–अनौचित्य के प्रति जनता का ध्यान आकर्षित करना है। यह कथन सत्य है कि 'पतिपक्ष अंधी सरकार की आँख' है। प्रतिपक्ष की इस भूमिका से सरकार शासन में मनमानी नहीं कर पाती। प्रतिपक्ष की आलोचना की अनदेखी करने से जनता के सम्मुख सरकार की छवि बिगड़ने का डर बना रहता है।

अतः सरकार प्रत्येक विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व विपक्ष के रूख पर विचार करती है। इस प्रकार प्रतिपक्ष सरकार की अँधी चाल पर अकुंश लगाता है, जसे सत्तापक्ष की कार्य प्रणाली राष्टहित से प्रेरित होनी चाहिए ठीक उसी प्रकार विपक्ष की आलोचना का लक्ष्य भी राष्ट्रहित होना चाहिए। विपक्ष का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार की वैकल्पिक नीतियो का सुझाव देना है जिसमें सरकार न केवल अपने प्रस्तावो पर बल्कि उनको ध्यान में रखते हुऐ यदि आवश्यक या उचित हो तो अपनी नीतियो में भी सैद्धान्तिक या व्यावहारिक स्तर पर परिवर्तन कर सके। इस दृष्टि से यह लोकतत्र को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है।

विपक्ष केवल सत्तापक्ष में शामिल दलों से भिन्न दलों के सदस्यों का ही सामूहिक नाम नही है, बल्कि उनसब सदस्यों से मिलकर बनता है जो सत्तापक्ष के किसी भी प्रस्ताव के विरोध या विमति स्वरूप कोई भी टिप्पणी करें चाह, मतदान उसके पक्ष में हो या विपक्ष

में। इसमें मान्यता प्राप्त विरोधी दल या विरोधी समूहों के अतिरिक्त निर्दलीय सदस्य भी हो सकते हैं। जो कभी सरकार के पक्ष या विपक्ष में बोलते और मतदान करते हैं। विपक्ष के किसी मौलिक प्रस्ताव का सरकारी पक्ष विरोध करे तो क्या उसे संसदीय विपक्ष की परिभाषा में नहीं लिया जा सकता।

कई बार सरकार द्वारा ऐसे कार्य भी किये जाते हैं जो जनता के हितों के अनुरूप नहीं होते। ऐसे में विपक्ष द्वारा चुप रह जाना एक तरफ से सरकार का मौन समर्थन करना होता है। फिर भी देश के असली मालिक जनता की अदालत में दोनों ही बराबर के गुनाहगार माने जाते है, क्योंकि सरकार के किसी भी गलत निर्णयों का विरोध करना उसका नैतिक कर्तव्य है।

जनप्रतिनिधित्व के इन दोनों समूहों को जनता द्वारा अलग–अलग तरह की जिम्मेदारी दी गई है। आम जनता की सारी सुख–सुविधाओं तथा जरूरतों का ध्यान रखना तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर देश की गरिमा को कायम रखना सरकार की जवाबदेही है। जबकि विपक्ष का काम सरकार को ऐसा करने से रोकना है, जो जनता के हित के अनुकूल न हो तथा विश्व मंच पर हमारे देश की मर्यादा को किसी प्रकार की ठेस पहुँचाये। साथ ही सरकार को अपना कोई भी फैसला लेते समय इस बात का पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए कि उनके इस फैसले का देश की आम जनता पर अच्छे और बुरे असर क्या–क्या हो सकते है? जबकि विपक्ष का काम सरकार के किसी गलत निर्णय से होने वाले दुष्परिणामों से सरकार तथा आम जनता दोनों को आगाह करना है।

प्रस्तुत अध्ययन इस तथ्य का आंकलन करने के उद्देश्य से प्रेरित है कि लोकतंत्र में सत्ता का स्त्रोत समझे जाने वाले मतदाता द्वारा राजनीतिक दलों से निर्वाचन में उन्हें शक्ति प्रदान करते समय की गई अपेक्षाओं के प्रति राजनैतिक दल किस सीमा तक संवेदनशील व प्रतिबद्व रहते है तथा कार्यपालिका को नियंत्रित एवं निर्देशित कर जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखते है।

राजस्थान की राजनीतिक संस्था के रूप में बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं में विपक्षी दलों का विशेष महत्त्व रहा है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं में राजस्थान की राजनीति में प्रमुख दलों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

लोकतंत्र में शासन के संचालन हेतु सरकार का जितना सशक्त होना आवश्यक है विपक्ष का भी उतना ही शक्तिशाली एवं कार्य कुशल होना आवश्यक है। यदि विपक्ष कमजोर हो और अपने कर्तव्य–पालन के प्रति गंभीर नहीं हो तो सरकार बहुत जल्दी निरंकुश बनने में पीछे नहीं रहेगी। इसी प्रकार यदि विपक्ष सरकार के कार्यो में बाधा उत्पन्न करती है या आलोचना करना ही अपना उद्देश्य बना लेती है तो सरकार का शासन चलाना भी मुश्किल हो जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों में यह विश्लेषण भी करना है कि बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा के समय प्रमुख राजनीतक दल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी में किसने अपने कार्यकाल के दौरान विपक्ष के रूप में पूरजोर से भूमिका निभाई है एवं कौन अधिक तर्कसंगत एवं संविधान सम्मत सिद्ध हुआ है तथा इन विधान सभाओं में विभिन्न अवसरों पर कितनी सकियता से कार्य किया है।

प्रस्तुत अध्ययन के विषयों में विपक्षी दलों की भूमिका, प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के पालन या उल्लंघन के प्रति विपक्ष के दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है। इनके अतिरिक्त सदन में विरोध व्यक्त करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा अपनाये गये संवैधानेत्तर साधनों, धरने, प्रदर्शन, बहिंगमन तथा असंसदीय साधनों का प्रयोग मनोवैज्ञानिक आधार पर करते हुए तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं के कार्यकाल के दौरान विपक्षी दलों की भूमिका को पाँच परीक्षणों के माध्यम ये समझाने का प्रयास किया गया है, ताकि ये इन कसौटियों में खरे उतर सके –

(i) क्या विपक्षी दलों ने सरकार का सकारात्मक सहयोग प्रदान किया है ?

(ii) क्या विपक्षी दल सरकार के कार्यों पर निरन्तर निगरानी रख पाये है ?

(iii) क्या विपक्षी दल सत्ता में आने पर अपनी नीतियों को ठीक ढंग से कियान्वित कर पाया है या नहीं ?

(iv) क्या प्रतिपक्षी दल जनता की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करने में सफल हो सके या नहीं ?

(v) क्या प्रतिपक्षी दल संसदीय प्रजातंत्र को सफल सिद्ध कर पाया या नहीं?

प्रस्तुत शोध प्रबन्धमें विपक्षो दलों का एक संस्था के रूप में अन्वेक्षणात्मक अध्ययन करने की दृष्टि से दो प्रकार के स्त्रोतों से सामग्री संकलित की गई है।

प्राथमिक स्त्रोत–

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक स्त्रोत के अन्तर्गत वरिष्ठ विधायकों, पूर्व विधायकों, विधान सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से साक्षात्कार के माध्यम से संकलित सामग्री का प्रयोग किया गया है।

द्वितीयक स्त्रोत–

प्रस्तुत स्त्रोत में द्वितीयक स्त्रोत के अन्तर्गत सचिवालय द्वारा प्रकाशित कार्यवाहियों के वृतान्त, विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, राजस्थान विधान सभा (आंकड़ों में), सदस्य परिचय, विधान सभा के कायों का संक्षिप्त विवरण, विधान सभा का बुलेटिन भाग–1, विधान सभा के विभिन्न अभिलेख एवं पत्रावलिया, राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र, निर्वाचन की रिर्पोट, विधान बोधनी आदि को शामिल किया गया है। साथ में ही 2003 से 2013 तक के प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाएं, शोध, जर्नल आदि को भी स्त्रोत के रूप में काम में लिया गया है।

संसदीय लोकतंत्र मे विपक्षी दलों की भूमिका का श्रीगणेश शासन की आलोचना से होता है। प्रतिपक्ष के रूप में वह शासन को सदैव सचेत रखता है। वह शासन की नीतियों की कमियाँ प्रकट करते हुए अपनी वैकल्पिक नोतियाँ प्रस्तुत करता है। समय–समय पर शासन की रीतियों नोतियों की आलोचना करते हुए उन्हे जनता के समक्ष रखता है। राजस्थान राज्य की शासन व्यवस्था में जनता राजनीतिक दलों भाग्य का फैसला करते हुए उन्हें अपने पद पर सत्तारूढ़ करती है तथा पक्ष व विपक्ष में बैठने को बाध्य करती है। राजस्थान में अभी तक हुए विधानसभा चुनावों में यह देखा गया है कि प्रथम विधान सभा चुनाव से लेकर तेरहवीं विधान सभा चुनाव तक राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी 9 बार सत्तारूढ़ हुई तथा 4 बार इसने प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका का निर्वहन किया। पहली पाच विधान सभाओं में तो काँग्रेस पार्टी निरन्तर सत्तारूढ़ रही और इसके बाद सातवीं, आँठवीं, ग्यारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभा में भी काँग्रेस पार्टी ने ही शासन की बागडोर संभाली। इस कालावधि में अन्य दलों ने विपक्ष की भूमिका का निर्वाहन किया। यह राजस्थान के मतदाताओं की ही जागरूकता थी कि वर्ष 1972 की सीटों की दृष्टि से 78.

6 पतिशत बहुमत प्राप्त करने वाली काँग्रेस 1977 के चुनावों में मात्र 20.5 प्रतिशत स्थानों पर ही सिमट रह गई।

राजस्थान में पहली विधानसभा से लेकर तेरहवीं विधानसभा तक दो प्रमुख राजनोतिक दल पहला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस एवं दूसरा जनता पार्टी/भारतीय जनता पार्टी ही सत्तारूढ़ हुई है। पहली, तीसरी, चौथी विधान सभा में जहाँ विपक्ष संख्यात्मक दृष्टि से काफी सशक्त रहा है इसी के ठीक विपरित पाँचवीं और सातवीं विधान सभा में विपक्ष कमजोर रहा है।

1977 में (लोकदल एवं बी.के.डी. का विलय), जनसंघ, समाजवादी पार्टी, काँग्रेस (ओ.) के संयुक्त विलय से बनी जनता पार्टी ने तीन चौथाई बहुमत प्राप्त किया। इस प्रकार छठी विधान सभा में यह प्रथम अवसर था जब राजस्थान में गैर काँग्रेसी दलो से बनी सरकार का गठन हुआ। लेकिन आगे चलकर तेरहवीं विधान सभा तक के चुनावी आकड़ों को देखने से यह सामने आता है कि प्रतिपक्ष में अपनी सभी राजनोतिक दलों की संख्या में तो वृद्धि देखी गई लेकिन उनके जनसमर्थन एवं लोकप्रियता में कमी आती गई और जनसंघ जिसका वर्तमान म भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया के अतिरिक्त कोई भी राजनीतिक दल अपने आपको स्थायी नहीं रख सका। विपक्ष में अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने अस्तित्व को बनाये रखा है।

राजस्थान में बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं के लिए हुए आम चुनावों के परिणामों से यह निष्कर्ष निकलता है, कि जनता न केवल विपक्ष को चाहती है बल्कि उससे कुछ अपेक्षाएँ भी रखती है। जनता को लोकतंत्र के अच्छे बुरे पहलुओं की पहचान हो गई है। विपक्ष के लिए ऐसे ईमानदार योग्य, सक्षम, कर्मठ, सहनशील व समझदार सदस्यों का चुनाव करती है जो सरकार के निरकुंश व भ्रष्टाचार होने पर अंकुश लगा सके। इस अर्थ में जनता सत्तापक्ष के साथ–साथ प्रतिपक्ष से भी बहुत कुछ आशाएँ और अपेक्षाएँ रखती है, कि विपक्ष समय–समय जनता की समस्याओं के बारे में अवगत कराती रहे ताकि सत्तापक्ष सचेत रहे।

संसदीय लोकतंत्र में यह देखा गया है कि सदन के भीतर और बाहर विपक्ष की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है सत्र के दौरान विपक्ष सदन में छाया रहता है। बात–बात पर सत्तापक्ष को जनता की अदालत में खड़ा करने का प्रयास करता है, कई बार विपक्ष की भूमिका अत्यन्त निष्पक्ष, सकारात्मक एवं पूर्वाग्रह रहित होती है, लेकिन यह कटु सत्य भी है, कि अनेकों बार विपक्ष की भूमिका पूर्वाग्रह युक्त भी रहती है इसलिए अनेक दबाव समूहों, संगठनों एवं संस्थाओं के माध्यम से सरकार पर जनता का दबाव डालने का कार्य करता

है। विधान मण्डलों के भीतर विपक्ष के संगठन में प्रतिपक्ष का नेता, सचेतक तथा सामान्य सदस्य होते हैं। बहुदलीय शासन प्रणाली में प्रतिपक्ष की संरचना अनेक राजनीतिक दलों से मिलकर बनती है।

राजस्थान में बारहवीं विधान सभा में जहाँ राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल था वहीं तेरहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में था। बारहवीं विधान सभा में विपक्ष के 80 सदस्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के (56) तथा भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (4), जनता दल (यूनाइटेड) (2), लोकजन शक्ति पार्टी (1), समाजवादी पार्टी(1) सदस्य शामिल थे। वहीं तेरहवीं विधान सभा में बहुजन समाजवादी पार्टी क सदस्यों का भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस में सम्मलित हो जाने के बाद विपक्ष में 98 सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी (79), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (03), समाजवादी पार्टी (01) लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (01), जनता दल (यूनाइटेड) (01) तथा निर्दलीय (13) दोनों विधान सभाओं में विपक्ष के साथ रहे।

संसदीय लोकतंत्र में सदन के भीतर विपक्षी सदस्यों की संख्या तथा उसकी योग्यता व अनुभव सदन में उनकी शक्ति और प्रभाव को बड़ाता है उनकी योग्यता का स्तर, उनकी आयु, व्यवसाय, सामाजिक पृष्ठभूमि तथा पूर्व विधायी या संसदीय अनुभव सदन के भीतर उनके प्रभाव को बढ़ानें में सहायक कारक होते हैं। बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा विपक्ष के सदस्यों की गुणात्मक योग्यता का विश्लेषण किया गया है।

प्रशासनिक अनुभव के आधार पर देखा जाये तो बारहवीं विधानसभा के सदस्य तेरहवीं विधानसभा के मुकाबले काफी अनुभवी रहे हैं। इस विधानसभा में विपक्षी सदस्यों में तीन पूर्व मुख्यमंत्री, एक राज्यपाल तथा बारह मंत्री एवं राज्यमंत्री का अनुभव रखने वाले थे। इसमें जगन्नाथ पहाड़िया, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ–साथ पूर्व राज्यपाल भी रहे थे तथा अशोक गहलोत और शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चूके थे। बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं के कार्यवाही वृतान्तों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त विपक्षी सदस्यों की उपस्थिति से सदन के वाद–विवाद का स्तर काफी उन्नत रहा। इन सदस्यों ने अपनी योग्यता व कुशलता से प्रभावशाली भूमिका निभायी।

विपक्षी दलों के निर्माण की पृष्ठभूमि, संगठन तथा विचारधाराओं का उनकी कार्य प्रणाली पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक दलों से जुड़े हुए अनेक संगठन, दबाव समह, समस्याएँ एवं उनकी गतिविधियों को संचालित करते हैं जिनका प्रभाव सदन के भीतर उनकी कार्यप्रणाली पर पड़ता है। बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दलीय संगठनों का अध्ययन करने

से यह स्पष्ट होता है, कि इनका संगठन देश की चुनावी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। सभी राजनीतिक दलों का अन्तिम उद्देश्य चुनावों में विजय प्राप्त कर सत्ता हासिल करना है। इसलिए इनका संगठन लोकतांत्रिक आधार पर किया जाता है क्योंकि बाह्य संगठन पिरामिड की तरह है। इनसे सम्बन्धित अनेक सहायक संगठन भो रहे है जो अलग–अलग दलों से जुड़े होते है जैसे– किसानों, युवाओं, श्रमिकों, उपभोक्ताओं, शिक्षकों, मिडिया तथा महिलाओं से सम्बन्धित संस्थाएँ प्रत्येक दल से जुड़ी हुई है। यह संगठन सरकार की विफलता को उजागर करने तथा जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, रैलियाँ तथा अनशन आदि का सहारा लेते है।

बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं में यह देखने में आया है कि विपक्षी दलों में शामिल सभी राजनीतिक दल सदैव एक सूत्र में बधे हुए नहीं रहे है। मार्क्सवादी कम्युनिष्ठ पार्टी (माकपा), बहुजन समाजवादी पार्टी, जनता दल/जनता दल (यूनाइटेड) आदि दलों को दोनों विधान सभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ी है। इन सभी दलों का भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व भारतीय जनता पार्टी से समन्वय स्थापित कर पाना संभव नहीं था। माकपा क विधायक श्री अमराराम दोनों विधान सभाओं में विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आये थे। यह दल विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल नहीं हुए क्योंकि इन दलों का प्रमुख दलों के साथ सामजस्य बिठाने में अपनी भूमिका सही प्रकार से निभा नहीं पाये। इसलिए यह दल कभी एक दल से तो कभी दूसरे दल के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए नजर आये।

संसदीय प्रजातंत्र में प्रकिया के नियमों का उद्देश्य अवसरा अनुकूल कार्यपालिका की खुल्ले रूप में आलोचना करना तथा सदस्यों को खुल्ले रूप में वाद–विवाद करने और अपने विचारों को प्रकट करने एवं मतदान करने का अधिकार देता है। विधान मण्डल में विधान सभा के अध्यक्ष का पद बहुत ही अधिकार सम्पन्न और गरिमामय होता है वह विधान मण्डल का प्रमुख होने के कारण सदन में होने वाले वाद–विवाद और कार्यवाही को नियंत्रित एवं नियमित रखता है। वह विधान मण्डल के विशाधिकारों और सभी सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण होता है। इसलिय सदन की व्यवस्था बनाये रखने का दायित्त्व भी उसी का होता है।

बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं में सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव कर विपक्ष ने स्वस्थ संसदीय परम्परा का निर्वाह किया है। दोनों ही कार्यकाल में विपक्ष ने सत्तापक्ष के सदस्यों का समर्थन किया है।

विधान मण्डलों के सदनों में सदस्यों को सदन की कार्यवाही के दौरान विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुरूप ही आचरण करना होता है। प्रस्तुत अध्ययन में बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा के कार्यकाल के दौरान विभिन्न अवसरों पर विपक्षी सदस्यों द्वारा नियमों का पालन करवाने के प्रति दृष्टिकोण का विवेचन किया गया। विपक्ष चाहे बारहवीं विधानसभा का हो या तेरहवीं विधानसभा का नियमों तथा परम्पराओं के पालन की दृष्टि से पूरी तरह से सजग रहे हैं। यह सजगता स्वयं के द्वारा नियमों का पालन करने के स्थान पर सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नियम पालन करवाने में अधिक रही है।

विपक्ष का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य सदन में सत्तापक्ष के मंत्रिमण्डल के सदस्यों से विभिन्न विषयों एवं समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछना है। इन प्रश्नों के माध्यम से विपक्ष सत्तापक्ष से न केवल जानकारी एवं सूचनाएँ प्राप्त करता है अपितु सरकार की गलतियों को भी उजाकर करता है। साथ ही विकास की गति को भी तेज करने में भी यह प्रश्न अत्यन्त सहायक होते हैं। विधान मण्डलों की कार्यवाही के समय विपक्षी सदस्यों द्वारा दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रथम तारांकित प्रश्न होता है जिसका उत्तर सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है तथा दूसरा अतारांकित होता है जिसका उत्तर सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है।

बारहवीं एवं तेरहवीं विधान मण्डलों के दौरान पूछे गये तारांकित व अतारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में तुलना की जाये तो विपक्ष ने तेरहवीं विधान में बारहवीं विधानसभा की अपेक्षा अधिक प्रश्न पूछे गये। जिसमें विपक्ष ने तेरहवीं विधानसभा में अधिक सजगता का परिचय दिया और कही विषयों पर विपक्षी सदस्यों ने नियमों को दरकिनार करते हुए अनेक बार बर्हिगमन किया और व्यवधान पैदा किया।

संसदीय प्रजातंत्र में सत्तापक्ष पर नियंत्रण रखने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है जैसे– काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव तथा संसदीय समितियाँ आदि। जिसमें स्थगन प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव केवल विपक्ष के द्वारा ही लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव केवल विपक्षी सदस्यों के द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते है। इसलिए सरकार पर नियंत्रण रखने का यह एक सशक्त साधन माना जाता है। इसमें अविलम्बनीय लोक महत्त्व के प्रश्नों को सदन में तुरन्त उठाये जाने का अवसर मिलता है और इस विषयों पर राज्य सरकार की ओर से की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी भी सदन में तत्काल दी जाती है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रतिपक्ष के साथ–साथ सत्तापक्ष के सदस्य भी अपनी समस्याओं को आसानी से उठा सकते ह। जनसमस्या के प्रति जागरूक विधान सभा सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से समस्याओं का हल निकलवाने में अपनी योग्यता व क्षमता प्रदर्शित करता है। विपक्ष के अमराराम दोनों विधान सभाओं में अपनी योग्यता व क्षमता का परिचय देते नजर आये।

संसदीय प्रजातंत्र में कानूनों का निर्माण विधायिका का प्रमुख कार्य माना जाता है। विधायिका के सदस्य चूँकि जनप्रतिनिधि होते हैं। अतः उन्हें ऐसे कानूनों का निर्माण करना होता है, जो जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। इस कार्य में सत्तापक्ष के साथ–साथ विपक्ष की भी अह्म भूमिका होती है। कई बार ऐसे अवसर आते है जब विपक्ष के विरोध के कारण विधेयक या तो सदन में प्रस्तुत ही नही कर पाते है और यदि हो भी जाते है तो वह विधेयक कानून का रूप नहीं ले पात है।

बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो बारहवीं विधान सभा का प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सदस्यों ने शासकीय विधेयक के पारण के दौरान अपने पूर्व शासकीय अनुभव का लाभ उठाते हुए सत्तारूढ़ दल के सदस्यों पर हावी होने का भरपूर प्रयास किया गया। तेरहवीं विधान सभा के प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भी अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए सत्तापक्ष पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार दोनों ही विधान सभाओं के सदस्यों ने अपना प्रभाव बनाये रखने का प्रयास किया।

संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी दलों का कार्य केवल विरोध करना ही नहीं होता अपितु जनहित के मामलों में सत्तापक्ष का सहयोग करना भी होता है। बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं के अनेक विधेयक एवं संकल्प पारित किये गये। जिनका विपक्ष ने भी सहयोग किया।

कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य के साथ ही वितिय कार्य भी विधायिका का महत्त्वपूर्ण कार्य माना जाता है। जिसके अन्तर्गत बजट निर्माण के साथ–साथ विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक का पारण किया जाता है। बजट पारण की प्रकिया के अवसर पर राजकाज के विविध पहलूओं पर व्यापक तथा सविस्तार बहस तथा विचार विमर्श होता है जिस पर प्रतिपक्ष के सदस्य खुलकर बोलते हुए सरकार की गलत नोतियों पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। बजट के दौरान विभिन्न मदों तथा विभागों के खर्च पर विषय वार चर्चा करते समय विपक्ष को अपने विचार व्यक्त करने तथा उनमें आवश्यक संशोधन तथा परिवर्तन–परिवद्धन के प्रस्ताव लाने का प्रर्याप्त अवसर मिलता है।

बारहवीं विधान सभा के प्रमुख विपक्षी दल के रूप में काँग्रेस ने भी बड़ी कठिनाई से अपनी भूमिका का निर्वहन किया। बजट पर सामान्य वाद–विवाद हो या अनुदान की माँगों का पारण, विपक्षी सदस्यों ने सत्तापक्ष को बार–बार घेरने का प्रयास किया। वर्ष 2007 के बजट सत्र में विपक्षी सदस्यों ने प्रदेश में हुई औलावृष्टि को लेकर हंगामा, नारेबाजी, धरना, बहिगमन, कार्यवाही स्थगन आदि सभी असंसदीय साधनों का प्रयोग किया। काँग्रेस के अलावा अन्य दलां के सदस्यों ने इस मुद्दे पर बहिगमन किया।

इस प्रकार दोनों विधान सभाओं के बजट सत्र सम्बन्धी प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलकर आता है कि उक्त कार्यकाल के अधिकांश सत्र हंगामेंदार रहे जिनमें विपक्ष ने संगठित होकर सत्ता–पक्ष पर प्रहार किये।

सुझाव

संसदीय लाकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका को सुदृढ बनाने हेतु सुझाव इस प्रकार है कि –

(i) विधानसभा की बैठकों में निरन्तर आ रही कमी के कारण विपक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस हेतु सदन की बैठको की संख्या बढ़ाई जाये। शून्यकाल को विनियमित करने के लिए प्रकिया नियमों में प्रावधान किया जाना चाहिए। पश्नकाल के समान ही इसकी समय–सीमा को भी एक घण्टा निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ii) लोकतंत्र में मिडिया की महत्ती भूमिका होती है। अतः मिडिया को निष्पक्ष होकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वर्तमान में मिडिया सत्तापक्ष की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है इस हेतु सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाये जाने चाहिए जिससे मिडिया का ध्यान सत्तापक्ष व प्रतिपक्ष पर बराबर बना रहे। तथा साथ में इसे व्यवहार में भी लागू किया जाना चाहिए।

(iii) विरोध करना विपक्ष का दायित्त्व है लेकिन लोकतंत्र में इसका विरोध गंभीरता से किया जाना चाहिए। राज्यपाल अभिभाषण के पूर्व अध्यक्ष द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों के सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण के समय गरिमापूर्ण व्यवहार करे।

(iv) आज वर्तमान के दौर में यह आवाज उठाई जाती है कि युवाओं को भी राजनीति में जगह दी जानी चाहिए। लेकिन युवा अनुभवहीन होने के कारण विधानसभाओं में शोरगुल के अलावा और कुछ नही करते। अतः इन युवाओं के लिए संसदीय प्रकिया सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) लोकतंत्र के स्वस्थ विकास के लिए सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों के लिए एक विस्तृत आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। क्योंकि यह आचार संहिता दोनों ही पक्षों द्वारा अपने व्यवहार को संतुलित व मर्यादित बनाये रखने में एक दीप स्तम्भ की तरह काम करेगी। तथा इसे व्यवहार में लागू भी किया जाना चाहिए।

(vi) विधानसभा में यदि कोई सदस्य वैल में आकर व्यवधान पैदा करता है तो विधानमण्डलों के नियमों व प्रकियाओं में ऐसे प्रावधान किये जाने चाहिए जब कोई सदस्य वैल में आकर व्यवधान पैदा करे तो वह उस दिन की कार्यवाही से निलम्बित माना जाय और उसे उस अवधि का कोई वित्तोय लाभ भी नहीं मिलना चाहिए।

(vii) विधानसभाओं की कार्यवाही का प्रसारण सीधा किया जाना चाहिए ताकि विधानसभाओं की कार्यवाही की जानकारी सीधी जनता को मिलती रहे।

(viii) उक्त कार्यकालों के अध्ययनों से यह देखने में आया है कि विधान सभा के सदस्य सदन में नारेबाजी, अनुचित शब्दों का प्रयोग तथा धरना देने जैसे अनुचित कार्य करते है। इनको रोकने हेतु 'सदाचार समिति' का गठन किया जाना चाहिए।

बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं में विपक्षी दलों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इन दोनों ही विधान सभाओं में विपक्ष ने अपनी भूमिका सशक्त रूप से निभायी है। बारहवीं विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी तथा तेरहवीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के रूप में अपने दायित्त्व को बखूबी से निभाते हुए जनता पर ऐसी छाप छोड़ी जिससे दोनों ही बार सत्ता परिवर्तन हुआ।

दोनों ही कार्यकालों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह भी निष्कर्ष निकलता है कि सदन की कार्यवाही में बाधा डालना, सदन के नेताओं को बोलने स रोकना, सदन के वैल में आकर हँगामा करना, धरना, प्रदर्शन तथा अनशन आदि को खराब प्रदर्शनों में माना जायेगा। तो श्रेष्ठ विधायक सम्मान, राज्यहित को सर्वोपरि मानते हुए शासकीय संकल्पों का सर्वसम्मति से पारण, विपक्षी दलों द्वारा सत्तापक्ष का सहयोग करने को परम्परा को अच्छी व्यवस्था में गिना जायेगा।

बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा की कार्यावधि में विपक्ष अपने इस दायित्व का निर्वाह किस सामर्थ्य से कर सका, यह प्रश्न किसी सहज टिप्पणी का नहीं अपितु सतर्क अनुष्ठान की आवश्यकता उपस्थित करता है। प्रस्तुत अध्ययन इस आवश्यकता की पूर्ति का एक विनम्र प्रयास है।

शोध निर्देशक	शोधार्थी
डॉ. फूलसिंह गुर्जर	मदन लाल मीणा
व्याख्याता राजनीति विज्ञान, विभाग	
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ (राज.)	

परिचयात्मक

आधुनिक समाज में शासन की जितनी प्रणालियों का आविष्कार एवं प्रयोग हुआ है, उसमें लोकतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ एवं व्यापक रूप से स्वीकृत प्रणाली रही है। इसका कारणही नहीं रहा कि उसमें अधिकतम जनसमुदाय के अधिकतम कल्याण का लक्ष्य रहा है, बल्कि इसमें निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं लोगों में निहित रहता है, जिनके कल्याण के लिए शासन का यह तंत्र विकसित होता है, जो जनता के द्वारा शासन न भी हो तो जनता का तथा जनता के लिए अवश्य होता है।

संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। विधानमण्डल में विपक्ष संख्यात्मक दृष्टि से सत्तारूढ़ दल से निर्बल होता है लेकिन सरकार की नीतियों, विधायी प्रस्ताओं व प्रशासनिक कार्यों में होने वाली छोटी सी त्रुटि को भी वह जनता के समक्ष उजाकर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह अपनी वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करता हैं। फिर भी विपक्ष सरकार के कार्यों में छिद्रान्वेषण का कोई अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देता है। विपक्ष सदैव जनता को यह विश्वास दिलाता है कि वह चुस्त, बुद्विमान, जन–सेवक, रचनात्मक व संवैधानिक है जबकि इसके विपरीत सरकार भारी भूल करने वाली है। संसदीय प्रजातंत्र का स्वस्थ विकास शक्तिशाली विपक्ष की उपस्थिति में ही हो सकता हैं।

संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। यद्यपि सत्ताधारी दल राजनीतिक दल की भूमिका शासन के संचालन एवं नीति निर्माण में निर्णायक होती है, तथापि संसदीय शासन के संचालन में विपक्षी दलों की भूमिका सत्तारूढ दल से अधिक महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायकहोती है। ऐसा कहा जाता है कि सत्तापक्ष को एक 'ऐरावत' के रूप में स्वीकार किया जाये तो 'विपक्ष' जनता रूपी वह महावत है जो त्रिशूल रूपी व्यवस्थापिका के साधनों द्वारा हाथी रूपी सत्तापक्ष को नियंत्रित कर तथा उसे जागरूक कर लोकतंत्र को सफलता की ओर अग्रसर करता है।[1]

राजनीतिक दल की परिभाषा यह प्रतिध्वनित करती है कि इसमें विभिन्न प्रतियोगी समूह एक साथ पाये जाते हैं तथा इसमें साझेदारी, पृथकता और सहभागिता के लक्षण भी विद्यमान होते हैं। परन्तु उनमें एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह पायी जाती है कि विभिन्न समूह सम्पूर्ण एक व्यवस्था के एक स्वतंत्र अंग के रूप में अस्तित्व में रहते हैं। यह अन्तर्सम्बन्ध उनके राजनीतिक चरित्र के कारण ही पाया जाता है। क्योंकि प्रत्येक

राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का दावा करते हैं। राजनीतिक दल जन–इच्छा को संगठित करते हैं तथा राजनीतिक उत्तरदायित्व के प्रति नागरिकों को शिक्षित करते हैं। इन्हीं दो कारणों के आधार पर वे सरकार व जनमत के बीच योजक कड़ी के रूप में कार्यरत रहते है।[2]

हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संसदीय शासन प्रणाली दी है। इस लोकतांत्रिक प्रणाली म विपक्ष इसका अभिन्न एवं अपरिहार्य अंग है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार विशेष रूप से संसदीय सरकार विपक्ष के बिना नहीं चल सकती, और कोई भी लोकतांत्रिक सरकार में चाहे विपक्ष एक दल का हो या एक से अधिक दल का। विपक्ष जितना अधिक शक्तिशाली होगा, सरकार भी उतनी ही सतर्क एवं सही रास्तों पर चलने वाली होगी और विपक्ष जितना कमजोर होगा, सरकार भी उतनी ही निरंकुश होगी।

भारत में विपक्षी दलों की भूमिका इस संदर्भ में और भी महत्त्वपूर्ण बन जाती है। क्योंकि यह संसदीय व्यवस्था के कारण कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका संयुक्त होती है तथा विपक्षी दल एक साथ व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका दोनों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। 'जवाहर लाल नेहरू' इस तथ्य के प्रति पूर्णतः सजग थे कि संसदीय लोकतंत्र के उचित संचालन के लिए सशक्त विपक्ष अति महत्त्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक ढांचें में यह वांछनीय ह कि वैचारिक अभिवृद्वि और जनता में राजनीतिक शिक्षा के विकास के लिए विपक्षी दलों के हर सम्मुख अवसर प्रदान किए जायें। उनका यह विश्वास था कि आलोचना के अभाव में जनता व सरकार निष्क्रिय हो जाते हैं। समूची शासन प्रणाली ही ऐसी आलोचना पर आधारित है।[3]

राजस्थान में लोकतांत्रिक संस्थाओं का उदय यद्यपि 1952 में हो गया था। लेकिन सामन्तवादी पृष्ठभूमि के कारण यहाँ विपक्ष को सहृदयता–पूर्वक स्वीकार नहीं किया गया था। सरकार के किसी भी प्रकार के विरोध को अनैतिक कृत्य माना जाता था। राजस्थान में प्रथम विधान सभा से ही कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है तथा विपक्ष की स्थिति कमजोर रही है। अतः विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता था। सन् 1967 में प्रथम बार विधान सभा में कांग्रेस को एकाधिकार को चुनाती मिली। इन चुनावों में गैर–काँग्रेसी दलों के संयुक्त विधायक दल के रूप में संगठित हाने से काँग्रेस ने चुनावों में मिलने वाला बहुमत खो दिया। यद्यपि 1968 में हुए चतुर्थ आम चुनावों में काँग्रेस सत्तारूढ़ हुई, लेकिन इन चुनावों में विपक्ष का महत्त्व बढ़ गया।

सन् 1977 में सम्पन्न छठी राजस्थान विधान सभा के चुनावों में प्रथम बार काँग्रेस को पराजय का मुँह देखना पड़ा और विपक्ष की भूमिका निभाई। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले गैर–काँग्रेसी दलों जैसे–जनसंघ, संगठन काँग्रेस, समाजवादी दल,

तथा भारतीय लोकदल से मिलकर बनी 'जनता पार्टी' ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली। लेकिन एकताबद्व होकर सत्तारूढ होने का गेर–काँग्रेसी दलों का यह प्रयास केवल ढाई वर्ष की अल्पावधि के लिए ही सफल हो पाया। 6 जून 1980 को छठी विधानसभा भंग हो गई तथा अन्य 9 गैर–काँग्रेस शासित राज्यों के समान राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 1990 से 1992 की अल्पावधि मे कुछ समय के लिए गैर–काँग्रेसी सरकार सत्तारूढ़ हुई। आगे चलकर राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक कार्यकाल में सत्ता का परिवर्तन होता रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई, तो कभी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस। क्योंकि राजस्थान में यह प्रमुख दो दल ही सत्ताधारी रहे हैं। जिसमें एक सत्तारूढ़ होता है, तो दूसरा विपक्ष की भूमिका का निवर्हन करता हैं।[4] क्योंकि यही स्थिति बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा में देखी जा सकती है। जिसमें बारहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका का निवर्हन किया है तो वहीं तेरहवीं विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने सत्ता प्राप्त कर शासन का संचालन किया, तो वहीं तेरहवीं विधानसभा में विपक्ष की भूमिका का निवर्हन भारतीय जनता पार्टी ने किया।

मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और मानव की इस विवेकशीलता के कारण एक ही प्रकार की समस्याओं के सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये जाते है। विचारों की भिन्नता के साथ ही साथ व्यक्तियों की आधारभूत बातों के सम्बन्ध में विचारों में समानता भी पाई जाती है। विचारों की समानता रखने वाले व्यक्ति अपनी सामान्य विचारधारा पर शासन शक्ति प्राप्त करने और अपनी नीति को कार्य रूप में परिणीत करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा इस उद्देश्य की दृष्टि से उनके द्वारा जिन संगठनों का निर्माण किया जाता है उसे राजनीतिक दल कहते हैं। ''एडमण्ड बर्क'' के अनुसार ''राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्वान्तों के आधार पर जिन्हे वे एकमत हो, अपने सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बँधें होते हैं।'' अतः आज के लोकतांत्रिक युग में यह दल लोकतंत्र के पहिये है।[5]

संसदीय लोकतंत्र में इस सिद्वान्त को मूर्तरूप में स्वीकार किया जाता है कि जहाँ अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी राय के अनुसार शासन करने का अवसर दिया जाता है किन्तु साथ की अल्पसंख्यकों को अपनी भिन्न राय व्यक्त करने की पूरी–पूरी छूट होती है, इन भिन्न राय व्यक्त करन वाले अल्पसंख्यकों को विपक्षी दल या विरोधी पक्ष के नाम से जाना जाता है।[6]

शासन की कोई भी प्रणाली हो, उसमें सत्ता प्राप्त करने के लिए हमेशा संघर्ष रहेगा। जिन लोगों के हाथ में सत्ता नहीं होती है वे लोग उन लोगों को अपने पद से हटाने की चेष्टा करते हैं जिनके द्वारा सरकार बनाई गई है। इसके लिए वे बलपूर्वक सत्ता हथियाने, क्रान्ति या निर्वाचन की प्रकिया आदि का सहारा लेते है। संसदीय प्रणाली में विरोधी मत वालों का यह कर्तव्य होता है कि वे स्वीकृत संसदीय तरिकों सेसत्ता के लिए संघर्ष करें।[7]

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक से अधिक राजनीतिक दलों का होना अति–आवश्यक है। इनके बिना किसी भी राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन नहीं किया जा सकता। एक पक्ष सत्ता का संचालन करता है तो दूसरा पक्ष विपक्ष की भूमिका का निवर्हन करता है। आज की आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में जहाँ निर्णय प्रकिया बहुमत के सिद्वान्तों पर आधारित है, सत्तारूढ़ पक्ष से भिन्न सिद्वान्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल विपक्ष का निर्माण करते हैं। जिस राजनीतिक दल को आम निर्वाचन में बहुमत प्राप्त हो जाता है वह दल सरकार बनाता है तथा जिस दल के पास बहुमत नहीं होता वह विरोधी दल अथवा विपक्ष का निर्माण करता है।

वस्तुतः संसदीय लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की कुछ मूलभूत शर्तों को स्वीकार करे। सर आईवर जैनिग्स के विचारों में यह तर्क है कि–''बहुमत वाला वर्ग शासन तो करे लेकिन अल्पमत वाले वर्ग को दबाने का प्रयास न करें।'' ऐसे प्रश्नों को सुलझाने के लिए जिनके कारण राजनीतिक दलों में इतना बड़ा मतभेद हो गया हो कि सर्वसम्मत संसाधन आवश्यक हो तो विपक्षी दलों के साथ समझौता करले। सरकार व विरोधी दल एक दूसरे की ईमानदारी पर विश्वास करें और उनमें मानसिक समझौता तथा पारस्परिक विश्वास की भावना बनी रहै। विगत दो दशकों में देश में संसदीय लोकतंत्र का जो स्वरूप विकसित हुआ, उसमें विपक्ष का दायित्व केवल सत्तापक्ष के कार्य कलापों की आलोचना करने या समीक्षा करने तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि ऐसी आलोचना या समीक्षा को अधिक सार्थक बनाने की दृष्टि सेविपक्ष को संसदीय समितियों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोजित किया गया है।

विपक्ष का अर्थ –

विपक्ष या विरोधी दल ऑपोजीशन' लैटिन भाषा के 'अपोजिशिओ'(oppositio) से निकला है, जिसका अर्थ होता है– ''विरोध करना।''[8]

संसदीय शासन प्रणाली वाले लोकतांत्रिक देशों में विरोध पक्ष विधायकों के उस समूह को कहते हैं, जिसे आम निर्वाचन में बहुमत प्राप्त नहीं होता, तथा जो बहुमत प्राप्त सत्तारूढ़ दल से भिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करता है।

प्राचीन तथा मध्य युग में किसी भी प्रकार के राजनीतिक समूह को सरकार राजद्रोह समझती थी। विपक्ष या विपक्षी दलों के लिए उस युग में कोई स्थान नहीं था।[9] सत्रहवीं शताब्दी के पूवार्द्ध में राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा ही व्यक्तिगत रूप से राजा की आलोचना करना तो गाह्रय था, राजा को पभावित करने हेतु उदारहणार्थ मंत्रियों की नामजदगी के समय सामूहिक रूप से बनाये गए किसी भी समूह को राजा पर असंवैधानिक नियंत्रण समझा जाता था।[10] उपर्यक्त धारणा आधुनिक युग में समाप्त हो गई तथा विपक्ष विकसित हो सका।

इग्लैण्ड में जब राजा ने यह अनुभव किया कि वह सम्पूर्ण संसद में संघर्ष करने में असमर्थ है, यद्यपि संसद का बहुमत उसका समर्थन करता था तब राजा ने अल्पमत पर स्वयं को विपक्ष बनाने का दबाव डाला। इस प्रकार विपक्ष कार्यात्मक दृष्टि से संसद के समकक्ष हो गया। शक्ति–पृथककरण के सिद्वान्त ने सरकार पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बनाये रखने हेतु विपक्ष पर जोर दिया।[11]

ब्रिटेन में उन्नीसवीं शताब्दी (1838) में जब संसदीय व्यवस्था का शुभारम्भ हुआ, तब 'शाही विपक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया। आगे चलकर बीसवीं शताब्दी में पराजित दल द्वारा छाया मंत्रिमंडल गठित करने की प्रथा प्रचलित हुई।[12]

विपक्षी दलों की स्थिति उस समय और अधिक संवैधानिक एवं सम्मान–जनक हो गई जब 1937 में वहाँ की संसद द्वारा पारित अधिनियम 'The ministrash of the crown act.' में विरोधी दल के नेता को वेतन देने की व्यवस्था की गयी।[13] कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रोका में भी कमशः 1905, 1920 तथा 1946 में विरोधी दल के नेता को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई।[14] भारतीय लोकसभा में सर्वप्रथम 1969 में विपक्षी दल व उसके नेता को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई।[15]

एक दलीय शासन प्रणाली वाले देशों में विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं होता। वहाँ पर विपक्ष ही नहीं अपितु उसे समाप्त करने का प्रयास भी किया जाता हैं। उदाहरण स्वरूप सोवियत संघ, चीन एवं अन्य साम्यवादी देश है। इन देशों में दल की बैठकों में तो व्यक्तिगत रूप से सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किया जा सकता है परन्तु सामूहिक अथवा सार्वजनिक रूप से नहीं। फासिस्ट, इटली तथा नाजीवादी जर्मनी भी इसी श्रेणी के

देश थे। रूस में स्टालीन के शासन काल में तथा सन् 1934 के बाद जर्मनी में नाजीदल दल के सत्ता में आने के बाद आंतरिक विपक्ष को विरोध करने की अनुमति नहीं थी।

द्वि–दलीय शासन व्यवस्था वाले देशों में विपक्ष बहु–दलीय व्यवस्था वाले देशों की अपेक्षा अधिक संगठित तथा अधिक सुदृढ़ होता है। विपक्ष को सरकार का विकल्प बनाने की संभावना अधिक रहती है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में दीर्घकाल से ही दो दलों का अस्तित्व रहा है केवल दो दल अस्तित्व में हाने के कारण विपक्ष ने उत्तरदायित्व की भावना से अपने कर्तव्यों का निवर्हन किया है। राबर्ट सी. न्यूमेन का कहना हैं कि "सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दल दोनों ने अपनी भूमिका को भली–भाँति समझा है। विपक्ष ने सरकार के कार्यकमों पर जोरदार प्रहार किये है और सरकार ने पूरी तरह उसका सामना किया है। सरकार ने किसी बहस या विचार–विमर्श को बंद करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि इसमें विपक्ष की वाणी प्रतिध्वनित होती है।"[16]

बहुदलीय शासन प्रणाली वाले देशों में भिन्न–भिन्न विचार–धारा रखने वाले नागरिक भिन्न–भिन्न दलों का निर्माण करते हैं। इन दलों के निर्माण का आधार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कुछ भी हो सकता है। कई दल ऐसे भी होते हैं, जो सिद्धान्तों एवं मान्यताओं में भारत भी इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ भी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर विचारधाराओं एवं सिद्धान्तों पर आधारित विभिन्न दल है। ऐसे देशों में विरोधी दलों में आपस में उतना ही टकराव होता है जितना की सत्ताधारी दल से। आम चुनावों में इन दलों के प्रत्याशीयों में मतों के विभाजन हो जाने से इनको बहुमत प्राप्त नहीं होता। इसलिए दूसरे दलों के मन में यह धारणा बन जाती है कि यह दल सरकार का गठन करने में असमर्थ है। अतः वह सत्तारूढ़ दल को ही अपना मत देना श्रेयस्कर समझता है। इससे सरकार भी भयभीत नहीं रहती क्योंकि इन दलों में एकता का अभाव एवं विचारों में भिन्नता होती है।

ब्रिटेन की द्वि–दलीय प्रणाली अभी तक भारत में विकसित नहीं हुई है, इसलिए विपक्ष का नेता अपने छाया मंन्त्रिमण्डल के साथ प्रतीक्षारत प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। वस्तुतः ऐसी स्थिति आ सकती है जब विपक्ष का नेता सत्तारूढ़ दल की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक विध हो।

स्वतंत्रता के बाद भारत मं विपक्ष तथा विपक्षी के नेता को पहली बार 1969–1970 के दौरान मान्यता प्रदान की गई थी। जब कॉंग्रस पार्टी कॉंग्रेस (आर) तथा कॉंग्रेस (ओ) में विभक्त हो गई थी। पहली बार सत्तारूढ़ कॉंग्रेस पार्टी तथा दूसरे विपक्ष में जिसका नेता विपक्ष का नेता था। 1977 में छठे आम चुनाव के परिणामस्वरूप जनता पार्टी की सरकार

बनी जो कांग्रेस पार्टी मान्यता प्राप्त आधिकारिक विपक्ष बन गई और इसका नेता 1977–79 के दौरान विपक्ष के नेता रहा।[17]

महत्त्व

किसी भी समाज में पड़ने वाले राजनीतिक प्रभावों के सही मूल्याकंन के लिए उसकी सामाजिक, शैक्षणिक और अन्य पृष्ठभूमि का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यह उसके राजनीतिक रूझान और राजनीतिक दलों के प्रति उनके व्यवहार और प्रकिया को बहुत दूर तक प्रभावित करते हैं। विपक्ष भी एक या एक से अधिक दलों से मिलकर बनता है और जनता में उसके प्रति आस्था और सहयोग या उसका विरोध या उसे नजर–अंदाज भी समय की परम्पराओं, मान्यताओं व विवशताओं पर उतना ही निर्भर रहता है, इसलिए राजनीतिक दल प्रजातंत्र की आधारशीला होते है। यह राजनीति के कियात्मक रूप को स्पष्ट व निर्धारित करते हैं तथा प्रजातंत्र के अव्यवस्थित मतों को सरकारी नीति में बदलना राजनीतिक दलों के बिना असंभव है। राजनीतिक दल जनता की इच्छा को आवाज का रूप प्रदान करते हैं उनके बिना उत्तरदायी सरकार का सपना साकार नहीं हो सकता। दलीय प्रणाली में शासन कार्य में दृढ़ता व शक्ति मिलती है वहीं विपक्ष की स्थिति सरकार को नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

विपक्ष के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए 'जवाहर लाल नेहरू' ने यह बताया है कि "संसदीय प्रणाली में न केवल विपक्ष की आवश्यकता होती है, न केवल प्रभावी ढंग से अपने विचार व्यक्त करना होता है, बल्कि सरकार एवं विरोधी पक्षों के बीच सहयोग का आधार भी आवश्यक होता है। सहयोग किसी एक विषय के सम्बन्ध में ही काफी नहीं है, बल्कि संसद के काम को आगे बढ़ाने का आधार सहयोग ही है और जहाँ तक हम ऐसा करने में सफल होंगे तभी हम संसदीय प्रजातंत्र की नीव को रखने में सफल हो सकेंगे।"[18]

विपक्ष के कार्य–

सामान्यतः विपक्ष मौलिक रूप से दो कार्य करता है प्रथम तो वह शासक दल की आलोचना करता हैऔर उसकी नीतियों को सुधारने का प्रयास करता है तथा दूसरा आवश्यकता पड़ने पर सरकार बनाने का प्रयास करता है।इन दो कार्यों के अतिरिक्त और जो कार्य है वह निम्न है।

विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की मौजूदगी को प्रदर्शित करता है–

जहाँ प्रजातंत्र नहीं है वहाँ विपक्ष नहीं है। विपक्ष का अस्तित्व प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। यदि यह जानना हो कि अमूक देश की जनता स्वतंत्र है तो यह जानना आवश्यक है कि वहाँ विरोधी दल है या नहीं। यदि है तो कहाँ पर है। 'संसदात्मक

प्रजातंत्र' के विषय पर आयोजित एक सेमीनार में भारत स्थित ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने विपक्ष के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि ''कार्यपालिका के विधान मंडल के भीतर और बाहर वर्ष के प्रतिदिन आलोचना की जा सके। ऐसा न होने पर सरकार प्रजातंत्रात्मक न रहेगी, वह शीघ्र ही मनमानी करने लगेगी, और आगे चलकर अत्याचारी शासन का रूप ले लेगी। ''यह जो बात अपन हित में समझेगी वैसा दूसरे के हितों अथवा राष्ट्रीय हित का ध्यान न रखते हुए करने लगेगी। जनता का शासन कुछ थोड़ेसे व्यापारियों द्वारा क़छ करने के लिए का सिद्वान्त ले लेगा। [19]

यदि लोकतंत्र की सफलता के लिए विपक्ष का होना आवश्यक है तो विरोधी पक्ष का निर्माण वहीं संभव है जहाँ दलों का निर्माण करने, चुनाव में भाग लेने, तथा लोगों को बोलने का या सरकार की आलोचना करने का अधिकार लोगों का होगा। विपक्ष का विकास हेतु यह आवश्यक है कि सरकार विपक्ष की आलोचना का उत्तर पुलिस या जेल द्वारा न देकर तर्को से दे।प्रजातंत्र में यह मानकर चलना पड़ता है कि बहुमत प्राप्त दल का कार्य शासन करना है किसी अन्य दलों की आलोचना या दमन करना नहीं है।

जब जनता सत्ता परिवर्तन चाहती तो विपक्ष विकल्प प्रस्तुत करता है

कुछ लोग विरोधी पक्ष के औचित्य को जिस सीमा तक शासन उसे सहन करता है तथा उसके प्रति सम्मान प्रकट करता है के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि वहाँ लोकतंत्र है कि नहीं, किन्तु महत्त्व इस बात का नहीं है कि विपक्ष का अस्तित्व है वरन् इस बात का है कि उसमें जनता के सम्मुख वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करने तथा सत्तारूढ़ पक्ष की निरकुंशता को नियंत्रित करने का सामर्थ्य है। महामहिम के विरोधी दल का स्थान महामहिम की सरकार के बाद दूसरा होता है। विपक्षी नेता भावी प्रधानमंत्री होता है तथा आज के विपक्षी दल को कल सत्तारूढ़ दल का महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व सहन करना पड़ता है।[20]

संसदीय लोकतंत्र अन्य शासन तंत्रों की अपेक्षा अधिक सुसभ्य और सुसंस्कृत अवधारणा है। क्योंकि इसमें लोग संसद में मिल–बैठ कर बातचीत के द्वारा अपने मतभेदों का हल खोजने का प्रयास करते हैं तथा राजनीतिक शक्ति के लिए सतत् संघर्ष या तो आम चुनावों के समय मतपेटियों के माध्यम से होता है, या फिर संसद के सदनों में वाद–विवाद के द्वारा। संसदीय व्यवस्था का मूलमंत्र यही है कि स्वतंत्र चर्चा हो, हर राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों पर खुलेआम बहस हो, आलोचना करने की पूरी छूट हो और विभिन्न मतों में टकराव, सही पक्षों द्वारा आपसी बातचीत और वाद–विवाद के बाद देशहित में निर्णय लिये जायें।

भारत के संदर्भ में रजनी कोठारी का मत है कि–''विपक्ष के दबाव का एक परिणाम यह भी होता है कि काँग्रेस (सत्तारूढ़ दल) को बराबर इस बात का डर बना रहता है कि यदि वह प्रभावशाली लोकमत से दूर रहती है या उसकी आंतरिक गुटबाजी द्वारा संतुलन स्थापित नहीं होता, तो विपक्ष उसे अपदस्त कर सकती है।''[21]

विपक्ष का वास्तविक उद्देश्य अगले चुनाव में सत्ता प्राप्त करना है। अतः यह सरकार के प्रस्तावों का परीक्षण करता है, इनकी नीतियों की आलोचना करता है, प्रशासन में घुसकर विषय अन्वेषण या सरकार द्वारा दिये उत्तरों की जाँच करता है।

विपक्ष शासन एवं लोकसेवकों को पक्षपात एवं भ्रष्टाचार से बचाता है

विपक्षी दलों का यह कर्तव्य है कि वह भ्रष्टाचार एवं दोषपूर्ण प्रशासन के प्रश्नों को जनता के समक्ष उजागर करे। यह कार्य सरकारी कार्यों से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह सशस्त्र सेनाओं को पक्षपात रहित एवं लोकसेवाओं को अराजनीतिक बनाता है। विपक्ष अपनी तीखी निगाहों से सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये का सूक्ष्मता के साथ अवलोकन करता है तथा अपने वाक्युद्ध से सरकार को जलील करने का कार्य करता है।

जैनिग्स के अनुसार– ''विरोध करना विपक्षी दल का कर्तव्य है। वह इस परामर्श पर चलता है कि देखते ही हमेशा की तरह खींच लो और खीचते ही कसम खाकर कहो, यही कार्य भ्रष्टाचार और दोषपूर्ण प्रशासन पर मुख्य प्रतिबन्ध है। इसी के माध्यमसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ किये गये अन्याय का निराकरण होता है।''[22]

यह वाक् स्वतंत्रता के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त को उजाकर करता है–

विपक्ष स्वतंत्र लोकतंत्र के अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसकी आत्मा को आत्मसात् करता है। जनता के ध्यान में विपक्ष स्वतंत्रता का प्रतिबिम्ब है। इस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नागरिकों की स्वतंत्रता का हरण माना जाता है। स्वतंत्रता की रक्षा तत्काल होनी चाहिए। इसके अतिकमण की स्थिति में खतरे की घण्टी सर्वप्रथम विपक्ष ही बजाता है। आईवर जैनिग्स ने इस सम्बन्ध में कहा है कि–''एक स्वतंत्र देश का परीक्षण विपक्ष की हैसियत पर निर्भर करता है।''[23]

'हरिशंकर भाभड़ा'[24] ने विपक्ष के कार्यों को मोटे रूप में निम्न प्रकार से अंकित किया है :–

1. सत्तारूढ़ दल की कमियों को आम जनता के समक्ष उजाकर करना।
2. सार्वजनिक मुद्दों पर जन समर्थन प्राप्त करना।
3. विपक्ष द्वारा सदन में और सदन के बाहर सत्तापक्ष का विरोध करना।

4. सरकारी प्रशासनपर अंकुश रखना।

5. सत्तारूढ़ दल की पराजय की स्थिति में स्वयं सरकार चलाने की क्षमता प्राप्त करना।

6. संसद एवं विधानमण्डलों द्वारा पारित विधेयकों का गंभीरता से परीक्षण करते हुए उनको अधिक से अधिक जनहित में प्रस्तुत करना, उसके प्रति सावधानी बरतना।

7. उत्तरदायी विपक्ष के रूप के सत्तारूढ़ दल की नीतियों के विकल्प में अपनी नीतियाँ जनता के समक्ष प्रस्तुत करना। तथा

8. सत्ताधारी दल की कमियों को सार्वजनिक मुद्दों पर उजाकर कर उसे परास्त करना।

आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यों में विपक्ष प्रजातंत्र की सफलता हेतु एक अनिवार्य तत्व है इसके लिए सरकार व विपक्ष के मध्य सैद्धान्तिक सम्बन्ध होना अनिवार्य है। सरकार से यह आशा की जाती है कि बहुमत दलों का कार्य शासन करना होता है, विरोध करना नहीं। उसी प्रकार विरोधी दलों का कार्य रचनात्मक विरोध करना है न कि सरकार के कार्यो में बाधा डालना। प्रजातंत्र में सरकारी पक्ष व विरोधी पक्ष दोनों को एक दूसरे की ईमानदारी स्वीकार करनी पड़ती हैं। वास्तव में संसदीय सरकार सूचारू रूप से चलना विरोध पक्ष तथा सरकारी पक्ष के बीच सहिष्णुता की नीति पर निर्भर करता हैं। यदि विरोधी पक्ष का नेता प्रधानमंत्री को शासन करने देता है तो उसके बदले में विरोध करने की अनुमति हैं।[25]

इस प्रकार संसदीय लोकतंत्र एक व्यवस्था के रूप में अत्यधिक गतिशील अवधारणा है। यह सर्वदा विकसित होती रहेगी। राजनीतिक दल मुख्यतः 'प्रतिपक्षी दल' इसे ऐसे रूप में आगे बढ़ाते रहेंगे कि वह बदलती हुई राजनीतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। लोकतंत्र का मर्म, बहस, द्वन्द्वात्मक विकास तथा सभी व्यक्तियों को खिलने का भरपूर अवसर है, अतः लोकतंत्र में ठहरे हुए पानी के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि किसी व्यवस्था एक ही दल अक्षुण्ण व अप्रतिबद्ध सत्ता बनी रहे, तो यह स्थिति लोकतांत्रिक प्रकिया के स्थगन की द्योतक है।

संसद में विपक्ष का प्रादूर्भाव

ब्रिटिश संसद के आरम्भ में सांसद सम्राट के प्रति न केवल सम्मान प्रकट करते थे, अपितु सरकार द्वारा मनोनित सरकार का विरोध भी नहीं करते थे। क्योंकि उस समय उसका लक्ष्य राजा की शक्ति को कम करना था। लेकिन जब संसदीय व्यवस्था अपने वर्तमान समय में आई तो सत्तारूढ़ दल को विरोध का सामना करना पड़ा।

संसदीय लोकतंत्र की उत्पति कार्यपालिका की नियंत्रणहीन शक्ति के दुरपयोग के निश्चित प्रमाणों और दृष्टान्तों के विरोध में हुई थी। संसदीय प्रजातंत्र का उद्भव राजा की निरकुश सत्ता एवं असीमित धन संग्रहण पर रोक की आवश्यकता के कारण हुआ था। सम्राट के प्रति आदर एवं सम्मान होते हुए भी जब उसकी निरंकुशता और करारोपण जनता के लिए असहनीय हो गया, तब विरोधी स्वर उभरने लगे। उस समय यह तर्क प्रतिपादित किया गया कि जब तक निर्णय प्रकिया में सामान्य जनों की भाग्यदारी नहीं होगी, तब तक राजा को कर देने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। यहीं से जनप्रतिनिधि शासन एवं कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण का सूत्रपात हुआ।

राजनीतिक व्यवस्था प्रतिनिधिक होगी, प्रशासनिक व्यवस्थाऐं उतनी ही अधिक उत्तरदायी होगी, और संसदीय प्रणाली इसी सिद्वान्त पर आधारित है कि इसमें विभिन्न अंगों के मध्य पारस्परिक सन्तुलन एवं समन्वय विद्यमान हो। कोई भी नियंत्रण प्रकिया इसी तथ्य को धूरी मानकर निर्मित की जाती है। विषय, समय, स्थान, परिवेश एवं जनता की चेतना को ध्यान में रखते हुए भी यह नियंत्रण प्रणालियाँ निर्मित की जाती है। जिस गति और तिव्रता से जनप्रतिनिधियों के हाथों सत्ता का एकत्रीकरण होता चला गया उसी गति और तीव्रता से नियंत्रण के माध्यम उत्तरोतर प्रभावशील होते चले गये।

कोइ भी नियंत्रण प्रविधि संस्था निरपेक्ष नहीं होती, परन्तु संस्था सापेक्ष होती है। संस्था के आकार, प्रकार एवं चरित्र के अनुसार इन नियंत्रण प्रविधियों को निर्मित एवं सर्जित किया जाता है। जितनी कठोर अथवा संकीर्ण या संकुचित संस्था होगी, नियंत्रण प्रविधि उतनी ही तीव्र एवं लक्ष्यगामी होगी। अत्यधिक केन्द्रवादी और संकुचित संगठन में नियंत्रण प्रविधि उतनी ही अत्यधिक औपचारिक एवं व्यवहारिक होगी। संस्था जितनी व्यापक व लचीली होगी, नियंत्रण प्रविधि का भी यही आधार है।

संसदीय जनतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि सत्तारूढ़ पक्ष एवं विपक्ष लोकतंत्र की कुछ मूलभूत बातों को स्वीकार करें। 'सर आईवर जैनिग्स' के अनुसार ये शर्तें निम्न हैं–

(1) बहुसंख्यक वर्ग शासन तो करे, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग को दबाने का प्रयास न करें।

(2) सरकार तथा विपक्ष एक दूसरे की ईमानदारी पर विश्वास करे और उसमें मानसिक एवं पारस्परिक विश्वास की भावना बनी रहै।

(3) यदि किन्हीं कारणों से राजनीतिक दलों के मध्य मतभेद बढ़ गया हो तो ऐसे मतभेदों को सुलझाने हेतु विपक्षी दलों से समझौता किया जा सकता है।

4 जुलाई 1984 को बम्बई में वक्तव्य देते हुए लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने कहा था कि "हमारी शासन प्रणाली में सत्तारूढ़ दल व विपक्षी दलों को अपने–अपने

विचार प्रकट करने का पूरा–पूरा अधिकार है। यदि सत्तारूढ़ दल को विपक्ष नहीं बौलने देता है और सत्तारूढ़ दल विरोधी पक्ष को अपने विचार नहीं रखने देता है तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। हमारे लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दल का उचित स्थान है तथा दोनों का समान महत्त्व है। वे एक ही गाड़ी के दो पहिये है। यदि एक पहिया अयोग्य हो जाता है, तो दूसरा पहिया भी बैकार हो जाता है वे पारस्परिक आश्रित हैं।[26]

संसदीय नियंत्रण की प्रविधियों में राज्याध्यक्ष के अभिभाषण पर बहस, प्रश्नकाल, स्थगन, प्रस्ताव, संकल्प, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विधायी समितियाँ, बजट पर बहस एवं वित्तीय समितियाँ प्रमुख हैं। किन्तु विधायिका का निर्माण राजनीतिक संक्रिया का परिणाम है व विधायिका के निर्माण में ही हित संग्रहण की प्रकिया प्रतिध्वनित एवं चिन्हित होती है। हित संग्रहण की प्रकिया चूँकि बहुमत का निर्माण करती है। अतः उसे ही कार्यपालिका चुनने का अधिकार होता है। संसदीय निर्माण की प्रकिया को निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया हैं।

विधायिका	कार्यपालिका	बाह्य एवं दूर–नियंत्रण
संस्थागत नियंत्रण स्वयं द्वारा निर्मित कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण	नियमगत नियंत्रण सामान्य एवं विशिष्ट अधिनियमों द्वारा बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण	हितों के संग्रहण एवं विशिष्टीकरण द्वारा बजटीय नियंत्रण

संसदीय नियंत्रण प्रकिया[27]

संसदीय प्रजातंत्र में विरोधी पक्ष राज्य के प्रधान जिसे संविधान की रक्षा करने का दायित्व सौंपा जाता है, को उसके इस कार्य में सहायता देने का कार्य करता है। मुख्य प्रशासक के बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों के कारण यह संभव है कि वह जाने–अनजाने किसी क्षेत्र व परिस्थिति में संविधान की व्यवस्थाओं व भावनाओं के उल्लंघन किये जाने पर ध्यान न दे सके। संविधान के रक्षक को ऐसी परिस्थितियों मं अपने कर्तव्यों के प्रति ध्यान दिलाने का कार्य विपक्ष ही करता हैं। इस प्रकार वह सरकार की भाँति ही संविधान की रक्षा के प्रति सचेत रहता हैं।

प्रतिपक्ष को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अराजकता तथा अशान्ति का प्रार्दूभाव हो। विपक्ष राज्य के नियमों और परम्पराओं के अधीन ही कार्य करता है और राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है। विपक्ष एक उत्तरदायो निकाय है, वह ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता, जिससे देश में कोई अराजकता फैल जाये।

भारत में संविधान को ध्यान में रखकर ही सरकारों का निर्माण किया जाता है। चुनाव के बाद सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाने हेतु आंमत्रित करता हैं। इसी प्रकार राज्य विधानमण्डलों में राज्यपाल निर्वाचन के बाद बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाने हेतु आमंत्रित करता हैं तथा विधान मण्डलों के विरोधी दलों में सबसे बड़े दल के नेता को विपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाता हैं। इस प्रकार विधानमण्डल में सत्ताधारी दल सत्तापक्ष की तथा विपक्षी दल प्रतिपक्ष की भूमिका का निवार्हन करते हैं।

भारतीय संसद और प्रतिपक्ष

संसदीय प्रजातंत्र का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्य के विकास का इतिहास है। जहाँ भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपनिवेश स्थापित होते गए वहाँ संसदीय प्रजातंत्र की संस्कृति के रज्जुतंन्तुऔं का विसरण होता गया। भारत जो कि दो शताब्दी तक ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद द्वारा संचालित परिचालित किया गया, परिणामस्वरूप हमारे लिए अंग्रेजो द्वारा प्रस्तावित संसदीय लोकतंत्र को अंगीकार करना एक अनिवार्यता बन गई थी, फिर भी नियंत्रण और नियंत्रित देश के मध्य प्रशासनिक राजनीतिक विचलन का सन्दर्भ बना। जहाँ ग्रेट ब्रिटेन एकात्मक प्रणाली वाला देश है, वहीं भारत संघीय व्यवस्था को अंगीकृत करते हुए भी विकेन्द्रीकरण से केन्द्रीकरण का सूत्रपात करता हैं।

भारतीय संसद का मूल प्रारूप न्यूनाधिक रूप में वैसा ही है, जैसा बिटिश भारत में है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत में केन्द्रीय व्यवस्थापिका का शासन था। भारत एवं ब्रिटिश संसद के उद्‌भव के विभिन्न कारकों में मुख्य विरोधाभास यह है कि जहाँ ब्रिटिश एक विशिष्ट ऐतिहासिक काल की कमिक उपज है, वहीं भारतीय संसद संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान का प्रतिफल है। ब्रिटिश संसद में कार्यपालिका के नियंत्रण के विभिन्न माध्यम धीरे–धीरे परीक्षित अनुभवों के आधार पर विकसित हुये हैं, वहीं भारत में कार्यपालिका के नियंत्रण के माध्यम संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किये गये हैं। परिणामस्वरूप ब्रिटेन में कार्यपालिका के नियंत्रण के माध्यम पूर्ण रूप से परिक्षित और अनुभव सिद्ध थे, अतः परिधिहीन किन्तु प्रभावी बने रहे,

वहीं शब्दों की सीमा परिधि में बंधकर भारतीय कार्यपालिका के नियंत्रण के माध्यम, सांकेतिक और अप्रभावी सिद्व हुये।

पथम संसद के अध्यक्ष जी. वी. मालवंकर ने सदन में दल की स्थिति को बनाये रखने के लिए कठोर नियम बनाये। उन्होंने किसी दल को संसदीय लोकतंत्र के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए तीन शर्तें रखीं–

1. वह सदन की कार्यवाही चलाने की स्थिति में हो अर्थात सदन की गणपूर्ति करने के लिए निर्धारित न्यूनतम सदस्य संख्या हो।
2. उसका संगठन सदन के भीतर तथा बाहर दोनों स्तरों पर हो तथा
3. उसमें विचारधाराओं तथा कार्यकमों की एकता हो।[28]

स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था "कि संसद लोकतंत्रात्मक प्रणाली का केन्द्र बिन्दु है। प्रशासन की बागडोर चाहे किसी दल या वर्ग के हाथ में हो, लेकिन जब तक किसी राष्ट्र की संसद के अधिकार अक्षुण्ण है वह राष्ट्र बड़े से बड़े संकट एवं चुनौतियों का सामना कर सकता है।" हमारे देश की आजादी मिलने के बाद हमारे राष्ट्रनायकों और संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाना श्रेष्ठ समझा, क्योंकि उनके सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ थी, देश में लोकतांत्रिक ढाँचे में रहकर एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था का विकास करना और खण्डित समाज की वृहत् विविधता को राष्ट्रवादी मख्यधारा में एकीकृत करना था। राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी सभी तत्व मौजूद थे, परन्तु उन्हे धर्मनिरपेक्ष कल्याणकारी राज्य के एकीकृत ढाँचे में संस्थागत रूप देने की आवश्यकता थी। बहुत से लोग ऐसा समझते थे कि दीर्घकाल तक विदेशी शासन और विशाल संख्या में प्रायः निरीक्षक तथा अजागरूक मान्यता होने के कारण हमारे जैसे विशाल भू–भाग तथा अनेक सामाजिक विविधताओं से युक्त देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के कार्य करने में बाधा आएगी। परन्तु पंडित जवाहर लाल नेहरू एवं तत्कालीन शीर्षस्थ राजनेता वयस्क मताधिकार के सिद्वान्त पर आधारित निर्वाचित व्यवस्था को स्वीकार करके और मतैक्य के ढाचे में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था चलाकर उभरते हुए राष्ट्र को एक मजबूत संस्थागत आधार प्रधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे।

प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था इसलिए भी स्वीकार की गई कि यह भारत की विशिष्ट विचारधारा प्रतिभा एवं सांस्कृतिक विरासत तथा अनुभव के लिए अत्यधिक उपयुक्त थी। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भारत की अपनी थी और इसकी परम्परा, मान्यताओं और सामाजिक प्रतिबद्वताओं तथा आवश्यकताओं पर आधारित थी। उसे किसी

विदेशी प्रतिरूप का अंधानुकरण नहीं करना था। जवाहर लाल नेहरू का विचार था कि 'संसद एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसे प्रत्येक प्रश्न और उस पर वाद–विवाद से बल मिले।' अन्त में विभिन्न मत एवं दृष्टिकोण होने पर ही किसी आम सहमति पर पहुँचा जा सके। वास्तव में संसदीय लोकतंत्र शासन की बागडोर उस राजनीतिक दल के हाथों में होती है, जिसे लोक निर्वाचित सदन में बहुमत प्राप्त होता है। यह सतारूढ़ दल अपनी मंत्रिमण्डल रूपी कार्यपालिका का गठन एवं संचालन करता है। अन्य दल प्रतिपक्ष, विरोध पक्ष में रहकर अपने दृष्टिकोण के अनुसार शासन की नीतियों और कार्यो की आलोचना करते हं। इस तरह संसद के प्रति दो दृष्टिकोण हैं। पहले दृष्टिकोण के अनुसार विधायिका वाद–विवाद के द्वारा शासन की केन्द्रीय धूरी है। यह ऐसे अवरोधों का निर्माण करती हैं जो कार्यपालिका को प्रशासनिक कैफियत देने के लिए तथा मामले के दूसरे पहलू को सुनने के लिए आर लोकमत के समक्ष झुकने के लिए मजबूर करे। दूसरा दृष्टिकोण यह हैं कि विधायिका सत्ता की संर्घष स्थली है और कितना ही शक्तिशाली मंत्रिमण्डल अथवा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो विधायिका के द्वारा ही सरकार एवं शेष प्रणाली के बीच संतुलन कायम रखा जा सकता हैं। क्या भारतीय संसद दोनों ही दृष्टिकोण में सफल रही हैं ?

यदि लोकसभा में संगठनात्मक स्वरूप और कार्यप्रणाली को देखा जाए तो पांचवी लोकसभा में प्रतिपक्ष का प्रभाव उतना मुखर ,जागरूक और प्रभावोत्पादक नहीं रहा था जितना कि चौथी लोकसभा तक था। पाँचवीं लोकसभा में दुर्बल प्रतिपक्ष के कारण संसद का स्तर प्रबल नहीं रहा था। लेकिन छठी लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात् संसद की संरचना में पहली बार आमूलचूल परिर्वतन आया। पाँचवीं लोकसभा तक निरन्तर सता में रहने वाले कॉंग्रेस को अब संसद के दोनों सदनों में प्रतिपक्षी दल की भूमिका मिली, लेकिन प्रतिपक्षी दल के रूप में कॉंग्रेस दल न केवल संगठित था, बल्कि संख्या की दृष्टि से भी बलशाली था। इसलिए तत्कालीन सतारूढ़ जनता पार्टी की सरकार कॉंग्रेस के रचनात्मक सहयोग के बिना महत्वपूर्ण विधियों का निर्माण नहीं कर सकती थी अतः उस समय यह विचारणीय प्रश्न उभर कर सामने आया कि क्या प्रतिपक्ष का कार्य सदैव ही सरकार की आलोचना करना और बाधा उत्पन्न करना है, क्या विपक्ष का सम्पूर्ण दृष्टिकोण नकारात्मक होना चाहिए। वास्तव में संसदीय सरकार का सुचारू रूप से चलना विरोध पक्ष और सरकार के बीच परस्पर सहिष्णुता पर आधारित है। सरकार सहमति से चलती है विरोधी पक्ष रजामंदी से।

नवीन अभिसमय का प्रारम्भ

छठी लोकसभा के चुनावों के पश्चात् देश की राजनीति में सहिष्णुता के नये वातावरण की स्थापना हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सत्तारूढ़ होते ही घोषणा की, कि काँग्रेस संसदीय दल के नेता यशवन्तराव चव्हाण को विरोधी पक्ष के नेता के रूप में केबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएँ एवं मान्यताएँ प्राप्त होंगी। पहली बार सबसे बड़े प्रतिपक्षी दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को संसद के बाहर भी विधिवत् मान्यता दी गई। रेडियो और दूरदर्शन पर विरोधी दल के नेता को अपने विचार प्रसारित करने का मौका दिया गया। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रधानमंत्री और विरोधी पक्ष के नेता के बीच सहमति देखी गई। कई विधेयकों को अपना समर्थन देने में विरोधी कांग्रेस दल ने झूठी दलीय प्रतिष्ठा को आड़े नहीं आने दिया। विपक्ष के तत्कालीन नेता श्री यशवन्तराव चव्हाण ने आकाशवाणी पर जनता को सम्बोधित करते हुए आश्वस्त किया कि मतदाता ने उनके दल काँग्रेस से जिस रचनात्मक आलोचना और सहयोग की अपेक्षा की है वह उसके दल की ओर से जनता सरकार को सदैव मिलता रहेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई भी इस विषय में पूर्णतः सजग थे कि सत्तारूढ़ दल को भी विपक्ष के प्रति अपना दृष्टिकोण सदैव विनम्र और उदार रखना होगा। इस संदर्भ में उनका मत था कि विपक्ष थोड़ा विरोध भी करता है या व्यवधान उपस्थित करता है अर्थात् संसदीय प्रकिया के अन्तर्गत यदि प्रतिपक्ष ,सरकार को बेनकाब करने का प्रयास करता है तो सतारूढ़ दल को विपक्ष से राष्ट्रीय मामलों पर परामर्श की स्थायी परम्परा का निर्माण करना चाहिए, विपक्ष की इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि संघर्ष की राजनीति के स्थान पर सहयोग की राजनीति की शुरूआत हो सके। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्ष को भी चाहिए कि सतारूढ़ दल को राष्ट्र हितकारी कार्यों में रचनात्मक सहयोग प्रदान कर जिम्मेदारी से कार्य करें। निःसन्देह विरोधी पक्ष का उत्तरदायित्व लोकतंत्र में सतापक्ष से कम महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि एक और जहाँ उसे शासन की आलोचना करने में रचनात्मक होना पड़ता तो वहीं उसे यह भी प्रस्थापित करना पड़ता है कि वह वर्तमान सरकार से अधिक योग्य है। इसलिए विपक्ष द्वारा सतारूढ़ दल की आलोचना ऐसी होनी चाहिए कि यदि विपक्ष को सरकार चलाना पड़ जाए तो उसकी घोषित नीति व उसके अपने कार्यकलापों के बीच विरोधाभास न हो।

वस्तुतः संसदीय लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि सतारूढ़ पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की कुछ मूलभूत शर्तों को स्वीकार करें। 'सर आईवर जेनिंग्स' का यह विचार है कि "बहुमत वाला वर्ग शासन तो करें पर अल्पमत वाले वर्ग को दबाने का

प्रयास न करे। ऐसे प्रश्न को सुलझाने के लिए जिनके कारण राजनीतिक दलों में इतना बड़ा मत भेद हो गया हो कि सर्वसम्म्त समाधान आवश्यक हो तो विपक्षी दलों के साथ समझौता कर लें, सरकार और विरोधी दल दोनों एक दूसरे की ईमानदारी पर विश्वास करें और उनमें मानसिक समझे। ताकि पारस्परिक विश्वास की भावना बनी रहे। विगत दो दशकों में देश में संसदीय लोकतंत्र का जो स्वरूप विकसित हुआ है उसमें विपक्ष दायित्व केवल सत्तापक्ष के कार्यकलापों की आलोचना या समीक्षा करने तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ऐसी आलोचना या समीक्षा को अधिक सार्थक बनाने की दृष्टि से विपक्ष को संसदीय समितियों में प्रभावो ढंग से सहयोजित किया गया है। इस प्रकार संसद इन समितियोंके माध्यम से पशासन पर अपना सफल नियंत्रण रख सकती है।

व्यवस्थापिका विशेषतः भारतीय संसद एवं राज्य विधानसभाओं का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने का एकमात्र दायित्व प्रतिपक्षी सदस्यों का ही बनकर रह गया है। सत्ता पक्ष के सदस्य दलीय अनुशासन के कारण, केन्द्रीय नेतृत्व की नाराजगी की आशंका तथा इस भय से यदि उसने प्रश्न पूछे तो उसके मंत्रिमण्डल में सम्मिलित होने की संभावनाएँ ही समाप्त हो जायगी, कार्यपालिका सदस्यों को नियंत्रित करने के स्थान पर उन्हें न केवल आकमणों से बचाने का प्रयास करते अपितु उनके गुणगान करते रहते है। इस प्रकार जहाँ तक कार्यपालिका को नियंत्रित करने का प्रश्न है व्यवस्थापिका प्रतिपक्षी सदस्यों का पर्याय बन चूकी है।

भारतीय संघ की एक इकाई राजस्थान में भी राष्ट्रीय स्तर की शासन व्यवस्था की भाँति वेस्टमिंस्टर नमूने की संसदीय शैली को अपनाया गया है। अतः यहाँ भी व्यवस्थापिका विधानसभा द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने के सन्दर्भ में वहीं स्थिति बनी हुई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा एवं कार्यपालिका के बीच पाई जाती है।

ऐतिहासिक निरन्तर लेख पर राजस्थान विधानसभा में दलीय स्थिति का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि 1977–79 की अल्पावधि के अलावा 1952 से 1977 तक भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सत्ता में रही। इस प्रकार गैर काँग्रेस राजनीतिक दल केवल प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते रहे।

इस प्रकार आँठवीं विधानसभा में गैर काँग्रेसी दलों ने ही प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया इसमें प्रतिपक्षी दल थे–भारतीय जनता पार्टी, लोकदल, जनता पार्टी, मार्क्सवादी, साम्यवादी दल एवं निर्दलीय। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सदन में दूसरे नम्बर की सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर आयी तथा आगामी चुनाव में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति

की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सुनियोजित रणनीति अपनाई, जिसे अन्य प्रतिपक्षी दलों ने भी अपनाया।

इसी प्रकार बाहरवीं राजस्थान विधान सभा तथा तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में भी यही स्थिति देखी गई। जिसमें गैर काँग्रेसी दलों ने ही प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। और तेरहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी सदन में दूसरे नम्बर की सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी दल के रूप में उभरकर सामने आयी।

सरकार को नियंत्रित करने के विपक्षीय उपकरण

भारत में संसद, तदनुसार राजस्थान में विधानसभा केवल विधान–निर्मात्री निकाय ही नहीं है। इसका महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न विवादग्रस्त मुद्दों का निस्तारण एवं विभिन्न समस्याओं का इस प्रकार निवारण करना होता है ताकि वह शासन चला रही कार्यपालिका को नियंत्रित रख सके और व्यवस्था को अधिक से अधिक लोक–कल्याणकारी बना सके। जो कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रारम्भिक लक्ष्य है।

सामान्यतया यह स्वीकार किया जाता है कि सामुदायिक जीवन में राजनीतिक नेतृत्व (सत्तापक्ष अथवा प्रतिपक्ष) महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विशेषतः प्रतिपक्षी राजनीतिक नेतृत्व समाज में अपनी एक पृथक पहचान रखता है। अतः विभिन्न वर्ग बना लेते हैं, जो समाज में व्याप्त किन्तु बिखरे हुऐ समर्थक एवं संरचनाओं को न केवल समूहबद्ध करते है अपितु उन्हें लामबंद कर सक्रिय भी बना देते हैं। जिसके माध्यम से वे समाज में मूल्यों का प्राधिकृत वितरण करते हैं। यह वर्ग (राजनीतिक नेतृत्व) राजनोतिक रूप से अत्यधिक स्वरूपित एवं सक्रिय होता है और नीति निर्धारण तथा इसके क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका का प्रयास करता है। इतना ही नहीं यह नेतृत्व विशेषतः प्रतिपक्ष निर्वाचकों को न केवल राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के लिए ही लामबंदी नहीं करता, बल्कि विभिन्न राजनीतिक असहयोग की गतिविधियों के माध्यम से वह अन्य राजनीतिक सत्ता प्राप्ति से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए भी उसे प्रयुक्त करता है। राजनीतिक नेतृत्व द्वारा देश की जनता की गतिविधियों को निर्देशित और उसके निर्धारण की शैली के लिए न केवल अपेक्षा की जाती है, बल्कि यह निर्णय निर्माण प्रकिया के सम्प्रेषणात्मक माध्यम में केन्द्रीय स्थिति भी रखता है। इस प्रकार राजनीतिक नेतृत्व संस्थाओं और जनता के मध्य एक योजक की कड़ी का काम करता है।

संसदीय अभिसमयों के अनुरूप राजस्थान विधानसभा में प्रत्येक प्रतिपक्षी सदस्य से सदन के भीतर एवं बाहर कई भूमिकाओं के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है। इन भूमिकाओं के

निर्वहन में वह कभी–कभी अति–उत्साह में ऐसी भूमिकाओं का निर्वहन भी कर देता है जो एक–दूसरे की परस्पर विरोधी होती हैं। विधान सभा का यह प्रतिपक्षी राजनीतिक नेतृत्व एक ही समय में विधायक, विरोधी दल का सदस्य, निर्वाचन क्षैत्र का प्रतिनिधि, किसी विशिष्ट समूह का प्रवक्ता या किसी समुदाय का प्रवक्ता होता है। अतः संभव है कि ये विभिन्न भूमिकाएँ उसे परस्पर विरोधी कृत्यों को करने में दबाव डालती हैं। सामान्यतः प्रतिपक्षी विधायक का राजनीतिक दायित्व अपनी निर्वाचन सम्बद्वता तथा जनता का जन–प्रतिनिधित्व करना बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा में मुख्यतः परिलक्षित होता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 208(1) के आधार पर राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन के नियमों का निर्माण किया गया है। इनके अनुसार विधानसभा सदस्यों को शून्यकाल, प्रश्नकाल, विशेष उल्लेख ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका तथा सत्तारूढ़ दल को नियंत्रित करने के अवसर प्राप्त होते हैं। जिनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है।

(1) शून्यकाल :–संसदीय परम्पराओं के अन्तर्गत शून्यकाल का बड़ा महत्त्व है, किन्तु औपचारिक रूप से इसका उल्लेख बिहार राज्य को छोड़कर लोकसभा या अन्य किसी राज्य विधानसभा के प्रक्रिया के नियमों में नहीं मिलता है। राजस्थान भी इसका अपवाद है। इसके बावजूद प्रश्नकाल के समाप्त होने के तुरन्त बाद कुछ ऐसे प्रश्न और मुद्दे विधायकों द्वारा सदन में उठाए जाते हैं, जो उस दिन की निर्धारित कार्य सूची में नहीं होते हैं। और इस अवसर पर उठाये जाने वाले मुद्दों की अवधि को शून्यकाल कहा जाता है। संसदीय प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष शून्यकाल के प्रस्ताव को सदन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व स्थगन प्रस्ताव की लिखित सूचना के रूप में प्राप्त करता है।

(2) प्रश्नकाल :–प्रतिपक्ष द्वारा सरकार एवं सत्ताधारी दल को नियंत्रित करने का प्रश्नकाल महत्वपूर्ण साधन है। प्रश्नकाल के अन्तर्गत पूछे गए प्रश्नों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

(क) तारांकित प्रश्न :– तारांकित वे प्रश्न है जिनका कोई सदस्य मौखिक उत्तर चाहता है और जिसके सम्बन्ध में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(ख) अतारांकित प्रश्न :– अतारांकित वे प्रश्न हैं जिनका प्रश्नकर्ता सदस्यों को सम्बन्धित मंत्री द्वारा लिखित में उत्तर दिया जाता है।

(ग) अल्पसूचना प्रश्न :– अल्पसूचना प्रश्न वे हैं जिनका कोई सदस्य दस दिवसों से कम अवधि के अन्दर मौखिक उत्तर चाहता है।

विधायिका के नियमों के अनुरूप जब तक कि विधानसभाध्यक्ष अन्य कोई निर्णय न ले, प्रत्येक बैठक का पहला घण्टा अल्प सूचना प्रश्नों सहित तांराकित प्रश्नों के पूछने और उनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा। लेकिन सामान्य सत्रावधि में एक अथवा दो दिन की वृद्वि की जाती है तो उन दिवसों में ऐसे प्रश्नों की व्यवस्था नहीं होती है। नव–निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण या शोक प्रस्ताव के अवसरों पर सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से प्रारम्भ होती है।

यद्यपि महत्वपूर्ण और जनोपयोगी प्रश्नों को विधानसभाध्यक्ष, सम्बन्धित मंत्री की सहमति से अल्पसूचना पर भी ऐसे प्रश्न स्वीकृत कर लता है परन्तु वैधानिक दृष्टि से एक सदस्य जो प्रश्न पूछना चाहता है वह विधानसभा के सचिव को दस दिन पूर्व लिखित में सूचना देता है। अभिसमयानुसार सदस्य अपनी सूचना में यह इंगित करता है कि वह लिखित उत्तर चाहता है।

तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएँ पृथक–पृथक दी जानी होती है। यदि कोई सदस्य इस तरह के प्रश्नों में भेद नहीं करता है, तो उसे अतारांकित प्रश्न मान लिया जाता है। यह भी व्यवस्था है कि एक दिन में कोई भी सदस्य दो से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकेगा।

(3) विशेष उल्लेख :– राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधायक लोक महत्व के विषयों को विशेष उल्लेख के अन्तर्गत अभिव्यक्त करते हैं। लोकसभा में ऐसे विषय लोकसभा के प्रक्रिया के नियम 377 के अन्तर्गत उठाये जाते हैं। मंत्रीगण ऐसे मुद्दों के बारे में सरकारी दृष्टिकोण अथवा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सदन को अवगत कराते हैं। ऐसे मुद्दों पर सदन में कोई कार्यवाही तथा चर्चा नहीं होती है।

(4) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा :– राजस्थान विधानसभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127, 128, और 129 के अन्तर्गत किसी विषय पर चर्चा उठाने के कारण देते हुए चर्चा के लिए प्रस्ताव देता है। प्रस्ताव उठाने वाला सदस्य संक्षिप्त में वक्तव्य देता है जिस पर मंत्री अपना उत्तर देता है। इस चर्चा के लिए एक घण्टे से अधिक समय नहीं दिया जाता है।

(5) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :– ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का जन्म स्थगन प्रस्तावों के विकल्प के रूप में हुआ है। अतः इनकी गम्भीरता, तात्कालिकता एवं महत्व को ध्यान में रखकर आंकी जाती है। राजस्थान विधानसभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131, 131–क, 131–ख, एवं 131–ग के अन्तर्गत कोई

विधायक अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है तो वह सचिव को तीन प्रतियों में स्पष्टतः एवं संक्षिप्त सूचना देता है। परन्तु इसमें सदस्य पर अंकुश रखा गया है जैसे इसके अन्तर्गत किसी विशेषाधिकार प्रश्न नही किया जा सकेगा। देश के किसी भी न्यायालय में विचाराधीन मुद्दे पर चर्चा नही की जा सकेगी तथा सभापति सम्बन्धित विधायक से ऐसी सूचना माँग सकेगा जैसी वह आवश्यक समझे। अतः इसके अन्तर्गत विधायक मंत्री से स्पष्टीकरण चाह सकता है परन्तु कोई विचार–विमर्श नही कर सकता है।

(6) अविश्वास प्रस्तावः– राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 76 (1) के अन्तर्गत दल/विधायक सरकार के विरूद्व अविश्वास व्यक्त करने की इच्छा से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। चूँकि सदन में बहुमत सत्तारूढ़ दल का होता है अतः प्रतिपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव सामान्यतः वापस हो जाते हैं।

प्रतिपक्षी प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए ऐसे प्रश्नों का महत्त्व सरकार की उपलब्धि और कार्य प्रर्दशन को जनता तक पहुँचाना तो होता ही है साथ ही यह सरकार को यह अनुमति प्रदान करते हैं कि वे जनता की प्रतिरक्षा में संचालित हो रहे है, जो अनवरत रूप से इनकी कार्य कुशलता और ईमानदारी की जाँच कर रही है। प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए प्रश्न यद्यपि नागरिक सेवा में उत्पन्न नौकरशाही की आदतों के खतरों को पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं करते, उन पर प्रतिबन्ध अवश्य लगा देते हैं। प्रतिपक्षी दलों के विधायक, इसके साथ–साथ विधानसभा की विभिन्न समितियाँ व्यवस्था के माध्यम से सरकारी गतिविधियों पर अधिक नजदीकी तथा व्यापक रूप से अनवरत नियंत्रण रख सकते हैं। यद्यपि राजस्थान में अधिसंख्य निर्वाचक अशिक्षित है, परन्तु लोकतंत्र की इस प्रयोग शाला में तेरह बार निर्वाचन रूपी प्रयोग होने से निर्वाचक अब अत्यधिक जागरूक बन गया है। अतः वर्तमान में निर्वाचक समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात की भी समीक्षा करता रहता है कि उसका प्रतिनिधि विधानसभा में किस सक्रियता का परिचय दे रहा है। यदि कोई प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को इस संदर्भ में सन्तुष्ट करने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए पुनः निर्वाचन कठिन हो जाएगा।

विधि न्यायालय की प्रकियात्मक संहिता के रूप में व्यवस्थापन निकाय के कार्य संचालन के लिए निश्चित स्थायी आचार संहिता का होना अति–आवश्यक है। कोई भी प्रतिनिध्यात्मक संस्था उस समय तक प्रभावशाली तरीके से कार्य नहीं कर सकती, जब तक कि वह अपने अधिकारों व उत्तरदायित्व का निर्वहन कर न सके, अन्यथा संघर्ष और संशय की स्थिति बनी रहती है। इसलिए किसी भी सदन के सफल संचालन एवं उसके

व्यवहार की समोक्षा करने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान आवश्यक हैं। जहाँ संख्यात्मक दृष्टि से सशक्त प्रतिपक्ष है वहाँ तो कार्य–प्रक्रिया का अध्ययन महत्वपूर्ण बन जाता है।

संसदीय प्रणाली का अभ्युद्य कार्यपालिका की अनियमितता पर अंकुश लगाकर उसे जनता के प्रति अधिक से अधिक उत्तरदायी बनाना था। यद्यपि संसदीय प्रणाली के माध्यम से सर्वप्रथम ब्रिटेन में निरंकुश शासक को सफलता–पूर्वक नियंत्रित किया गया। परन्त, इसके स्थान पर लोकतंत्रीय कार्यपालिका ने शक्ति संचय प्रारम्भ कर दिया। पुनः इसी प्रवृति को नियंत्रित करने एवं कार्यपालिका तथा सत्तारूढ़ दल को जनता के प्रतिउत्तरदायी बनाये रखने के लिए नियंत्रक साधनों का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार इन्हीं जन–प्रतिनिधियों की जागरूकता एवं जनता के प्रति उतरदायित्व के कारण संसद का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा था।

संसदीय लोकतंत्र की इस विलक्ष्णता के कारण हमारे नेताओं ने अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था के स्थान पर ब्रिटेन की संसदीय प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था को प्राथमिकता प्रदान कर भारतीय संविधान का अंग बनाया। लेकिन यथार्थ रूप में संसदीय व्यवस्था में भी कार्यपालिका को अपेक्षित स्तर पर नियंत्रित नहीं किया जा सका। आलोचक यहाँ तक कहने लगे कि संसद बातूनी दुकानों के रूप में परिवर्तित हो चूकी हैं तथा वाद–विवाद नीरस से हो चूके हैं। संसद की इस शक्ति क पराभव को विश्लेषित करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। संसद में जहाँ सरकार बहुमत के आधार पर शासन करती है वहाँ विपक्ष का पाया जाना भी सत्यता है। विपक्ष के होते हुए भी संसदीय शक्ति का अपकर्ष एवं उसका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण आयाम हैं। इस विश्वव्यापी पद्धति से भारत भी अछूता नही है। यहाँ सत्तारूढ़ दल की विभिन्न कमजोरियों तथा उसके द्वारा विभिन्न गलतियों के किये जाने के बाद भी विपक्ष निःसहाय सा दिखाई देता है एवं कुछ काल को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ही संसद में सत्ता का प्रतिनिधित्व करता रहा है।

भारतीय लोकतंत्र के प्रारम्भिक वर्षो में सामान्यतः लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव लगभग एक साथ ही होते रहै, इसलिए उनमें मुद्दों एवं परिणामों की लगभग समानता पायी गयी, लेकिन सातवें दशक के उतरार्द्ध में दल–बदल एवं मध्यावधि चुनावों का जो दौर शुरू हुआ उससे लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव अलग–अलग समय पर होने प्रारम्भ हुए इस कारण चुनाव के मुद्दों एवं परिणामों में भी काफी विभिन्नता दिखाई देने लगी। इसके साथ ही यह प्रवृत्ति भी विकसित हुई कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल अपने अनुकूल परिस्थिति दखकर राज्य विधानसभाओं को भंग करके मध्यावधि चुनाव करवाने लगा। इस प्रवृति के कारण देश में कई विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव

के अनुवर्ती हो गये। अर्थात् लोकसभा के चुनावों के दो–तीन माह के अन्तराल में ही विधानसभा के चुनाव होने लगे। केन्द्र में आया सत्तारूढ़ दल लोकसभा के बहुमत को अपने पक्ष में माहौल का प्रतीक मानकर, हालात बदलने से पहले ही चुनाव कराकर विधानसभाओं में भी तदनुरूप परिणाम अर्जित करने की राजनीतिक इच्छा करने लगा। सत्तारूढ़ दल के अपवादों को छोड़कर उसे वांछित परिणाम भी प्राप्त हाते रहे। लेकिन कई बार घटना विशेष या परिस्थितिजन्य कारणों ने इन दोनों चुनावों के बीच के दो–तीन महीने के छोटे से अन्तराल में भी जन इच्छा को दूसरी तरफ मोड़ने का काम कर दिया ।

सन् 1984 के लोकसभा चुनावों के दो माह बाद हुए सन् 1985 के राजस्थान विधानसभा चुनाव को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। दिसम्बर 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को राज्य में सभी 15 स्थानों पर विजय मिली। इस चुनाव में उसे राज्य विधानसभा के 168 स्थानों पर बढ़त मिली थी। लेकिन दो माह बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में उसे कुल 113 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। दो माह के छोटे से अन्तराल में लोगों की राजनीतिक इच्छा में बदलाव हमारे लोकतंत्र की गतिशीलता एवं मुद्दों की विभिन्नता और उसके प्रति लोगों की जागरूकता का परिचायक तो है ही, साथ ही इसे लोगों को सत्तारूढ़ दल पर अकुंश रखने के लिए विपक्ष को मजबूत रखने की इच्छा के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है।

लोकसभा चुनाव में काँग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत मिलने के बाद लोगों में तेजी से यह भावना पैदा हुई कि इससे पूरी व्यवस्था एक तरफा हो जाएगी, फलतः सत्तारूढ़ दल की रीति–नीति को जन–कल्याणोन्मुखी बनाए रखने के लिए उसे निरंकुश व अधिनायकवादी न होने देने के लिए ही उसने दो माह पहले लोकसभा चुनावों में ध्वस्त प्रायः हो गये विपक्ष को पुनर्जीवन प्रदान किया।

लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका और उसकी आवश्यकता को समझते हुए उसे पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए जनता के इस फैसले में विपक्ष को जो दायित्व सौंपा गया उसने उसकी भूमिका को सामान्य से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। विपक्ष अपनी तैयारी व मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि जनता की स्वतः स्फूर्त भावना के कारण ताकतवर बना था।

विपक्ष जनता की अपेक्षाओं पर खरा रहा या नहीं, या जनता की स्वतः स्फूर्त भावना ने उसको अपनी शक्ति के विषय में किसी विभ्रम में डाल दिया या दंभी बना दिया । यह तर्क मूल्याकंन का विषय है। अतः प्रतिपक्षी दल की भूमिका का विवेचन अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

भारत में संघीय व्यवस्था के कारण जो स्थिति केन्द्रीय स्तर पर दिखाई देती है वही राज्य स्तर पर प्रतिध्वनित होती है। राजस्थान में भी विपक्ष के अपने आचरण के कारण कांग्रेस ही अधिकांशतः सत्तारूढ़ दल रही ह। अतः प्रांतीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका का विवेचन उतना ही अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है जितना कि केन्द्रीय स्तर पर।

इस अध्ययन के आधार पर विपक्ष की भूमिका का विवेचन करके राजस्थान विधानसभा को कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिल सकेगी तथा प्रतिपक्षी दलों को आत्मलोचन की प्रेरणा।

प्रस्तुत अध्ययन इस तथ्य का आंकलन करने के उद्देश्य से प्रेरित है कि लोकतंत्र में सत्ता का स्त्रोत समझे जाने वाले मतदाता द्वारा राजनीतिक दलों से निर्वाचन में उन्हें शक्ति प्रदान करते समय की गई अपेक्षाओं के प्रति राजनैतिक दल किस सीमा तक संवेदनशील व प्रतिबद्व रहते हैं तथा कार्यपालिका को नियंत्रित एवं निर्देशित कर जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखते हैं।

अध्ययन मूलतः राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका–बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन के आंकलन पर केन्द्रित है तथापि इस तथ्य के प्रकाश में कि संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य निष्पादन के मूल्याकंन का सटीक आधार विधानसभा में उनके सदस्यों द्वारा निभायी गयी भूमिका को ही माना जा सकता है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप शासन का 'वैस्टमिस्टर' का प्रतिमान है। किन्तु यह मान लेना असंगत हागा कि लोकतांत्रिक परम्परा तथा संसदीय संस्थाओं के लिए भारत पूर्णतः ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का ऋणी है। प्राचीन भारतीय चिन्तन परम्परा में मर्यादित शासन के विचार का सम्यक पोषण किया गया तथा शासकीय कार्यों में जनता की सहभागिता तथा शासन की जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवैदनशीलता को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में सभा परिषद् व मंत्रिपरिषद् जैसी संसदीय संस्थाओं के प्रचुर उल्लेख उपलब्ध है। काशी प्रसाद, जायसवाल, भण्डारकर, रिज, डेविड्सि जैसे विद्वानों ने अपने शोध कार्यों से स्पष्ट किया है कि प्रजातंत्र का मूल स्त्रोत भारत था । विश्व की सर्वप्रथम संसद यहीं बनी। मानव इतिहास का सर्वप्रथम चुनाव यही सम्पन्न हुआ।

इससे यह स्पष्ट है कि संसदीय संस्थाओं व लोकतान्त्रिक मूल्यों की प्राचीन भारतीय परम्परा, वर्तमान संसदीय प्रणाली से पर्याप्त भिन्न थी। उसमें शासकीय शक्ति के संव्यवहार को मर्यादित करने का आग्रह तो था, किन्तु दलगत आधार पर संस्थाओं के

विभाजन के लिए स्थान नही था। संसदीय प्रणाली का आधुनिक प्रतिमान तथा उसके अन्तर्गत कियाशील समस्त संरचनाओं में विशेषतः सरकार एवं प्रतिपक्ष के मध्य अन्तर–सम्बन्ध एवं अन्तर्निभरता पाई जाती है। फलस्वरूप संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से दलों की निर्णायक भूमिका होती है, अर्थात् भारतीय संसदीय लोकतंत्र की सफलता, राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय दोनों स्तर पर विपक्षी दलों की विधायिका में स्थिति एवं भूमिका पर निर्भर करती है। अतः विधायिका में विपक्षी दलों की भूमिका का अध्ययन वस्तुतः उस राज्य के लोकतंत्र के स्वास्थ्य का परीक्षण है।

प्रस्तुत शोध ग्रंन्थ में संसदीय लोकतंत्र की सफलता की इस कुंजी का अध्ययन ''राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों की भूमिका–बारहवीं तथा तेरहवीं विधानसभा के परिपेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन'' के रूप में किया गया हैं।

विश्व की अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की भाँति, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल, राजनीतिक सत्ता' प्राप्ति के आंकाक्षी है, अतः हमेशा सत्ता प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। निर्वाचन वह साधन हैं, जिसके माध्यम से राजनीतिक दल जनादेश प्राप्त कर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते हैं। परन्तु भारत जैसी संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का वही दल अधिकारी होता है, जिसे विधायिका, लोकसभा या विधानसभा में बहुसंख्यक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है। राजनीतिक दल, जिसे सत्ता प्राप्त होती है या जो सत्ता में भागीदार होते हैं–

सत्तासीन या सत्तारूढ़ कहलाते हैं। जबकि जो राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति से वंचित रह जाते है वे प्रतिपक्षी दल कहलाते हैं। अतएवं अभिजन सिद्वान्त की शब्दावली में विधायिका में दो प्रकार के अभिजन पाए जाते ह एक सत्ताधारी अभिजन एवं दूसरा प्रतिपक्षी अभिजन। प्रतिपक्षी अभिजन सतत् इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है कि वह किस प्रकार सत्ताधारी अभिजन को प्रतिपक्ष बनाकर स्वयं सत्तारूढ़ अभिजन बन जाए। भारतीयराजनीतिक व्यवस्था में इसके लिए, प्रतिपक्ष राजनीतिक दल एवं दबाव समूह दोनों प्रकार की भूमिका का निर्वहन करता है। इन भूमिकाओं का निर्वहन वह विधायिका के अन्दर एवं बाहर दोनों स्तरों पर करता है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दलीय व्यवस्था का ऐतिहासिक सिंहावलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय दोनों स्तरों पर अधिकाश समय एक दलीय प्रधान व्यवस्था विद्यमान रही है। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण राष्ट्रीय स्तर पर 1947–77 तथा 1980–1989 तक तथा पुनः काँग्रेस सत्तारूढ़ दल रहा है। यही स्थिति राजस्थान की विधानसभा में भी दिखाई देती है। एक दलीय प्रधान व्यवस्था के कारण प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों का

अस्तित्व ही खतरे में दिखाई देने लगा। यद्यपि सन् 1977 में उन्होंने राहत की सांस ली। परन्तु संयुक्त राजनीतिक दल व्यवस्था की राजनीति ने गैर काँग्रेसी दल को इस अवसर से शीघ्र ही वंचित कर दिया तथा जनता ने सातवें तथा आठवें और 1998 से 2003 तथा 2008 से 2013 तक राष्ट्रीय तथा प्रान्तीय स्तरों में पुनः काँग्रेस सत्तारूढ़ हुई।

परन्तु विभिन्न प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों के अध्ययनों से यह विदित होता है कि प्रतिपक्षी राजनीतिक दल हतोत्साहित नही हुऐ तथा उन्होंने सकिय एवं सृजनात्मक भूमिका द्वारा कार्यपालिका–सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। इस प्रकार प्रतिपक्ष विशेषतः राजस्थान की विधानसभा में, जनादेश के प्रति सामान्यतः उत्तरदायी बना रहा है। लोकतंत्र की जनता राजनीतिक दलों के आपसी झगड़ों या मतभेदों में प्रकट नहीं होकर उनकी अनुशासित भूमिका और जन–समस्याओं के रचनात्मक लक्ष्यों के प्रति समर्पण में अभिव्यक्ति होती है।

बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों का सम्बन्ध मुख्यतः राजनीतिक प्रेरणाएँ जन–समस्याएँ ही रही। यद्यपि जनकल्याण के लिए वैकल्पिक नीतियों और कार्यक्रमों पर वार्ता एवं वाद–विवाद हुए। लेकिन जन समस्याएँ प्राथमिक ही बनी रही। जब इन समस्याओं का निःसन्देह राज्य की विभिन्न जन–समस्याओं को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना विपक्ष की राजनीतिक आवश्यकता थो, फिर भी विस्मृत नही किया जाना चाहिए कि विधानसभा में प्रतिपक्ष के पूर्ण व्यवहार, आकोश के पीछे जनता का गहरा दबाव नही था। समस्याओं के निरूपण से आन्दोलन का स्वरूप प्रधान करने में तत्कालीन परिस्थितियाँ विपक्ष के लिए वांछनीय थी। विपक्ष विधानसभा के बाहर आन्दोलन की लहरों पर सवार होना ही चाहता था, विपक्षी कार्यकर्ता अपने नेताओं के प्रति समर्पित होकर सफलता में योगदान देते रहे।

विधानसभा में कई अवसरों पर विपक्षी नेता और सदस्यों के बीच जनसमस्याओं को लेकर विवाद भी हुआ। शासक दल पर लगाम लगाने वाला विपक्ष यदि अपने सदस्यों को ही यह स्वतंत्रता नहीं दे सके कि वे निर्भीक होकर अपने विचार सदन के पटल पर न रख सके तो लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था और निष्ठा सदा संदिग्ध हो जाएगी। सत्तारूढ़ काँग्रेस इस स्थिति का लाभ उठाने से वंचित नही रही। इसी से राज्य की राजनीतिक दिशा निर्धारित हुई।

बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा संगठनात्मक दृष्टि से पूर्ववर्ती विधानसभाओं से भिन्न नहीं थी। काँग्रेस अन्य दलों के साथ मिलकर 102 स्थानों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त कर सत्ताधारी दल बना हुआ था तथा गैर काँग्रेसी दल वैचारिक एवं कार्यकमों के आधार पर विभाजित रहा। लेकिन जनता ने गैर काँग्रेसी दलों को इस विधानसभा में

प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जनादेश दिया था परिणामस्वरूप इन प्रतिपक्षी दलों ने जन–आकांक्षाआ के अनुरूप सरकार को नियंत्रित एवं निर्देशित करने का प्रयास किया। ताकि आगामी चुनावों में जनता इनके विधानसभा में किए गए योगदान के कारण सत्ता प्रदान कर दें।

इसी उद्देश्य से प्रतिपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के समय, विधि निर्माण के अवसर पर तथा संसदीय सुविधाओं जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, विशेष उल्लेख, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि द्वारा जन–समस्याओं को उठाते हुए प्रतिपक्षी भूमिका का निर्वहन किया, राजनीतिक दृष्टि से इनमें प्रमुख समस्याएँ थीः–पेयजल, अकाल, बाढ़, महँगाई, बिजली, सिचाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नहर, शिक्षा, परिवहन, पशुपालन और आवास समस्याएँ आदि। क्या विपक्ष उपर्युक्त सभी समस्याओं को उनकी तार्किक परिणती तक पहुँचा सका या आपसी गुटबाजी एवं महत्वकांक्षाओं के द्वन्द्व में जनता–जनार्दन की अपेक्षाओं के साथ विपक्ष न्याय नहीं कर सका आदि ऐसे प्रश्न हैं, जो सतर्क एवं निरपेक्ष मूल्यांकन की अपेक्षा करते हैं। अनेक अवसरों पर सदन में विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा एक दूसरे पर भी आरोप–प्रत्यारोप लगाने में सत्तारूढ़ दल पर अंकुश रखने की उनकी यह क्षमता कुण्ठित हुई तथा वे सत्तारूढ़ दल के लिए भी उपहास का विषय बने। यह तथ्य अध्ययन के महत्व में और भी अधिक वृद्धि कर देता है।

बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के कार्यकालों के दौरान सामाजिक परिवेश से राजनीतिक दलों, पक्ष एवं विपक्ष द्वारा कई समस्याएँ एवं मुद्दे सदन के पटल पर आये, अनेकों में जनता–जनार्दन की लज्जा थी तो अन्यों में सत्ताधारी एवं प्रतिपक्ष राजनीतिक दलों के सदस्यों का शौक था। गुर्जर आरक्षण आन्दोलन, घड़साना गोली कांड, शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं की मौत, साम्प्रदायिक दंगे आदि मुद्दों ने सदन का वातावरण गरम किया तो समाचार पत्रों की सुर्खियों के कारण भी बने। मनुष्य एवं पशु भूख और प्यास से मरते रहे। विपक्ष ने इसके लिए क्या किया? सरकार ने जनता को क्या दिया? यह राजनीतिक संस्कृति का दोष है या सरकार की सीमाओं का? विपक्ष की माँग पर सरकार ने जनता का किस आधार पर कल्याण किया।

महात्मा गाँधी के दरिद्र नारायण की अपनी समस्याएँ हैं। जनता से विमुख हुआ जासकता है, लेकिन जन–समस्याओं से नहीं। बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के कार्यकालों में राजस्थान की जनता ने बहुविध समस्याओं की विभीषिका से साक्षात् किया। घड़साना गोली काण्ड में गरीब किसानों की मौत, गुर्जर आरक्षण आन्दोलन में निःसहाय लोगों की हत्या आदि इसके उदाहरण हैं।

लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्तापक्ष एवं विपक्ष में मतभेद का होना अनिवार्य है। राजनीतिक दलों द्वारा शासकीय कृत्यों के प्रति व्यवस्थापिका में राजनीतिक रूप से असहमति प्रकट करना राजनीति ही नहीं, सांस्कृतिक आवश्यकता भी है। यह आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि एक मात्र विरोधी स्वर सहमति में झुकी हुई सैकड़ों गरदनों से ज्यादा मानवीय और ज्यादा समाजोपयोगी बन जाती है। सत्य यह है कि असहमति अपने आप में कोई मूल्य नही है। लेकिन जहाँ असहमति का अवसर हो, वहीं प्रतिपक्षी नेता द्वारा स्वार्थवश अपने दल के सदस्यों को प्रश्न करने की अनुमति नहीं देना, न केवल अवसरवादिता अपितू लोकतांत्रिक कायरता है। भाजपा जैसे दल में यह घटनाएँ हो तो कह सकते है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक संगठित रूप में रह पाएगी ?

लोकतंत्र का अर्थ ही यह है कि असहमति का सम्मान हो, उसे अपराध न माना जाए। वस्तुतः लोकतंत्र का विकास एवं रक्षा 'प्रतिपक्ष की असहमति 'से ही असंभव है। ऐतिहासिक साक्ष्य यह प्रमाणित करते है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा जब कभी प्रतिपक्ष के अस्तित्व को समाप्त करने के प्रयास किये जाते है, तभी राजनीतिक ज्वार आने लगता है तथा सत्तारूढ़ दल स्वयं अपना विनाश आमंत्रित करता है।

भारतीय राजनीति में जून 1975 से 1977 की घटनाएँ इसका ज्वलन्त उदाहरण है। उस समय प्रायः सभी मुखर प्रतिपक्षियों को कैद में डाल दिया गया तथा काँग्रेस अधिनायकवादी बन गई। फलतः अपने ही दल के लोगों से उसका संवाद खत्म हो गया। इस प्रकार की परिस्थितियों में जिस शून्य का निर्माण होता है, उसमें असंख्य खतरों की संभावनाएँ बन जाती हैं। यह स्थिति संसदीय लोकतंत्र के संदर्भ में भी चरितार्थ होती है तथा निजी जीवन में भी। इस तरह प्रतिपक्ष एक राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक आवश्यकता भी है।

यदि जनता के सम्मुख विकराल समस्याओं को शाश्वत एवं अंतहीन मानकर उनके प्रति शासकीय उदासीनता को सहज भाव से ग्रहण कर लिया जाये, तो लोक कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ रह जाएगा। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि यदि इन समस्याओं से विपक्ष भी विमुख हो जाए तो राज्य का जन कल्याणकारी चरित्र केवल वाणी–विलास ही बनकर रह जाएगा। सत्तापक्ष के लिए तो यह स्वाभाविक ही है कि वह लोगों को अस्थिरता के खतरे का कागजी साँप दिखाकर विपक्ष को जन–विरोधी करार देने का प्रयत्न करे, किन्तु सत्तापक्ष के इन आक्षेपों के रहते हुए भी विपक्ष अपने दायित्व के प्रति सजग तथा जनता के कष्टों के प्रति संवेदनशील बना रहे, यही संसदीय लोकतंत्र में उसके सार्थक योगदान की शाश्वत कसौटी है।

बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा की कार्यावधि में विपक्ष अपने इस दायित्व का निर्वाह किस सामर्थ्य से कर सका, यह प्रश्न किसी सहज टिप्पणी का नहीं अपितु सतर्क अनुष्ठान की आवश्यकता उपस्थित करता है। प्रस्तुत अध्ययन इस आवश्यकता की पूर्ति का एक विनम्र प्रयास है। प्रतिपक्ष के विधायकों की भूमिका के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों पर उनकी मुखरता एवं तीव्रता के आधार पर सम्पूर्ण विपक्षी दलों के सदस्यों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

1. सामान्य प्रतिपक्षी सदस्य
2. प्रतिपक्षी पदाधिकारी सदस्य
3. शीर्षस्थ प्रतिपक्षी सदस्य

सामान्य प्रतिपक्षी श्रेणी में उन सदस्यों को सम्मिलित किया गया है जो सदन एवंदल में भी सामान्य सदस्य ही थे। प्रतिपक्षी पदाधिकारी वर्ग में वे विधायक हैं, जो सदन एवं दल में किसी न किसी पद पर रहे हैं, जैसे प्रतिपक्षी उपनेता या किसी समिति का सदस्य या दल में पदाधिकारी पद प्राप्त हो तथा शीर्षस्थ प्रतिपक्षी वर्ग में वे सदस्य शामिल किए गए हैं जो विपक्ष का नेता, विभिन्न विपक्षी दलों के नता एवं सदन में विपक्षी नेता के मुख्य प्रतिद्वन्द्वी रहे हैं।

बारहवीं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने शासन करने का स्पष्ट जनादेश दिया तो साथ ही विभाजित विपक्ष में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी तथा अन्य दलों को जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मौका दिया। तेरहवीं राजस्थान विधानसभा में स्थिति ठीक इसके विपरीत रही। इस बार भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी को जनता ने स्पष्ट बहुमत के साथ जनादेश नहीं दिया तो काँग्रेस ने गठबन्धन कर सरकार बनाई वहीं विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य दलों ने प्रतिपक्ष की भूमिका का निवर्हन किया। इस चुनाव परिणाम में एक विशेषता यह थी कि जहाँ एक काँग्रेस के दिग्गज धराशायी हुए और अधिकांश युवा लोग चुनाव जीतकर आए, वहीं विपक्ष के सारे धुरंधर नेता विधानसभा में मौजूद थे।

यह एक विशेष परिस्थिति थी, जिसमें नौ–सिखिए जन–प्रतिनिधियों का कमजोर राजनीतिक व्यक्तित्व एक तरफ था तो दूसरी तरफ अनुभवी राजनीतिज्ञों के मजबूत किन्तु अर्न्त–द्वन्द्व में फँसे समीकरणों में उलझे राजनीतिक व्यक्तित्व थे। दोनों ही कार्यकालों की विशेषताओं ने विधानसभा के कार्यकलापों में स्वाभाविक रूप से अपनी–अपनी भूमिका अदा की।

राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दल

स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान 22 रियासतों में बँटा हुआ था। इन रियासतों की शासन प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक पद्धति अलग–अलग थी। जनता में राजनीतिक चेतना नाममात्र की थी। तत्कालीन परिस्थितियों में लोकतंत्र की स्थापना की कल्पना करना भी असंभव था। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् सभी रियासतों के एकीकरण के फलस्वरूप 30 मार्च 1949 को राजस्थान का निर्माण हुआ तथा अन्य प्रदेशों की भाँति राजस्थान में भी लोकतांत्रिक आधार पर 'विधानसभा' का गठन किया गया। पूर्व ब्रिटिश प्रान्तों के विपरीत यहाँ विधानमण्डल 'एक सदनीय' बनाया गया। यद्यपि राजस्थान में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना 1949 में हो गई थी, लेकिन 1949 स 1952 तक आंतरिक शासन बना रहा।

राजस्थान में फरवरी 1952 में सम्पन्न हुए प्रथम आम चुनावों के बाद पहली विधानसभा का गठन 1952 में हुआ। इसके बाद ही प्रतिनिधि सरकार का गठन हुआ तथा सत्तापक्ष व विपक्ष दिखायी दिये।

<u>प्रथम राजस्थान विधानसभा</u> :–के चुनावों मे रामराज्य परिषद्, जनसंघ तथा सोशलिस्ट पार्टी मुख्य विपक्षी दलों के रूप में विधानसभा में आये। विपक्षी दलों के सम्बन्ध मे एक दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने एक संयुक्त मोर्चे के गठन का प्रयास किया। सभी विपक्षी दलों ने मिलकर 'सयुक्त दल' की स्थापना की। जिसमें मुख्य नेतृत्व रामराज्य परिषद् का था तथा उसके नेता जसवन्त सिंह थे। इस दल का कोई सुसंगठित कार्यकम अथवा सुस्पष्ट नीतियाँ नही थी। उसका एक ही सर्वमान्य उद्देश्य था'–सत्तारूढ़ दल का विरोध करना। इस विधानसभा में सर्वाधिक प्रभावशाली नेता थे–एच.के.व्यास, भैरोसिंह शेखावत, इन्द्रनाथ मोदी, तानसिंह तथा अर्जुन दास आदि।

विभिन्न विचारधाराओं के दलों का गठबंधन सफल नहीं हो पाया क्योंकि इसके सर्वप्रमुख दल रामराज्य परिषद् में मुख्यतः जागीरदारों का नेतृत्व था। सत्तारूढ़ काग्रेस ने बड़ी संख्या में भूमि सुधारों से सम्बन्धित विधेयक पारित किये तथा जागीरदारों को मुआवजे की बड़ी धनराशि प्रदान की। फलतः रामराज्य परिषद् के 19 सदस्य काँग्रेस मं शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप विपक्ष संख्यात्मक दृष्टि से निर्बल हो गया।

<u>द्वितीय राजस्थान विधानसभा</u> :–दूसरी विधान सभा 57 विपक्षी सदस्यों से प्रारम्भ हुई। इनमें से 25 सदस्य चार दलों–जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी तथा रामराज्य परिषद् के सदस्य थ तथा 32 सदस्य निर्दलीय थे। यद्यपि विपक्ष की संख्या कम हो गई, लेकिन उनमें सहयोग की एक नई प्रवृति दिखाई दी। हालांकि प्रथम विधानसभा

की भांति उसने किसी औपचारिक गठबंधन का प्रयास नहीं किया। जनसंघ तथा समाजवादी पार्टी प्रभावपूर्ण दलों के रूप में उभरे तथा विधानसभा के कार्यकाल के मध्य में स्वतंत्र दल के उदय के साथ ही विभिन्न हितों के एकताबद्व होने की सम्भावना बढ़ गयी।

द्वितोय विधानसभा में विपक्ष की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा ने कहा था ''विपक्ष के नेताओं ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन विवेक, चातुर्य तथा शालीनता के साथ किया। सभी उतार–चढ़ाव आने के बावजूद विपक्ष ने सहनशीलता तथा पारस्परिक सम्मान का प्रदर्शन किया। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की परम्परा को सुदृढ़ बनाया। ''

तृतीय राजस्थान विधानसभा :–में विपक्षी सदस्यों की संख्या पहल से बढ़ गई थी। उसे 88 स्थान मिले। जिनमें से 22 निर्दलीय थे। इस समय स्वतंत्र दल विपक्ष के सर्वाधिक प्रभावशाली दल के रूप में सामने आया। इस दल के साथ सहयोग करके जनसंघ ने विधानसभा में दक्षिणपंथी समूह को दृढ़ता प्रधान की। स्वतंत्र दल ने रामराज्य परिषद् को अन्तर्लीन कर लिया तथा रामराज्य परिषद् का पृथक इकाई के रूप में पूर्णतः विलोप हो गया।

तृतीय विधानसभा का एक महत्वपूर्ण विकास विपक्ष के नेता को मान्यता प्रदान करना था। ''राजस्थान विधानसभा अधिकारी तथा सदस्य सेवा शर्ते (संशोधन) विधेयक 1965 के द्वारा विपक्ष के नेता को केबिनेट स्तर के समान दर्जा प्रदान किया गया।'' इस अधिनियम के अनुसार स्वतंत्र दल के नेता महारावल लक्ष्मण सिंह विपक्ष के नेता पद पर आरूढ़ हुए। इस अवधि में विपक्षी दलों में पूर्ण सहयोग की भावना दृष्टिगत हुई।

चतुर्थ राजस्थान विधानसभा :– में विपक्ष की स्थिति पहली तीन विधानसभाओं की अपेक्षा दृढ़ हो गई। संयुक्त रूप से विपक्षी दलों ने आधे से भी अधिक स्थान प्राप्तकिये तथा स्वतंत्र दल ने अपना प्रभाव बनाये रखा, लेकिन विपक्ष संगठित होकर सत्तारूढ़ दल के विरूद्व कोई मोर्चा नहीं बना सका।

पंचम राजस्थान विधानसभा :– में विपक्ष की स्थिति क्षोण हुई। 1972 के चुनावों में झटका लगा। बांग्लादेश के युद्व के पश्चात् इन्दिरा गाँधी का करिश्मावादी व्यक्तित्व उभरने के कारण इन चुनावों में कांग्रेस का प्रभाव अधिक रहा तथा विपक्ष में केवल 39 सदस्य रह गये। स्वतंत्र पार्टी को इस बार भी अन्य विपक्षी दलों की अपेक्षा अधिक स्थान प्राप्त हुए।

षष्टम् राजस्थान विधानसभा :– छठी विधानसभा मे स्थिति ठीक इसके विपरीत हुई। 1977 में केन्द्र तथा भारत के अधिकांश राज्यों में 'जनता लहर' का प्रभाव राजस्थान विधानसभा पर भी पड़ा तथा विपक्षी दलों न संयुक्त होकर 'जनता पार्टी' के रूप में बहुमत प्राप्त किया । जनता पार्टी 151 सदस्यों के बहुमत के साथ सत्तारूढ़ हुई जिसमें सत्ता की बागडोर श्री भैरोंसिंह शेखावत के हाथा में सौपी गई तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। जिसमें विपक्ष के नेता क रूप में श्री परसराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी, तथा श्री महारावल लक्ष्मण सिंह आदि नेताओं ने प्रतिपक्ष का निर्वहन किया। राजनीतिक दलों का इतनी तेजी से गठन, विघटन व विलय हुआ कि एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता सी आ गई। जनता पार्टी के बिखराव तथा जनता दल की नोतियों की विफलता के कारण 28 माह के शासन के बाद विधानसभा भंग कर दी गई। सातवीं विधानसभा में पुनः कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त कर ली।

सातवीं राजस्थान विधानसभा :–में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के हाथों में शासन की बागडोर वापस आ गई। जिसमें जगन्नाथ पहाड़िया के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपी गई लेकिन कुछ समय बाद सत्ता शिवचरण माथुर के हाथों में आ गई तथा विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी व अन्य दलों ने मिलकर प्रतिपक्ष का निवर्हन किया। जिसमें जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण श्री भैरोंसिह शैखावत को विपक्ष का नता चुना गया। इस कार्यकाल में काँग्रेस के पास पूर्ण बहुमत होने के कारण विपक्ष की भूमिका कमजोर रही।

आँठवीं राजस्थान विधानसभा :–में भी वहीं स्थिति देखी गई इस बार भी राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ हुई जिसमें सत्ता का नेतृत्व श्री हीरा लाल देवपुरा (16 दिन की अवधि के लिए) श्री हरिदेव जोशी, श्री शिवचरण माथुर (दो बार) तथा श्री हरिदेव जोशी (तीन बार) के हाथों में सौंपा गया। तथा भारतीय जनता पार्टी व अन्य दलों को विपक्ष में बैठना पड़ा। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता श्री भैरोसिंह शेखावत को तथा प्रोफेसर केदार को विपक्ष का नेता बनाया गया जिन्होने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया।

नवीं राजस्थान विधानसभा :– में शासन की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आयी। जिसका नेतृत्व श्री भैरोसिंह शैखावत ने किया। जब दिसम्बर 1992 को राजस्थान में पुनः राष्ट्रपति शासन लागू हो गया जो 20 दिन छोड़कर पूरे एक वर्ष रहा। इस कार्यकाल में राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसका नेतृत्व श्री हरिदेव जोशी ने किया।

<u>दसवीं राजस्थान विधानसभा</u> :–दसवीं राजस्थान विधानसभा में भी यही स्थिति देखी गई। जिसमें भारतीय जनता पार्टी को सत्तापक्ष में तथा राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसमें श्री परसराम मदेरणा को विपक्ष का नेता बनाया गया। इस कार्यकाल में केन्द्र में भी जनता पाटी की सरकार होने के कारण तथा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राजस्थान में किये गए परमाणु परीक्षणों से भारतीय जनता पार्टी की छवि और भी सुदृढ़ हो गई।

<u>ग्यारहवीं राजस्थान विधानसभा</u> :– ग्यारहवीं राजस्थान विधानसभा में सत्ता का परिवर्तन हुआ। जिसमें भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सदस्य संख्या–153 के साथ सत्ता में बैठी। तथा भारतीय जनता पार्टी व अन्य दलों ने विपक्ष की भूमिका का निवर्हन किया। जिसमें विपक्ष का नेता श्री भैरोसिह शैखावत को बनाया गया।

<u>बारहवीं राजस्थान विधानसभा</u>:– इस विधानसभा के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। जिसके अन्तर्गत श्रीमती वसुन्धरा राज सिन्धिया को सत्तापक्ष का नेता चुना गया। तथा राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी व अन्य दलों को विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। जिसमें विपक्ष में भारतीय काँग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण विपक्ष का नेतृत्व श्री अशोक गहलोत ने किया। इसके साथ बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), जनता दल व निर्दलोय दल प्रमुख थे। इस अवधि में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी सदन में दूसरे नम्बर के सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर आई तथा आगामी चुनाव में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए अकेले व अन्य विपक्षी दलों के सहयोग से राजस्थान की कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने की राजनीति अपनाती रही ।

<u>तेरहवीं राजस्थान विधानसभा</u> :–राजस्थान विधानसभा की इस अवधि में फिर सत्ता का परिवर्तन हुआ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने अन्य दलों के सहयोग से बहुमत प्राप्त किया तथा सरकार बनाई। इस कार्यकाल में विपक्षी दलों के रूप में भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), इण्डियन नेशनल लोकदल, लोक जनशक्ति पार्टी, राजस्थान सामाजिक न्याय मंच तथा जनता दल (युनाईटेड) आदि प्रमुख राजनीतिक दल थे। भारतीय जनता पार्टी सदन में दूसरे नम्बर के प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभरकर सामने आयी। यह दल आगामी चुनाव में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। विपक्ष इस दृष्टिकोण से सरकार को अन्य विपक्षी दलों के सहयोग से सदन के बाहर व भीतर घेरने की कोशिश करता रहता है।

राजस्थान विधानसभा के उपर्युक्त कायकालों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान में पहलो बार (1952–57) से लेकर पाचवीं विधानसभा

(1972–77) तक निरन्तर काँग्रेस का शासन रहा और छठी विधानसभा से अगले तीन वर्षों (1977–80) की अल्पावधि को छाड़कर जब शासन की बागडोर जनता पार्टी ने संभाली, एक बार फिर साँतवीं तथा आँठवीं विधानसभा (जून 1980 से मार्च 1990 तक) काँग्रेस सत्ता में रही। नवीं तथा दसवीं विधानसभा (1990–98) में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने 8 वर्ष और 9 माह तक शासन चलाया। ग्यारहवीं विधानसभा में पुनः कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई तथा बारहवीं व तेरहवीं राजस्थान विधानसभा में एक बार भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तो दूसरी बार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। इससे प्रकट होता है कि राजस्थान में पहले आम चुनावों के बाद के इन 63 वर्षो में 42 वर्ष राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी का तथा 21 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है।

इस प्रकार दोनों कार्यकालों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्रतिपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के व्यवहार में यद्यपि विभिन्न सामान्य प्रवृतियाँ परिलक्षित होती हैं। कानून व्यवस्था, गृहनीति, वित्त, उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, कृषि, सिचाई, नहर, राजस्व, उपनिवेशीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, नीति एवं नियोजन संगठन की विभिन्न योजना (एस.एस.ओ.) समग्र ग्रामीण विकास योजना (आई.आर.डी.पी.), विधि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज सुधार, जनकार्य, गृह, नगरीय नियोजन, शहरी विकास, पशु एवं चिकित्सा, भेड़ व ऊन, पंचायतीराज एवं सामुदायिक विकास, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक, पेयजल, पर्यावरण, वन एवं प्रदूषण, खनन्, श्रम, उर्जा, अतिवृष्टि, अकालराहत, खेलकूद, धार्मिक जनसंम्पर्क एवं पर्यटन आदि।

प्रस्तावित अध्ययन में राजस्थान की बारहवीं तथा तेरहवीं विधानसभा में हुई कार्यवाही, विधेयको, संकल्पों एवं प्रस्तावों आदि पर हुए वाद–विवाद, सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों, प्रस्तावों आदि के आधार पर विपक्षो दलों की भूमिका का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया गया है।

अध्ययन में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं सर्वेक्षणात्मक प्रकार की पद्धतियों का समावेश किया गया है। निष्कर्ष कथन तथ्यों एवं उपलब्ध सामग्री के तार्किक एवं वस्तुनिष्ट विश्लेषण पर आधारित है। घटना विशेष के अध्ययन में वर्णनात्मक पद्धति प्रयोग किया गया है। लेकिन उस पद्वति की कुछ अन्तनिहित शिथिलताओं के कारण विश्लेषणात्मक पद्वति का प्रयोग कार्यकरण में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

हमारे अध्ययन का उद्देश्य बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभाओं में राजस्थान की राजनीति के दो सर्वप्रमुख दलों–भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी की, विपक्ष के रूप में भूमिका का तुलनात्मक विवेचन करना हैं। संसदीय लोकतंत्र में कुशल संचालन हेतु सरकार का सक्षम होना जितना आवश्यक है, विपक्ष का भी शक्तिशाली तथा कार्यकुशल होना उतना ही आवश्यक है। यदि विपक्ष निर्बल है या वह अपने कार्य संचालन में विमुख होता है तो सरकार को निरंकुश बनने का अवसर मिल जाता है। इसके विपरीत यदि विपक्ष सरकार के कायों मं बाधा उत्पन्न करने तथा उसकी आलोचना करने का ही अपना ध्येय बना लता है तो शासन का सहज संचालन असंभव हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

i. उक्त दोनों कार्यकालों में विपक्षी दल जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे की नहीं, का तुलनात्मक अध्ययन करना।

ii. जन–समस्या तथा समसामयिक जनहित के मुद्दों को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण हेतु उठाये गये कदमों का तुलनात्मक अध्ययन।

iii. राजस्थान में संसदीय लोकतंत्र की पृष्ठभूमि का विवेचन कर तथा उसमें आए परिवर्तनों को चिन्हित कर उसकी सामयिक स्थिति पर प्रकाश डालना।

iv. बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के आम चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति हेतु किए गये वायदों की जाँच पड़ताल व चुनाव उपरान्त उनकी स्थिति के अनुरूप उनके परिवर्तन में उठाऐ गये कदमों तथा किये गए प्रयासों का विश्लेषण कर तुलनात्मक अध्ययन करना।

v. उक्त दोनों कार्यकालों में प्रतिपक्षी दलों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

vi. विपक्ष द्वारा शासन व्यवस्था पर अकुंश रखने हेतु अपनी भूमिका के निवर्हन में प्रयुक्त किये गए संसदीय साधनों का प्रयोग तथा प्रयुक्त साधनों की सफलता व असफलता का तुलनात्मक अध्ययन।

vii. उक्तावधि की दोनों विधानसभा कार्यकालों में राज्यपाल के अभिभाषण, वित्तमंत्री के बजट भाषण, विधायी कार्यों, बजट, जन समस्याओं आदि पर पहल एवं संसदीय साधनों का प्रयोग का सत्तारूढ़ दल तथा विपक्ष के प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन।

viii. उक्त कार्यकालों में राज्यसभा के निर्वाचनों में विपक्षी दलों की भूमिका का एक तुलनात्मक अध्ययन।

ix. उक्त कार्यकालों में विपक्ष की राजनीति के विचारात्मक अन्तर का तुलनात्मक अध्ययन।

x. उक्त कार्यकालों में विपक्ष ने अपनी भूमिका का निवर्हन सकारात्मक दृष्टिकोण से किया या नकारात्मक दृष्टिकोण से का तुलनात्मक अध्ययन।

xi. यह विश्लेषण करना कि 12 वीं तथा 13 वीं राजस्थान विधानसभा में कॉंग्रेस तथा गैर–कांग्रेसी दलों में से कौन विपक्ष के रूप में अधिक तर्कसंगत तथा सविधान–सम्मत सिद्ध हुए।

xii. बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभाओं में विपक्ष द्वारा अपनाई गई तकनीकों, कार्य पद्धतियों तथा रणनीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण।

xiii. संसदीय व्यवस्था में सदन में शासन के कार्य–संचालन के विभिन्न अवसर होते है यथा धन्यवाद प्रस्ताव, पूरक प्रश्न, आधा घण्टे की चर्चाएँ, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल, बजट पर बहस, विधेयकों पर चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव आदि। इन अवसरों पर विपक्ष की सक्रियता का तुलनात्मक विश्लेषण।

xiv. सदन के पदाधिकारियों के निर्वाचन में विपक्ष की भूमिका तथा पदाधिकारियों व विपक्ष के पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन।

xv. विपक्षी दलों के दलीय संगठनों तथा सहायक संस्थाओं का सदन के भीतर विपक्ष के कार्य–निष्पादन में योगदान का विश्लेषण।

xvi. बारहवीं एवं तेरहवीं राजस्थान विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों के चुनाव घोषणा के अभियानों के दौरान विपक्ष द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का तथा चुनाव परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण।

सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा

प्रत्येक शोधकर्ता को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसके अन्वेषण के क्षेत्र में कौन कौन से स्त्रोत प्राप्त है, उनमें से उसे किनका उपयोग करना है तथा उन्हें कहॉ से और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि उसे अनुसंधान विषय पर अभी तक क्या ज्ञान प्राप्त है और कहां पर कमी है, जिसका जानना उसके लिए अभी शेष है। इस प्रकार वह अपने से पहले के अनुसंधानकर्ताओं से सीखकर अपने बाद आने

वालों की बीच की कड़ी बनता है। वस्तुतः संगत संदर्भ साहित्य का अन्वेषण ही शोधार्थी को ज्ञान के उस शिखर तक भेजता है। जहां वह अपने क्षेत्र तथा परस्पर विरोधी उपलब्धियों एवं नवीन अनुसंधान कार्यों से परिचित होता है।

प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित अनेक पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध है लेकिन उन सभी की यहां समीक्षा करना संभव नहीं हो सकेगा, अतः यहां कुछ कृतियों की समीक्षा की जा रही है जो निम्न है–

संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका (1998)–बसन्ती लाल बाबेल – प्रस्तुत पुस्तक में भारत में संसदीय लोकतंत्र का महत्त्व व उसकी आवश्यकता का अध्ययन किया गया है। इसके साथ ही लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, महत्त्व एवं आवश्यकता तथा उसकी उपादेयता का अध्ययन मिलता है। इसमें विपक्ष द्वारा अपनाये जाने वाले प्रमुख साधनों का अध्ययन किया गया है तथा विपक्ष को सदन में मिलने वाली सुविधाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में इस पुस्तक की उपादेयता उपयोगी रही हैं।

विरोधी दलों की राजनीति (1995) – सुनील कुमार श्रीवास्तव –प्रस्तुत पुस्तक में राजनीतिक दलों की सत्तापक्ष व विपक्ष में भूमिका का जनपद स्तर तक का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक राजनीतिक दलों के मतदान व्यवहार, उनके कियाकलाप, तथा राष्ट्रीय अभिजन आदि का अध्ययन कराती है। इस कृति की उपादेयता प्रस्तुत अध्ययन में उपयोगी तो नहीं रही फिर भी अध्ययन की दृष्टि से इसका महत्त्व हैं।

संसदीय प्रकिया (1991)–सुभाष कश्यप –इस शोध ग्रंथ में संसदीय प्रकिया का विस्तृत अध्ययन किया गया है । इस पुस्तक में सदनों के सत्र और बैठकें, गणपूर्ति, आमन्त्रण, कार्यकम, कार्य–सूची, स्थगन और विघटन की प्रकिया आदि का अध्ययन किया गया है। इसके साथ ही इसमें संसद के अधिकारी, प्रश्न प्रकिया, विधायी प्रकिया, प्रश्नों के प्रकार, बजट और वित्तिय विधान आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत पुस्तक संसदीय प्रकिया की भूमिका पर जोर देती है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए यह एक उपयोगी कृति है।

राजस्थान विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (2008)–एच. आर. कुड़ी –यह पुस्तक राजस्थान विधान सभाके प्रकिया एवं कार्य संचालन से सम्बन्धित है। यह सदस्यों के आमंत्रण, उनका बैठना , शपथ का प्रतिज्ञान, सदस्यों की नामावली, सत्र और बैठकों की संख्या, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन, राज्यपाल का अभिभाषण, विधायी कार्य, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न आदि का कराती है। प्रस्तुत

अध्ययन विधान सभा की कार्यवाही का सम्पूर्ण अध्ययन कराने में कारगार हुआ है। यह कृति शोध अध्ययन हेतु बहुत उपयोगी रही है।

राजस्थान विधान सभा में राज्यपाल अभिभाषण (2002–2012) –कृष्णमुरारी गुप्ता– यह पुस्तक बारहवीं एवं तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में राज्यपालों द्वारा दिये गये अभिभाषणों के अध्ययन से सम्बन्धित है। इसमें राज्यपाल द्वारा सरकार की प्रतिवर्ष की योजना को प्रस्तुत किया गया है। उक्त पुस्तक राज्यपालों के अभिभाषण तक ही सीमित हैं। यद्यपि यह पुस्तक प्रस्तुत अध्ययन के लिए प्रत्यक्षतः उपयोगी नहीं रही हैं तथापि विषय के सम्बन्ध में अन्तरदृष्टि विकसित करने में इस कृति का महत्त्वपर्ण अवदान रहा हैं।

राजस्थान में राज्य प्रशासन (1990) चन्द्रमौलि सिंह व अन्य –प्रस्तुत पुस्तक में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। भारतीय राजनीति में राज्यों का विशेष महत्त्व है। इसमें राजनीति का तीन स्तर–राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय राजनीति का अध्ययन किया गया है। इसमें विशेष रूप से राज्य प्रशासन की भूमिका उल्लेख किया गया है तथा राजस्थान विधायी नियंत्रण के प्रमुख साधनों का अध्ययन किया गया है। इसमें राजस्थान की राजनीति व स्थानीय राजनीति को शामिल किया गया है। इस पुस्तक के अनुसार विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखन का प्रमुख साधन है। यह पुस्तक इस अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं रही।

राजस्थान विधान सभा में विपक्ष की भूमिका : 11 वीं एवं 12 वीं विधान सभा का तुलनात्मक अध्ययन (2013)–सुश्री स्वाती बाहेती – प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में विपक्ष की संकल्ना का राजस्थान विधान सभा के सन्दभ में अध्ययन किया गया है। इस पुस्तक में विपक्ष और आम चुनाव, विपक्ष का संगठनात्मक स्वरूप, पीठासीन अधिकारियों तथा प्रकिया सम्बन्धी नियम, विपक्ष का सरकार पर नियंत्रण, विपक्ष और विधायी कार्य तथा विधायी समितियाँ और विपक्ष आदि का अध्ययन किया गया है तथा इसमें पिछली विधानसभाओं के अध्ययन पर भी प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक विपक्ष की उपलब्धियों और और उसकी भूमिका का तथ्यों एवं आंकड़ों सहित विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत अध्ययन के लिए यह कृति अति महत्त्वपूर्ण है।

विधान सभा में विपक्ष की भूमिका : राजस्थान को आठवीं विधान सभा के संदर्भ एक अध्ययन (1992)–गोविन्द कृष्ण शर्मा–इस शोध ग्रन्थ राजस्थान की आठवीं विधान सभा में प्रतिपक्ष द्वारा विषय वस्तु के आधार पर उठाये गये मुद्दों का अध्ययन करने के साथ–साथ प्रतिपक्ष द्वारा सत्तापक्ष को जनमत के प्रति सावचेत रखने

हेतु प्रमुख हथियारों प्रश्नकाल, शून्यकाल व स्थगन प्रस्तावों आदि का अध्ययन किया गया है तथा इसमें प्रतिपक्षी संभ्रातों की आयु, अनुभव का अध्ययन किया गया है। यह शोध आठवीं विधान सभा में प्रतिपक्ष की भूमिका तक ही सीमित है। यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन के लिए यह कृति प्रत्यक्षतः उपयोगी नहीं रही है तथापि विषय के सम्बन्ध में अन्तरदृष्टि विकसित करने में इस कृति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्षी की भूमिका (1991) – विनोद विजय–प्रस्तुत पुस्तक में शासन एवं विपक्ष का सेद्धान्तिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया है। इसमें जनता की शिकायतों की अभिव्यक्ति, सरकारी–गैर सरकारी विधेयकों तथा विपक्षी सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन शामिल है। यह पुस्तक विपक्षी दलों के विकास एवं नीति तथा कार्यकम आदि का अध्ययन कराती है। इस कृति की सीमित उपादेयता रही है।

लोकतंत्र और विधान मण्डल (2014)–आचार्य भालचन्द गोस्वामी 'प्रखर'–प्रस्तुत पुस्तक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के परस्पर संम्बन्ध, कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण, संसदीय प्रणाली के प्रमुख आयाम और कार्य, विधान मण्डलों का गठन, विभिन्न संसदीय समितियों के कार्यकलाप, सत्तापक्ष व विपक्ष की भूमिका और वर्तमान संदर्भों में विधान मण्डलों की छवि और उनके भविष्य आदि का अध्ययन कराती है। इस कृति की उपादेयता प्रस्तुत पुस्तक में महत्त्वपूर्ण रही है।

राजस्थान विधान सभा में विपक्ष की भूमिका : (राजस्थान की छठी एवं सातवीं विधान सभा का एक तुलनात्मक अध्ययन)–ऋचा बंसल–इस शोध अध्ययन में विपक्ष की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें प्रतिपक्षी सदस्यों के द्वारा राज्यपाल अभिभाषण, स्थगन प्रस्तावों, शून्यकाल, प्रश्नकाल आदि का अध्ययन किया गया है तथा विपक्ष की सहयोगी व रचनात्मक भूमिका के रूप में छठी एवं सातवीं विधान सभा का ही अध्ययन है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए इस कृति का अधिक महत्त्व है।

विधान बोधनी (अक्टुबर, 2005) 'विधान मण्डल और विपक्ष की भूमिका' अंक –प्रस्तुत शोध पत्रिका के प्रस्तुत अंग में हमें राजस्थान विधान सभा म प्रतिपक्ष की भूमिका तथा प्रतिपक्ष की नेता, प्रतिपक्ष के नेता के वेतन भत्ते और राजस्थान विधान सभा की 1952 से 2005 तक की दलीय स्थिति तथा आम चुनावों के बारे में जानकारी मिलती है। यह सामयिक प्रकाशन प्रस्तुत अध्ययन के लिए काफी उपयोगी रहा है।

राजस्थान वार्षिकी (1997)–सीताराम झालानी– इस पुस्तक में राजस्थान की संसदीय व्यवस्था तथा राज्यों में राजनीति के प्रवेश व प्रमुख विधान सभाओं में प्रतिपक्ष की भूमिका का उल्लेख किया गया है। इसमें दल–बदल, राजस्थान में लोकसभा और विधान सभाओं में प्रमुख दलों की भूमिका का भी विवरण दिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए इस पुस्तक का प्रत्यक्ष अवदान नहीं रहा है।

संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका (1997)– आचार्य भालचन्द गोस्वामी – प्रस्तुत पुस्तक में केन्द्र एवं राज्यों केन्द्र व राज्यों में विपक्ष की सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक पृष्ठ–भूमि का परिचय देते हुए देश की राजनीति में उसकी भूमिका का आकलन करने का प्रयत्न किया गया है। वहीं सत्ता पक्ष की तुलना में उसकी उपलब्धियों और विफलताओं का विवरण दिया गया है। यह पुस्तक विपक्ष की उपलब्धियों और उनकी भूमिका का आंकड़ों एवं तथ्यों सहित एक सटिक एवं निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत कृति का अध्ययन हेतु सिमित उपादेयता है।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध ग्रंथ में विपक्षी दलों का एक संस्था के रूप में अध्ययन किया गया है। अब तक राज्य स्तर पर इस विषय पर विस्तृत अध्ययन नहीं हो पाया है। अतः इस कार्यकाल का यह प्रथम कार्य कहा जा सकता है। इस अध्ययन हेतु सामग्री प्रमुख रूप से को दो भागों में बाटा गया है।

प्राथमिक स्त्रोत–

प्रस्तुत शोध ग्रंथ में विपक्षी दलों का एक संस्था के रूप में अध्ययन किया गया है। अब तक इस विषय पर वृहत् अध्ययन नहीं हुआ है। इसे इस अवधि में पहला अन्वेषणात्मक कार्य कहा जा सकता है। इस अध्ययन के लिए सामग्री प्राप्त करने का प्राथमिक स्त्रोत राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रकाशित कार्यवाहियों के वृत्तान्त हैं। इसके अन्तर्गत विपक्ष के वरिष्ठ विधायकों एवं पूर्व विधायकों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से साक्षात्कार के माध्यम से संकलित सामग्री को सम्मिलित किया गया है। विभिन्न विधायी समितियों के प्रतिवेदन भी अध्ययन के स्त्रोत रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड तथा कार्यवाहियों के वृत्तान्त, राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं थे। उन्हें विधान सभा के पूर्व सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया गया है। अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए विधानसभा की कार्यवाहियों के वृत्तान्तों, समितियों के प्रतिवेदनों, 2003 से 2008 तथा 2008 से 2013 की अवधि के समाचार पत्रों व पत्र, पत्रिकाओं, राजनीतिक दलों के संविधानों व चुनाव घोषणा पत्रों, निर्वाचन आयोग की रिपोर्टो आदि को व्यवस्थित रूप

से वर्गीकृत करना तथा उसमें से अपने अध्ययन के लिए सार संकलन करना एक वृहत् कार्य था। विपक्ष के निरन्तर रंग बदलते चरित्र तथा भूमिकाओं के उचित परिप्रेक्ष्य में इस सामग्री का अध्ययन कर उसकी व्याख्या की गई।

द्वितीयक स्त्रोत :–

द्वितीयक स्त्रोत के अन्तर्गत विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित कार्यवाहियों के वृत्तान्त, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, समितियों के प्रतिवेदन, विधानसभा आकड़ों में, सदस्य परिचय ग्रन्थ, विधानसभा के कार्यो का संक्षिप्त विवरण, विधानसभा बुलेटिन भाग–1, विधानसभा के विभिन्न अभिलेख, राजनीतिक दलों के संविधान तथा चुनाव घोषणा–पत्र, निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट्स आदि के द्वारा अध्ययन पद्वतियों तथा अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण के पेचीदा जाल की तकनीकियों में उलझने के स्थान पर प्रस्तुत ग्रन्थ में उस समय की राजनीति की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के लिए ऐतिहासिक, संवैधानिक, वैधानिक, संरचनात्मक–कार्यात्मक पद्धतियों के साथ ही संस्थाओं की परिवर्तनशील भूमिकाओं अध्ययन के लिए अनिवार्य परम्परागत पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का मिश्रित प्रयोग किया गया है। विधानसभा की कार्यवाहियों के वृतान्तों का अध्ययन उस समय की राजनीति के सदर्भ में किया गया हैं जिसका प्रतिबिम्ब हिन्दी तथा अंग्रेजी के स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न तत्कालीन समाचार पत्रों में झलकता है। समितियों की कार्यवाहियाँ विधान सभा पुस्तकालय अथवा समितियों के कार्यालयों में अध्ययन के लिए उपलब्ध नहीं होती है। अतः समितियों में विपक्ष की भूमिका का अध्ययन समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर किया गया है।

अध्ययन के कुछ पहलूओं पर लिखित सामग्री का साक्ष्य अपर्याप्त प्रतीत होने पर प्रश्नों की अनुसूचियॉ तैयार की गई तथा तत्कालीन विधानसभा के सदस्यों से साक्षात्कार के समय उनका उपयोग किया गया। साक्षात्कार के समय कठिनाई तब आती थी जब साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति प्रश्नों के सीधे उत्तरों से कतराते थे तथा मुख्य प्रसंग से हटकर अपनी बात कहने लगते थे। उन्होंने स्वयं लिखित रूप में उत्तर देने अथवा टेपरिकॉर्डर के प्रयोग की अनुमति भी नहीं दी। अतः साक्षात्कार के समय व्यक्त किये गये विचारों को संक्षेप में लिखा गया तथा साक्षात्कार के पश्चात उन्हें विस्तार दिया गया। जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया, उनम से कुछ ने अब सक्रिय राजनीति को त्याग दिया है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति है, जो दिवगंत हो गये हैं।

इस पद्धति से राजस्थान के विपक्ष के व्यवहारवादी अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हुई। बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभाओं के तुलनात्मक अध्ययन के

लिए आधुनिक सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया गया है। कुल मिलाकर यह अध्ययन की पद्वतियों, दृष्टिकोणों तथा तकनीकों का मिश्रण है।

अध्याय योजना

प्रस्तुत सम्पूर्ण शोध–प्रबन्ध को छः अध्यायों में विभाजित किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

प्रथम अध्याय – बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा की प्रस्तावना से सम्बन्धित है। प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन की विषयवस्तु, वैचारिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा शोध कार्य का स्पष्टीकरण तथा शोध समीक्षा एवं अध्ययन पद्धति आदि का अध्ययन किया गया है।

द्वितीय अध्याय – में राजस्थान विधानसभा को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत राजस्थान का गठन एवं देशी राज्यों की विधायन प्रणाली का तथा प्रथम विधानसभा से ग्यारहवीं राजस्थान विधानसभा (1952–2003) तक का अध्ययन किया गया है। इसके अन्तर्गत विपक्ष की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन विपक्षी दलों के परिप्रेक्ष्य में किया गया है।

तृतीय अध्याय – में प्रथम विधानसभा से लेकर तेरहवीं विधानसभा तक राजनीतिक दलों की चुनावों में भूमिका का अध्ययन किया गया है। तथा राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की भूमिका का एक तुलनात्मक अध्ययन राजस्थान के संर्दभ में एक विषय प्रवेश के रूप में किया गया है।

चतुर्थ अध्याय – में बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा की व्यावहारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया है। जिसके अन्तर्गतसदन की कार्यवाही का तुलनात्मक अध्ययन राज्यपाल अभिभाषण, वित्तमंत्री का बजट भाषण, विधायी कार्य, प्रश्न काल, तथा इन कार्यकालों में इन नियमों के प्रति विपक्षी सदस्यों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया गया है।

पंचम अध्याय – बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के कार्यकाल के दौरान सदन के बाहर विपक्षी दलों द्वारा दिये धरने, प्रदर्शन, आन्दोलनात्मक राजनीति, सम्मेलन, मुद्दे, आम सभाएँ, समाचार पत्र–पत्रिकाओं में वक्तव्य आदि का अध्ययन किया गया है।

षष्ठ अध्याय –इस अध्याय में उपसंहार है। इसमें प्रथम पाँच अध्यायों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों का विवेचन किया गया है।

सन्दर्भ सूची – प्रथम अध्याय

1. बाबेल, बसन्तीलाल, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1998, (प्रथम संस्करण) पृ. 21
2. न्युमेन, एस., 'टू वर्ड ए कम्परेटिव स्टेडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिज', जीन ब्लाडेंल (सम्पादित) कम्पेरेटिव गवर्नमेंट ए रीडर, मेकमिलन, लन्दन, 1970 पृ. 73
3. रस्तोगी, के. एस., संसदीय लोतंत्र में प्रतिपक्ष, संसदीय पत्रिका, लोकसभा सचिवालय, नईदिल्ली, अंक–36 दिसम्बर 1990 पृ. 07
4. प्रखर, गोस्वामी भालचन्द्र, संसदीय लोकतंत्र के विविध आयाम,पॉईन्टर पब्लिकेशन्स, जयपुर 2002 पृ. 172
5. विजय विनोद, 'उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष की भूमिका, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1991, पृ. 3
6. महैश्वर नाथ कौल एवं श्याम लाल शंकधर, संसदीय पद्ति एवं प्रकिया (तीसरा हिन्दी संस्करण) नई दिल्ली मेट्रोपॉलिटन बुक कम्पनी प्रा. लि. 2012 पृ 164
7. महैश्वर नाथ कौल एवं श्याम लाल शंकधर, संसदीय पद्ति एवं प्रकिया (तीसरा हिन्दी संस्करण) नई दिल्ली मेट्रोपॉलिटन बुक कम्पनी प्रा. लि. 2012 पृ 13
8. आचार्य, भालचन्द्र गोस्वामी, लोकतंत्र और विधान मण्डल, (जयपुर पोईन्टर पब्लिशर्स, 2014) पृ. 222
9. सार्किज्म, कम्यूनिज्म एण्ड वैस्टर्न सोसायटी, ए कम्पेरिटिव इनसाइक्लोपिडिया एडिटेड बाई कंनिग, वाल्यूम 6 पृ. 158
10. नामियार, सी. एफ. एल. बी., इग्लेण्ड इन द एज ऑफ द अमेरिका रियोल्यूशन लंदन, 1930 पृ. 55
11. लेण्डसट फॉरमेन, फेक्सनिक द पार्लियामेन्टेरियन अपोजिशन पृ.339 उद्धतकर्ता मार्किसिज्म कम्यूनिज्म एझड वैस्टर्स सोसायटी, ए कम्पेरिटिव इनसाक्लोपिडिया, एडिटेड बाई कंनिग, सी. सी. वाल्यूम 6 पृ 158
12. टनर, सी. एफ., शेडों केबिनेट इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स
13. मुखर्जी, ए. आर., पार्लियामेन्टरी प्रोसिजर इन इण्डिया, कलकता आक्सफॉर्ड यूनिवरसिटी प्रेस (दूसरा संस्करण) 1967 पृ. 35

14. कौल एम. एन. शंकधर, एस. एल. प्रेक्टिस एण्ड प्रोसिजर ऑफ पार्लियामेन्ट मेट्रोपोलिटिन,नई दिल्ली 1978–79 पृ. 117

15. नोट 13, पृ.115

16. राबर्ट सी. न्यूमेन, यूरोपियन एण्ड कम्परेटिव गर्वमेन्ट, न्यूयार्क मेग्राहिल 1960 पृ. 157

17. कश्यप सुभाष, हमारी संसद, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत (तीसरी आवृति) 2015 पृ. 219

18. बाहेति स्वाति, राजस्थान में विपक्ष की भूमिका, (अप्रकाशित) कोटा विश्वविद्यालय, कोटा 2013 पृ.10

19. शरण पी., भारतीय शासन और राजनीति, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ 1975–76 पृ. 363

20. नोट 13 पृ. 115

21. कोठारी रजनी, पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्शन स्टेडीज, द कॉंग्रेस सिस्टम इन इण्डिया, 1967 पृ. 3

22. जैनिग्स सर आइवर, केबीनेट गर्वमेन्ट, केम्ब्रिज 1958 पृ.618

23. भाभड़ा हरिशंकर, संसदीय लेख एवं अभिभाषण, जयपुर राजस्थान विधान सभा सचिवालय, 1994 पृ. 123–124

24. कौल महेश्वर नाथ एवं श्याम लाल शंकधर, संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार, अनुवाद, धर्मपाल पाण्डेय, 1972, पृ. 126

25. संसदीय पत्रिका, खण्ड 30 अंक 2जून 1984 (नई दिल्ली, लोकसभा सचिवालय)

26. आर. के. खरे, संसदीय नियंत्रण प्रविधि कितनी प्रभावी, संसदीय पत्रिका लाकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, दिसम्बर,1990 पृ. 19

27. फॉर्ड,आरकी बाल्ड एस., हिज मेजेस्टीज अपोजिशन, 1964 पृ.2

28. आचार्य भालचन्द्र गोस्वामी, लोकतंत्र और विधान मण्डल, (जयपुर पोईन्टर पब्लिशर्स, 2005) पृष्ठ 231–32

राजस्थान विधानसभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

(राजस्थान का गठन एवं देशी राज्यों की विधायन प्रणाली–प्रथम विधानसभा से ग्यारहवीं विधानसभा 1998–2003 तक

राजस्थान का गठन

वर्तमान राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को सन् 1949 ई. तक राजपूताना के नाम से जाना जाता था। यह भू–भाग 21 देशी रियासतों में विभाजित था।[1] उन देशी रियासतों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप शासन संचालित होता था। वे शासक निरंकुश हुआ करते थे। रियासतों की विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियाँ उन्हीं के हाथों में केन्द्रित होती थी तथा प्रत्येक प्रकरण में उनकी स्थिति सर्वोच्च थी। लेकिन वे रियासतें प्रभुत्व सम्पन्न राज्य नहीं थी। वे ब्रिटिश सम्राट की सार्वभौम सत्ता के अधीन थीं। इस सार्वभौमत्व का प्रयोग भारत में सम्राट के प्रतिनिधि वायसराय करते थे। ब्रिटेन की सार्वभौम सत्ता होने का अभिप्राय यह था कि वह देशी रियासतें वास्तविक अर्थ में राज्य नहीं थीं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में उनका कोई अस्तित्व नहीं था। वे अधीनस्थ अथवा रक्षित राज्य थे। वे न तो युद्ध की घोषणा कर सकते थे और न ही अन्य राष्ट्रों के साथ प्रत्यक्षतः सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे, क्योंकि उनके वैदेशिक सम्बन्ध पूर्णतः ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित होते थे। उन रियासतों को आंतरिक प्रकरणों में भी असीमित स्वतंत्रता नहीं थी। साम्राज्य, न्याय अथवा सुशासन के हितों के अन्तर्ग्रस्त होने पर ब्रिटिश सरकार उनके प्रकरणों में हस्तक्षेप कर सकते थे। उदाहरणार्थ 1936 में अलवर के शासक को विवश किया गया कि वह 24 घण्टे के अन्दर अपना राज्य छोड़कर चला जाये।[2] यहाँ ऐसा उल्लेख करने का आशय यह है कि देशी रियासतों के शासक जनता के लिए निरंकुश थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनके प्रकरणों में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती थी, लेकिन साधारणतया ब्रिटिश सरकार अपने स्वयं के हितों के प्रति ही सजग रहती थी तथा रियासतों के आंतरिक प्रकरणों में वहाँ के शासक स्वेच्छा से शासन का संचालन करते थे। वे शासन का संचालन मंत्रियों की एक परिषद् के माध्यम से करते थे। उस परिषद् का प्रमुख दीवान अथवा मुसाहिब–ए–आला होता था। वह परिषद् रियासत के शासक के प्रति उत्तरदायी होती थी तथा उसका कार्यकाल भी शासक के प्रसाद पर्यन्त ही रहता था। प्रजा को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहों थे और न ही प्रारम्भ में प्रजातांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व था।[3]

उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में प्रारम्भ हुए स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में देशी रियासतों में भी दृष्टिगोचर होने लगा। राजपूताना क्षेत्र की

रियासतों में सामन्तशाही दमन और निरंकुशता के विरूद्व जनाक्रोश तथा विद्रोह प्रारम्भ होने लगे तथा कई रियासतों में शासको के विरूद्ध प्रजा द्वारा बगावत की घटनाऐं प्रकाश में आने के परिणामरूवरूप कतिपय देशी रियासतों के शासकों ने भावी परिस्थितियों का आंकलन करते हुए दूरदर्शिता का परिचय दिया और वे विधानमण्डलों का गठन करने की दिशा में अग्रसर होने लगे। राजपूताना क्षेत्र के विधान मण्डलों में बीकानेर को छोड़कर अन्य सभी विधानसभाएँ वर्तमान शताब्दी के तीस और चालीस के दशक में स्थापित की गई। विभिन्न रियासतों में प्रजातांत्रिक संस्थाओं के गठन का विवरण निम्न प्रकार है–

बीकानेर राज्य

बीकानेर पहला राज्य था, जिसने विधानसभा की स्थापना में अग्रणी कदम उठाया। ऐतिहासिक तथ्यों पर दृष्टिपात करने से प्रकट होता है कि राज्यों में लोकप्रिय क्रमिक आन्दोलन और कतिपय मामलों में शासकों का उदार दृष्टिकोण इन विधान सभाओं की स्थापना का कारण बना। इसका एक मात्र अपवाद भरतपुर राज्य रहा, जहाँ लोकप्रिय बगावत के पश्चात् विधानसभा स्थापित हुई। बीकानेर के शासक ने 12 सितम्बर, 1912 को अपनी यह दृढ़ धारणा व्यक्त की– "कि शासक और शासित दोनों राज्य की भलाई में समान रूचि रखते हैं और इसलिए ये अपने आप को उपयुक्त सिद्ध करते हैं, अतः शासित को प्रगतिशील विचार और सरकार में हिस्सा रखने का अधिकार हैं।[4] कालान्तर में इस खुले आम प्रकट किये गये विचार के अनुसार 24 सितम्बर, 1912 को प्रतिनिधि सभा की घोषणा की। "हिज हाइनेस जन प्रतिनिधि सभा के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसे विधायी कार्यवाही और बजट पर विचार करने विधेयक प्रस्तुत करने, संकल्प प्रस्तुत करने और जनहित के मामलों में प्रश्न करने के अधिकार प्राप्त होंगे।[5] इस प्रकार बीकानेर के शासक, जिसने अपने समय से आगे कदम उठाया तथा 21 अक्टूबर, 1913 को प्रतिनिधि सभा का उद्घाटन किया।

बांसवाड़ा राज्य

बांसवाड़ा दूसरा राज्य था, जहां शासक ने फरवरी, 1939 में 'राज्य परिषद्' के गठन की घोषणा करने का कदम उठाया। 1946 में राज्य परिषद् को और प्रजातांत्रिक रूप देने क लिए शासक ने कुछ सुधार किये। उसने घाषणा की कि यद्यपि मेरी प्रजा ने संवैधानिक सुधार की इस दिशा में कोई माँग प्रस्तुत नहीं की है, तथापि में स्वेच्छापूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरी सरकार आपके समक्ष एक विधेयक का प्रारूप शीघ्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें राज्य विधानसभा के गठन में सुधार और इसे विस्तृत अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव निहित होंगे।[6]

राज्य का दीवान उक्त परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता था। वर्ष 1939 से 1946 तक की अवधि में परिषद् का अधिवेशन कुल छः बार आहूत किया गया और इसमें भी मात्र 12 दिवस कार्य हुआ। इसने कुछ सामाजिक विधेयक पारित किये। महाराजा ने इस परिषद् में सुधार करने की दृष्टि से राज्य विधान अधिनियम 1946 पारित कर प्रभावी किया। परिषद् को शासन के बारे में चर्चा करने, प्रस्ताव पारित करने तथा विधेयक पारित करने की शक्तियाँ प्रदत्त थी जिन पर महाराजा का निर्णय अन्तिम होता था। उक्त परिषद् हेतु सितम्बर, 1947 में निर्वाचन सम्पन्न हुए। प्रजा मण्डल के सदस्यों को इसमें बहुमत प्राप्त हुआ। श्री नानक राम त्रिवेदी उक्त सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। बजट अधिवेशन 30 मार्च, 1948 से प्रारम्भ करने का विनिश्चय भी किया गया, किन्तु जल्दी ही उक्त राज्य का विलय राजस्थान संघ में हो गया।[7]

जोधपुर राज्य

जोधपुर राज्य में शासक ने घोषणा की, कि ''मैं देश की और अन्यत्र, दोनों की पुरातन व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आदर और भावनात्मक सद्भाव रखता हूँ, लेकिन साथ ही आपको जनता की सरकार में सहभागिता की माँग के लिए जन–आन्दोलन की उपेक्षा और प्रतिरोध करने के खतरे और व्यर्थता के प्रति अनादर के लिए भी प्रस्तुत नहीं करता।[8] (पत्रावली संख्या 5/31 महकमा, जोधपुर शासन, केन्द्रीय सलाहकार मण्डल, पृ. 34) वर्ष 1940 में महाराजा उम्मेद सिंह ने एक प्रतिनिधि परामर्शदात्री सभा के गठन की मंशा जाहिर की। अप्रेल 1941 में इसके लिए संविधान भी स्वीकृत किया गया। उक्त सभा को जन–महत्त्व के कतिपय विषयों यथा–शिक्षा, जन स्वास्थ्य, कस्टम्स, सहकारी साख समितियाँ तथा स्वायत्त शासन से सम्बन्धित कार्य पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त थी। सभा को कोई वित्तीय और विधायी अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसका प्रारम्भ 15 जनवरी, 1942 को हुआ। वर्ष 1942 से 1945 के मध्य इस सभा की दसवीं बैठक हुई और 64 दिवस कार्य हुआ। लगभग 498 प्रश्न पूछे गये तथा समस्त का जवाब भी सरकार के द्वारा दिया गया। 390 प्रस्ताव विचार के लिये प्राप्त हुए, जिसमें से 189 पारित किये गये, 149 को वापस ले लिया गया, 38 अस्वीकार किये गये तथा 4 को आंशिक रूप से पारित किया गया। वर्ष 1944 में महाराजा द्वारा गवर्नमेंट आफ जोधपुर एक्ट पारित किया गया, जिसमें राज्य विधानमण्डल का प्रावधान था। उक्त विधानसभा में 52 निर्वाचित सदस्य तथा कुछ मनोनीत तथा पदेन सदस्य थे। इसे पूरे राज्य के लिए कानून बनाने तथा बजट पारित करने की शक्ति प्राप्त थी। वित्तीय तथा विधायी मामलों में सभा की शक्तियाँ एक हद तक सीमित थी। मताधिकार 21 वर्ष के पुरूष नागरिकों को कुछ शक्षणिक तथा जायदाद सम्बन्धी शर्ते पूरी करने पर ग्राह्य था। इसके चुनाव मार्च–अप्रेल, 1947 में सम्पन्न हुए। फरवरी 1947 में महाराजा द्वारा उक्त सभा के कार्य काल को

घटाकर 4 से 3 वर्ष में परिवर्तित किया गया और मनोनीत उपाध्यक्ष के स्थान पर निर्वाचित उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया।[9]

बूँदी रियासत

बूँदी के शासक ने विधानसभा की स्थापना के अपने निश्चय की घोषणा करते हुए कहा था। उसने घोषणा की, कि "मेरा उद्देश्य इस कमेटी के गठन में यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में शीघ्र जन प्रतिनिधि सरकार का वृहत् संस्थापन स्थापित हो और सबसे अच्छी प्रगतिशील उत्तरदायी सरकार की अनुभूति हो जो मेरे राज्य और मेरी जनता को स्वतंत्र भारत के संविधान के ढांचे में उचित स्थान प्रदान करा सके।[10] (बूँदी न्यूजलेटर नं. 1, खण्ड 1, 1946)

18 अक्टूबर, 1943 को महाराजा ईश्वरी सिंह ने धारा सभा का गठन किया, जिसमें 23 सदस्य होते थे। इनमें 12 निर्वाचित तथा 11 मनोनीत सदस्य थे। निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन तहसील परामर्शदात्री मंण्डलों तथा नगरपालिकाओं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किये जाते थे। धारा सभा को राज्य के महत्व के मामलों पर चर्चा करने तथा जन–महत्त्व के मामलों में प्रस्ताव पारित करने की शक्तियां प्रदत्त थीं। इसे कोई विधायी तथा वित्तीय शक्तियां प्रदत नहीं थीं और यह एक मात्र परामर्श दात्री संस्था थी। इसके तीन वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में इसका अधिवेशन 4 बार आहूत किया गया और इसने 4 दिवस कार्य संपादित किया। इसके सदस्यों ने 83 प्रश्न सरकार को प्रेषित किये और इन सभी का सरकार ने उत्तर भी दिया। उक्त सभा ने 15 प्रस्ताव भी पारित किये। 24 अक्टूबर, 1946 को महाराजा बहादुर सिंह ने सभा के संविधान को परिवर्तित करने की मंशा दर्शायी। 10 जुलाई, 1947 को बूँदी राज्य संविधान एक्ट, 1947 पारित किया। इसके अनुसार पहले 5 वर्षों तक धारा सभा निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्यों से संगठित की जानी थी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 35 थी, जिनमें से 31 का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से होना था, शेष 4 का विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन होना था। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता था, किन्तु पहले 5 वर्षों के लिये इनका मनोनयन शासक द्वारा किये जाने का प्रावधान था। सभा का कार्यकाल 4 वर्ष का था। निर्वाचन वयस्क मताधिकार, संयुक्त निर्वाचन तथा गुप्त मतदान के आधार पर होना था। सभा को कुछ सीमाओं के अंतर्गत बूंदी राज्य के लिये कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था।[11]

डूंगरपुर रियासत

वर्ष 1918 ई. में महारावल ने एक राज शासन सभा का गठन किया, जो दीवानी मामलों में रियासत के उच्च न्यायालय तथा आपराधिक मामलों मं सत्र न्यायालय की शक्तियाँ

रखती थी। इस सभा में कुछ सरदार, अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक सम्मिलित थे। 1936 ई. में महारावल द्वारा उक्त सभा को विधायी कार्य भी सौंपा गया। यह सभा एक विशिष्ट प्रकार की संस्था थी और न तो यह किसी परामर्शदात्री संस्था अथवा किसी विधानसभा के अनुरूप थी। वरन् यह न्यायिक तथा विधायो शक्तियां दोनों ही रखती थी और इसका आकार वर्ष दर वर्ष परिवर्तित होता रहता था। वर्ष 1936 से 1946 के मध्य सभा द्वारा कुल 24 विधेयक पारित किये गये।[12]

जयपुर राज्य

जून 1, 1944 को महाराजा मानसिंह–द्वितीय न कांस्टीटयूशन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ जयपुर एक्ट, 1944 पारित किया। इस अधिनियम में एक द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान था, जिसमें एक प्रतिनिधि सभा तथा दूसरा सदन विधान परिषद था। उक्त सदनों के लिये 10 तथा 15 मई, 1945 को निर्वाचित हुए। मतदान का प्रतिशत क्रमशः 35 तथा 40 रहा। उक्त निर्वाचन में जयपुर राज्य प्रजा मण्डल को बहुमत प्राप्त हुआ। उक्त विधायिका का उद्घाटन महाराजा द्वारा 5 सितम्बर, 1945 को किया गया। मार्च 1, 1948 को महाराजा ने कुछ संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। इस घोषणा के द्वारा जयपुर रियासत में पूर्ण जन प्रतिनिधि सरकार का गठन हुआ और जयपुर राज्य विधान मण्डल इसके वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर पाया तथा इसे कार्यपालिका की शक्तियां भी मिली। इस विधायिका ने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। वर्ष 1945 से 1948 के मध्य इसके सात अधिवेशन हुए और इसक द्वारा लोक महत्त्व के 213 प्रस्ताव पारित किये तथा वर्ष 1946–47, 1947–48 तथा 1948–49 के बजट भी पारित किये। लगभग 101 सरकारी तथा 25 गैर–सरकारी विधेयक भी इसमें पेश किये गये, जिसम से 94 सरकारी तथा 14 गैर–सरकारी विधेयकों को पारित कर इन्हें अधिनियम का स्वरूप दिया गया।[13]

भरतपुर राज्य

27 मार्च, 1927 को महाराजा किशन सिंह ने शासन समिति के गठन की मंशा जाहिर की और सितम्बर, 1927 में शासन समिति संविधान सम्बन्धी अधिनियम प्रभावी हुआ। समिति को राज्य के सभी मामलों जिसमें बजट भी शामिल था, पर चर्चा करने का अधिकार था। समिति के सभी निर्णय सिफारिश के रूप में हो सकते थे, किन्तु किन्हीं कारणों से यह समिति अस्तित्व में नहीं आ सकी। वर्ष 1942 में भरतपुर राज्य प्रजा परिषद् ने सत्याग्रह प्रारम्भ किया। जिसकी वजह से एक राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ। अक्टूबर 1942 में ब्रज्ज्य प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ, यह समिति 50 सदस्यीय थी जिसके 37 सदस्य निर्वाचित तथा 13 मनोनीत होते थे। सभा का अध्यक्ष शासक द्वारा

मनोनीत किया जाता था, जबकि उपाध्यक्ष समिति के सदस्यों के द्वारा चयनित किया जाता था। समिति को राज्य के शासन पर चर्चा करने, विधेयकों पर चर्चा करने तथा प्रस्ताव पारित करने की शक्तिया प्रदत्त थी और समिति का कार्यकाल तीन वर्ष था। समिति के चुनाव सितम्बर, 1943 में सम्पन्न हुये, जिसमें भरतपुर राज्य प्रजा परिषद् ने 21 स्थानों पर विजय प्राप्त की। 1943 से 1946 के मध्य 13 बार समिति आहूत की गई और 56 दिवस समिति ने कार्य किया।[14]

उदयपुर /मेवाड़ रियासत

मई 1947 में श्री कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने रियासत का संविधान तैयार किया, जिसे महाराणा द्वारा यथारूप 27 मई, 1947 को पारित किया गया। इस संविधान में वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित विधायिका का प्रावधान था। विधायिका 56 सदस्यीय थी, जिसमें से 51 निर्वाचित तथा 5 मनोनीत थे। मनोनीत सदस्यों में सभा का अध्यक्ष, रियासत का प्रधानमंत्री तथा तीन मंत्री होत थे। विधायिका को बिना किसी रोक–टोक के रियासत के लिये बजट पारित करने, कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त थी। प्रथम निर्वाचन 4 अप्रेल, 1948 को हुआ, जिसके दौरान ही मेवाड़ राज्य प्रजा मण्डल द्वारा इसके बायकाट को घोषणा की गई और मुंशी संविधान का अस्तित्व भी समाप्त हो गया।[15]

शाहपुरा रियासत

महाराजाधिराज द्वारा 14 अगस्त, 1947 को रियासत के लिये संविधान घोषित किया गया, जिसमें 21 सदस्यीय विधान परिषद् का वयस्क मताधिकार के आधार पर गठन प्रस्तावित था। परिषद् को पूरी रियासत का बजट पारित करने तथा कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त थी। निर्वाचन की तैयारियों के दौरान ही रियासत का भारत संघ में विलय हो जाने से उक्त परिषद् अस्तित्व में नहीं आ सकी।[16]

टोंक रियासत

3 फरवरी, 1941 को टोंक रियासत के लिये मजलिस–ए–आम का गठन हुआ। वह 25 सदस्यीय थी, जिसमें 12 निर्वाचित तथा 13 मनोनीत थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्यों का निर्वाचन पंचायतों के सरपंचों द्वारा किया जाता था, जबकि नगरीय क्षत्रों से नगरपालिकाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता था। मजलिस को कुछ विषयों पर परामर्श देने की शक्तियाँ प्राप्त थी। राज्य कौंसिल के उपाध्यक्ष उक्त मजलिस के पदेन सभापति होते थे। 1941 से 1945 के मध्य मजलिस के मात्र दो एक–दिवसीय सत्र् हुए। वर्ष 1945 के पश्चात् इसका अस्तित्व मात्र कागज पर ही रहा।[17] राज्यों के शासकों द्वारा समय–समय पर की गई ये घोषणाएँ हमें यह सोचने को प्रेरित नहीं करती कि शासक

वास्तव में एकदम से प्रजातांत्रिक और जनता के शुभ चिन्तक हो गये। सभंवतया मूल में तथ्य यह है कि राज्यों के कुछ शासका ने देश में बदलाव की लहर का अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया था और जैसे–जैसे स्वाधीनता के आसार सुस्पष्ट हुए, उन्होंने राज्यों में इन उदार सुधारों की घोषणा की। प्रजामण्डल और लोक परिषदों द्वारा राज्यों में किये गये आन्दोलन के प्रभाव के परिणामस्वरूप भी यह घोषणाएं की गई। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। 19 वृहद राज्यों में से 14 राज्यों में प्रजामण्डलों ने सफलतापूर्वक देश के प्रशासन में जनता की सहभागिता के लिए विस्तृत आन्दोलन किया। जयपुर प्रथम राज्य था, जिसमें 1931 में प्रजामण्डल की स्थापना हुई।[18] प्रजामण्डलों को दिशा–निर्देश देने के लिए 1942 में एक मुख्य मंच "राजस्थान रीजनल प्यूपिल्स कान्फ्रेन्स "के आविर्भाव से शासकों के संरक्षण के अधीन उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए संयुक्त आन्दोलन में त्वरित गति लाई गई।[19] इस प्रसंग में बीकानेर के हिज हाईनेस (महाराजा) ने अपने निश्चिय की घोषणा की "मैं राज्य में एक ऐसी सरकार के गठन, जो शासक के संरक्षण में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, का निश्चय आपको सूचित करता हूँ।

देशो रियासतों में व्यवस्थापिकाएँ

राजस्थान के सन्दर्भ में प्रतिनिधित्व तथा विधानसभाओं का इतिहास विलंबवादी तथा शिथिल प्रयासों का प्रर्याय कहा जा सकता है। सामन्ती युग में अन्य कोई अपेक्षा अव्यावहारिक थी। फिर भी अनेक तत्कालीन रियासतों में विधान मण्डलों की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के युग की जा चूकी थी, यद्यपि यह कथन भी सत्य है कि संरचना, शक्तियों तथा कार्यो को अतिसीमित बनाकर, इन विधानसभाओं की अपेक्षाओं को जीवित रखा। फलस्वरूप मार्च, 1949 में राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र नवीन प्रवृतियों के अनुकूल बना। 1956 में शेष प्रदेश अजमेर तथा सिरोही के विलीनीकरण द्वारा वृहत् राजस्थान को एकीकृत बनाने की योजना सम्पन्न हुई। परन्तु सांविधानिक विकास की शिथिल कथा में इन संस्थाओं के प्रारम्भिक महत्व को नहीं नकारा जा सकता। यथा बासवाड़ा की राज्य परिषद् (1939), भरतपुर की बृज्ज्य प्रतिनिधि सभा (1942), बीकानेर की प्रतिनिधि सभा (1912), बूँदी की धारा सभा (1940), डूँगरपुर की विधानसभा (1936), जयपुर की व्यवस्थापन कमेटी (1932), सांविधानिक सुधार समिति (1942), एवं व्यवस्थापिका (1946), जोधपुर की प्रतिनिधि सभा (1946–47), कोटा की संविधान निर्मात्री सभा (1946), टोंक की मजलीस आम (1941), तथा उदयपुर की मेवाड राज्य परिषद् (1941) राजस्थान की रियासतों के ऐतिहासिक सिंहावलोकन की भूमिका के रूप में उल्लेखित की जा सकती है।

स्मरणीय है कि इन सभी प्रारंम्भिक संस्थागत प्रयासों में विभिन्न अवरोधात्मक तत्त्व विद्यमान थे। यथा जन प्रतिनिधित्व सिद्धान्त एवं प्रक्रिया का उल्लंघन, जनता की उपेक्षा, व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर स्वस्थ नियंत्रण की अपेक्षा सामंती एकाधिकार, राज्य के प्रयोजनों एवं मंतव्यों में जनहितकारी कार्यो एवं जनता की साझेदारी का अभाव, मनोनीत तत्वों का आधिक्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के युग में उपयुक्त तत्व उन प्रवृतिया के प्रतीक कहे जा सकते हैं जो लोकहित, प्रतिनीधि तंत्र एवं उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था के किसी भी प्रयास को असफल करने में व्यस्त थी। फलस्वरूप भूतपूर्व रियासतसें में यद्यपि तथाकथित प्रतिनिधि/विधानसभाओं की स्थापना तो अवश्य हो गई, परन्तु संगठन शक्तियों एव प्रकिया के सृजन एवं प्रभावी तत्वों के अभाव में ऐसे सभी प्रयास केवल औपचारिकता कहे जा सकते हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजस्थान के इतिहास में राजनीतिक एकाधिकार एवं सामन्तवादी वर्चस्व के कारण सामाजिक–आर्थिक विकास की गति भी अवरूद्ध रही। जनमत–निमाण एवं लोकतांत्रिक प्रवृतियों के उदय एवं विकास की अपेक्षाओं को व्यवस्थाओं के अन्तर्निहित अवरोध तत्वों के सम्मुख केवल अति–सीमित सफलता प्राप्त हो सकी। प्रतिनिधि तंत्र के स्थान पर मनोनित संस्थाओं की प्राथमिकताओं को स्थायित्व दिया गया। स्वायत एवं स्वचालित संस्थाओं के अभाव में लोकपक्ष उभर नहीं सका। सुधार एवं विकास कार्य जहाँ किये गए, वे केवल आवरणवादी सिद्ध हुए। वृहत् राजस्थान की स्थापना से पूर्व की स्थापना में जन प्रभावी संस्थाओं एवं प्रकियाओं का संवर्धन नहीं हो सका।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अन्य प्रान्तों की भाँति राजस्थान में भी पूर्व लोकतांत्रिक आधार पर 'विधान मण्डल' का गठन किया गया। लेकिन पूर्व ब्रिटिश प्रान्तों के विपरीत विधान मण्डल एक सदनीय बनाया गया। इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था की इस प्रतिकृति के अन्तर्गत विधानसभा को ही कार्यपालिका पर नियंत्रण के उपयुक्त समझा गया।

यद्यपि 1949 में राजस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापना की जा चुकी थी परन्तु 1949 से 1952 तक अंतरिम शासन बना रहा। अतः 1952 में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव के पश्चात् ही प्रतिनिधि सरकार का गठन हुआ एवं विधानसभा में सत्तापक्ष दल दिखायी दिये।

प्रथम राज्य विधानसभा निर्वाचन एवं प्रतिपक्ष (1952)

राज्य विधानसभा के लिए 1952 में हुआ प्रथम आम चुनाव राजस्थान के मतदाताओं के लिए 'प्रथम' अवसर था। प्रान्त में शासन व्यवस्था की सामन्ती पृष्ठभूमि में राजस्थान का वातावरण सामन्तवाद से ग्रस्त था, परिणामस्वरूप राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति व्यापक जागरूकता का अभाव ही देखा गया।

प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन राजस्थान की 160 विधान सभा स्थानों से हुआ। इन 160 स्थानों में से 130 (86.8 प्रतिशत) स्थान सामान्य क्षेत्र से 16 (10.0) स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थ एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 (3.1) प्रतिशत स्थान आरक्षित थे।

प्रथम राज्य विधानसभा में काँग्रेस 92 (52.00) प्रतिशत स्थान प्राप्त करके सत्तारूढ़ दल बना जब कि विभिन्न प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों को 78 (48.00 प्रतिशत) स्थान ही प्राप्त हो सके। जिनमें रामराज्य परिषद्, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, प्रमुख विपक्षी दलों के रूप में उभरकर आए।

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 1952 के आम चुनाव मे सत्तारूढ़ हुई भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सिर्फ 40.09 प्रतिशत मत प्राप्त करने के बाद भी सदन के 82 (52.00 प्रतिशत) स्थानों पर विजयी हुई। जबकि गैर काँग्रेसी दलों को 59.91 प्रतिशत वोट अर्थात काँग्रेस से 19.9 प्रतिशत अधिक मत मिलने के बाद भी सदन में सिर्फ 78 (48.00 प्रतिशत) स्थान ही प्राप्त हो सके।

यह विश्लेषण इस तथ्य का संकेत था कि काँग्रेस का गैर काँग्रेस दलों के विभाजन का लाभ मिला है जबकि वह आधे से भी कम मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है। प्रथम आमचुनाव से ही गैर काँग्रेसी दलों को जनता–जनार्दन के मध्य 'विभाजित प्रतिपक्ष' की जो छवि बनी वह दसवीं विधानसभा तक स्पष्टतः बनी रही।

राज्य विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में काँग्रेस सरकार बनाने की इच्छा से सम्मिलित हुई। 160 स्थानों के लिए 156 (97.5 प्रतिशत) स्थानों पर उसके प्रत्याशियों ने चुनावी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उनमें से उसे 82 (52.0 प्रतिशत) स्थानों पर विजय मिली। गैर काँग्रेसी दलों में किसी ने भो सरकार बनाने की इच्छा से चुनाव नहीं लड़ा। न ही गर काँग्रेसी राजनीतिक दलों ने काँग्रेस के विरूद्ध ध्रुवीकरण करके चुनाव लड़ा।

1952 के विधानसभा आम चुनाव में काँग्रेस के 156 (97.5 प्रतिशत) स्थानों पर चुनाव लड़ने के मुकाबले गैर काँग्रेसी दलों में जनसंघ के सर्वाधिक 65 (40 प्रतिशत) प्रत्याशी ही चुनाव प्रतियोगिता में थे, इनमें से सिर्फ 11 (6.8 प्रतिशत) स्थानों पर ही विजय प्राप्त हो सकी। इसी प्रकार सोशलिस्ट पार्टी के 54 (33.75 प्रतिशत) प्रत्याशी चुनाव प्रतियोगिता में थे। लेकिन उसे कुल मतों के 3.99 प्रतिशत वोट मिलने पर भी उसका 2 (0.6 प्रतिशत) प्रत्याशी चुनाव जीता। कम्युनिस्ट पार्टी ने 13 (8.12 प्रतिशत) स्थानों पर अपने प्रत्याशियों को अनुमति प्रदान की, उन्हें 0.59 प्रतिशत वोट भी मिले परन्तु उसका कोई उम्मीदवार चुनाव में विजयी नहीं हो सका।

तालिका संख्या – 2.1

राजस्थान विधानसभा के प्रथम निर्वाचित (1952) में प्रतिपक्ष की दलीय स्थिति[20]

कम संख्या	प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
1	जनसंघ	11	6	6.41
2	प्रजा सोशलिस्ट पार्टी	02	1	4.41
3	रामराज्य परिषद	24	15	11.54
5	निर्दलीय एवं अन्य	41	26	37.55

स्रोत :– (क) (प्रथम आम निर्वाचन की रपट पर आधारित , भारत सरकार खण्ड–1, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1952, 18).

विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में रामराज्य परिषद् (आर.आर.पी.) सदन में सबसे बड़े प्रतिपक्षी राजनीतिक दल के रूप में उभरकर आयी। सदन में इसके 24 (15.0 प्रतिशत) सदस्य थे। चुनाव में उसके 59 (36.8 प्रतिशत) प्रत्याशियों को 11.44 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। हिन्दू महासभा के सदन में 2 (1.2 प्रतिशत) सदस्य थे। किसान मजदूर प्रजा पार्टी (के.एम.पी.पी) का 1(0.6प्रतिशत) सदस्य, पुरूषार्थी परिषद् के 3 (1.8 प्रतिशत) सदस्य तथा 39 (24.3 प्रतिशत) सदस्य निर्दलीय थे। चुनाव 308 निर्दलीय प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया फलस्वरूप उन्हें 28.05 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। चूँकि निर्दलीय सदस्यों की सार्वजनिक रूप से कोई राजनीतिक सम्बद्धता नहीं होती। अतः कहा जा सकता है कि प्रथम विधानसभा में आर.आर.पी. एवं निर्दलीय सदस्य संख्यात्मक दृष्टि से सशक्त रूप में उभरकर सामने आए।

तालिका संख्या – 2.2

प्रतिपक्ष एवं सत्तारूढ़ काँग्रेस की तुलनात्मक स्थिति[21]

प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
प्रतिपक्ष	**78**	**48**	**59.91**
काँगस सत्तारूढ़	**82**	**52**	**40.09**
कुल	**160**	**100**	**100**

स्रोत :– (ख) प्रथम आम निर्वाचन की रपट पर आधारित , भारत सरकार खण्ड–1, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1952, 18).

द्वितीय राजस्थान विधानसभा निर्वाचन एवं विपक्षी दल

द्वितीय राज्य विधानसभा में अजमेर एवं राजस्थान पान्त से बने संयुक्त राजस्थान के 176 विधानसभाई स्थानें के लिए आम चुनाव हुए। इस चुनाव में भी 27 स्थानों पर द्वि–सदनीय निर्वाचन हुआ। इन 27 स्थानों पर दो–दो सदस्यों में एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं एक सदस्य सामान्य वर्ग से निर्वाचित घोषित किया गया।

द्वितीय विधानसभा के 176 स्थानों में 128 (72.2 प्रतिशत) स्थान सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए तथा 28 (15.9 प्रतिशत) स्थान अनुसूचित जाति एवं 20 (11.3 प्रतिशत) स्थान अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित थे।

प्रथम विधानसभा चुनाव की तुलना में प्रतिपक्ष इस बार अधिक कमजोर रहा। विभिन्न गैर काँग्रेसी दलों को 57 (32.4 प्रतिशत) स्थान मिले जबकि काँग्रेस और अधिक सुदृढ़ स्थिति में उभरकर आयी, उसे 119 (67.7 प्रतिशत) स्थान प्राप्त हुए। इस प्रकार द्वितीय विधानसभा चुनाव (1957) में कांग्रेस ही सत्तारूढ़ हुई। प्रथम विधानसभा चुनाव की भाँति द्वितीय चुनाव में भी विभिन्न प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों को काँग्रेस के मुकाबले ज्यादा मत प्राप्त हुए। 1952 में काँग्रेस को 40.09 प्रतिशत एवं गैर काँग्रेसी दलों को 59.91 प्रतिशत मत मिले थे, जब कि 1957 में काँग्रेस को 42.2 एवं प्रतिपक्ष 54.8 प्रतिशत मत मिले। उल्लेखनीय है कि प्रथम चुनाव की भाँति इस निर्वाचन से भी गैर कांग्रेसी सदस्य ज्यादा मत प्राप्त करने के बावजूद कम स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। कहा जा सकता है कि प्रतिपक्ष को प्राप्त होने वाले मत निश्चय ही काँग्रेस से अधिक है, परन्तु 'विभाजन संस्कृति' के कारण गैर काँग्रेसी दल सत्ता से वंचित ही रहे।

राजस्थान विधानसभा के द्वितीय आम चुनाव (1952) में काँग्रेसी सभी 176 (100 प्रतिशत) स्थानों पर अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रतियोगिता मे थी। इस चुनाव में गैर कांग्रेसी दलों के मध्य कोई चुनावी समझौता नहीं हुआ, न ही ऐसे प्रयास किये गये। प्रतिपक्ष की और से राम राज्य परिषद् ने सर्वाधिक 57 (32.3 प्रतिशत) स्थानों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया। इस बार उसे 17 (9.7 प्रतिशत) स्थानो पर विजय मिली। जनसंघ के 47 (26.7 प्रतिशत) स्थानों पर अपने उम्मीदवार निर्वाचन प्रतियोगिता में थे, जिनमें 6 (3.4 प्रतिशत) स्थानों पर उसे सफलता मिली। जनसंघ को केवल 5 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। प्रजा समाजवादी पाटी को 25 (14.2 प्रतिशत) में से मात्र 1 (0.6 प्रतिशत) स्थानों पर विजय मिली। उसे 2.4 प्रतिशत वोट मिले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 23 (13.0 प्रतिशत) में से 1 (0.6 प्रतिशत) स्थान मिला, उसे 3.0 प्रतिशत वोट मिले। राज्य विधानसभा में साम्यवादी दल का यह प्रथम प्रतिनिधित्व था। 1957 के चुनाव में 325 (184.6 प्रतिशत) निर्दलीय में से 32 (18.1 पतिशत) को विजय मिली। निर्दलीय प्रत्याशियों को कुल 34.1 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि (1) द्वितीय विधानसभा चुनाव (1957) में प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों की लोकप्रियता कम हुई, उन्हें प्रथम विधानसभा की तुलना में कम वोट प्राप्त हुए, जब कि काँग्रेस के वोट एवं स्थानों में वृद्धि हुई, (2) कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने एक स्थान पर विजय प्राप्त कर विधानसभा में प्रतीकात्मक रूप से अपनी उपस्थिति अंकित की।

तालिका संख्या –2.3

राजस्थान विधानसभा के द्वितीय आम चुनाव (1957) में प्रतिपक्ष की दलीय स्थिति[22]

कम संख्या	प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
1	जनसंघ	06	3.4	5.5
2	प्रजा समाजवादी पार्टी	01	0.6	2.4
3	रामराज्य परिषद	17	9.7	9.8
4	भाकपा	01	0.6	3.0
5	निर्दलीय एवं अन्य	32	18.1	34.1

स्रोत :– (क) (दूसरे आम निर्वाचन की रपट पर आधारित , भारत सरकार खंड–2,नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1957, 18.)

तालिका संख्या – 2.4

प्रतिपक्ष एवं सत्तारूढ़ काँग्रेस की तुलनात्मक स्थिति[23]

प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
प्रतिपक्ष	57	32.04	54.8
काँग्रेस सत्तारूढ़	119	67.06	45.2
कुल	176	100	100

स्रोत :–(ख) (दूसरे आम निर्वाचन की रपट पर आधारित , भारत सरकार खंड–2,नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1957, 18.)

प्रथम विधानसभा चुनाव की तुलना में कम वोट प्राप्त हुए, जब कि काँग्रेस के वोट एवं स्थानों में वृद्वि हुई तथा कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने एक स्थान पर विजय प्राप्त कर विधानसभा सदन में प्रतीकात्मक रूप से अपनी उपस्थिति अंकित की।

तृतीय राज्य विधानसभा निर्वाचन एवं प्रतिपक्ष (1962)

लोकतंत्र के सफल संचालन के कम में अन्य संघीय इकाइयों तथा लोकसभा की भाँति राजस्थान में भी 1962 में विधानसभा के चुनाव सम्पन्न हुए। इस अवसर पर नेहरू का चमत्कारिक व्यक्तित्व शीर्ष पर होते हुए भी जनता काँगस की नीतियां एवं कार्यकमों के बारे में असन्तुष्ट बनी हुई थी परिणामस्वरूप इस चुनाव में काँग्रेस को प्राप्त मतों एवं स्थानों में कमी दिखाई दी। फिर भी चुनाव के पश्चात् भी विपक्ष के बिखराव कारण कांग्रेस 50 प्रतिशत स्थान प्राप्त करने के बाद भी सत्ता में बनी रही तथा गैर काँग्रेसी दलों को आधे से अधिक मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हाते हुए भी पुनः सत्ता से वंचित रहना पड़ा।

उपलब्ध आकड़ों के आधार पर निर्मित 3.3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल अधिकांशतः वही दल थे जैसे जनसंघ, रामराज्य परिषद्, एवं स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी ने प्रथम बार निर्वाचन में हिस्सा लिया और राज्य में सबसे बड़े प्रतिपक्षी दल के रूप में उभरकर आयी।

तृतीय विधानसभा में संयुक्त विपक्ष संख्यात्मक दृष्टि से काफी सशक्त था। सदन में उसके भी 88 (50.0 प्रतिशत) सदस्य थे। परन्तु वचारिक भिन्नताओं के कारण वे विभाजित ही रहे।

1962 के चुनाव में काँग्रेस की स्थिति काफी कमजोर रही। उसने 40 प्रतिशत मत प्राप्त कर सदन में 50 प्रतिशत स्थान पाए जब कि प्रतिपक्ष को 60 प्रतिशत वोट मिले फिर भी सदन में 50 प्रतिशत स्थान ही प्राप्त हुए।

स्वतंत्र पार्टी ने राज्य मे पहली बार चुनाव में भाग लिया तथा उसे सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ। पहले चुनाव में ही स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जानी लगी। स्वतंत्र पार्टी ने 93 स्थानों पर चुनाव में हिस्सा लिया तथा 17.11 प्रतिशत वोट प्राप्त कर 36 (20.5 प्रतिशत) स्थानों पर विजय प्राप्त को। जनसंघ को स्थिति में काफी सुधार हुआ। 1957 में सदन में उसके सिर्फ 6 सदस्य थे, इस बार उसने 9.14 प्रतिशत वोट प्राप्त कर अपने 15 सदस्यों को सदन में पहुँचाया।

इस चुनाव में कांग्रेस का प्रर्दशन काफी निराशाजनक रहा। उसे पिछले आम चुनाव की तुलना में कम वोट मिल। विपक्षी मतों के विभाजन के कारण ही काँग्रेस प्राप्त मतों के अनुपात में ज्यादा स्थानों पर जीत सकी। जयपुर, झुंझूनू, टोंक, तथा सवाई माधोपुर जिलों में स्वतंत्र पार्टी ने काँग्रेस के वर्चस्व को तोड़ा। जयपुर एवं टोंक जिलों में ता काँग्रेस को बड़ा आघात लगा। उसे जयपुर जिले के 17 स्थानों में से सिर्फ 2 स्थानों पर ही विजय मिली। यही स्थिति टोंक में रही। जयपुर शहर में उसे एक भी स्थान पर जीत नहीं मिली, हाँलाकि यहाँ पारम्परिक एवं साम्प्रदायिक कारण उसके पक्ष में था। उसकी इस असफलता में एक प्रमुख तथ्य काँग्रेस में अंदरूनी असन्तुष्टीकरण भी था। तीसरे आम चुनाव में उसे विशेष बहुमत नहीं मिला फिर भी वह सरकार बनाने में सक्षम थी। कोटा एवं बीकानेर संभाग में भी काँग्रेस अच्छी स्थिति में नहीं रही। कोटा संभाग में उसे 15 में से 8 स्थान तथा बीकानेर में 17 में से सिर्फ 6 स्थान ही प्राप्त हो सके।

प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों की स्थिति तीसरे विधानसभा चुनावों में पूर्व की दो विधानसभों की तुलना में काफी मजबूत रही। उसके साथ सदन के 50 प्रतिशत सदस्य थे। स्वतंत्र पार्टी प्रतिपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।

तृतीय विधानसभा चुनाव में गैर काँग्रेसी दलों को 88 (50.0 प्रतिशत) स्थान मिले। सदन में स्वतंत्र पार्टी के 36 (20.5 प्रतिशत) सदस्य थे। जनसंघ दूसरी पार्टी रही उसे 15 (8.5 प्रतिशत) स्थान मिले। प्रजा समाजवादी पार्टी के 2 (102 प्रतिशत) सदस्य, रामराज्य परिषद् के 3 (1.8 प्रतिशत) सदस्य, भाकपा के 5(2.5 प्रतिशत) सदस्य, सोशलिस्ट पार्टी के 5 (2.5 प्रतिशत) तथा निर्दलीय व अन्य के 22 (13.0 प्रतिशत) सदस्य सदन में थे।

1962 में संभ्रान्त राजपूतों की राजनीति के प्रति रूचि आर स्पष्ट हो गई। पूर्व में बड़ी संख्या में राजपूत सदस्य जोधपुर संभाग से जीतकर आए थे, उन्होने अपनी राजनीति का

केन्द्र जयपुर को बनाया। जयपुर में महारानी गायत्री देवी ने उन्हें नेतृत्व प्रदान किया तथा स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। इस प्रकार राजस्थान में पहली बार एक नवीन दक्षिणपंथी राजनीतिक दल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपने पहले चुनाव में ही राष्ट्रोय ख्याति अर्जित कर ली।

तालिका संख्या – 2.5

राजस्थान विधानसभा के तृतीय चुनाव (1962) में प्रतिपक्ष की दलीय स्थिति[24]

कम संख्या	प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
1	स्वंतत्र पार्टी	36	20.5	17.2
2	जनसंघ	15	8.5	9.2
3	रामराज्य परिषद	03	1.8	2.0
4	भाकपा	05	2.5	5.4
5	सोशलिस्ट पार्टी	02	1.2	1.5
6	प्रजा समाजवादी पार्टी	05	2.5	3.7
7	निर्दलीय एवं अन्य	22	13.0	21.0

स्रोत :– (क) तीसरे भाग निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खंड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1962, 19)

तालिका संख्या – 2.6

प्रतिपक्ष एवं सत्तारूढ़ काँग्रेस की तुलनात्मक स्थिति[25]

प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
प्रतिपक्ष	88	50.0	60.0
काँग्रेस सत्तारूढ़	88	50.0	40.0
कुल	176	100	100

स्रोत :– (ख) तीसरे भाग निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खंड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1962, 19)

यद्यपि विपक्ष संख्यात्मक दृष्टि से तीसरी विधानसभा म सशक्त स्थिति में था, किन्तु सत्तापक्ष के विरूद्ध सदन में संगठित राजनीति के अभाव के कारण वह सत्तापक्ष के लिए विशेष समस्याएं नहीं उत्पन्न कर सका। स्वतंत्र पार्टी के साथ जनसंघ के उदारवादी ग्रुप ने सामंजस्य बनाने का अवश्य प्रयत्न किया। संख्यात्मक दृष्टि से सशक्त प्रतिपक्ष को सत्तापक्ष कॉंग्रेस ने सदन में असहाय एवं विभाजित बनाए रखा।

निष्कर्ष के रूप में निम्न तथ्य उभरकर आए–प्रथम, राज्य में प्रतिपक्ष प्रथम बार सशक्त रूप में उभरकर आया। द्वितीय, राज्य में दो क्षत्रीय दलों का गठन हुआ। तृतीय, जनसंघ के उदारवादी धड़े के सदस्यों द्वारा स्वतंत्र पार्टी के साथ तालमेल का प्रयास हुआ। चतुर्थ, पाँचवा, राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर प्रतिपक्षी दलो की सुगबुगाहट शुरू हुई तथा पहली बार गैर–कॉंग्रेसी वातावरण का निर्माण प्रारम्भ हुआ।

चतुर्थ विधानसभा निर्वाचन एवं विपक्षी दल (1967)

भारतीय संसदीय लोकतंत्र में यह तथ्य स्थापित हा रहा है कि यहाँ अल्पमत सरकारें सम्पूर्ण राष्ट्र पर शासन करती हैं। तद्नुसार राजस्थान म भी चतुर्थ विधानसभा चुनाव में इस धारणा की पुष्टि हुई। सिर्फ 58.12 प्रतिशत मतो में 41.44 प्रतिशत वोट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल सत्तारूढ़ (कॉंग्रेस) हुआ।

चतुर्थ विधानसभा आम चुनाव के लिए 15.18 एवं 20 फरवरी, 1967 को मतदान सम्पन्न हुआ। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार मतदाताओं को संख्या में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस चुनाव में सिर्फ 58.12 प्रतिशत मतदाताओं ने ही अपने मत का प्रयोग किया।

कांग्रेस अपने अंदरूनी असंतोष एवं प्रतिपक्ष के गैर–कॉंग्रेसवादी वातावरण के कारण इस चुनाव में अल्पमत में रही। उसे 184 स्थानों में स सिर्फ 89 (48.4 प्रतिशत) स्थान ही प्राप्त हो सके जबकि गैर कॉंग्रेस राजनीतिक दलों को इस बार आशाओं से कहीं ज्यादा 95 (51.6 प्रतिशत) स्थान प्राप्त हुए।

तृतीय विधानसभा के मुकाबले इस बार राज्यों में 8 निर्वाचन स्थान बढ़ाकर 176 में से 184 किए गए। इनमें स्वतंत्र पार्टी को सर्वाधिक 49 (26.6 प्रतिशत) स्थान मिले। उसके 108 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिन्हें 22.46 प्रतिशत मत मिले। स्वतंत्र पार्टी की इस सफलता से उत्तर भारत के गैर कॉंग्रेसी दलों को नेतृत्व दिखाइ। देने लगा। इस चुनाव में जनसंघ ने 63 प्रत्याशी खड़े किए जिन्हें 11.61 प्रतिशत वोट मिले तथा उसके 22 (12.0 प्रतिशत) सदस्य सदन में आए। पिछले चुनावों क मुकाबले इस बार भी जनसंघ की लोकप्रियता में वृद्धि के संकेत मिला। जनसंघ को 1952 में 6.35 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए तथा उसके 11 सदस्य सदन में थे। 1957 में जनसंघ अपने आप को स्थिर नहीं रख

सका और 5.55 प्रतिशत वोटों से उसके 6 प्रत्याशी सदन में आए। लेकिन 1962 में जनसंघ को न केवल वोट अधिक मिले बल्कि उसकी सदस्य संख्या में भो वृद्वि हुई। 1962 में उसे 9.14 प्रतिशत वोट एवं 15 सदस्य विजय हुए और 1967 में उसके 22 सदस्य विधानसभा के सदस्य बन पाए। चतुर्थ आम चुनाव में ही सोशलिस्ट पार्टी के 8 (4.3 प्रतिशत) सदस्य 4.76 प्रतिशत मतों के आधार पर सदन में आए। माकपा ने 22 स्थानों पर चुनाव लड़ा, उसे 1.18 प्रतिशत वोट मिले परन्तु उसका कोई सदस्य सफल नहीं हो पाया। भाकपा ने 20 स्थानों से चुनाव लड़ा तथा 0.97 प्रतिशत वोट प्राप्त किए तथा 01 सदस्य को सदन में पहुँचाया। इस चुनाव में सर्वाधिक निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचन के लिए मुकाबला कर रहे थे। 436 निर्दलीय प्रत्याशीयों में से 15(8.1 प्रतिशत) ही जीत सके, उन्होंने कुल 16.55 प्रतिशत वोट प्राप्त किए।

तालिका संख्या –2.7

राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ आम चुनाव (1967) में प्रतिपक्ष की दलीय स्थिति[26]

कम संख्या	प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
1	स्वंतत्र पार्टी	49	26.07	22.46
2	जनसंघ	22	12.0	11.61
3	सोशलिस्ट पार्टी	08	4.3	4.76
4	माकपा	–	–	1.15
5	भाकपा	01	0.5	0.95
6	प्रजा समाजवादी पार्टी	–	–	0.81
7	रिपब्लिकन	–	–	0.61
8	निर्दलीय एवं अन्य	15	8.15	16.66

स्रोत :– (क) चतुर्थ आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खंड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1967, 19.)

तालिका संख्या – 2.8

प्रतिपक्ष व कॉंग्रेस की तुलनात्मक स्थिति (1967)[27]

प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
प्रतिपक्ष	95	51.06	58.56
कांग्रेस सत्तारूढ़	89	48.04	41.44
कुल	184	100	100

स्रोत :– (चतुर्थ आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खंड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1967, 19.)

विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वतंत्र पार्टी ने अपनी पूर्व की स्थिति में सुधार किया, उसे तृतीय विधानसभा चुनाव में प्राप्त हुए 36 के स्थान पर उसे इस बार 49 स्थान प्राप्त हुए।

समाजवादी दल (एस. एस. पी.) ने अपनी स्थिति को सुधारा परन्तु प्रजा समाजवादी दल (पी. एस. पी.) पूर्णतः धराशायी हो गया। एस. एस. पी. के चार परम्परागत समाजवादी प्रत्याशी भी भरतपुर एवं अलवर राजघरानों की सहायता से विजयी हो पाए। सदन में माकपा का प्रतीक के रूप मे कोई सदस्य नहीं था, जब कि भाकपा का एक सदस्य अलवर शहर से विजयी होकर सदन मे पहुँचा। प्रतिपक्ष ने कोटा एवं जयपुर संभाग में सत्तारूढ़ कॉंग्रेस को भारी चुनौती प्रस्तुत की। जयपुर संभाग में कॉंग्रेस दल को 74 में से 27 स्थान ही प्राप्त हुए, जबकि यहाँ स्वतंत्र दल को 28 स्थान प्राप्त हुए थे। कॉंग्रेस की स्थिति बीकानेर एवं उदयपुर संभाग मे अच्छी रही, वहाँ उसे क्रमशः 19 में से 13 एवं 36 में से 30 स्थान प्राप्त हुए, जिसस सदन में उसकी सम्मानजनक स्थिति बनी। कहा जा सकता है कि उदयपुर, कोटा एवं जयपुर जिलों में कॉंग्रेस, स्वतंत्र एवं जनसंघ का वर्चस्व रहा है।

स्वतंत्रता पूर्व के शासक 1967 तक कॉंग्रेस के विरूद्ध न केवल एकजुट होने लगे बल्कि वे विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य भी सामंजस्य बनाने का प्रयास करने लगे, जिससे कि प्रतिपक्ष का वोट विभाजित न हो तथा कॉंग्रेस को सत्ताच्युत किया जा सके। जनसंघ, स्वतंत्र दल, जनता एवं दक्षिणपंथी दलों को मिलाकर झालावाड़ के पूर्व नरेश हरीशचन्द्र एवं कुंभाराम आर्य ने 'जनता पार्टी' का गठन किया। इससे पूर्व महाराज हरीशचन्द्र एवं कुम्भाराम आर्य को कॉंग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होनें पार्टी में रहते हुए श्री मोहन लाल सुखाड़िया का विरोध किया था। प्रतिपक्ष को केन्द्रीकृत करने के बावजूद भी पूर्व शासक अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो सके, क्योंकि कॉंग्रेस

(मुख्यतः श्री मोहन लाल सुखाड़िया) ने असमजंस की स्थिति ला दी और एक बार फिर कॉंग्रेस दल को जागीरदारों एवं जमींदारों के साथ तालमेल बैठाना पड़ा। उधर अमीनुद्दीन (लुहारू के नवाब), नारायण सिंह मसूदा (जागीरदार), को श्री सुखाड़िया ने केबिनेट में शामिल करने तथा खेत सिंह एवं राव धीरसिंह (दोनों जमींदार) को उपमंत्री पद पर प्रस्ताव दिया।

22 फरवरी 1967 को जनसंघ के दो शीर्ष नेताआ भैरोंसिह शेखावत एवं सतीश चन्द्र अग्रवाल ने स्वतंत्र दल की आलाकमान महारानी गायत्री देवी के साथ जयपुर में प्रतिपक्षी दलों के (एस.एस.पी.) के तीन प्रमुख विधायकों से भी इस विषय पर विचार–विमर्श हुआ। परन्तु प्रतिपक्षी दलों का एक संयुक्त गठबंधन नहीं हो सका। व अलग–अलग दो गठबन्धनों में विभाजित थे। एक में स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और जनता पार्टी का गठबंधन था तो दूसरे में वामपंथी एस.एस.पी., पी.एस.पी., सी.पी.आई. व सी.पी.आई. (मार्क्सवादी) दल के सदस्य थे। इन दोनों गैर कॉंग्रेस गठबंधनों का जन्म कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने एवं वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए हुआ था, परन्तु ये दोनों ही एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप करने लगे। दोनों ही गैर कॉंग्रेसी गठबंधन अपने साथ बहुमत होने का दावा करने लगे तथा उन्होंने राज्य के राज्यपाल एवं भारत के राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का पृथक–पृथक प्रस्ताव किया।

तत्कालीन राज्यपाल सम्पूर्णानन्द ने इसके प्रस्ताव को निम्न आधारों पर अस्वीकार कर दिया (1) सदन में कॉंग्रेस ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर आयी है, (2) दोनों गैर कॉंग्रेसी गठबंधन एक दूसरे पर न केवल आरोप–प्रत्यारोपित कर रहे हैं, बल्कि इन विधायकों के नाम दोनों ही गठबंधनों की सूची में था। अवसर मिलने वाले के साथ जाने की उनकी संभावना थी। (3) संयुक्त प्रतिपक्ष बिना किसी वैचारिक समता के अस्पष्ट नजर आ रहा था। प्रतिपक्षी गठबंधनों के इस विवाद के चलते राज्यपाल ने अन्ततः श्री मोहन लाल सुखाड़िया को सरकार बनाने का प्रस्ताव किया।

1967 के उत्तरार्द्ध में राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा और सुखाड़िया ने सरकार का गठन किया। चूंकि उनके प्रतिद्वन्द्वी कुभांराम आर्य सरकार से बाहर कर दिये गये थे। अतः अब कॉंग्रेस संगठन एवं सरकार में मोहन लाल सुखाड़िया हो शक्ति के केन्द्र बन गये। उधर राष्ट्रोय राजनीति में केन्द्र में भी कॉंग्रेस काफी कमजोर थी, करीब आधे प्रान्तों में गैर–कॉंग्रेसी सरकारों का गठन हो चुका था, इन सबसे ऊपर कॉंग्रेस को राष्ट्रपति चुनाव अपना प्रत्याशी विजयी बनाना था। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री सुखाड़िया ने श्रीमती इन्दिरा गाधी द्वारा समर्थित प्रत्याशी वी. वी. गिरी का विरोध तथा भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के प्रत्याशी डा. नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन किया। सुखाड़िया को इसका परिणाम शायद अपेक्षित नहीं था, उसे मुख्यमंत्री पद से हटाकर 1971 में बरकतंउल्ला खॉं को मुख्यमंत्री बना दिया गया।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रान्तीय स्तर पर पतिपक्ष ने पहली बार काँग्रेस को चुनौती दी, हालांकि जोड़–तोड़ एवं लालच के चलते गैर काँग्रेसी सरकार नहीं बन सकी, फिर भी प्रतिपक्ष वैकल्पिक सरकार देने की स्थिति तक आ पहुँचा था।

पंचम विधानसभा निर्वाचन (1972) एवं विपक्षी दल

चतुर्थ विधान सभा के उत्तरार्द्ध काल में प्रतिपक्ष काफी सक्रिय रहा। अतः पांचवें विधान सभा चुनाव में उसे अपेक्षा से कहीं ज्यादा सफलता प्राप्त होने की आशा थी। काँग्रेस में अंदरूनी विवाद एवं असन्तुष्ट गतिविधियाँ इतनी मुखर थी कि पार्टी कार्यकर्ता भी काँग्रेस के विरूद्ध प्रचार करने लगे। इस स्थिति में प्रदेश काँग्रेस नेतृत्व पूर्णतः श्रीमती इन्दिरा गाँधी के करिश्मे से कमजोर थी, करीब आधे प्रांतों में गैर–काँग्रेसी सरकारों का गठन हो चुका था, इन सबके ऊपर काँग्रेस को राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी विजय बनाना था। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान क मुख्यमंत्री सुखाड़िया ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा समर्थित प्रत्त्याशी वी. वी. गिरि का विरोध तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन किया। सुखाड़िया को इसका परिणाम शायद अपेक्षित नहीं था, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर 1971 में बरकतउल्ला खाँ को मुख्यमंत्री बना दिया गया।

इस स्थिति में प्रदेश काँग्रेस नेतृत्व पूर्णतः श्रीमती गाँधी के करिश्मे एवं राजनीतिक चमत्कार पर निर्भर रहने लगा, अन्ततः काँग्रेस 1972 में फिर सत्तारूढ़ हुई। प्रतिपक्ष और उससे वैचारिक सहमति रखने वालों को काफी निराशा हुई, क्योंकि उसे इस बार सिर्फ 39 (21.2 प्रतिशत) स्थानों पर ही सफलता मिल सकी।

काँग्रेस को निरकुंश शासन करने लायक बहुमत प्राप्त हुआ, उसके 145 (78.0 प्रतिशत) सदस्य सदन में पहुंचे थे। प्रतिपक्ष एवं काँग्रेस के प्राप्त स्थानों में इतना बड़ा अन्तर होने के बावजूद वोटों में ज्यादा अन्तर नहीं था। प्रतिपक्ष को 48.86 प्रतिशत तथ काँग्रेस को 51.4 प्रतिशत वोट मिले। काँग्रेस व प्रतिपक्ष से प्राप्त मतों में इतना कम अन्तर होने पर भी दोनों को प्राप्त स्थानों में 106 का अन्तर रहा।

पाँचवी राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव 1972 मे सम्पन्न हुए। काँग्रेस को 184 में से 145 (78 प्रतिशत) स्थान मिले। पारम्परिक रूप से कोटा संभाग को जनसंघ का गढ़ समझा जाता रहा है। फिर भी केवल कोटा संभाग से जहाँ 1967 में उनके सिर्फ 2 स्थान थे, इस बार उसे 16 स्थान प्राप्त हुए। उदयपुर एवं जयपुर राजघराने भी इस बार काँग्रेस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सके। जयपुर संभाग में काँग्रेस को 49 प्रतिशत स्थान मिले, जबकि स्वतंत्र दल को सिर्फ 8 स्थानों से ही संतोष करना पड़ा। 1967 में यहा स्वतंत्र दल के 28 सदस्य थे। महारानी गायत्री देवी की राजनीतिक निष्क्रियता स्वतंत्र दल के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई तथा यह दल पूर्णतः असफल हो गया। इस दल

की असफलता के दो कारण रहे–(1) स्वतंत्र दल में पार्टी नेतृत्व को लेकर विवाद उठा हुआ था, (2) स्वतंत्र दल ने पूर्व की दो विधानसभाओं में सशक्त रहते हुए भी न तो सगंठन प्रारूप ही बनाया बल्कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भी तैयार नहीं किया। उदयपुर के महाराणा भगवत सिंह ने तो प्रतिपक्ष के विरूद्ध कार्य किया। उदयपुर संभाग से 1972 में काँग्रेस को 36 में से 26 स्थान प्राप्त हुए, जबकि स्वतंत्र दल एवं जनसंघ को यहाँ सिर्फ एक–एक स्थान से ही संतोष करना पड़ा।

बांग्ला देश के युद्ध की पृष्ठभूमि में हुए इस चुनाव में प्रतिपक्ष ने एक बार फिर स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। उसे 184 में से 11 (6.0 प्रतिशत) स्थान मिले। प्रतिपक्ष में दूसरी बड़ी पार्टी जनसंघ को 8 (4.3 प्रतिशत) स्थान प्राप्त हुए। सोशलिस्ट प्रत्याशी तथा भाकपा को 4–4 (2.17 प्रतिशत) स्थान तथा 11 (6.0 प्रतिशत) स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए। इस चुनाव में 9 गैर–काँग्रेसी दलों ने हिस्सा लिया जिनमें तीन दलों का कोई प्रत्याशी विजय नहीं हुआ ये दल थे– माकपा, रिपब्लिकन और विश्व हिन्दू परिषद्। 1967 की सफलता के बाद स्वतंत्र दल एवं जनसंघ ने प्रथम बार इस निर्वाचन में पृथक से सरकार बनाने की इच्छा का प्रर्दशन किया। दोनों दलों ने 119–119 स्थानों पर चुनाव लड़ा । उन्हें क्रमशः 12.32 एवं 12.20 प्रतिशत वोटों पर 8 तथा 11 स्थान प्राप्त हो सके। दलीय असम्बद्धता वाले प्रत्याशी इस चुनाव में 355 थे। 1967 की तुलना में यह संख्या कम थी। इस बार उन्हें 17.36 प्रतिशत वोट तथा 11 स्थानों पर विजय मिली।

तालिका संख्या – 2.9

राजस्थान विधानसभा के पंचम आम चुनाव (1972) में विपक्ष की दलीय स्थिति[28]

कम संख्या	प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
1	कांग्रेस (ओ)	01	0.5	1.34
2	स्वंतत्र पार्टी	11	6.0	12.32
3	जनसंघ	08	4.3	12.20
4	सेशलिस्ट पार्टी	04	2.1	2.24
5	भाकपा	04	2.1	1.56
6	निर्दलीय व अन्य	11	6.0	17.36

स्रोत :– (क)पंचम आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1972, 19.

तालिका संख्या – 2.10

प्रतिपक्ष व कॉंग्रेस की तुलनात्मक स्थिति (1972)[29]

प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
प्रतिपक्ष	039	21.02	48.86
कॉंग्रेस सत्तारूढ़	145	78.08	51.14
कुल	184	100	100

स्त्रोत :– (ख) पंचम आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1972, 19.

इस चुनाव में कॉंग्रेस के कई शीर्षस्थ सदस्यों एवं मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। प्रतिपक्ष ने मतदाताओं से युवा नेतृत्व को वोट देने की अपोल की, परन्तु विभिन्न प्रमुख कारकों के चलते बांग्लादेश युद्व की विजय, श्रीमती इन्दिरा गॉंधी की नेतृत्व क्षमता ने कांग्रेस को फिर सत्तारूढ़ बनाया।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि जहॉं राज्य में भी कागस राष्ट्रीय मुद्दों का सहारा लेकर चुनाव में विजय रही, वहीं प्रतिपक्ष स्थानीय मुद्दों के सहारे चुनाव लड़ता रहा। अधिक मतदाताओं ने कांग्रेस का समर्थन किया तथा प्रतिपक्ष को दूसरी पंक्ति में बनाये रखा।

कॉंग्रेस द्वारा प्रतिपक्ष को शक्तिहीन करने का प्रयास किया गया। श्रीमती इन्दिरा गॉंधी चुनाव से ही मोहन लाल सुखाड़िया स क्षुब्ध थी, अतः उन्होने बरकतउल्ला खां को मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के पश्चात् 1973 में हरिदेव जोशी शक्ति केन्द्र के रूप उभरे, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। मोहन लाल सुखाड़िया मंत्रिमंण्डल के सदस्य मथुरादास माथुर, बृजसुन्दर शर्मा, जाट नेता कुम्भाराम आर्य एवं रामनिवास मिर्धा ने हरिदेव जोशी के निर्वाचन का विरोध किया किन्तु अनेक प्रमुख कॉंग्रेसी नेताओं, जिनमें अमृत नाहटा, नवल किशोर शर्मा, मोहन छंगाणी, बनवारी लाल आदि सभी विधायकों ने जोशी का समर्थन किया। इस सम्पूर्ण घटना क्रम में जोशी के साथ के साथ उच्च जाति के विधायक मुख्यतः राजपूत समर्पण की भावना से साथ रहे। हरिदेव जोशी ने प्रतिपक्ष की स्थिति और अधिक खराब करने के लिए जातीय दृष्टि से जाट, राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, मुस्लिम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विधायकों को मंत्रिमण्डल में शामिल किया

तथा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान एवं उत्तरी राजस्थान के विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई। कोटा, बूँदी, झालावाड़, अलवर एवं सवाई माधोपुर के पार्टी विधायकों को सार्वजनिक रूप से यह कहा गया कि इन क्षेत्रों के प्रति सरकार मातृत्व की भावना से कार्य करेगी। डूँगरपुर एवं बांसवाड़ा के आदिवासियों के लिए विशेष योजना स्वीकृत की गई। 1976 में काँग्रेस के पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान के विधायकों एवं मंत्रियों के अन्दरूनी विरोध के बावजूद जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की, इससे प्रतिपक्ष को भारी आघात पहुँचा, लेकिन वे इन सब नीतियों एवं निर्णयों का विरोध इसलिए नहीं कर पाए कि जनता– जनार्दन को यह सब विकास कार्य स्वीकार्य था। परन्तु इन सभी प्रयासों को आन्तरिक आपातकाल की अधिनायकवादी शैली ने धराशाही कर दिया तथा छठे विधानसभा चुनाव में जनता ने न केवल केन्द्रीय अपितु, प्रान्तीय स्तर पर भी काँग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया तथा गैर काँग्रेस सरकारें अस्तित्व में आयीं।

छठी राज्य विधानसभा निर्वाचन (1977) एवं विपक्षी दल

राजस्थान विधानसभा के छठे आम चुनाव जून, 1977 में सम्पन्न हुए। जनता पार्टी को लोकसभा, राजस्थान विधानसभा एवं अन्य प्रान्तों मे भारी बहुमत मिला। जनता पार्टी का गठन लोकदल (स्वतंत्र दल एवं क्रांति दल का विलय), जनसंघ, काँग्रेस (ओ) एवं समाजवादी पार्टियों के विलय के फलस्वरूप हुआ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था, जबकि केन्द्र एवं राजस्थान में प्रथम बार गैर–काँग्रेसी दलों को सत्ता मिली।

छठे विधानसभा चुनाव में कुल 54.37 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। इस चुनाव जनता पार्टी विजयी हुई, उसे 200 में से 151 (75.5 पतिशत) स्थान मिले, काँग्रेस को 41 (20.5 प्रतिशत), भाकपा एवं माकपा को 1–1 (0.5 प्रतिशत) स्थान प्राप्त हुए तथा 6 (3.0 प्रतिशत) स्थानों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए।

सदन में जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला जनसंघ स सम्बद्ध भैरोसिंह शेखावत को मुख्यमंत्री चुना गया। सदन में प्रतिपक्ष के नेता हरिदेव जोशी थे, जिन्हें संसदीय प्रक्रिया का लम्बा अनुभव प्राप्त था। 1972 में जिस मतदान ने काँग्रेस को अपार बहुमत दिया था, उसने 1977 में मतों का रूख 180 डिग्री के काण पर मोड़ दिया। राष्ट्रीय एवं स्थानीय चुनावों से यह तथ्य उभरा कि केन्द्र की भांति राज्य में सत्ताधारी काँग्रेस एवं राज्य के पूर्व शासकों की लोकप्रियता एकाएक समाप्त प्रायः हो गई।

तालिका संख्या – 2.11

राजस्थान विधानसभा के छठे आम चुनाव (1977) एवं विपक्षी दलों की स्थिति[30]

क्रम संख्या	प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
1	कॉंग्रेस	41	20.5	31.41
2	भाकपा	01	0.5	1.12
3	माकपा	01	0.5	0.75
4	निर्दलीय एवं अन्य	06	3.0	16.31

स्त्रोत :– (क) छठे आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1977, 20.

तालिका संख्या – 2.12

प्रतिपक्ष एवं सत्तापक्ष जनता पार्टी की तुलनात्मक स्थिति (1977)[31]

प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
प्रतिपक्ष	049	24.05	49.59
कांग्रेस सत्तारूढ़	151	75.05	50.41
कुल	200	100	100

स्त्रोत :–(ख) छठे आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1977, 20.

1977 के आम चुनाव में राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष में थी। सम्पूर्ण प्रतिपक्ष एक छत्र के नीचे संगठित था। ऐसा राज्य में प्रथम बार हुआ। कांग्रेस, गैर–कॉंग्रेसी दलों द्वारा विरोध या किसी आन्दोलन के कारण पराजित नहीं हुई थी बल्कि उनकी अपनी नीति थी कि 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया, कई राजनेताओं, समाजसेवियों को जेल में बन्द कर दिया गया तथा परिवार नियोजन के नाम पर लोगों के साथ जबरदस्ती की गई।

1977 में आपातकाल हटाया गया। चुनाव हुआ। जनता पाटी ने परिवार नियोजन एवं आपातकाल को चुनावी मुद्दा बनाया तथा दो तिहाई बहुमत से विजय प्राप्त की। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस में 41 (20.5 प्रतिशत) सदस्यों में से 28 सदस्य जाट जाति से थे, इनमें अधिकाशतः जोधपुर एवं शेखावाटी क्षेत्र से चुनकर आए थे। जनता पार्टी को 151 में से 15 विधायक जाट थे। मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत ने इनमें से किसी को मंत्री पद का उत्तरदायित्व नहीं दिया। तत्कालीन समय में लोकसभा सदस्य दौलतराम सारण ने जाटों को मंत्रिमण्डल में लेने की माँग करते हुए कहा कि' हम एग्रीकल्वर कम्युनिटी के है हमारी उपेक्षा क्यों?

अन्ततः जनता पार्टी सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पायी, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की लड़ाई का प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा और 1980 म सातवीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए।

जनता–जनार्दन ने गैर काँग्रेसी दल जनता पार्टी को यह प्रथम सुनहरा अवसर प्रदान किया था, परन्तु पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की भाँति घटनावाद के कारण सभी स्तर पर राजनेता अपनी कार्यकुशलता का अच्छा प्रर्दशन नहीं कर सके, उनका अधिकांश समय मंत्री पद की जोड़–तोड़ में ही व्यतीत हुआ। विभिन्न राजनीतिक दलों के आपसी समन्वय से बनी जनता पार्टी की कोई निश्चत विचारधारा नहीं बन पायी, दलों के शीर्षस्थ लोगों को एकजुट रखने की क्षमता वाला कोई राष्ट्रीय नेता भी इस राजनीतिक परिदृश्य में उभरकर नहीं आ सका।

उधर कांग्रेस वैकल्पिक सरकार देने के लिए तत्पर थी। परिणामतः राष्ट्र में विकासात्मक कार्य ठप हो गये, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याएँ विकराल रूप धारण करने लगी। कानून एवं व्यवस्था के अभाव में नागरिक स्वयं को असुरक्षित महस्स करने लगा। इससे पहले की जनता शासन की अन्तर्निहित शिथिलतायें दृष्टिगोचर होती केन्द्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ हुए काँग्रेस दल ने पूर्ववर्ती जनता सरकार का अनुसरण करते हुए विधानसभा भंग कर प्रान्त की जनता सरकार को अपदस्थ कर दिया तथा जनता सरकार की कमियों को राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए राज्य की सत्ता गैर–कांग्रेस दलों से पुनः हथिया ली।

सातवीं विधानसभा के आम निर्वाचन (1980) एवं विपक्षी दल

1980 में सम्पन्न हुए राजस्थान विधानसभा के सातवें आम चुनाव में मतदाताओं ने जनता शासन के विरोध में मताधिकार का प्रयोग करते हुए काँग्रेस को पुनः सत्ता सौंपी। काँग्रेस को 133 (66.5 प्रतिशत) स्थानों के साथ सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। जनवरी 1985 में 15 निर्दलीय सदस्यों ने काँग्रेस (आई) की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस प्रकार सातवीं विधानसभा के भंग होने के पूर्व काँग्रेस (आई) के सदन में 148(74 प्रतिशत) सदस्य थे।

राजस्थान विधान सभा के सम्पन्न हुए यह चुनाव पूर्व प्रवृति को ही परिलक्षित करते हैं। इस समय भी सत्ताधारी काँग्रेस अल्पमत सरकार ही थी क्योंकि उसे वैध मतों में से 42.

96 प्रतिशत मतदाताओं का ही समर्थन प्राप्त था जब कि विपक्ष को सयुंक्त रूप से 57.04 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इसके विपरीत कॉंग्रेस को सदन में 133 स्थान प्राप्त हुए तथा विपक्ष को मात्र 67 स्थान । यह इस तथ्य का द्योतक है कि विभाजित विपक्ष का लाभ कॉंग्रेस को मिलता रहेगा।

1980 के चुनाव में विभिन्न प्रतिपक्षी दलों में जनता पार्टी के पुराने घटक जनसंघ का रूपान्तरित स्वरूप भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई, उसे 32 (16.0 प्रतिशत) स्थान मिले, जनता पार्टी को 8 (4.0 प्रतिशत) स्थान लोकदल (चौधरी चरण सिंह) के सदन में 7 (3.5 प्रतिशत) सदस्य, कॉंग्रेस (युनाइटेड) के 6 (3.0 प्रतिशत) सदस्य, माकपा एवं भाकपा का 1–1 (0.5 प्रतिशत) सदस्य तथा निर्दलीय व अन्य 12 (6.0 प्रतिशत) सदस्य थे। इस प्रकार सातवीं विधानसभा के पूर्वार्द्ध में प्रतिपक्ष के पास 67(33.5 प्रतिशत) सदस्य सदन में थे, लेकिन उनके उतरार्द्ध में 15 सदस्यों ने दल बदल किया, इस प्रकार यह संख्या 52 (26.0 प्रतिशत) ही रह गई। प्रतिपक्ष में भाजपा के 13(19.4 प्रतिशत) सदस्य, जनता पार्टी के 3 (4.4 प्रतिशत) सदस्य, लोकदल 13 (19.4 प्रतिशत) सदस्य, कॉंग्रेस (युनाईटेड) के 1 (1.4 प्रतिशत) सदस्य और 1.4 प्रतिशत निर्दलीय सदस्य सामान्य प्रतिपक्षी थे जो उत्तर–पूर्वी राजस्थान से विजयी हुए थे। दक्षिणी–पश्चिम राजस्थान में कॉंग्रेस को 31 (86 प्रतिशत) स्थान प्राप्त हुए थे। उत्तरी राजस्थान से कॉंग्रेस आई के 21 (71.0 प्रतिशत) भाजपा के 4 (14प्रतिशत), लोकदल के 2(8 प्रतिशत), जनता पार्टी के 1 (3 प्रतिशत), तथा भाजपा को 1 (3 प्रतिशत) सदस्य सामान्य प्रतिपक्षी थे।

तालिका संख्या – 2.13

राजस्थान विधानसभा के सातवें आम चुनाव (1980) एवं प्रतिपक्ष की दलीय स्थिति[32]

कम संख्या	प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
1	भारतीय जनता पार्टी	32	16	18.60
2	जनता पार्टी	08	04	7.34
3	लोकदल(चरणसिंह)	07	3.5	9.83
4	कांग्रेस युनाईटेड	06	03	5.59
5	भाकपा	01	0.5	0.97
6	माकपा	01	0.5	1.20
7	निर्दलीय एवं अन्य	12	06	13.51

स्रोत :–(क) सातवें आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1980, 21.

तालिका संख्या – 2.14

प्रतिपक्ष एवं सत्तारूढ़ दल की तुलनात्मक स्थिति (1980)[33]

प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निवाचन के मतों का प्रतिशत
प्रतिपक्ष	067	33.05	57.04
काँग्रेस सत्तारूढ़	133	66.05	42.96
कुल	200	100	100

स्रोत :– (ख) सातवें आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1980, 21.

परम्परागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र माने जाने वाले इलाकों में काँग्रेस प्रत्याशी जीते, जब कि जाट बहुल क्षेत्रों भाजपा को बढ़त प्राप्त हुई। उत्तर–पूर्व राजस्थान में भाजपा के विधायकों को अच्छे वोट प्राप्त हुए।

सांतवें बाम चुनाव के बाद राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया को केन्द्र द्वारा आरोपित मुख्यमंत्री बनाया गया। पश्चिमी राजसथान के चन्दनमल वेद, उत्तर राजस्थान के हरिदेव जोशी एवं हीरा लाल देवपुरा ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया। अन्ततः जगन्नाथ पहाड़िया को अपना पद त्याग करना पड़ा और शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने 1981 से 1985 तक शासन चलाया, लेकिन आँठवीं लोकसभा चुनाव के प्रचार में डीग (भरतपुर) में राजा मानसिंह की पुलिस गोली से हुई हत्या के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा तथा हीरा लाल देवपुरा को अन्तरिम मुख्यमंत्री बनाया गया।

आठवीं विधानसभा निर्वाचन (1985) एवं विपक्षी दल

राजीव गाँधी एवं उनके सलाहकारों की आकांक्षाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप जनता ने सहानुभूति लहर से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कँाग्रेस को लोकसभा में अभूतपूर्व विजय प्रदान की थी।

लोकसभा चुनाव में राजस्थान से जनता जनार्दन ने सभी 25 स्थान काँग्रेस की झोली में डालकर गैर काँग्रेसी दलों को आधारहीन कर दिया। चुनाव परिणाम के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हो चुका था कि कँाग्रेस को 163 विधानसभा में बढ़त प्राप्त हुई थी। जनता की इसी मनोवृत्ति का लाभ उठात हुए काँग्रेस आलाकमान ने अपने प्रान्तीय संगठन को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का संकेत दिया तथा लोकसभा चुनावों के दो माह

पश्चात् ही राजस्थान विधानसभा के चुनाव सम्पन्न करा लिए गए। इस कारण के अलावा अन्य कारणो ने भी राजीव गाँधी सहित अन्य प्रान्तों की विधानसभाओं के चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए प्रेरित किया है।

इस प्रकार इन रणनीतियों के आधार पर काँग्रेस राजस्थान विधानसभा में पुनः सत्ता प्राप्ति के प्रति पूर्ण आशा के साथ मैदान में आयी।

आठवीं विधानसभा में सशक्त विपक्ष उभर कर आया जो लोकतंत्र में विपक्ष का होना एक अच्छा लक्षण था। यह लोकतंत्र की परिपक्वता एवं स्वस्थता का द्योतक भी था। सत्तादल को स्थिर बहुमत मिले इसके साथ यह भो आवश्यक है कि सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों का समान महत्त्व है। एक सशक्त विपक्ष ही सत्तारूढ़ के कार्यकलापों पर अंकुश रखता है। क्योंकि चुनावों में मत देने एवं सत्ता सौंपन के बाद सत्ताधीशों पर मतदाता का कोई अंकुश नहीं रहता। विपक्ष की अनुपस्थिति एवं हीनता सत्ता को निरकुंश बनाती है। अतः आँठवीं विधानसभा में एक सशक्त विपक्ष का होना शुभ लक्षण था। चुनाव परिणामों से स्पष्ट था कि विधानसभा में विपक्ष की भूमिका का निवाह मुख्यतः भाजपा और लोकदल को करना था।

तालिका संख्या – 2.15

आठवीं विधानसभा का निर्वाचन (1985) एवं विपक्षी दलों की स्थिति[34]

क्रम संख्या	प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
1	भारतीय जनता पार्टी	38	19	21.16
2	लोकदल	27	13.05	11.98
3	जनता पार्टी	10	05	5.94
4	माकपा	01	0.5	0.93
5	निर्दलीय एवं अन्य	01	4.5	13.02

स्त्रोत – (क)आठवें आम निर्वाचन, राजस्थान सरकार, निर्वाचन विभाग, जयपुर, केन्द्रीय मुद्रणालय, 1985, 21.

तालिका संख्या – 2.16

प्रतिपक्ष व सत्तारूढ़ काँग्रेस (आई) की तुलनात्मक स्थिति[35]

प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
प्रतिपक्ष	85	42.93	53.21
कांग्रेस सत्तारूढ़	113	57.07	46.79
कुल	198	100	100

स्रोत – (ख)आठवें आम निर्वाचन, राजस्थान सरकार, निर्वाचन विभाग, जयपुर, केन्द्रीय मुद्रणालय, 1985, 21.

इस प्रकार प्रारम्भिक असफलता के बाद भी व्यक्तिगत स्तर पर कांग्रेस एवं गैर–कांग्रेस दलों ने चुनाव में अपने प्रत्याशियों को सफल बनाने के लिए प्रचार के समस्त साधनों एवं रणनीतियों को अपनाया जिनका विवेचन निम्न प्रकार से है।

आठवीं राजस्थान विधानसभा में गैर काँग्रेसी दलों में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 117 (59.09 प्रतिशत) स्थानों पर अपने प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रतियोगिता में उतारा। इसी प्रकार लोकदल के 67 (33.8 प्रतिशत) स्थानों पर, जनता पार्टी के 31 (15.6 प्रतिशत) प्रत्याशी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के 47 (23.7 प्रतिशत), मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के 17 तथा 997 (493.4 प्रतिशत) निर्दलीय प्रत्याशियों ने निर्वाचन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।

इस निर्वाचन में गैर काँग्रेसी दल इस तथ्य से सुपरिचित होने के उपरान्त भी कि बिना उनके द्वारा संगठित हुए काँग्रेस को पराजित करना असंभव है, इस निर्वाचन में भी काँग्रेस के विरूद्ध संगठित नहीं हो पाये। इसके परिणामस्वरूप 198 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल तीन क्षेत्रों में ही सीधा मुकाबला था। शेष निर्वाचन क्षेत्रों में बहुकोणीय संघर्ष रहा। यद्यपि निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतियोगियों की संख्या तीन और तेईस के बीच पाई गई, लेकिन 11 से 23 प्रत्याशी केवल 27 स्थानों पर ही विद्यमान थे, लेकिन 161 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतियोगियों की संख्या 4 और 9 के बीच पाई गई। कांग्रेस के अलावा कोई भी दल ऐसा नहीं था जिसने जिसने शत–प्रतिशत स्थानों पर अपने प्रत्याशी खड़े किये।

नवीं राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन एवं विपक्षी दल (1990)

1990 में सम्पन्न हुए राजस्थान विधानसभा के नवें आम चुनाव में मतदाता ने काँग्रेस शासन के विरोध में मताधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता सौंपी। इस निर्वाचन में 284.7 लाख मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया। जिसमें कुल

57.1 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 85 (42.5 प्रतिशत) स्थानों के साथ सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तथा अन्य दलों को मिलाकर सरकार बनाई। जिसका नेतृत्व श्रो भैरोसिंह शेखावत ने किया। परन्तु यह सरकार स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करने के कारण अधिक दिनों तक नहीं चल सकी और दिसम्बर 1992 को राजस्थान मे पुनः राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और यह बीस दिन छोड़कर पूरे एक वर्ष तक रहा।

इस निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा अन्य दलों को विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। इस निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को 50 (33.6 प्रतिशत) सीटों पर ही विश्वास करना पड़ा। राजस्थान विधानसभा के सम्पन्न हुए ये चुनाव पूर्व प्रवृति को ही परिलक्षित करते हैं। इस समय भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत की सरकार ही थी क्योंकि उसे अन्य दलों का सहयोग प्राप्त था। इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर होने के कारण एक सशक्त विपक्ष के रूप में अन्य दलों ने भूमिका का निर्वहन किया। इस प्रकार विपक्ष की मजबूत स्थिति के कारण सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी जिसके फलस्वरूप राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।

तालिका संख्या– 2.17

राजस्थान विधानसभा के नवें आम चुनाव (1990) एवं प्रतिपक्ष की दलीय स्थिति[36]

क्रम संख्या	प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
1	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	50	25.0	33.63
2	जनता दल	–	–	00.28
3	भाकपा	–	–	00.85
4	माकपा	01	00.5	01.03
5	लोकदल (बहुगुणा)	–	–	00.18
6	निर्दलीय एवं अन्य	09	04.5	17.14

स्रोत :– (क) नवें आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार खण्ड,–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1990, 22

तालिका संख्या–2.18

प्रतिपक्ष एवं सत्तारूढ़ दल की तुलनात्मक स्थिति[37]

प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
प्रतिपक्ष	060	30.00	53.12
भाजपा सत्तारूढ़	140	70.00	46.88
कुल	200	100	100

स्रोत :– (ख)नवें आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार खण्ड,–2, नइ दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1990, 22

इस प्रकार नवीं राजस्थान विधानसभा में सत्तापक्ष प्रतिपक्ष की तुलना में कमजोर स्थिति में रहा। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकी।

नवीं राजस्थान विधानसभा निर्वाचन में गैर– भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक 200 स्थानों पर अपने प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रतियोगिता में उतारा। जिसमें से 50 (33.60 प्रतिशत) स्थानों पर विजयी रही। इसी प्रकार जनता दल ने 200 में से 120 स्थानों पर अपने प्रत्याशियों को निर्वाचन प्रतियोगिता उतारा जिसमें से 55 (21.60 प्रतिशत) स्थानों पर विजयी प्राप्त की। तथा भाकपा ने 41 एवं माकपा न 22 व अन्य निर्दलीय 2138 प्रत्याशियों ने निर्वाचन प्रतियोगिता में भाग लिया।

राजस्थान विधानसभा का दसवां निर्वाचन एवं प्रतिपक्ष (1993)

नवीं राजस्थान विधानसभा अल्पमत में होने के कारण अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सकी तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया व विधानसभा भंग कर दी गई। मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें मतदाताओं ने वापस राष्ट्रीय काँग्रेस के विरोध में मताधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता सौंपी। परन्तु इस दल को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सका तथा अन्य दलां के सहयोग से सत्तारूढ़ हुई। जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अन्य दलों के साथ सदस्य संख्या 124 (62.0 प्रतिशत) स्थानों के साथ सदन में बहुमत प्राप्त किया। इस बहुमत में भारतीय जनता पार्टी 96(48.0 प्रतिशत), जनता दल 6 (3.0 प्रतिशत) तथा अन्य निर्दलीय दलों की सदस्य संख्या 21(10.5 प्रतिशत) के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया।

राजस्थान विधानसभा के सम्पन्न हुए यह चुनाव पूर्व प्रवृति को ही परिलक्षित करते हैं। इस समय भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत सरकार ही थी क्योंकि उसे वैध

मतों में से 38.60 प्रतिशत मतदाताओं का ही समर्थन प्राप्त था जब कि विपक्ष को संयुक्त रूप से 76 (38.0 प्रतिशत) मत प्राप्त हुए।

तालिका संख्या – 2.19

राजस्थान विधानसभा का दसवां आम निर्वाचन एवं प्रतिपक्ष की दलीय स्थिति (1993)[38]

कम संख्या	प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
1	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	76	36.0	38.27
2	भाकपा	–	–	00.33
3	माकपा	01	0.50	0.91
4	जनता दल	03	01.5	02.16
5	निर्दलीय एवं अन्य	–	–	12.86

स्रोत :– (क) दसवां आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार खण्ड–2, नई दिल्ली निर्वाचन आयोग, 27 फरवरी 1993,

इस प्रकार दसवीं राजस्थान विधानसभा भी अपना स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी परन्तु फिर भी अन्य दलों के सहयोग से पूरे कार्यकाल तक सत्तारूढ़ रही। तथा प्रतिपक्ष ने अपनी भूमिका का निर्वहन एक मजबूत विपक्ष के रूप में किया जो एक सशक्त विपक्ष के रूप में उभरकर सामने आता है। इस कार्यकाल में सत्तापक्ष की बागडोर श्री भैरोसिह शेखावत के हाथों में सौपी गई तथा प्रतिपक्ष का नेता श्री परसराम मदेरणा को बनाया गया।

दसवीं विधानसभा में दि. 14 सितम्बर, 1993 को जनता दल के 6 विधायकों में से दो विधायकों ने जनता दल से अलग होकर 'भारतीय जनता दल' (भाजद) के नाम से नया दल गठित करने की घोषणा की। इन दोनों सदस्यों ने 31 दिसम्बर, 1993 को ह्विप का उल्लंघन कर सरकार के पक्ष में विश्वास मत का सर्मथन किया था। परिणामस्वरूप इन्हें जनता दल विधायक दल से निष्कासित किया गया। 11 जनवरी 1994 को इन्होंने जनता दल से अलग 'भारतीय जनता समूह पार्टी' के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने 26 जनवरी,1994 को विधानसभा में अलग बैठने की अनुमति प्रदान की गई। इस ग्रुप का 6 अक्टूबर, 1994 को भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया।

तालिका संख्या– 2.20

प्रतिपक्ष तथा सत्तारूढ़ दलों की तुलनात्मक स्थिति[39]

प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
प्रतिपक्ष	091	45.50	56.20
भाजपा सत्तारूढ़	109	54.50	43.80
क,ल	200	100	100

स्त्रोत :– (ख) दसवां आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार खण्ड–2, नई दिल्ली निर्वाचन आयोग, 27 फरवरी 1993,

इस प्रकार दसवीं राजस्थान विधान सभा के 1993 के निर्वाचन में (2451) सदस्यों ने निर्वाचन में भाग लिया। इस निर्वाचन में (60.6 प्रतिशत) मतदान हुआ। जिसमें भारतीय जनता को अन्य दलों के सहयोग से सत्तारूढ़ होना पड़ा तथा राष्ट्रीय काँग्रेस को विपक्षी दल के रूप में संतुष्ट होना पड़ा।

राजस्थान विधानसभा का ग्यारहवां आम निर्वाचन एवं प्रतिपक्ष (1998)

1998 में सम्पन्न हुए राजस्थान विधानसभा के ग्यारहवें आम चुनाव में मतदाता ने जनता शासन के विरोध में मताधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को पुनः सत्ता सौंपी। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को 153 (76.5 प्रतिशत) स्थानों के साथ सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य दलों ने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। इस आम निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को 33 (16.5 प्रतिशत), जनता दल को 3 (1.50 प्रतिशत), भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी को 00 (5.0 प्रतिशत), माकपा को 01 (1.5 प्रतिशत), लोकदल को 00 (0.20 प्रतिशत), बहुजन समाज पार्टी को 02 (2.20 प्रतिशत) राष्ट्रीय जनता दल को 01 (0.3 प्रतिशत), इण्डियन नेशनल लोकदल को 00 (0.5 प्रतिशत) तथा निर्दलीय व अन्य दलो को 07 (14.7 प्रतिशत) मत प्राप्त हुए।

प्रतिपक्ष के रूप में इन दलों ने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया जो एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमारे सामने आता है। इस आम चुनाव में श्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया तथा श्री भैरोसिह शेखावत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया।

इस प्रकार राजस्थान विधानसभा में इन दो प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का ही वर्चस्व रहा।

तालिका संख्या – 2.21

राजस्थान विधानसभा के ग्यारहवें आम चुनाव एवं प्रतिपक्ष की दलीय स्थिति (1998)[40]

क्रम संख्या	प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
1	भारतीय जनता पार्टी	33	16.75	33.31
2	जनता दल	03	01.05	01.97
3	भाकपा	–	–	0.21
4	माकपा	01	0.5	0.81
5	बहुजन समाज पार्टी	02	1.0	2.16
6	इण्डियन नेशनल लोकदल	–	–	0.5
7	निर्दलीय एवं अन्य	07	3.5	14.40

स्रोत :– (क) ग्यारहवें आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 25 नवम्बर, 1998

तालिका संख्या – 2.22

प्रतिपक्ष एवं सत्तापक्ष की तुलनात्मक स्थिति (1998)[41]

प्रतिपक्षी राजनीतिक दल	निर्वाचित सदस्य संख्या	कुल स्थानों का प्रतिशत	निर्वाचन के मतों का प्रतिशत
प्रतिपक्ष	47	23.86	55.13
कॉंग्रेस (आई) सत्तारूढ़	150	76.14	44.87
कुल	200	100	100

स्त्रोत :– (ख)ग्यारहवें आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 25 नवम्बर, 1998

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रथम विधानसभा से लेकर ग्यारहवीं राजस्थान विधानसभा की दलीय स्थिति का विवेचन करने पर यह विदित होता है कि राजस्थान में दो ही दलों का शासन रहा है। जब–जब भी अन्य दलों ने सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया तो उन्हं मुँह की खानी पड़ी। पिछले कुछ वर्षों में जब से 1977 में पहली बार देश के राजनीतिक जीवन में राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी शासन से पदच्युत हुई तो राजनीतिक दलों का इतनी तेजी से गठन, विघठन, तथा विलय हुआ कि एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता सी आ गई। और प्रत्येक आम चुनाव में त्रिशंकू लोकसभा का गठन होने लगा। अब किसी भी एक दल को जनता बहुमत या पूर्ण बहुमत के निकट मत देने से हिचकिचाने लगी है। जिसका एक मात्र कारण राजनीतिक दलों के नेताओं में आपसी कलह, फूट और भ्रष्टाचार रहा है न कि राजनीतिक विचारधाराओं की परस्पर खींचतान। यहाँ तक कि अब राजनीतिज्ञों के दिमांग में यह बात घर कर गई है कि देश में मिलीजुली सरकारों का युग आ गया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमन जैसे प्रबुद्ध लोग भी देश में मिलीजुली सरकार के गठन की बात करने लगे हैं।

इग्लेंण्ड में प्रमुख रूप से दो ही राजनीतिक दल है और ये ही चाहे निश्चित अवधि के लिए नहीं परन्तु समय आने पर बारी–बारी से सत्तारूढ़ होते रहे हैं। इसी कारण वहाँ विपक्ष को साम्राज्ञी का उत्तरदायी विपक्ष की संज्ञा दी जाती है। ऐसी स्थिति भारत में अभी तक नहीं बन पाई है। किन्तु सौभाग्य से राजस्थान इसका अपवाद रहा है। सम्भवतः यह देश का एक मात्र राज्य है जहाँ 1952 से अब तक अलग–अलग अवधि में दो ही दलों ने शासन किया है–राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी तथा जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली अन्य छोटी पार्टियाँ। वर्ष 1977 में जब विपक्ष ने केन्द्र में शासन संभाला तो वह एक या दो दलों में नहीं बल्कि अनेक दलों में विभक्त संयुक्त विपक्ष था।

राजस्थान में पहली बार (1952–1957) से लेकर पाँचवी विधानसभा (1972–1977) तक निरन्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन रहा और छठी विधानसभा की अगले ठीक वर्षो (1977–80) की अल्पावधि को छोड़कर जब शासन की बागडोर जनता पार्टी ने संभाली, एक बार फिर सातवीं और आठवीं विधानसभा (जून 1980 से मार्च1990) तक काँग्रेस सत्ता में रही। नवीं और दसवीं राजस्थान विधानसभा (1990–1998) में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8 वर्ष 9 माह तक शासन चलाया। अब दिसम्बर 1998 में गठित ग्यारहवीं राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में लौटी। इससे प्रकट होता है कि राजस्थान में पहले आम चुनावों के बाद के इन 48 वर्षों में 36 वर्ष काँग्रेस का तथा 12 वर्ष जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है।

वर्ष 1977 में जब राज्य में गैर काँग्रेस सरकार सत्ता से पदच्युत हुई तो वह अपने आप नहीं गिरी, बल्कि केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार आने से उसने राजस्थान सहित अनेक राज्यों कि काँग्रेस सरकारों को भंग कर दिया। यह दूसरा मौका था जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। पहली बार यह स्थिति 1967 में आई थी जब केन्द्र व राज्य दोनों में कँाग्रेस का शासन था। किन्तु मार्च 1967 में जयपुर में गोली काण्ड हो जाने से अनेक नागरिकों की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप केन्द्र में मोहन लाल सुखाड़िया सरकार को भंग कर दिया। 45 दिनों की इस अवधि के बाद मोहन लाल सुखाड़िया ने पुनः सत्ता संभाली और बाद में वह कर्नाटक के राज्यपाल बनकर बैंगलौर चले गए। मोहन लाल सुखाड़िया ने राज्य में सबसे अधिकअवधि 17 वर्ष दिनांक13.11.1954 से 09.07.1971 तक शासन करने का कीर्तिमान बनाया।

राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन दिनाँक 17.02.1980 को लागू हुआ जब भैरोसिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। यह अवधि तीन माह 17 दिन चली तथा 1980 में सातवीं राजस्थान विधानसभा में काँग्रेस पुनः सत्ता में आई और मार्च 1990 तक जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर (दो बार), हीरा लाल देवपुरा (16दिन की अवधि के लिए), और हरिदेव जोशी (दो बार) मुख्यमंत्री बने। नवीं राजस्थान विधान सभा में शासन की बागडोर भैरोंसिंह शेखावत के हाथ में आई जब भी दिसम्बर 1992 को पुनः राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और यह 20 दिन छोड़कर पूरे एक वर्ष तक रहा।

समग्र मुल्यांकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रारम्भ काँग्रेस जहाँ राजस्थान की राजशाही परम्पराओं, जागीरदारों आदि स लोहा लेने में जुटी रही और भारी कानूनी कठिनाईयों के बावजूद राज्य के किसानों को उनके खातेदारी हकों को दिलाने में समर्थ हो सकी व इन्दिरा गांधी नहर जैसी जीवन दायिनी जल प्रदाय योजनाओं को जिनमें राज्य के अब तक सूखे पड़े भाग की काया पलट कर दी है, चाहे वह समय पर पूरी न होने के कारण अत्यधिक खर्चीली हो गई तब भी सम्पन्न कराने में सफल रही है।

किन्तु आगे चलकर उसके नेताओं में भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद आदि का बोलबाला होने के कारण तथा केन्द्र में भी उसके अपदस्थ हो जाने से राज्य में काँग्रेस का शासन जो एक बार लड़खड़ाया तो बाद में सम्भल नहीं पाया और एक प्रकार से यथास्थितिवाद का परिचायक होकर रह गया।

दूसरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिन्दू एजेण्डा होने के बावजूद अध्यापकों में से भारी संख्या में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की भर्ती, सैकण्डरी स्कूल के पाठ्यकमों में दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं की प्रशस्ति वाले पाठ डालने जैसे कुछ विवादास्पद मुद्दों को छोड़कर उसने ऐसे कोई कार्य शायद ही किये जिससें

अल्पसंख्यकों में भय का वातावरण व्याप्त हो। 'अन्त्योदय' और गरीब ही गणेश है जैसी योजनाओं में उसकी पहल को केन्द्र ने सराहा और अपनाया।

कुल मिलाकर राजस्थान में द्वि–दलीय शासन की परम्परा का रूझान सैद्धान्तिक ध्रुवीकरण की और उतना नहीं जाता जितना यथास्थिति के विरोध में या उससे उत्पन्न जड़ता को तोड़ने में रहा है। चाहे जनता को इसमें कोई भी लाभ नहीं मिला हो।

दसवीं राजस्थान विधानसभा में पुनः भैरोंसिह शेखावत सत्तारूढ़ हुए और उन्होनें पाँच वर्षो तक निरन्तर शासन किया। ग्यारहवीं राजस्थान विधानसभा में एक बार पुनः काँग्रेस ने राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अशोक गहलोत के नेतृत्व में शासनारूढ़ हुई।

इस विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राजस्थान में केवल दो ही दलों का शासन रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कँाग्रेस या जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले दलों का।

राजस्थान विधानसभा की दलीय स्थिति

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा की दलीय स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाए तो हमें यह ज्ञात होता है कि प्रथम विधानसभा कार्य काल (1952–1957) में कुल 160 सीटों के लिए चुनाव हुआ जिसमें से काँग्रेस को 96 सीटें मिली तथा सत्तारूढ़ हुई जिसमें श्री टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी कार्यकाल में श्री जयनारायण व्यास तथा मोहन लाल सुखाड़िया को भी मुख्यमंत्री बनाया गया। इस आम चुनाव में प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह रामराज्य परिषद् व अन्य दलों ने किया जिनकी सदस्य संख्या 64 थी। कुंवर जसवन्त सिंह (निर्दलीय) को तथा श्री तनसिंह को विपक्ष का नेता बनाया गया। इस समय केन्द्र में भी काँग्रेस की सरकार होने के कारण विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन एक मजबूत रूप में नही कर सका लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष की भूमिका को नहीं नकारा जा सकता।

द्वितीय विधानसभा का कार्यकाल 1957–1962 तक रहा। इस कार्यकाल में 176 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया। जिसमें से राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी को 119 सीटें प्राप्त हुई तथा प्रतिपक्ष को 57 सीटों पर ही विश्वास करना पड़ा। इस आम चुनाव में सत्तापक्ष के प्रमुख नेता के रूप में मोहन लाल सुखाड़िया को चुना तथा मुख्यमंत्री बनाया। इस आम चुनाव में प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन रामराज्य परिषद् व अन्य दलों ने मिलकर किया। दसमें विपक्ष का नेता श्री तनसिंह व रावल नरेन्द्रसिंह को बनाया

गया। इस आम चुनाव में प्रतिपक्षो राजनीतिक दलों की लोकप्रियता कम हुई, उन्हें प्रथम विधानसभा की तुलना में कम वोट प्राप्त हुए जब कि काँग्रेस के वोट और स्थानों में वृद्धि हुई। कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने एक स्थान पर विजय प्राप्त कर विधानसभा सदन में प्रतीकात्मक रूप से अपनी उपस्थिति अंकित की।

राजस्थान विधानसभा का तीसरा कार्यकाल 1962–1967 रहा । इस कार्यकाल में भी कुल 176 विधानसभा सीटों के लिए ही मतदान हुआ। जिसमें 88 सीटों पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जीतकर सत्तारूढ़ हुई तथा विपक्ष को भी 88 सीटें मिली। इस निर्वाचन में रामराज्य परिषद् व अन्य दलों ने ही विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने का मौका मिला। इस चुनाव में काँग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। उसे पिछले आम चुनाव की तुलना में कम सीटें मिली। इस चुनाव में प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों की स्थिति तीसरे विधानसभा चुनावों में पूर्व की दो विधानसभाओं की तुलना में काफी मजबूत रही। इस कार्यकाल में सत्तापक्ष का नेतृत्व मोहन लाल सुखाड़िया द्वारा किया गया तथा प्रतिपक्ष का नेतृत्व महारावल लक्ष्मण सिंह ने किया। यद्यपि संख्यात्मक दृष्टि से विपक्ष तीसरी विधानसभा में सशक्त स्थिति में था, किन्तु सत्तापक्ष के विरूद्ध सदन में संगठित राजनीति के अभाव के कारण वह सत्तापक्ष के लिए विशेष समस्याएं उत्पन्न नहीं कर सका।

वर्ष 1976 में चतुर्थ राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में 184 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। जिसमें से 89 सीटों पर राष्ट्रीय काँग्रेस विजयी रही तथा शासनारूढ़ हुई। इस कार्यकाल में मोहन लाल सुखाड़िया तथा बरकतुल्ला खाँ को मुख्यमंत्री बनाया गया तथा प्रतिपक्ष में रामराज्य परिषद् व अन्य दल रहे जिन्होंने मिलकर महारावल लक्ष्मण सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इस आम चुनाव में प्रांतीय स्तर पर पहली बार प्रतिपक्ष ने काँग्रेस को चुनौती दी, हालांकि जोड़–तोड़ एवं लालच के चलते गैर–काँग्रेसी सरकार नहीं बन सकी, फिर भी प्रतिपक्ष वैकल्पिक सरकार देने की स्थिति तक आ पहुॅचा था।

राजस्थान विधानसभा का पाचवाँ आम चुनाव 1972 को हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी को 145 सीटों पर विजयी मिली। रामराज्य परिषद् तथा अन्य दलों को प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने का अवसर मिला। इस आम चुनाव में मोहन लाल सुखाड़िया द्वारा भारत क राष्ट्रपति चुनाव में इन्दिरा गांधी द्वारा समर्थित वी.वी.गिरी का विरोध तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन करने पर सुखाड़िया को मुख्यमंत्री पद से हटाकर 1971 में बरकतउल्ला खाँ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस आम चुनाव मं प्रतिपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष महारावल लक्ष्मण सिहं को बनाया गया।

छठी राजस्थान विधानसभा में दलीय स्थिति का विवेचन 1977 में हुए आम चुनाव में हुए व्यापक परिवर्तन में देखा जा सकता है। इस चुनाव में जनता पार्टी को लोकसभा, राजस्थान विधानसभा एवं अन्य प्रान्तों में भारी बहुमत मिला तथा 151 सीटों के साथ जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। जिसमें श्री भैरोसिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाया गया तथा विपक्ष में भारतीय काँग्रेस पार्टी व अन्य दलों ने मिलकर प्रतिपक्ष का नेतृत्व किया। जिसमें श्री परसराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी तथा महारावल लक्ष्मण सिंह को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। हालाकि जनता पार्टी की सरकार अधिक दिनों तक नही चल सकी और 1980 में विधानसभा भंग कर दी गई।

1980 में हुए आम चुनाव में सातवीं विधानसभा के निर्वाचन में मतदाता ने जनता शासन के विरोध में मताधिकार का प्रयोग करते हुए काँग्रेस को पुनः सत्ता सौंपी। कांग्रेस को 133 स्थानों के साथ सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तथा विपक्ष को मात्र 67 स्थान प्राप्त हुए। इस चुनाव में जगन्नाथ पहाड़िया व शिवचरण माथुर को मुख्यंमत्री बनाया गया तथा विपक्ष का नेता के रूप में भरोंसिंह शेखावत को नियुक्त किया गया। इस चुनाव में प्रतिपक्ष में सिर्फ भाजपा ही अपना स्थायित्व बनाए रख सकी। वामपंथी दलों में मुख्यतः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ही प्रतिपक्षी दलों के रूप में मात्र प्रतीकात्मक उपस्थिति रही ह।

इसी प्रकार आठवीं राजस्थान विधानसभा में भी भारतीय काँग्रेस पार्टी सदस्य संख्या 114 के सथ सत्तारूढ़ हुई तथा विपक्ष को 86 सोटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस आम चुनाव में हीरा लाल देवपुरा, हरिदेव जोशी (दो बार) व शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बनाया गया तथा ने नेता प्रतिपक्ष में भैरोंसिंह शेखावत व प्रोफेसर केदार को चुना गया।

नवीं व दसवीं राजस्थान विधानसभा के हुए आम चुनावों में पुनः भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। जिसमें शासन की बागडोर वापस भैरोंसिह शेखावत के हाथों में सौंपी गई। विपक्ष में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा अन्य दलों को बैठना पड़ा।

ग्यारहवीं विधानसभा के आम चुनावों में राष्ट्रीय दलों के 649 प्रत्याशी, मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत दलों के 185 प्रत्यााशी तथा 605 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाग लिया। वर्ष 1993 में हुए आम चुनावों की तुलना में इन चुनावों में भाजपा ने जहाँ 63 सीटें खोई वहीं भारतीय राष्ट्रीय कँाग्रेस को 74 सीटों का फायदा हुआ। 94 विधायकों को पराजय का सामना करना पड़ा तथा 54 व्यक्ति पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। तीन स्थानों पर चुनाव स्थगित किए जाने के कारण 197 स्थानों के लिए ही हुए इन आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को 150, भारतीय जनता पार्टी को 33, जनता दल को 3, बहुजन समाज पार्टी को 2, मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को

एक–एक तथा 7 निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए। इस बार ग्यारहवीं राजस्थान विधानसभा में वापस परिवर्तन देखा गया। तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को भारी बहुमत क साथ सफलता प्राप्त हुई। जिसमें शासन की बागडोर अशोक गहलोत के हाथों में सौपी गई तथा प्रतिपक्ष का नेता भैरोंसिंह शखावत को बनाया गया जिन्होंने विपक्ष में रहकर सत्तापक्ष की गलतियों को जनता के सामने उजागर करने का प्रयास किया।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आाधार पर कहा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा में 1977 के बाद कभी भी एक दल को सत्ताधारी नहीं होने दिया। राजस्थान में दो ही दलों का वर्चस्व रहा तथा अन्य दलों द्वारा किया गया प्रयास सफल नहीं हो पाया। राजस्थान की जनता की मानसिकता इन्हीं दो दलों के इर्द–गिर्द रही है। 1998 से वर्तमान तक के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस जनता ने किसो भी एक दल को हावी नहीं होने दिया है।

द्वितीय अध्याय—संदर्भ सूची

1. जी.एन. सिंह, इण्डियन स्टेट्स इन इण्डियाः वेयर फयूचर रिलेशंस (बनारस नंदकिशोर एण्ड ब्रदर्स, 1930) पृष्ठ 16
2. के. आर. बम्बवाल, भारतीय राजनीति और शासन(1958 से)(दिल्ली, आत्माराम एण्ड संस, द्वितीय संस्करण 1961) पृष्ठ 410—411
3. सी.एम.जैन, स्टेट लेजिस्लेजर्स इन इण्डिया (एस.चंद्र एण्ड कम्पनी प्रा. लि., 1972) पृष्ठ 12—17
4. फोर डिकेड्रस ऑफ प्रोग्रेस इन बीकानेर, पृष्ठ 67
5. रिपोर्टस ऑफ दी एडमिनेस्ट्रेशन आव् बीकानेर स्टेट, 1939 पृष्ठ, 35
6. बांसवाड़ा, गजट गर्वमेन्ट प्रेस—1 एसटी, 1946, पृष्ठ 730
7. दरड़ा आर. एस., लेजिस्लेचर्स इन दी प्रिन्सली स्टेट्स ऑव् राजस्थान, (राजस्थान विधान सभा रजत जयंति ग्रंथ, 1952—77) पृष्ठ 730
8. फाइल न. 5/31, महकमा खास, गर्वमेन्ट आव् जोधपुर, सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड, पृष्ठ 34
9. दरड़ा टिप्पणी 11, पृष्ठ 215—216
10. बून्दी न्यूजलेटर, न. 1. वोल्यूम 1, 1946
11. दरड़ा टिप्पणी 8, पृष्ठ 213—214
12. तत्रैव, 11 पृष्ठ 214
13. तत्रैव, 11 पृष्ठ 215
14. तत्रैव, 11 पृष्ठ 211—12
15. तत्रैव, 11 पृष्ठ 216
16. तत्रैव, 11 पृष्ठ 216
17. तत्रैव, 11 पृष्ठ 217
18. गहलौत, जे. एस. राजस्थान दिग्दर्शन, (हिन्दी)प्रचार प्रकाशन समिति, 1948, पृष्ठ 51
19. केलाभगवानदास, देशी राज्यों की जनजागृति, पृष्ठ 253

20. (क) प्रथम आम निर्वाचन की रपट पर आधारित , भारत सरकार खण्ड–1,नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1952, 18).

21. (ख)प्रथम आम निर्वाचन की रपट पर आधारित , भारत सरकार खण्ड–1, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1952, 18).

22. (क)(दूसरे आम निर्वाचन की रपट पर आधारित , भारत सरकार खंड–2,नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1957, 18.)

23. (ख)(दूसरे आम निर्वाचन की रपट पर आधारित , भारत सरकार खंड–2,नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1957, 18.)

24. (क) तीसरे भाग निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खंड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1962, 19)

25. (ख) तीसरे भाग निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खंड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1962, 19)

26. (क)चतुर्थ आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खंड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1967, 19.)

27. (ख)चतुर्थ आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खंड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1967, 19.)

28. (क)पंचम आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1972, 19.

29. (ख)पंचम आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1972, 19.

30. (क)छठे आम निवाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1977, 20.

31. (ख)छठे आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1977, 20.

32. (क) सातवें आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1980, 21.

33. (ख) सातवें आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार, खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1980, 21.

34. (क)आठवें आम निर्वाचन, राजस्थान सरकार, निर्वाचन विभाग, जयपुर, केन्द्रीय मुद्रणालय, 1985, 21.

35. (ख)आठवें आम निर्वाचन, राजस्थान सरकार, निर्वाचन विभाग, जयपुर, केन्द्रीय मुद्रणालय, 1985, 21.

36. (क)नवें आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार खण्ड,–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1990, 22

37. (ख)नवें आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार खण्ड,–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 1990, 22

38. (क)दसवां आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार खण्ड–2, नई दिल्ली निर्वाचन आयोग, 27 फरवरी 1993,

39. (ख)दसवां आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार खण्ड–2, नई दिल्ली निर्वाचन आयोग, 27 फरवरी 1993,

40. (क)ग्यारहवें आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 25 नवम्बर, 1998

41. (ख)ग्यारहवें आम निर्वाचन की रपट पर आधारित, भारत सरकार खण्ड–2, नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग, 25 नवम्बर, 1998

राजस्थान विधानसभा में विपक्ष और आम चुनाव

(सत्ता प्राप्ति में विधानसभा की व्यावहारिक पृष्ठभूमि, सत्ता प्राप्ति के प्रयत्न)

संसदीय लोकतंत्र की प्रकिया चुनावों से ही प्रारम्भ होती है और चुनाव परिणाम आ जाने और उनके परिणामस्वरूप विधान मण्डलों के गठन हो जाने पर यह प्रकिया अपना कियात्मक रूप ले लेती है अर्थात् वास्तविक काम करना प्रारम्भ कर देती है। संसद के व सात राज्य विधानमण्डलों के दोनों सदन तथा शेष राज्यों की विधानसभाएँ को इस प्रकिया का पालन करना होता है, हालांकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की चुनाव पद्धति, जो सीधे वयस्क मताधिकार से सम्पन्न होती है, राज्यसभा और राज्य विधानपरिषदों की प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से भिन्न है।[1]

स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार है। लोकतंत्र की गुणवता में वृद्धि के लिए उचित होगा कि विधान सभा और लोक सभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए आयु व अन्य योग्यताओं के समान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की जाये। मतदाताओं के लिए भी शिक्षित होना अनिवार्य किया जाना चाहिए जिससे यह कहा जा सके कि जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि शिक्षित और ऐसे लोगों द्वारा निवार्चित हुए है जो वोट की कीमत और महत्त्व को समझते हैं।[2]

संसदीय लोकतंत्र में चुनावों का प्रयोजन मात्र सत्ता परिवर्तन अथवा लोकतंत्र का आशय कुर्सी की राजनीति या सत्ता प्राप्ति का एक आजार मात्र ही नहीं है बल्कि चुनाव लोकतंत्र एक जीवन सूत्र है। लोकतंत्र में चुनावों को एक अनुष्ठान की संज्ञा दी गई है। चुनाव लोकतंत्र में पर्व है, त्योहार है। चुनाव जनता के लिए अंतिम हथियार है, जिसके सहारे वह न केवल सत्ता परिवर्तन करती है बल्कि प्रतिनिधियों व शासकों पर अंकुश भी लगाते हैं।[3]

चुनाव की अपनी एक आचार संहिता होती है। चुनाव में निर्वाचित प्रत्यक सदस्य का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने उस दल के प्रति निष्ठावान रहे जिस दल से वह चुना गया है, क्योंकि जनता किसी दल विशेष की नीतियों आदि से प्रभावित होकर ही उस दल के प्रत्याशियों को मत देती है। यदि ऐसा सदस्य उस दल को किसी अन्य दल में मिल जाता है तो यह जनता के प्रति विश्वासघात हैं।[4]

भारत के संविधान में 'राजनीतिक दल' का न तो उल्लेख किया गया है और न ही संविधान में 'राजनीतिक दल' की कोई परिभाषा दी गई है। वस्तुतः राजनीतिक दलों के

बिना लोकतंत्रात्मक सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीतिक दल लोकतंत्र के वाहक हैं जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। ये राजनीतिक दल लोकतंत्र के साधन और आधारशिलाएँ है। दल उसके 'प्राण, ह्रदय और आत्मा' है। दल लोकतंत्रीय यज्ञ में उप स्नेहक तेल के तुल्य हैं।[5]

'मैकाइवर' के अनुसार राजनीतिक दल उन मनुष्यों का संगठन है, जो किसी ऐसे सिद्वान्त अथवा नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हा जिसे वह सांविधानिक साधनों से शासन का आधार बनाना चाहता हो।

लोकतंत्र के क्रियान्वयन की दृष्टि से राजनीतिक दलों का बड़ा महत्त्व है। उन्हें हम लोकतंत्र की कसौटी कह सकते हैं क्योंकि किसो देश की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र का अस्तित्व कहाॅ तक है, यह इस बात से जाना जा सकता है कि उस व्यवस्था में राजनीतिक प्रणाली किस सीमा तक राजनीतिक प्रतियोगिता पर आधारित है। दलों के बीच पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यापक जनसम्पर्क, जनमत की शुद्व अभिव्यक्ति के द्वारा लोकतंत्र सार्थक होता है। दल के द्वारा अमर्त मतदाता मूर्त रूप प्राप्त करते हैं। दल सरकार, संसद (विधान मण्डल) और जनता के बीच की कड़ी का काम करते हैं।[6]

'प्रोफेसर मेरियम' के शब्दों में "राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोकनीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना और उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण तथा व्यक्ति और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करना होता है।[7]

चुनाव ऐसा अवसर होता है जब राजनीतिक दल लोगों से वायदे करते है और वायदे उनके घोषणा–पत्र में शामिल होते हैं। घोषणा–पत्र राजनीतिक दलों के लिये अपनी नीतियों व कार्यक्रमों के प्रति नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर होता है जिसमें उनकी दृढ़ इच्छा, उद्देश्य और संकल्प शक्ति का परिचय मिलता है। यह वह प्रतिज्ञा जिसमें कोई भी राजनीतिक दल अपने चिन्तन की नवोनता, संकल्प की निर्भीकता और उद्देश्य की स्पष्टता प्रदर्शित करते हैं।

घोषणा–पत्रों का उद्देश्य मतदाताओं के समक्ष दलीय राजनीतिक एवं भावी कार्यक्रम की एक रूपरेखा उपस्थित करना तथा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों के हल की विधि सुझाना है। यही नहीं, इसके आगे वह मतदाता के भविष्य के विविध वायदे भी करता है। इसमें उसकी नित्य प्रति की समस्याआं एवं व्याप्त कठिनाइयों को दूर करने के भरपूर आश्वासन भी होते हैं और सभी एक स्वर से चुनावों में मतों की मांग करते हैं।

चुनाव घोषणा–पत्रों का महत्त्व संसदीय लोकतंत्र के दो महत्त्वपूर्ण पक्षों को छूता है। पहला जनता की चुनाव के बारे में रूचि और जागरूकता और उनके वोट मांगने, दूसरा

अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति कितने जवाबदेह है। घोषणा–पत्र का महत्त्व केवल चुनावी रैली की तात्कालिकता में नहीं बल्कि दल के शीष नेतृत्व द्वारा तैयार और प्रदेश के समक्ष जारी औपचारिक दस्तावजों के रूप में है जो उसमें की गई प्रतिज्ञाओं के प्रति नैतिक बल का स्वयं गवाह है। चुनाव घोषणा–पत्र वास्तव में वह सैद्धान्तिक एवं नीतिगत आधार है जिस पर अभियान चलाया जाना और सत्ता में आने के बाद शासन चलाया जाना अपेक्षित होता है। सत्ताधारी दल चुनाव घोषणा–पत्र में अपनी उपलब्धियों को प्रचारित करते हैं और भविष्य में अपनाई जाने वाली नीतियों और कार्यकमों को प्रकट करते हैं। सत्ता–विहीन दलों के घोषणा–पत्रों में सत्ता की असफलताओं एवं गलतियों की आलोचना तथा अपनी नीतियों और उपचारों का उल्लेख होता है। दलों की विचारधारा, नीतियाँ, कार्यक्रमो तथा वचनबद्वता एवं प्रतिबद्वता के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करने के साथ ही मतदाता को निर्णय करने की सही दिशा देने की दृष्टि से चुनाव घोषणा–पत्रों की प्रासंगिकता असंदिग्ध है, भले ही चुनाव घोषणा का पालन पूरी निष्ठा से नहीं किया जाता हो। चुनाव के समय राजनीतिक दलों के द्वारा अपने घेाषणा–पत्र में राष्ट्र–निर्माण के बुनियादी सिद्धान्तों, कार्यक्रमों, मुद्दों, नीतियों, प्रतिबद्धताओं आदि से जनमानस को अवगत कराने का प्रयास किया जाता हैं।[8]

बारहवें तथा तेरहवें आम चुनाव के समय किये गये चुनावी वायदे इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस–

बारहवीं विधान सभा के पूर्व मेंइण्डियन नेशनल कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा–पत्र जारी करते हुए कहा कि इसे अगले पांच साल में पूरी तरह लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गिरिजा व्यास और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा ने घोषणा–पत्र जारी किया। गहलोत ने बारहवीं विधानसभा के चुनावों के समय जारी घोषणा–पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने पूरे पाँच साल तक घोषणा–पत्र के वायदे के मुताबिक काम किया। गहलोत ने बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने को चुनौती मानते हुए कहा कि राज्य में भी महाराष्ट्र पैटर्न पर रोजगार गारण्टी योजना लागू की जाएगी। राज्य की कॉंग्रेस सरकार ने प्रदेश में जो विकास शुरू किया है, उसे पूरा करने के लिए पार्टी को फिर मौका दिया जाए।

घोषणा–पत्र में वायदा किया गया कि बंजर भूमि के विकास के लिए वेस्टलैण्ड डवलपमेंट बोर्ड, की स्थापना की जायेगी। रबी फसल के लिए किसानों को आठ घण्टे बिजली मुहैया कराई जाएगी। पशुपालन और डेयरी विकास के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। सिंचाई सुविधा के लिए 24 जिलां मे विश्व बैंक की 733 करोड़ की लागत की राजस्थान जल क्षेत्र परियोजना को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पूरा कर

किसानों के लिए पानी को नहर के अन्तिम छोर तक पहुँचाया जाएगा। पेयजल के स्थायी समाधान के लिए योजना बनाई जाएगी। गांवों का समूह बनाकर पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा।

काँग्रेस ने राज्य में बिजली सुधार योजना का जारी रखते हुए उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने की घोषणा की थी। सभी गांवों को दा साल के भीतर बिजली पहुँचाने का वायदा किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने की घोषणा भी को गई थी। ग्राम पंचायत स्तर तक सहकारी समितियों के गठन का भी एलान किया गया। अगले पांच साल में पूरे प्रदश को साक्षर बनाने के साथ ही बालिकाओं की उच्च प्राथमिक शिक्षा निः शुल्क करने का भी वायदा किया गया। काँग्रेस ने महिलाओं का एनजीओ बनाने का रजिस्ट्रेशन शुल्क ढाई हजार से घटाकर ढाई सौ रूपये करने की घोषणा भी की। घोषणा–पत्र में जयपुर मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का भी भरोसा दिया गया।

इसी प्रकार तेरहवीं विधान सभा के चुनाव के पूर्व राजस्थान प्रदेश काँग्रेस पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। इस चुनाव घोषणा पत्र को वह मात्र एक औपचारिक घोषणा पत्र नहीं मानती बल्कि प्रशासन का आधार मानती है। काँग्रेस राजस्थान के बड़े स्तर पर समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अपने घोषणा पत्र में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी के प्रावधान का उल्लेख किया गया। काँग्रेस असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, भूमिहीन खेतीहरों, दस्तकारों एवं कामगारों को आगे लाने का विशेष कदम उठाने के लिए कटिबद्ध है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्ग को आगे लाने का विशेष कदम उठाने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस सम्पूर्ण जनता के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्य योजना का क्रियान्वयन करेगी। काँग्रेस पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए अधिक विद्युत उत्पादन गाँव–गाँव, ढाणी–ढाणी में सड़को का जाल, पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण, युवाओं कें लिए काँग्रेस एक ऐसी औद्योगिक नीति बनायेगी जो रोजगार के नये अवसरों का सृजन करते हुए आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत ढाँचे में निवेश को बढ़ाएगी। शत प्रतिशत साक्षरता को प्राप्त करने के लिए विशेष योजना बनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की भी घोषणा की कि प्रदेश में हर कीमत पर कला, संस्कृति एवं विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन हो तथा राजस्थान भारत का एक विकसित, शान्ति एवं संस्कृति से परिपूर्ण एक सम्पन्न प्रदेश बने। इसके साथ ही पार्टी द्वारा यह भी घोषणा की गई कि वह राजस्थान की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील, उत्तरदायी एवं गतिशील प्रशासन देगी।[9]

भारतीय जनता पार्टी

बारहवीं विधान सभा के पूर्व भारतीय जनता पाटी ने चुनाव घोषणा पत्र में एक लाख युवाओं को हर साल रोजगार, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की गारण्टी, हर साल एक में लाख मकानों का निर्माण, गरीब किसान का 10 हजार तक का कर्जा माफ, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को रियायती दर पर बिजली, महिलाओं को हर स्तर पर मुफ्त शिक्षा, गृहकर समाप्त, एक मेडिकल विश्वविद्यालय, किसानों को आठ घण्टे बिजली और सरकारी कमचारियों की बोनस समेत बंद सभी सुविधाएं फिर शुरू करने सहित दर्जनों लोक लुभावनी घोषणाओं के साथ अपना चुनावी घोषणा–पत्र जारी किया।

घाषणा–पत्र में किसानों के लिए 175 करोड़ का किसान कल्याण कोष, आपदा के समय किसान की मदद के लिए 250 करोड़ का कोष, फसल बीमा योजना के लिए 75 करोड़ का प्रावधान, 25 करोड़ रूपये किसान जीवन कल्याण कोष के स्थापित करने का वायदा किया गया था। बिजली के लिए राज्य को आत्मनिर्भर बनाने, उर्जा के उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, बढ़ी हुई बिजली की दरों को तर्कसंगत बनाने, सभी गाँवों में बिजली पहुंचाने और डेढ लाख कुओं पर कनेक्शन देने का वायदा किया गया था। 50 हजार ग्रामीण क्षैत्र में और 50 हजार शहरी क्षेत्र में सालाना मकान बनाने, पूर्व सैनिकों को सरहद पर मकान बनाने के लिए रियायती दरों पर जमीन देने, एक लाख युवाओं को हर साल रोजगार, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार गारण्टी, बेरोजगारी भत्ते के लिए 100 करोड़ का कोष बनाने, कर्मचारियों को बोनस, समर्पित अवकाश का भुगतान करने सहित भाजपा शासन की सभी सुविधाओं को बहाल करने की बात कही थी। महिलाओं क लिए सभी स्तरों पर मुफ्त शिक्षा, महिला के नाम सम्पत्ति हस्तांतरण पर रजिस्ट्री शुल्क में 50 फीसदी की छूट, सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण का संकल्प लिया था। पहाड़ी–रेगिस्तानी इलाकों में कॉलेज, प्रत्येक जिलों में गर्ल्स कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्दो विश्वविद्यालय का दर्जा देने का वायदा किया गया था। प्रत्येक पंचायत में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक व युनानी केन्द्र खोलने तथा पेयजल के लिए जल नीति का निर्माण व प्रत्येक गांव स्वजल धारा योजना से पानी पहुँचाने जैसे प्रमुख वायदे प्रमुखता से किये गये थे।

वहीं तेरहवी विधान सभा के चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। जिसमें उन सब गलतियों व कमियों को सुधारने का प्रयास किया जो इसके पूर्व के कार्यकाल के अन्तर्गत रह गयी थी। इस कार्यकाल के अन्तर्गत कृषि के क्षेत्र में राज्य किसान आयोग का गठन, कृषक जीवन कल्याण योजना, किसान भवन, मौसम बीमा योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालक बीमा योजना,

अविकापाल जीवन रक्षक योजना, अविका कवच योजना, पशुपालन कल्याण बोर्ड का गठन, कामधेनु योजना आदि घोषणा इस घोषणा पत्र में की गई। बिजली के क्षेत्र में नई कनेक्शन नीति जारी करने, किसानों को आठ घंटें बिजली, घरेलू कनैक्शनों पर 24 घण्टे बिजली देने की घेाषणा, 100 से कम आबादी वाले गाँव–ढाणियों को बिजली से जोडने की घोषणा, पानी के क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त पानी के स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस कार्यकम प्रारम्भ करने, बीसलपुर से अजमेर तथा इन्दिरा गांधी नहर से नागौर जैसे शहर में बड़ी परियोजना की घोषणा, सड़को के क्षेत्र में 9 नये राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 1200 किमी मेगा हाईवे का निर्माण, 200 किमी आबादी वाले गाँव–ढाणियों को सड़को से जोड़ना, चिकित्सा के क्षेत्र में सभी 6 मेडिकल कॉलेजों, उनसे सम्बन्द्ध 6 चिकित्सालयों, 26 जिला अस्पतालों आदि की घोषणा इस घोषणा पत्र में की गई।[1]

इण्डियन नेशनल लोकदल

इण्डियन नेशनल लोकदल ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालात करते हुए 17 नवम्बर, 2003 को घोषणा–पत्र जारी करते हुए कहा था कि राज्य में छोटे जिलों और मरूस्थल विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इनेलो के राजस्थान प्रभारी अजय सिंह चौटाला ने पार्टी का चुनाव घोषणा–पत्र जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में युवकों को रचनात्मक कार्यो के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए नई युवा कल्याणकारी नीति बनाई जाएगी। इनेलो ने बेरोजगारों को भत्ता देने का वायदा किया था। घोषणा–पत्र में शिक्षा, रोजगार, खेल एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का वायदा किया गया था। बेरोजगारोंके व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए जिला मुख्यालयों पर केन्द्र खोले जाएँगे। खेलों को बड़ावा देने के लिए नई खेल नीति बनाई जाएगी। घोषणा–पत्र में कहा गया था कि महत्त्वपूर्ण भवनों के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाएँगे। पशुधन विकास बोर्ड, फसल बीमा सहित कई अन्य वायदे भी किये गये थे।[11]

राष्ट्रीय लोकदल

राष्ट्रीय लोकदल ने अपने घोषणा–पत्र में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसानों को 12 घंटें बिजली देने और आर्थिक आधार पर अगड़ी जातियों को आरक्षण देने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय लोकदल ने राजस्थान में सर्वे कराकर नये जिले गठित करने का भी वायदा किया था। राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव ने कहा कि प्रदेश में किसानों की सरकार होगी। किसानों के लिए सभी फसलों पर फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। सब्सिडी में कटौती नहीं की जाएगी। नई कृषि नीति और निर्यात नीति बनाकर

कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। संरक्षित कृषि उत्पादन मूल्य पहले से घोषित किया जाएगा। घोषणा–पत्र में बिजली सुधार के लिए कई कदम उठाने का वायदा किया गया था। इसके तहत सभी गांवों का विधुतीकरण किया जाएगा और बिजली आपूर्ति में वोल्टेज का पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा सिंगल फेज बिजली पूरे समय उपलब्ध कराएगी। पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली लागू करने, बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, विशेष बालिका शिक्षा योजना शुरू करने, शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने, शिक्षकों की भर्ती करने और सूचना के अधिकार को व्यापक बनाने की घोषणा की गई।[12]

बारहवीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा तेरहवीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख रूप से विपक्ष की भूमिका निभाई थी। यहाँ 2008 के चुनावों के समय जारी दोनों दलों के चुनाव घोषणा–पत्रों में किये गये प्रमुख वायदों की तुलना की जा रही है–

तालिका संख्या–3.1

बारहवीं विधानसभा के चुनाव घोषणा–पत्रों का तुलनात्मक अध्ययन[13]

विभाग क्षेत्र	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस	भारतीय जनता पार्टी
शिक्षा	हर ग्राम पंचायत में सैकेण्डरी स्कूल। महिला कॉलेज तथा छात्रावासों के लिए निजी क्षेत्र में निः शुल्क जमीन। तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना। अगले पाँच सालों में सम्पूर्ण राजस्थान को साक्षर बनाया जाएगा।	राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का प्रयास। महिला शिक्षा (गैर तकनीकी) पूरी तरह मुफ्त प्राथमिक तथा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। गाँवों में मुफ्त कम्प्युटर शिक्षा। मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	मुख्यमंत्री सहायता कोष से तीस हजार रूपये तक की आमदनी वालों के इलाज में खर्च। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष का लाभ अनाथ बच्चों, विधवाओं, परित्यक्ताओं एवं निःशक्तों को भी। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्यापैथी एवं योग पद्धति का विस्तार। हर ग्राम पंचायत में प्राइमरी हैल्थ वर्कर तथा एक एएनएम की नियुक्ति। जिला स्तर पर कम से कम 200 बिस्तरों वाला अस्पताल। पंचायत समिति स्तर पर 50 बिस्तरों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।	मेडिकल सिटी की कार्ययोजना। प्रत्येक पंचायत में एलोपैथिक, आयुर्वदिक एवं यूनानी चिकित्सा केन्द्र। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गो पर स्थित अस्पतालों में एम्बुलेंस की स्वास्थ्य। वृद्धों को मुफ्त चिकित्सा कार्ड। किसानों और उनके परिजनों की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए किसान जीवन कल्याण कोष। ग्रामीण एवं आदिवासी इलाकों में मोबाइल अस्पताल।
कृषि	किसानों को आठ घण्टे बिजली। फलोद्यान वृक्षारोपण की योजना। बंजर भूमि के विकास के लिए वेस्टलेण्ड डवलपमेन्ट की स्थापना। जड़ी–बूटी मसालों की खेती को बढ़ावा।	किसानों के 10,000 रूपय तक के कर्जो की माफी पर विचार। 175 करोड़ रूपये की लागत से किसान कल्याण कोष की स्थापना। किसानों को आठ घण्टे बिजली। कृषि कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची का 15 माह में निपटारा।

	जोधपुर, गंगानगर, कोटा में एग्रो फूड पार्कों का निर्माण शीघ्र।	सभी फसलों के लिए फसल बीमा योजना, 75 करोड़ का प्रावधान।
श्रम एवं रोजगार	असगंठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण की योजनाएँ। महाराष्ट्र पैटर्न पर रोजगार गारण्टी योजना लागू करने का प्रयास। सरकारी नौकरी में साक्षात्कार हेतु किराये में आधी छूट। नई कोलोनियों में थड़ी, ठेला चलाने वालों को जगह।	हर साल एक लाख युवाओं को रोजगार। बेरोजगार नवयुवको को बेरोजगारो भत्ता, 100 करोड़ की लागत से रोजगार कोष की स्थापना। योग्यता प्राप्त बेरोजगार युवकों को रोजगार की गांरटी दी जाये। न्यूनतम मजदूरी, मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ी जायगी।
पशुपालन और डेयरी विकास	पशुओं की चिकित्सा के लिए मोबाइल इकाइयाँ। निजी क्षेत्र मं पशु चिकित्सा केन्द्र।	पशु बीमा योजना का विस्तार। पशु पालन कल्याण बोर्ड का गठन। भेड़, बकरी एवं ऊंटों को अकाल राहत सूची में शामिल किया जाएगा।

बिजली	विद्युत क्षमता बढ़ाने की प्राथमिकता जारी रहेगी। दो सालमें सभी गाँवों का विद्युतीकरण। 140 मेगावाट क्षमता वाली सौर उर्जा आधारित मथानिया पर शीघ्र काम। धौलपुर में 330 मेगावाट गैस आधारित तथा गिरल में 125 मेगावाट क्षमता के लिग्नाइट आधारित विधुत संयत्र की स्थापना।	वर्ष 2005 तक छः हजार मेगावाट की बिजली का उत्पादन। 2007 तक विद्युत उत्पादन में आत्मनिभरता बढ़ाई गई। बिजली दरों पर पुनः विचार कर विद्युत सुधार कार्यकमों की समीक्षा की जायगी। बी.पी.एल. परिवारों को रियायती दर पर बिजली। इलेक्ट्रोनिक मीटर के फैसले का परीक्षण।
पानी	नदियों को जोड़ने की केन्द्र सरकार की योजना का अधिकतम लाभ देने का पयास। अन्तरराज्यीय समझौतों का पूरा पानी लाने का प्रयास। 30 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को 40 लाख हैक्टेयर क्षेत्र तक बढ़ाना। विश्व बैंक की 733 करोड़ लागत की राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना पर तेजी	जयपुर को बीसलपुर परियोजना से जल्दी जोड़ने का पयास। हण्डपंपों को बदलने का अभियान। जनता जल परियोजना का विस्तार। ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में 1600 मीटर कवरेज मापदण्ड को बदलकर 500 मीटर का मापदण्ड। उपलब्ध जल का न्यायपूर्ण बंटवारा।

	से काम।	वर्षा जल के संग्रहण के कानूनी प्रावधान।
पर्यटन कला संस्कृति के लिए प्रतिबद्धता	राजस्थान, पर्यटन अधिनियम बनेगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से संभाग स्तर पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर का ऑडिटोरियम। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े व्यापार की कर प्रणाली को पर्यटन फ्रेंडली बनाया जाएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा।	मंदिर पर्यटन को बढ़ावा। मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना शीघ्र पूरी होगी। होटल हेरिटेज के मद्देनजर नई पर्यटन नीति। पर्यटक स्थलों के विकास एवं रख–रखाव के लिए वृहद् योजना।
सहकारिता आंदोलन के लिए	तीन महीने के भीतर सहकारी समितियों के चुनाव। ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समितियोंका गठन। सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड।	सहकारी संस्थाओं को सहकारी माफियाओं से मुक्ति। पंचायत समिति स्तर पर क्रय सहकारी समितियों का गठन। समय पर चुनाव।
उद्योग एवं व्यापार	भिवाड़ी में होजरी कॉम्प्लेक्स। जयपुर में वस्त्र पार्क। नीमराना में एक्सपोर्ट प्रमोशन इण्डस्ट्रियल पार्क को स्थापना। सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ	हैण्डीक्राफ्ट उद्योग को विशेष उद्योग का दजा। बिक्री कर को तर्कसंगत बनाया जाएगा। औद्योगिक वातावरण के लिए 250 करोड़ को राशि से ढांचागत विकास कोष।

	प्लास्टिक इंजिनियरिंग की स्थापना।	बंद उद्योगों को चालू कराने के लिए 50 करोड़ की लागत से तकनीकी पुनरूत्थान कोष कायम होगा।
सड़कें	गांवों को जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक्स का काम प्राथमिकता से। बचे हुए ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। जयपुर शहर में मो रेल के प्रयास। जिलों में बी.ओ.टी. प्रणाली से नई सड़कें।	नय ट्रांसपोर्ट नगरों का निर्माण। यात्री बस परमिट प्रणाली सरल बनाई जाएगी। ग्रामीण परिवहन नीति बनेगी और ग्रामीण ब्लाको में नये मार्ग घोषित होंगे। महत्वपूर्ण राज्य मार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन।
वन एवं पर्यावरण	सभी सभागों में नये औषधि उद्यानों का विकास। जयपुर, जोधपुर, एवं उदयपुर में जैविक उद्यान बनेगें।	वन संरक्षण अधिनियम की कड़ाई से पालना। वन सुंरक्षा समितियों को पुनः सकिय किया जाएगा।
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता	राजीव गांधी पाठशालाओं की सभी सुविधाएं मदरसों में भी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बिना ब्याज ऋण। परम्परागत व्यवसायोंपर आधारित आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक पाठ्यक्रम। पुरातन स्थलों का संरक्षण एवं पर्यटन की दृष्टि से विस्तार	वक्फ बोर्ड की प्रमाणित संम्पतियों की सुरक्षा, राजस्व रिर्काड में इन्द्राज। सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था। कब्रिस्तानों में सरकारी खर्च पर चारदीवारो, बिजली, पानी का बंदोबस्त। मस्जिद कब्रिस्तान एवं कर्बला की

		भूमि की सुरक्षा, अतिक्रमण हटेंगे।
युवा एवं खेलकूद	युवा नीति बनाई जाएगी। गांवों में यूथ क्लब के गठन को पोत्साहन। जिलों में खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाले केन्द्र। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी में प्राथमिकता।	युवा बोर्ड का गठन। सरकारी स्कूलों में खेल मैदान की व्यवस्था। खेल परिषद् को प्रभावी बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को उभारने के विशेष कदम।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	ग्रामीण विकास सेवा गठन। पंचायतों को और अधिकार। गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योग।	3500 से अधिक गैर आबादी गांवों को मिलाकर नई राजस्व इकाईयां। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् में तालमेल के लिए कानूनों में संशोधन। पंचायतीराज संस्थाओं को अधिक मजबूती, सरकारी दखल बंद।
महिला एवं बाल विकास	नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती महिलाओं को प्राथमिकता। परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए आई.टी.आई. एवं दस्तकारी का प्रशिक्षण। महिला एवं स्वयं सेवी सहायता समूहों की संख्या बढ़ाकर एक लाख की जाएगी एवं रियायती दर पर ऋण।	सरकारी नौकरियों में महिलाओं को तीस फीसदी आरक्षण। एस.टी., एस.सी. एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भर्ती में 10 साल तथा सामान्य वर्ग को 5 साल की छूट। बालिका कम्प्युटर शिक्षा मुफ्त।

		महिला के नाम संम्पति हस्तानातंरण पर रजिस्ट्री शुल्क 50 प्रतिशत। महिला उद्यमी को ब्याज पर 5 प्रतिशत सब्सिडी।

तालिका संख्या–3.2

तेरहवीं विधानसभा के चुनाव घोषणा–पत्रों का तुलनात्मक अध्ययन[14]

विभाग / क्षेत्र	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस	भारतीय जनता पार्टी
शिक्षा	प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक सभी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। शिक्षा की बजट राशि में वृद्धि। सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में प्रथम कक्षा से अंग्रजी विषय की शिक्षा की शुरूआत। संभागीय स्तर पर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना। विद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा।	बालिकाएं महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सके, इस हेतु सभी जिलों में कन्या महाविद्यालयों की स्थापना एवं रहने के लिए विशेष छात्रावास की सुविधा। प्रारम्भिक शिक्षा में विद्यालय छोड़ने की दर जो वर्तमान में 60 प्रतिशत है को घटाकर 30 प्रतिशत अंक लाना। हम महाविद्यालयों में सीटों को दौगुना करेंगें ताकि सभी युवा महाविद्यालयों में अध्ययन कर सके। सभी विद्यालयों के पक्के भवन, पेयजल, और शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	प्रत्येक जिला स्तर के चिकित्सालयों का सुदृढ़ीरण। आवश्यक सभी विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ आई.सी.य. एवं ट्रोमा सेंटर की स्थापना। बी. पी. एल. परिवारों के अतिरिक्त अनाथ बच्चों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं नि: शक्तजनों को निःशुल्क चिकित्सा जाँच एवं इलाज उपलब्ध कराना। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक प्राइमरी हैल्थ वर्कर (स्वास्थ्य मित्र) तथा एक ए. एन.एम. की नियुक्ति की गारण्टी। सभी ग्राम पंचायतों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की अनिवार्य तौर पर स्थापना।	राजस्थान के चिह्नित ऐसे नागरिक जो बी.पी.एल./ अ.जा./ अ.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/सीमान्त किसान वर्ग से नहीं है, उन्हें एक लाख रूपये तक की राशि का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान। जिले अस्पतालों में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए 5 सैटेलाइट अस्पताल, 25 शहरी डिस्पन्सरीज खोली जाने का प्रावधान। राज्य के सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओंका विकास निजी सार्वजनिक सहभागिता आधारित बीमा योजना के तहत लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधान। जन्म दर को घटाकर 22.6 तक करने का प्रावधान।
कृषि	जिला स्तर पर कृषि उपज मंडियों के माध्यम से किसानों के लिए विश्राम गृहों का निर्माण। किसानों को प्रामाणिक खाद, बीज एवं कीटनाशक	सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मिल सके, इस हेतु समस्त फीडरों को पूर्ण कर सिंचाई के लिए अलग से फीडर बनाने का प्रावधान। प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा से युक्त किसान

	उचित मूल्य एवं समय पर उपलब्ध कराना। इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं के तंत्र को अधिक प्रभावी बनाना। शीत लहर, पाला, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को जूझने में समर्थ बनाना एवं उचित मुआवजा नीति का निर्धारण। बंजर भूमि के विकास हेतु वैस्टलैण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना।	सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रावधान। कृषि उपज में बढ़ोतरी हेतु राज्य में अधिक उत्पादकता वाले बीजों के उपयोग को सुनिश्चित करने क लिए विशेष कार्यक्रम का प्रावधान। फलों, सब्जियों व अन्य नगदी फसलों में वृद्वि के लिए विशेष प्रावधान।
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	आदिवासी कल्याण अधिनियम – 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं विशिष्ट पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों को निश्चत समय सीमा में भरा जाना तय। ओ.बी.सी. के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृति देने की योजना।	कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम का प्रावधान। वर्तमान में वृद्धजनों को दी जा रही पेंशन 400 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये करने का प्रावधान। कमजोर वर्ग की प्रत्येक विधवा महिला को 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान।

पशुपालन और डेयरी विकास	पशुधन बीमा हेतु आवश्यक कदम उठाना। डेयरी उद्योगों का विकास, दुग्ध उत्पादकों को उनक उत्पाद के उचित मूल्य की गारण्टी। पशुओं की चिकित्सा के लिए सरकारी एवं गैर–सरकारी स्तर पर मोबाइल यूनिटों की स्थापना। निजी क्षेत्र के सहयोग से पशु चिकित्सा महाविद्यालयों एवं पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन।	आने वाले 5 वर्षों में नये कार्यक्रमों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को दुगना करने का प्रावधान। बकरी, ऊँट, गाय व अन्य पशुओं की नस्लों में सुधार हेतु उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रावधान। पशुधन की गुणवत्ता और उनके संरक्षण हेतु विशेष कार्यक्रम संचालित करने का प्रावधान। ऊन उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु विशेष प्रावधान।
बिजली	विद्युत उत्पादन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को पी.पी.पी. के जरिये विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास। आगामी पांच वर्षो में प्रदेश को बिजली की दृष्टि से आत्म निर्भर बनाने की ठोस योजना ताकि प्रदेश में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 10,000 मेगावाट तक पहुंच सके। किसी भी तरह के बिजली	प्रत्येक गांव में पृथक से फीडर लाईन बिछायी जाएगी ताकि घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध हो। राज्य में लिग्नाइट की उपलब्धता को देखते हुए लिग्नाइट आधारित उर्जा सयत्रों की संख्या को बढ़ाये जाने का प्रावधान। राज्य के सभी किसानों को 8 घण्टे

	कनेक्शन के लिए मांगपत्र की राशि जमा होने पर आगामी 30 दिनों में कनेक्शन देने की गांरटी। विद्युत कनेक्शन नहीं देने की स्थिति में जमा राशि पर ब्याज का भुगतान। राज्य के सभी गांवों में शहरों की भांति घरेलू बिजली 24 घण्टे उपलब्ध कराने के प्रयास।	बिजली एवं घरेलू कनेक्शनों पर 24 घण्टे बिजली का प्रावधान। मौजूदा विधुत उत्पादन संयत्रों को सार्वजनिक – निजी सहभागिता में परिवर्तित किये जाने का प्रावधान। राज्य में बिजलो वितरण में अधिक निवेश किये जाने का प्रावधान।
पानी	बरसात के पानी के संरक्षण हेतु जल एकत्रण (Water Harvesting) को प्रोत्साहन। राज्य के सभी राजस्व गांवों को पेयजल आपूर्ति। परम्परागत जल स्त्रोतों कुओं, बावड़ियों, टांको, तालाबों आदि का जीर्णोद्धार। नागौर, बाड़मेर और बालोतरा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। प्रदेश में जल संरक्षण की नीति की घोषणा में नदियों तालाबों	फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित राजस्थान के सभी प्रमुख गांवों और कस्बों में जल शुद्धिकरण संयत्र स्थापित करने का प्रावधान। सभी गांवों में बड़े स्तर पर जल संरक्षण योजनाओं की पहल का प्रावधान। सभी शहरों में बनने वाले नये मकानों में जल संरक्षण को अनिवार्य करने का प्रावधान। सभी 222 कस्बों में शुद्ध पेयजल की

	जोहड़ों एवं एनिकटों का रख रखाव।	नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान।
सामाजिक सुरक्षा	स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन और सुविधाओं में वृद्धि। विश्वास – योजना के अन्तर्गत निर्धारित वार्षिक आय सीमा 24 हजार रूपये के स्थान पर 50 हजार रूपये एवं ऋण सीमा 50 हजार रूपये के स्थान पर एक लाख रूपये। वरिष्ठ नागरिक बोर्ड का गठन। सरकार एवं निजी क्षेत्र की सहकारिता के आधार पर जिला स्तर पर सुविधायुक्त वरिष्ठ नागरिक आश्रम की स्थापना।	चयनित निःशक्तजनों को प्रतिमाह 500 की आय का प्रावधान। राज्य में सभी कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रावधान। नाई, धोबी, चर्मकार जैसे दस्तकारों को आरक्षित दर पर भूमि का प्रावधान। सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन का प्रावधान।

सहकारिता आंदोलन के लिए	सरकार के गठन के छः माह के अन्दर सहकारी समितियों के चुनाव। कृषि सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन। राज्य में सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा। गाम सेवा सहकारी समितियों का नवीनीकरण एवं सशक्तीकरण। किसानों को खाद बीज कीटनाशक आदि सही समय पर उपलब्ध करवाना प्रमुख लक्ष्य।	सहकारी संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रावधान। सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को सस्ती दर पर ऋण की व्यवस्था। किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक आदि सही समय पर उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख लक्ष्य।
उद्योग एवं व्यापार	प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने तथा नई उद्योग एवं निवेश नीति बनाकर सकारात्मक वातावरण का निर्माण। वेट का सरलीकरण। राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा के समुचित कदम।	आने वाले 5 सालों में उद्योगों को प्रोत्साहित कर राज्य में 10 लाख नौकरियों का सर्जन किया जाएगा। राजस्थान स्वर्ण जयन्ती विकास कॉरिडोर का कार्य प्रारम्भ किये जाने का प्रावधान। राजस्थान में औद्योगिक नीति को बढ़ावा दिये जाने का प्रावधान।

सड़कें	प्रदेश में 250 तक की आबादी के गाँवों को सड़कों को जोड़ना। सभी राजमार्गों एवं जिला सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण। रोडवेज/निजी परिवहन सेवाओं का और अधिक फैलाव कर यथा संभव प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तक परिवहन सेवाओं का विस्तार। राज्य में समस्त राष्ट्रीय, राजमार्गों, राज्य मार्ग एवं जिला सड़कों पर स्थित रेल्वे फाटकों पर अगले पाँच वर्षों में बी.ओ.टी. सिस्टम के माध्यम से फ्लाई ओवर, रोड़ ओवर ब्रिज एवं अण्डर पास निर्मित किये जाने के ठोस प्रयास।	250 की अधिक आबादी के सभी गांवों/ढाणियों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ देना सुनिश्चित कर देने का प्रावधान। राज्य के प्रमुख शहरों एवं पर्यटक स्थलों को सुरक्षित और तेज यातायात वाले 4 से 6 लेन क हाइवे से जोड़ने का प्रावधान। सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए राज्य में राजस्थान सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन करने का प्रावधान। बड़े कस्बों में अच्छी सड़कों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान।
वन एवं पर्यावरण	वन अधिकार अधिनियम के तहत वनवासियों को प्राथमिकता के आधार पर छः महीने के अन्तर्गत पट्टे जारी। पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम के लिए विशेष कार्य योजना।	खनन क्षेत्रों में पर्यावरण के मापदण्ड बनाये जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि कम निजी वाहनों का प्रयोग हा, जिससे प्रदूषण कम से कम हो।

	वन उपज के विपणन में वन श्रमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की ठोस योजना।	पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा और उन्हें वनस्पति से ढका जाएगा।
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता	राजीव गाँधी पाठशाला को मिलने वाली सभी सुविधाओं का मदरसों तक विस्तार। अल्पसंख्यकों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बिना ब्याज के ऋण की उपलब्धता। जयपुर में हज हाउस का निर्माण । यूनानी चिकित्सा के प्रोत्साहन हेतु अलग से निदेशालय की स्थापना।	अल्पसंख्यकों के छात्र –छात्राओं के लिए आवश्यकतानुसार वर्तमान छात्रावास में अथवा पृथक छात्रावास की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान। अल्पसंख्यक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हेतु छात्रवति की व्यवस्था। मदरसों में आधुनिक शिक्षा पर जोर।

युवा एवं खेलकूद	राज्य में युवा बोर्ड का गठन। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत मुख्यालयां पर खेल मैदानों का निर्माण। खेल नीति की घोषणा एवं क्रियान्वयन। राज्य के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में प्राथमिता।	सभी सरकारो एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र की स्थापना का प्रावधान। प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर स्पोर्ट्स स्कूल की व्यवस्था का प्रावधान।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना सहित केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधिकांश काम ग्राम पंचायतों के हवाले। प्रत्येक ग्रांम पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित करना एवं ग्रामोण खेलकूदों को बढ़ावा देना। पंचायतीराज सेवा केडर के माध्यम से प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख व्यक्तियों को रोजगार। पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण।	ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। सभी पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाऐगा ताकि वे प्रशासन के लिए अधिक प्रभावी हों। सभी ग्राम पंचायतों पर नागरिक सवा केन्द्रां की स्थापना करने का प्रावधान। बीपीएल परिवारों के साथ अन्य चिह्नित वर्गो को भी आवासीय सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रावधान। नरेगा में श्रमिकों को समय पर काम एवं समय पर भूगतान की व्यवस्था का प्रावधान।

	नरेगा में श्रमिकों को पूरी मजदूरी।	

नौवीं एवं दसवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। ग्यारहवीं विधान सभा 1998 में हुए आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनादेश खो दिया। जिसके स्थान पर भारतीय काँग्रेस पार्टी को जनादेश मिला। जिसमें काँग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि अपने शासन काल में भाजपा न तो स्थिर सरकार दे पायी, और न ही योग्य नेतृत्व। उसके यहाँ तो आन्तरिक कलह, फूट एवं दिशाहीन व विरोधाभासी माहौल है। प्याज की कीमतें इतनी बढ़ गई है, जितनी पहले कभी नहीं बढ़ी। सरकार ने कीमतें रोकने व व्यापारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठायाव इन चुनावों क समय भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती वसुन्धरा राजे ने काँग्रेस के बारे में कहा कि काँग्रेस ने पाँच सालों में बेरोजगारों, व्यापारियों और कर्मचारियों को बहुत परेशान किया है। उसने आरोप लगाये कि कांग्रेस सरकार ने जनता की मूलभूत सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश सचिव एवं जर्नलिस्ट ऐसोसियन ऑफ राजस्थान के अजमेर जिलाध्यक्ष रह चूके है। इसी प्रकार जम्मू–कश्मीर के वरिष्ठ नेता चमन लाल गुप्ता का विधान परिषद् चुनाव में कथित रूप से क्रेस वोटिंग करना, कुल मिलाकर इन सब कारणों से भारतीय जनतप पार्टी कमजोर हुई है। इसी कारण बीजेपी सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है।[15]

बारहवीं विधान सभा के चुनावों में काँग्रेस पार्टी की हार के प्रमुख कारण ये रहे हैं कि पहला तो राज्य कर्मचारियों का सरकार के प्रति बढ़ता असंतोष तथा दूसरा कारण यह माना जा सकता है कि इस सरकार के शासन संचालन में जाटों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। राज्य कर्मचारियों को मिल रही सुविधाओं में कटौती करते हुए बोनस, समर्पित अवकाश आदि को बंद कर दिया गया। इसलिए राज्य कर्मचारी सरकार से खासे नाराज थे। वही दूसरा कारण जो कि सरकार में जाट समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देना माना जा सकता है। इससे जाट समुदाय काँग्रेस से नाराज चल रहा था। राज्य में जाटों की संख्या 20 प्रतिशत है जो प्रदेश की 52 सीटों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हैं। इन चुनावों में जाटों ने भाजपा का साथ दिया था। जिससे बहुल 52 सीटों में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष वसुन्धरा राजे ने चुनाव के अवसर पर 105 दिन की परिवर्तन

यात्रा निकाली जो बहुत लोकप्रिय हुई और इससे महिलाआ ने चुनाव में बढ़–चढ़कर भाग लिया। परिवर्तन यात्रा ने महिलाओं के मत प्रतिशत बढ़ने के साथ–साथ परिवर्तन यात्रा से दूर–दराज के गाँवों में भी भाजपा के पक्ष में लहर पैदा कर दी थी।

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में हुए आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो कि बारहवीं विधान सभा में सत्तारूढ़ थी उसको पराजय का मुह देखना पड़ा। इन चुनावों में काँग्रेस ने ग्यारहवीं विधान सभा के कार्यकाल में हुई गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हुए तथा भारतीय जनता पार्टी की कमियों को विपक्ष में रहकर उजागर करने का जो प्रयास किया उसका परिणाम उसे तेरहवीं विधान सभा में मिला। इस अवसर पर उसने वे गलतियाँ नहीं की जो पिछली विधान सभा में की थी। इस कार्यकाल में कर्मचारियों, व्यापारियों तथा अन्य वर्गो को भी वे सभी सुविधाएं देने का प्रयास किया जो सुविधाएं देने योग्य थीं। परन्तु कांग्रेस पार्टी ने लोगों की भावनाओं को जिस नजर से समझाना चाहा वह उसके लिए सही नहीं रही। काँग्रेस पार्टी के नेतृत्वकर्ता ने जनता को सभी सुविधाएँ उस अन्तिम वर्ष में ही देने की जो भूल की उसी कारण चौदहवीं विधान सभा में काँग्रेस को हार का मुँह देखना पड़ा।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान में हुए आम चुनावों 1967 के बाद के कार्यकालों का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि राजस्थान में कभी भी एक दल को हावी नहीं होने दिया गया।

बारहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए हुए आम चुनाव का कार्यक्रम

बारहवीं राजस्थान विधानसभा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर, 2003 को चुनाव घोषणा की तिथि जारी की गई। जिसके अन्तर्गत प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने, नामाकन पत्र वापस लेने, नामांकन पत्रों की जांच करने, चुनाव की तिथि, चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि आदि की अधिसूचना जारी की गई।

1 दिसम्बर, 2003 को राजस्थान की 200 विधान सभा सीटों के लिए चुनाव हुए जिसमें से 135 सीटों पर सामान्य पुरूष, 23 सीटों पर आरक्षित (अ.ज.जा), 30 सीटों पर आरक्षित (अ.जा.) को प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल पुरूषों की संख्या 188 रही। वहीं महिलाओं को सामान्य वर्ग में 08 सीटें, आरक्षित (अ.ज.जा.) को 01 सीट तथा आरक्षित (अ.जा.) को 03 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार सामान्य वर्ग में महिलाओं तथा पुरूषों की कुल संख्या 143 , आरक्षित (अ.ज.जा.) को 24 तथा आरक्षित (अ.जा.) को 33 स्थानों के साथ कुल 188 पुरूष, 12 महिलाओं के साथ 200 विधान सभा सीटों के चुनाव सम्पन्न हुए।

तालिका संख्या–3.3

निर्वाचन के समय सदस्य संख्या (दिसम्बर, 2003)[16]

विवरण	पुरूष	महिलाएं	योग
सामान्य	135	08	143
आरक्षित(अ.ज.जा.)	023	01	024
आरक्षित (अ.जा.)	030	03	033
योग	188	12	200

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए हुए आम चुनाव का कार्यक्रम

तेरहवीं विधान सभा के लिए 4 दिसम्बर, 2008 को होने जा रहै चुनावों में घोषणा पत्रों के माध्यम से लोगों को रिझाने के प्रयास कर रहे है। घोषणा पत्र राजनीतिक दलों का आईना होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि घोषणा पत्र राजनीतिक दल की देश समाज को लेकर जिम्मेदारियों का हलफनामा होता है जिसे वह जनता के सामने सार्वजनिक प्रदर्शित करता है। राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी से जुड़े समाजशास्त्रीयों, शिक्षाविदों, अंतरराष्ट्रीय जानकारों, कृषि विशेषज्ञों सहित सभी विषय विशेषज्ञों को लेकर एक समिति बनानी चाहिए जो इन मसलों पर विचार विमर्श करके जनहित से जुड़े मसलों को शामिल करे। इसमें राजनीतिक लोगों की राय भी ली जानी चाहिए।[17]

14 अक्टुबर, 2008 को चुनाव घोषणा की तिथि जारी की गई। तथा 10 नवम्बर, 2008 को अधिसूचना जारी करके नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि भी घोषित की गई। 4 दिसम्बर, 2008 को हुए तेरहवीं विधान सभा के चुनावों में सदस्य संख्या में सामान्य वर्ग से पुरूष 126 तथा महिलाएँ 15 जीती है। इस प्रकार सामान्य वर्ग से कुल सदस्य संख्या 141 जीतकर आयी। आरक्षित वर्ग (अ.ज.जा.) से पुरूष 21 तथा महिलाएँ 04 जीतकर आयीं। इस प्रकार अ.ज.जा. में कुल सदस्य संख्या 25, तथा आरक्षित वर्ग (अ.जा.) में पुरूष 26 व महिलाएं 08 जीतकर आयी, इस प्रकार (अ.जा.) आरक्षित वर्ग में कुल सदस्यों की संख्या 34 जीतकर आयी है। इस प्रकार विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 200 में से कुल पुरुष 173 तथा महिलाओं की संख्या 27 रही है।

तालिका संख्या–3.4

निर्वाचन के समय सदस्य संख्या (दिसम्बर, 2008)[18]

विवरण	पुरूष	महिलाएं	योग
सामान्य	126	15	141
आरक्षित(अ.ज.जा.)	021	04	025
आरक्षित (अ.जा.)	026	08	034
योग	173	27	200

इस प्रकार तेरहवीं विधान सभा के लिए हुए चुनाव में भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी काँग्रेस को जनता ने 96 सीटे देकर सत्ता की दहलीज पर ला खड़ा किया। लेकिन पार्टी स्पष्ट बहुमत से दूर रहो। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में विकास के मुद्दें पर चुनाव लड़ रही भाजपा को जनता के कड़े मुकाबले में पिछले चुनाव को 120 सीटों के मुकाबले 78 सीटों तक सीमित कर दिया। चुनाव में भाजपा सरकार के एक दर्जन मंत्री धराशायी रहे, वहीं प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डा. सी.पी. जोशी सहित दो पूर्व अध्यक्ष व राष्ट्रीय सचिव चुनाव हार गये।[19]

झालावाड़ में हुई आम सभा में वसुन्धरा राजे सिन्धिया ने अन्य दलों का सफाया करने की बात कही। और कहा कि भाजपा यदि सता में आती है तो किसानों के लिए बिजली की दरें व लगान आधी कर दी जायेगी। पच्चीस लाख लोगों को दो रूपये किलो अनाज, पचास लाख लोगों को पांच रूपये किलो के भाव से अनाज उपलब्ध करायेगी। सहकारी ऋण पर व्यय 7 फिसदी से घटाकर 4 फिसदी कर देगी।[20]

लोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघु ठाकूर ने बून्दी जिले के केशोराय पाटन व हिण्डोली में आम सभा की जिसमें लोसपा को स्वीकारने तथा भारतीय जनता पार्टी व काँग्रेस का सफाया करने की बात कही गई उन्होंने जनता से कहा कि प्रत्याशी को हाली बना लो सब काम की जिम्मेदारी मेरी है।[21]

बारहवीं राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (2003–2008)[22]

क्रम संख्या	विधान सभा संख्या	सदस्य का नाम	पार्टी	निर्वाचन क्षेत्र	जिला
1.	1	अंतर सिंह भडाना, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बयाना	भरतपुर
2.	2	अनिता भदेल, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	अजमेर पूर्व (अजा)	अजमेर
3.	3	अमराराम, श्री	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(मा.)	धोद	सीकर
4.	4	अमराराम चौधरी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	पचपदरा	बाड़मेर
5.	5	अरूण सिंह, श्री	इण्डियन नेशनल कँाग्रेस	डीग	भरतपुर
6.	6	अर्जुन लाल जीनगर,श्री	भारतीय जनता पार्टी	गंगरार (अजा)	चितौड़गढ़
7.	7	अर्जुन लाल मीणा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सलूम्बर (अज जा)	उदयपुर
8.	8	अर्जुन सिहं देवड़ा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	श्रानीवाला	जालौर
9.	9	अर्जुन सिहं बामनिया, श्री	इण्डियन नेशनल कँाग्रेस	दानपुर (अजजा)	बासवाड़ा
10.	10	अशोक कुमार नवलखा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	निम्बाहेड़ा	चितौड़गढ़
11.	11	अशोक गहलोत, श्री	इण्डियन नेशनल कांग्रस	सरदारपुरा	जोधपुर
12.	12	अशोक नागपाल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सूरतगढ़	गंगानगर
13.	13	अशोक बैरवा, श्री	इण्डियन नेशनल कँाग्रेस	खण्डार	सवाई माधोपुर
14.	14	उषा पूनिया, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	मूंडवा	नागौर
15.	15	एमादुद्दीन अहमद खान(दुरूमिया), श्री	इण्डियन नेशनल कँाग्रेस	तिजारा	अलवर
16.	16	ओ. पी. महेन्द्रा डॉ	भारतीय जनता पार्टी	केसरी सिंहपुर (अजा)	गंगानगर
17.	17	ओम बिरला	भारतीय जनता पार्टी	कोटा	कोटा

18.	18	कनकमल कटारा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सागवाड़ा (अजजा)	डूंगरपुर
19.	19	कन्हैया लाल पाटीदार, श्रो	भारतीय जनता पार्टी	पिड़ावा	झालावाड़
20.	20	कन्हैया लाल मीणा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बस्सी	ज्यपुर
21.	20	करण सिंह यादव, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	बहरोड़	अलवर
22.	22	कान्ति प्रसाद मीणा, श्री	निर्दलीय	थानागाजी	अलवर
23.	23	कालीचरण सर्राफ, श्री	भारतीय जनता पार्टी	जौहरी बाजार	जयपुर
24.	23	कालूराम यादव, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	हिन्डौन (अजा)	करौली
25.	25	कालूलाल गुर्जर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	माण्डल	भीलवाड़ा
26.	26	किरोड़ी लाल मीणा, डॉ.	भारतीय जनता पार्टी	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
27.	27	कृष्णेन्द्र कौर दीपा, श्रीमती	निर्दलीय	नदबई	भरतपुर
28.	28	के. डी. बाबर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	लक्ष्मणगढ़(अजा)	सीकर
29.	29	कैलाश त्रिपाठी, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सहाड़ा	भीलवाड़ा
30.	30	खुशवीर सिंह, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	खारची	पाली
31.	31	खेमाराम मेघवाल	भारतीय जनता पार्टी	सुजानगढ़ (अजा)	चूरू
32.	32	गंगाराम चौधरी	भारतीय जनता पार्टी	चौहटन	बाड़मेर
33.	33	गजेन्द्र सिंह, श्री	भारतीय जनता पार्टी	नागौर	नागौर
34.	34	गुरजंट सिंह बराड़, श्री	भारतीय जनता पार्टी	संगरिया	हनुमानगढ़
35.	35	गुलाब चन्द कटारिया, श्री	भारतीय जनता पार्टी	उदयपुर	उदयपुर
36.	36	गोपाल लाल धोबी	भारतीय जनता पार्टी	केकड़ी (अजा)	अजमेर
37.	37	गोविन्द राम मेघवाल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	नौखा (अजा)	बीकानेर
38.	38	गोविन्द सिंह गुर्जर, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	नसीराबाद	अजमेर

39.	39	गौतम लाल मीणा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	लसाड़िया (अजजा)	उदयपुर
40.	40	घनश्याम तिवाड़ी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सांगानेर	जयपुर
41.	41	चन्द्रशेखर वैद, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	तारानगर	चूरू
42	42	चांदनाथ, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बहरोड़	अलवर
43.	21	चुन्नी लाल धाकड़	भारतीय जनता पार्टी	बेगूं	चितौड़गढ़
44.	43	जगतसिंह, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	लक्ष्मणगढ़	अलवर
45.	44	जगन्नाथ पहाड़िया, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	वैर (अजा)	भरतपुर
46.	45	जगन्नाथ वर्मा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	मनोहर थाना	झालावाड़
47.	46	जगसीराम कोली, श्रो	भारतीय जनता पार्टी	रेवधर (अजा)	सिरोही
48.	47	जयराम जाटव, श्री	भारतीय जनता पार्टी	खैरथल (अजा)	अलवर
49.	48	जालमसिंह रावलौत, श्री	भारतीय जनता पार्टी	शिव	बाड़मेर
50.	49	जितेन्द्रसिंह, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	अलवर	अलवर
51.	50	जीतमल खाट, श्री	जनता दल (यू)	बागीडोरा (अजजा)	बासवाड़ा
52.	51	जीतराम, श्री	भारतीय जनता पार्टी	मालपुरा	टोंक
53.	52	जीवाराम चौधरी	भारतीय जनता पार्टी	सांचौर	जालौर
54.	53	जुबेरखान, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	रामगढ़	अलवर
55.	146	जोगाराम पटेल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	लूणी	जोधपुर
56.	54	जोगेश्वर गर्ग, श्री	भारतीय जनता पार्टी	जालौर (अजा)	जालौर
57.	55	ज्ञानचन्द्र पारख, श्री	भारतीय जनता पार्टी	पाली	पाली
58.	56	टीकम चन्द कान्त, श्री	निर्दलीय	सिवाना (अजा)	बाड़मेर
59.	57	तगाराम चौधरी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बाड़मेर	बाड़मेर

60.	58	दलजोत सिंह, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	बाड़ी	धोलपुर
61.	59	दाताराम गुर्जर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	खेतड़ी	झुंझुनूं
62.	60	दिगम्बर सिंह, श्री	भारतीय जनता पार्टी	कुम्हेर	भरतपुर
63.	05	दिव्यासिंह, श्रीमती महारानी	भारतीय जनता पार्टी	डीग	भरतपुर
64.	61	दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	गंगापुर	सवाई माधोपुर
65.	62	देवी शंकर भूतड़ा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	ब्यावर	अजमेर
66.	63	देवीसिंह भाटी,श्री	राजस्थान सामाजिक न्याय मंच	कोलायत	बीकानेर
67.	64	धर्मपाल चौधरी,श्री	भारतीय जनता पार्टी	मंडावर	अलवर
68.	65	धर्मेन्द्र कुमार मोची, श्री	भारतीय जनता पार्टी	टीबी (अजा)	हनुमानगढ़
69.	66	नन्दलाल पूनिया,श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सादूलपुर	चूरू
70.	67	नन्दलाल बंशीवाल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	दौसा(अजा)	दौसा
71.	68	नन्दलाल मीणा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	प्रतापगढ़ (अजजा)	चितौड़गढ़
72.	69	नरपतसिंह राजवी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	चितौड़गढ़	चितौड़गढ़
73.	70	नरेन्द्र नागर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	खानपुर	झालावाड़
74.	71	नवनीत लाल नीनामा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	घाटोल (अजजा)	बासवाड़ा
75.	72	नवरतन राजोरिया,श्री	भारतीय जनता पार्टी	फुलेरा	जयपुर
76.	73	नाथूराम अहारी, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	डूगंरपुर (अजजा)	डूंगरपुर
77.	74	एन. एस. गुर्जर, डॉ.	भारतीय जनता पार्टी	टोडारायसिंह	टोंक
78.	75	नानालाल अहारी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	खेरवाड़ा (अजजा)	उदयपुर
79.	76	नारायणसिंह	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	दांतारामगढ़	सीकर

80.	77	निर्भय लाल जाटव, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	रूपवास(अजा)	भरतपुर
81.	78	पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बाली	पाली
82.	73	पूंजीलाल परमार, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	डूँगरपुर(अजजा)	डूँगरपुर
83.	79	प्रकाश चौधरी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बड़ी सादड़ी	चित्तौड़गढ़
84.	80	प्रताप सिंह सिघवीं, श्री	भारतीय जनता पार्टी	छबड़ा	बारां
85.	81	प्रतिभा सिंह, श्रीमती	निर्दलीय	नवलगढ़	झुंझुंनू
86.	82	प्रद्युम्नसिंह, श्री	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	राजाखेड़ा	धोलपुर
87.	83	प्रभुलाल सैनी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	उनियारा	टोंक
88.	84	प्रभुलाल वर्मा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	पीपल्दा	कोटा
89.	85	प्रमोद जैन भाया, श्री	निर्दलीय	बारां	बारां
90.	86	प्रहलाद गुंजल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	रामगंजमंडी	कोटा
91.	87	प्रेमसिंह बाजौर,श्री	भारतीय जनता पार्टी	नीम–का–थाना	सीकर
92.	88	फतेहसिंह, श्री	जनता दल (यू)	कुशलगढ़ (अजजा)	बांसवाड़ा
93.	89	बंशीवाल खटीक, श्री	भारतीय जनता पार्टी	राजसमन्द(अजा)	राजसमन्द
94.	90	बत्तीलाल मीणा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	टोडाभीम (अजजा)	करौली
95.	91	बद्रीलाल जाट,श्री	भारतीय जनता पार्टी	कपासन	चित्तौड़गढ़
96.	92	बनवारी लाल शर्मा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	धौलपुर	धौलपुर
97.	93	बन्नेसिंह राठौर,श्री	भारतीय जनता पार्टी	औसिया	जौधपुर
98.	94	बहादूर सिंह गोदा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	नोहर	हनुमानगढ़
99.	95	बाबूलाल खराड़ी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	पलासिया (अजजा)	उदयपुर
100.	96	बाबूलाल नागर, श्री	इण्डियन नेशनल	दूदू(अजा)	जयपुर

			काँग्रेस		
101.	97	बाबूलाल वर्मा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	पाटन (अजा)	बूंदी
102.	98	बाबूसिंह राठौर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	शेरगढ़	जोधपुर
103.	99	बीरूसिंह राठौर,प्रो.	भारतीय जनता पार्टी	बनीपार्क	जयपुर
104.	100	बुलाकीदास कल्ला, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	बीकानेर	बीकानेर
105.	101	बृजकिशोर शर्मा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	जयपुर (ग्रामीण)	जयपुर
106.	102	भंवर लाल राजपुरोहित,श्री	भारतीय जनता पार्टी	मकराना	नागौर
107.	103	भंवर लाल शर्मा,श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सरदारशहर	चूरू
108.	104	भंवरसिंह डांगावास, श्री	भारतीय जनता पार्टी	मेड़ता	नागौर
109.	105	भंवर खान सिंह, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	फतेहपुर	सीकर
110.	106	भरत सिंह, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	दीगोद	कोटा
111.	107	भवानी जोशी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
112.	108	भवानीसिंह राजावत, श्री	भारतीय जनता पार्टी	लाडपुरा	कोटा
113.	109	भागीरथ चौधरी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	किशनगढ़	अजमेर
114.	110	मंगलाराम गोदारा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	डूगंरगढ़	चूरू
115.	111	मदन दिलावर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	अटरू (अजा)	बारां
116.	112	मदन मोहन सिंघल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	कांमा	भरतपुर
117.	113	मदन राठौर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सुमेरपुर	पाली
118.	114	मदन लाल मेघवाल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	जायल (अजा)	नागार
119.	115	मनोहर सिंह,श्री	भारतीय जनता पार्टी	लाडनूॅं	नागौर

120.	116	ममता शर्मा, श्रीमती	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	बूंदी	बूंदी
121.	117	महादेव सिंह,श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	खण्डेला	सीकर
122.	118	महावीर प्रसाद जैन, श्री	भारतीय जनता पार्टी	टोंक	टोंक
123.	119	महिपाल मदेरणा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	भोपालगढ़	जोधपुर
124.	120	महिपाल यादव, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	बानसूर	अलवर
125.	121	मांगीलाल गरासीया,श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	गोगुन्दा	उदयपुर
126.	122	मुरारी लाल मीणा, श्री	बहुजन समाजवादी पार्टी	बांदीकुई	दौसा
127.	123	मोहन मेघवाल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सूरसागर (अजा)	जोधपुर
128.	124	मोहन लाल गुप्ता, श्री	भारतीय जनता पार्टी	किशनपोल	जयपुर
129.	126	मो.माहिर आजाद, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	नगर	भरतपुर
130.	125	यूनुस खान, श्री	भारतीय जनता पार्टी	डीडवाना	नागौर
131.	127	रघुवीर सिंह मीणा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सराड़ा (अजजा)	उदयपुर
132.	128	रणधीरसिंह भीण्डर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बल्लभनगर	उदयपुर
133.	129	रणवीर सिंह गुढ़ा, श्री	लोक जन शक्ति पार्टी	गुढा	झुंझुंनू
134.	130	रमेश खींची, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	कठूमर (अजा)	अलवर
135.	131	राईया मीणा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	आसपुर(अजजा)	अलवर
136.	132	राकेश मेघवाल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	परबतसर (अजा)	नागौर
137.	133	राजकुमार रिणवा, श्री	निर्दलीय	रतनगढ़	चूरू

138.	134	राजकुमारी शर्मा, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	सीकर	सीकर
139.	135	राजेन्द्र राठौड़, श्री	भारतीय जनता पार्टी	चूरू	चूरू
140.	136	रामकिशोर मीणा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सिकराय (अजजा)	दौसा
141.	104	रामचन्द्र जारोड़ा, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	मेड़ता	नागौर
142.	137	रामचन्द्र सराधना, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	जमवारामगढ़	जयपुर
143.	138	रामनारायण मीणा, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	नैनवां	बूंदी
144.	139	रामनारायण चौधरी, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	मण्डावा	झुंझुंनू
145.	140	रामनारायण डूडी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बिलाड़ा	जोधपुर
146.	141	रामनारायण विश्नोई, श्री	भारतीय जनता पार्टी	फलोदी	जोधपुर
147.	142	रामप्रताप कासनिया, श्री	निर्दलीय	पीलीबंगा	हनुमानगढ़
148.	143	रामरतन बैरवा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	शाहपुरा (अजा)	भीलवाड़ा
149.	144	रामलाल जाट,श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	बनेड़ा	भीलवाड़ा
150.	145	रामलाल शर्मा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	चौमूं	जयपुर
151.	146	रामसिंह विश्नोई,श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	लूनी	जोधपुर
152.	147	राव राजेन्द्र सिंह, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बैराठ	जयपुर
153.	148	रिछपाल सिंह मिर्धा, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	डेगाना	नागौर
154.	149	लक्ष्मीबारूपाल, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	देसूरी(अजा)	पाली
155.	150	लक्ष्मी नारायण दवे, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सोजत	पाली
156.	151	लक्ष्मी नारायण बैरवा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	फागी(अजा)	जयपुर
157.	152	लालचन्द मेघवाल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	रायसिंह नगर(अजा)	गंगानगर

158.	153	लाल चन्द कटारिया, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	आमेर	जयपुर
159.	154	वंदना मीणा, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	उदयपुर ग्रामीण(अजजा)	उदयपुर
160.	155	वसुन्धरा राजे सिन्धिया, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	झालरापाटन	झालावाड़
161.	156	वासुदेव देवनानी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	अजमेर (पश्चिम)	अजमेर
162.	157	विजय बंसल,श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	भरतपुर	भरतपुर
163.	158	विनोद कुमार, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
164.	159	विष्णु मोदी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	मसूदा	अजमेर
165.	160	वीरेन्द बेनीवाल, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	लूणकरणसर	बीकानेर
166.	161	वीरेन्द्र मीणा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	लालसोट(अजजा)	दौसा
167.	162	शंकरसिंह राजपुरोहित, श्री	भारतीय जनता पार्टी	आहोर	जालोर
168.	163	शान्ति लाल चपलौत, श्री	भारतीय जनता पार्टी	मावली	उदयपुर
169.	164	शिवचरण माथुर, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	माण्डलगढ़	भीलवाड़ा
170.	165	शिवजीराम मीणा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	जहाजपुर	भीलवाड़ा
171.	166	श्रवणकुमार, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	पिलानी	झुंझुंनू
172.	167	गोपाल बाहेती, डॉ.	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	पुष्कर	अजमेर
173.	168	संयम लोढ़ा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सिरोही	सिरोही
174.	169	समरजीत सिंह, डॉ.	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	भीनमाल	जालोर

175.	170	समर्थलाल मीणा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	राजगढ़(अजजा)	अलवर
176.	171	समाराम गरासिया, श्री	भारतीय जनता पार्टी	पिण्डवाड़ा आबू(अजजा)	सिरोही
177.	172	सांगसिंह भाटी	भारतीय जनता पार्टी	जैसलमेर	जैसलमेर
178.	173	सांवर लाल, प्रो.	भारतीय जनता पार्टी	भिनाय	अजमेर
179.	174	सी. डी. देवल, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	रायपुर	पाली
180.	175	सी. पी. जोशी, डॉ.	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	नाथ द्वारा	राजसमन्द
181.	176	सुखलाल मीणा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सपोटरा (अजजा)	करौली
182.	177	सुन्दर लाल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सूरजगढ़(अजा)	झुंझुंनू
183.	178	सुभाष चन्द शर्मा, श्री	निर्दलीय	कोटपूतली	जयपुर
184.	179	सुभाष चन्द्र बहेड़िया, श्री	भारतीय जनता पार्टी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
185.	180	सुमित्रा सिंह, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	झुंझुंनू	झुंझुंनू
186.	181	सुरेन्द्र गोयल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	जैतारण	पाली
187.	182	सुरेन्द्र पारीक, श्री	भारतीय जनता पार्टी	हवामहल	जयपुर
188.	183	सुरेन्द्र सिंह राठौर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	कुम्भलगढ़	राजसमन्द
189.	184	सुरेन्द्र सिंह राठौर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	गंगानगर	गंगानगर
190.	185	सुरेन्द्रपाल सिंह (टीटी), श्री	भारतीय जनता पार्टी	करणपुर	गंगानगर
191.	186	सुरेश चौधरी, श्री	निर्दलीय	भादरा	हनुमानगढ़
192.	187	सुरेश मीणा, श्री	बहुजन समाजवादी पार्टी	करौली	करौली
193.	188	सुशील कटारा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	चौरासी(अजजा)	डूंगरपुर
194.	189	सूर्यकान्ता व्यास, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	जोधपुर	जोधपुर
195.	190	स्नेहलता, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	डग (अजा)	झालावाड़
196.	191	हगामी लाल मेवाड़ा, श्री	निर्दलीय	आसीन्द	भीलवाड़ा

197.	192	हरलाल सिंह खर्रा, श्री	निर्दलीय	श्रीमाधोपुर	सीकर
198.	193	हरिज्ञान सिंह , श्री	भारतीय जनता पार्टी	महुआ	दौसा
199.	194	हरिमोहन शर्मा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	हिन्डोली	बूंदी
200.	195	हरिसिंह रावत, श्री	भारतीय जनता पार्टी	भीम	राजसमन्द

बारहवीं राजस्थान विधान सभा में विपक्षी दल तथा सत्ता पक्ष एक नजर में

पद नाम	बारहवीं विधान सभा (05.02.2003–10.12.2008)
राज्यपाल	कैलाशपति मिश्र (अतिरिक्त प्रभार) (22.09.2003 से 13.01.2004) मदन लाल खुराना (14.01.2004 से01.11.2004) टी. वी0 राजेश्वर (अतिरिक्त प्रभार) (01.11.2004 से 08.11.2004) श्रीमती प्रतिभा पाटिल (08.11.2004 से 23.06.2007) ए. आर. किदवई (अतिरिक्त प्रभार) (23.06.2007 से 06.09.2007) शीलेन्द्र कुमार सिंह (निधन 01.12.2009) (06.09.2007 से 01.12.2009)
मुख्यमंत्री	वसुन्धरा राजे (08.12.2003 –10.12.2008)
अस्थाई अध्यक्ष	गंगाराम चौधरी (15–16.01.2004)
अध्यक्ष	सुमित्रा सिंह (16.01.2004 से31.12.2008)
उपाध्यक्ष	रामनारायण विश्नोई (19.07.2004 से 10.12.2008)
सदन के नेता	वसुन्धरा राजे (08.12.2003 –10.12.2008))
विपक्ष का नेता	बी.डी. कल्ला (16.01.2004–26.01.2006) रामनारायण चौधरी (27.01.2006–22.10.2008) हेमाराम चौधरी (23.10.2008–10.12.2008)
सर. मुख्य सचेतक	महावीर प्रसाद जैन (21.06.2004–10.12.2008)

उप मुख्य सचेतक	ओ. पी. महेन्द्रा (23.02.2007–10.12.2008)
विपक्ष के सचेतक	ज़ुबेर खान (जनवरी 2004 से 10.12.2008)
विधान सभा के गठन के समय विपक्ष की दलीय स्थिति	इंडियन नेशनल काँग्रेस – 55 इंडियन नेशनल लोकदल – 04 बहुजन समाज पार्टी – 02 जनता दल (यूनाइटेड) – 02 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 01 राजस्थान सामाजिक न्याय मंच – 01 लोकजन शक्ति पार्टी – 01 निर्दलीय – 13

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्य (2008–2013)[23]

कम सख्या	विधान सभा संख्या	सदस्य का नाम	पार्टी	निर्वाचन क्षेत्र	जिला
1.	1	उदय लाल आंजना, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	निम्बाहेड़ा	चितोड़गढ़
2.	5	अनिता भदेल, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	अजमेर दक्षिण (अजा)	अजमेर
3.	9	अमराराम, श्री	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(मा.)	दातारामगढ़	सीकर
4.	4	अनिता सिंह, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	नगर	भरतपुर
5.	3	अजय सिंह, श्री	भारतीय जनता पार्टी	डेगाना	नागौर
6.	2	अन्जू खन्गवाल, श्रीमती	निर्दलीय	बस्सी (अजजा)	जयपुर
7.	6	अनिल जैन, श्री	भारतीय जनता पार्टी	खानपुर	झालावाड़
8.	7	अब्दूल सगीर खां, श्री	भारतीय जनता पार्टी	धौलप्र	धौलपुर
9.	8	अभिषेक मटोरिया, श्री	भारतीय जनता पार्टी	नोहर	हनुमानगढ़
10.	10	अमीन खां, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	शिव	बाड़मेर
11.	11	अर्जुन लाल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बिलाड़ा (अजा)	जोधपुर
12.	12	अर्जुनसिंह बामनिया, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	बासवाड़ा(अजजा)	बासवाड़ा
13.	14	अशोक बैरवा, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	खण्डार	सवाई माधोपुर
14.	15	अशोक पींचा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सरदार शहर	चूरू
15.	16	अशोक गहलोत, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	सरदारपुरा	जोधपुर
16.	13	अल्लाउद्दीन आजाद, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
17.	17	अशोक डोगरा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बूंदी	बूंदी

18.	18	अशोक परनामी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	आर्दशनगर	जयपुर
19.	19	आदराम मेघवाल, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	पीलीबंगा	हनुमानगढ़
20.	20	एमादूद्दीन अहमद खान, श्री (दुरू मियां)	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	तिजारा	अलवर
21.	21	मेजर ओ. पी. यादव, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	मुण्डावर	अलवर
22.	22	ओटाराम देवासी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सिरोही	सिरोही
23.	23	ओमप्रकाश जोशी, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	फलौदी	जोधपुर
24.	24	ओम बिरला, श्री	भारतीय जनता पार्टी	कोटा दक्षिण	कोटा
25.	25	कन्हैया लाल झंवर, श्री	निर्दलीय	नोखा	बीकानेर
26.	26	कमल बैरवा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	निवाई (अजा)	टोंक
27.	27	कमला कस्वां, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	सादूलपुर	चूरू
28.	28	कसमा मेघवाल, श्रीमतो	भारतीय जनता पार्टी	भोपालगढ़ (अजा)	जोधपुर
29.	29	करण सिंह, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	छबड़ा	बारां
30.	30	कल्याण सिंह चौहान, श्री	भारतीय जनता पार्टी	नाथद्वारा	राजसमन्द
31.	31	कानसिंह कोटड़ी श्री	भारतीय जनता पार्टी	सिवाना	बाड़मेर
32.	32	कान्ता भील, श्रीमती	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	गढ़ी (अजजा)	बासंवाड़ा
33.	33	कालीचरण सर्राफ, श्री	भारतीय जनता पार्टी	मालवीयनगर	जयपुर
34.	34	किरण माहेश्वरी, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	राजसमन्द	राजसमन्द
35.	35	किरोड़ी लाल मीणा, डॉ.	निर्दलीय	टोडाभीम (अजजा)	करौली
36.	36	कृष्णेन्द्र कौर दीपा, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	नदबई	भरतपुर
37.	37	केसाराम चौधरी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	मारवाड़ जंक्शन	पाली

38.	38	कैलाश चन्द मीणा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	मनोहर थाना	झालावाड़
39.	39	कैलाश चन्द त्रिवेदी, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सहाड़ा	भीलवाड़ा
40.	40	कैलाश चन्द भंसाली, श्री	भारतीय जनता पार्टी	जोधपुर	जोधपुर
41.	41	गगाबेन गरासिया, श्रीमती	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	पिण्डवाड़ा आबू(अजजा)	सिरोही
42	42	गंगा देवी, श्रीमती	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	बगरू (अजा)	जयपुर
43.	43	गंगाजल मील, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सूरतगढ़	गंगानगर
44.	44	गंगा सहाय शर्मा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	आमेर	जयपुर
45.	45	गजेन्द्र सिंह खीवसर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	लोहावट	जोधपुर
46.	46	गजेन्द्र सिंह शक्तावत, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	बल्लभनगर	उदयपुर
47.	49	गुरमीत सिंह कुन्नर, श्री	निर्दलीय	करणपुर	गंगानगर
48.	47	गणेश सिंह परमार, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	कुम्भलगढ़	राजसमन्द
49.	48	गिर्राज सिंह, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	बाड़ी	धौलपुर
50.	50	गुलाब चन्द कटारिया, श्री	भारतीय जनता पार्टी	उदयपुर	उदयपुर
51.	51	गोपाल जोशी, डॉ.	भारतीय जनता पार्टी	बीकानेर पश्चिम	बीकानेर
52.	52	गोपाल मीणा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	जमरावगढ़ (अजजा)	जयपुर
53.	53	गोलमा देवी, श्रीमती	निर्दलीय	महवा	दौसा
54.	54	गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	लक्ष्मणगढ़	सीकर
55.	55	ग्यारसाराम कोलो, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बयाना (अजा)	भरतपुर

56.	56	घनश्याम तिवाड़ी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	सांगानैर	जयपुर
57.	57	चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	रामगंजमंडी(अजा)	कोटा
58.	58	छोटू सिंह भाटी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	जैसलमेर	जैसलमेर
59.	59	जकिया, श्रीमती	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	टोंक	टोंक
60.	60	जगसीराम कोली, श्री	भारतीय जनता पार्टी	रेवदर (अजा)	सिरोही
61.	62	जसवन्त सिंह यादव, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बहरोड़	अलवर
62.	61	जयदीप डूडी, श्री	निर्दलीय	भादरा	हनुमानगढ़
63.	63	जाकिर हुसैन गैसावत, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	मकराना	नागौर
64.	64	जाहिदा खान, श्रीमती	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	कांमा	भरतपुर
65.	65	जितेन्द्र सिंह, डॉ.	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	खेतड़ी	झुंझुंनू
66.	66	जीवाराम चौधरी,श्री	निर्दलीय	सांचौर	जालौर
67.	67	ज्ञानचन्द पारख,श्री	भारतीय जनता पार्टी	पाली	पाली
68.	68	ज्ञानदेव आहूजा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	रामगढ़	अलवर
69.	69	टीकाराम जूली,श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	अलवर ग्रामीण(अजा)	अलवर
70.	70	दयाराम परमार, डॉ.	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	खेरवाड़ा (अजजा)	उदयपुर
71.	71	दिगम्बर सिंह, डॉ.	भारतीय जनता पार्टी	डीग –कुम्हेर	भरतपुर
72.	72	दिलीप चौधरी, श्री	निर्दलीय	जैतारण	पाली
73.	73	दीपेन्द्र सिंह शेखावत, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	श्रीमाधोपुर	सीकर
74.	74	देवी सिंह भाटी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	कोलायत	बीकानेर
75.	75	दोलतराम समेजा,श्री	इण्डियन नेशनल	रायसिंह नगर(अजा)	गंगानगर

			कॉंग्रेस		
76.	76	नगराज, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	धरियावद (अजजा)	प्रतापगढ़
77.	77	नन्दलाल मीणा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	प्रतापगढ़(अजजा)	प्रतापगढ़
78.	78	नरपतसिंह राजवी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	विद्याधर नगर	जयपुर
79.	79	नवल किशोर मीणा	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	बामनवास (अजजा)	सवाई माधोपुर
80.	80	नसीम अख्तर इंसाफ, श्रीमती	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	पुष्कर	अजमेर
81.	81	नाथूराम सिनोदिया, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	किशनगढ़	अजमेर
82.	82	नानालाल निनामा, श्री	निर्दलीय	घाटोल(अजजा)	बासवाड़ा
83.	83	निर्मल कुमावत, श्री	भारतीय जनता पार्टी	फुलेरा	जयपुर
84.	84	निर्मला सहरिया, श्रीमती	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	किशनगंज (अजजा)	बारां
85.	85	पदमाराम, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	चौहटन (अजा)	बाड़मेर
86.	86	परमनवदीप सिंह, श्रीमती	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	संगरिया	हनुमानगढ़
87.	87	परसादी लाल मीणा, श्री	निर्दलीय	लालसोट (अजजा)	दौसा
88.	88	पवन दुग्गल, श्री	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.)	अनूपगढ़ (अजा)	गंगानगर
89.	89	पाना चन्द, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	बारां–अटरू(अजा)	बारां
90.	90	पुष्कर लाल, श्री	इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस	मावली	उदयपुर
91.	91	पुष्पेन्द्र सिंह,श्री	भारतीय जनता पार्टी	बाली	पाली
92.	92	पूराराम चौधरी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	भीनमाल	जालौर

93.	93	पेमाराम, श्री	भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी (मा.)	धोंद (अजा)	सीकर
94.	94	प्रकाश चन्द चौधरी, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	बड़ी सादड़ी	चितौडगढ़
95.	95	प्रताप सिंह खाचरियावास,श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सिविलाइन्स	जयपुर
96.	96	प्रदीप कुमार सिंह, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	मांडलगढ़	भीलवाड़ा
97.	97	प्रभुलाल सैनी,श्री	भारतीय जनता पार्टी	हिण्डोली	बूंदी
98.	98	प्रमोद जैन भाया, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	अन्ता	बारां
99.	99	प्रेमचन्द नागर, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	पीपल्दा	कोटा
100.	100	प्रमिला कुंडारा, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	चाकसू (अजा)	जयपुर
101.	101	फतेह सिंह, श्री	जनता दल (यू)	कुशलगढ़ (अजजा)	बासवाड़ा
102.	102	फूलचन्द भीण्डा , श्री	भारतीय जनता पार्टी	विराटनगर	जयपुर
103.	103	बंशीधर खंडेला, श्री	भारतीय जनता पार्टी	खंडेला	सीकर
104.	104	बनवारी लाल सिंहल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	अलवर शहर	अलवर
105.	105	बहादुर सिंह, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बैर (अजा)	भरतपुर
106.	106	बाबूलाल बैरवा,श्री	भारतीय जनता पार्टी	कठूमर (अजा)	अलवर
107.	107	बाबूलाल खराड़ी,श्री	भारतीय जनता पार्टी	झाड़ोल (अजजा)	उदयपुर
108.	104	बाबूलाल नागर, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	दूदू (अजा)	जयपुर
109.	109	बाबूसिंह राठौर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	शेरगढ़	जोधपुर
110.	110	बीना काक, श्रीमती	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सुमेरपुर	पाली
111.	111	बृजकिशोर शर्मा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	हवामहल	जयपुर

112.	112	बृजेन्द्र सिंह ओला, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	झुंझुंनू	झुंझुंनू
113.	113	ब्रह्मदेव कुमावत, श्री	निर्दलीय	मसूदा	अजमेर
114.	114	भंवर लाल मेघवाल, मास्टर	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सुजानगढ़(अजा)	चूरू
115.	115	भंवरू खान, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	फतेहपुर	सीकर
116.	116	भगराज चौधरी, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	आहोर	जालौर
117.	117	भगवान सहाय सैनी, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	चौमूं	जयपुर
118.	118	भरतसिंह कुन्दनपुर, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	दीगोद	कोटा
119.	119	भरोसी लाल,श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	हिडोंन (अजा)	करौली
120.	120	भवानीसिंह राजावत, श्री	भारतीय जनता पार्टी	लाडपुरा	कोटा
121.	121	मंगलाराम गोदारा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	डूगंरगढ़	बीकानेर
122.	122	मंजू देवी, श्रीमती	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	जायल	नागौर
123.	123	मदन प्रजापत, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	पचपदरा	बाड़मेर
124.	124	मदन लाल वर्मा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	डग(अजा)	झालावाड़
125.	125	ममता भूपेश,श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सिकराय (अजा)	दौसा
126.	126	मलखान सिंह, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	लूणी	जोधपुर
127.	127	महावीर प्रसाद जीनगर, श्री	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	शाहपुरा (अजा)	भीलवाड़ा

128.	128	महिपाल मदेरणा, श्री	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	ओसियां	जोधपुर
129.	129	महेन्द्र चौधरी, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	नांवा	नागौर
130.	130	महेन्द्रजीत सिंह मालवीया, श्री	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	बागीदौरा(अजजा)	बांसवाड़ा
131.	131	महेन्द्र सिंह, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	नसीराबाद	अजमेर
132.	132	मांगीलाल गरासीया, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	गोगुन्दा(अजजा)	उदयपुर
133.	133	मानसिंह, श्री	भारतीय जनता पार्टी	परबतसर	नागौर
134.	134	मुरारी लाल मीणा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	दौसा	दौसा
135.	135	मेवाराम जैन, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	बाड़मेर	बाड़मेर
136.	136	मोहन लाल गुप्ता, श्री	भारतीय जनता पार्टी	किशनपोल	जयपुर
137.	137	रघु शर्मा, डॉ.	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	केकड़ी	अजमेर
138.	138	बसन्ती देवी मीणा, श्रीमती	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सलूम्बर (अजजा)	उदयपुर
139.	139	रणवीर पहलवान, श्री	निर्दलीय	मालपुरा	टोंक
140.	140	रतन देसाई (देवासी), श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	रानीवाड़ा	जालौर
141.	141	रमेश चन्द मीणा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सपोटरा (अजजा)	करौली
142.	142	रमेश खण्डेलवाल, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	नीम का थाना	सीकर
143.	143	रविन्द्र सिंह बौहरा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	राजाखेड़ा	धौलपुर
144.	144	राईया मीणा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	आसपुर (अजजा)	डूगंरपुर

145.	145	राजकुमार रिणवा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	रतनगढ़	चूरू
146.	146	राजकुमार शर्मा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	नवलगढ़	झुंझुंनू
147.	147	राजपाल सिंह शेखावत, श्री	भारतीय जनता पार्टी	झोटवाड़ा	जयपुर
148.	148	राजेन्द्र पारीक, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सीकर	सीकर
149.	149	राजेन्द्र राठौड़ ,श्री	भारतीय जनता पार्टी	तारानगर	चूरू
150.	150	राजेन्द्र सिंह गुढ़ा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	उदयपुरवाटी	झुंझुंनू
151.	151	राजेन्द्र सिंह विधूड़ी,श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	बेगूं	चितौड़गढ़
152.	152	राधेश्याम गंगानगर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	गंगानगर	गंगानगर
153.	153	रामकिशौर सैनी, श्री	निर्दलीय	बांदीकुई	दौसा
154.	154	रामकेश मीणा, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	गंगापुर	सवाई माधोपुर
155.	155	रामनारायण मीणा, श्री	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	देवली–उनियारा	टोंक
156.	156	रामलाल, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	माण्डल	भीलवाड़ा
157.	157	रामलाल गुर्जर, श्री	भारतीय जनता पार्टी	आसीन्द	भीलवाड़ा
158.	158	रामलाल मेघवाल, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	जालौर (अजा)	जालौर
159.	159	रामस्वरूप कसाना, श्री	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	कोटपूतली	जयपुर
160.	160	रामहेत सिंह, श्री	भारतीय जनता पार्टी	किशनगढ़वास	अलवर
161.	161	रावराजेन्द्र सिंह, श्री	भारतीय जनता पार्टी	शाहपुरा	जयपुर
162.	162	कुमारी रीटा चौधरी	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	मण्डावा	झुंझुंनू

163.	163	रूपाराम डूडी, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	डीडवाना	नागौर
164.	164	रोहिणी कुमारी, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	करौली	करौली
165.	165	रोहिताश्व कुमार, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बानसूर	अलवर
166.	166	लालशंकर घाटिया, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	डूगंरपुर(अजजा)	डूंगरपुर
167.	167	वसुन्धरा राजे , श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	झालरापाटन	झालावाड़
168.	168	वासुदेव देवनानी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	अजमेर उत्तर	अजमेर
169.	169	विजय बंसल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	भरतपुर	भरतपुर
170.	170	विट्ठल शंकर अवस्थी, श्री	भारतीय जनता पार्टी	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
171.	171	विनोद कुमार लीलावाली, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
172.	172	विश्वनाथ मेघवाल, डॉ.	भारतीय जनता पार्टी	खाजूवाला(अजा)	बीकानेर
173.	173	वीरेन्द्र बेनीवाल, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	लूणकरणसर	बीकानेर
174.	174	शंकर लाल बैरवा,श्री	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	कपासन (अजा)	चितौड़गढ़
175.	175	शंकर लाल अहारी,श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	चौरासी (अजजा)	डूंगरपुर
176.	176	शंकर सिंह रावत, श्री	भारतीय जनता पार्टी	ब्यावर	अजमेर
177.	177	शान्ति कुमार धारीवाल, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	कोटा उत्तर	कोटा
178.	178	शाले मोहम्मद, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	पोकरण	जैसलमेर
179.	179	शिवजीराम मीणा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	जहाजपुर	भीलवाड़ा
180.	180	श्रवणकुमार, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सूरजगढ़	झुंझुंनू
181.	181	संजना आगरी, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	सोजत (अजा)	पाली

182.	182	सज्जन कटारा, श्रीमती	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	उदयपुर ग्रामीण (अजजा)	उदयपुर
183.	183	सन्तोष कुमार सहारण, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सादूलशहर	गंगानगर
184.	184	सिद्वी कुमारी, सुश्री	भारतीय जनता पार्टी	बीकानेर पूर्व	बीकानेर
185.	185	सी. एल. प्रेमी, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	केशोराय पाटन (अजा)	बूंदी
186.	186	सुखराम, श्री	भारतीय जनता पार्टी	बसेड़ी (अजा)	धौलपुर
187.	187	सुखाराम नेतड़िया, श्री	भारतीय जनता पार्टी	मेड़ता (अजा)	नागौर
188.	188	सुन्दर लाल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	पिलानी (अजा)	झुंझुंनू
189.	189	सुरेन्द्र कुमार, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	सागवाड़ा (अजजा)	डूंगरपुर
190.	190	सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	चितौड़गढ़	चितौड़गढ़
191.	191	सूरजभान धानका, श्री	समाजवादी पार्टी	राजगढ़–लक्ष्मणगढ़ (अजजा)	अलवर
192.	192	सूर्यकान्ता व्यास, श्रीमती	भारतीय जनता पार्टी	सूरसागर	जोधपुर
193.	193	कर्नल सोनाराम चौधरी, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	बायतू	बाड़मेर
194.	194	हनुमान बेनीवाल, श्री	भारतीय जनता पार्टी	खीवसर	नागौर
195.	195	हबीबुर्रहमान अशरफी लांबा, श्री	भारतीय जनता पार्टी	नागौर	नागौर
196.	196	हरजीराम बुरड़क, श्री	निर्दलीय	लाडनू	नागौर
197.	197	हरिसिंह रावत, श्री	भरतीय जनता पार्टी	भीम	राजसमन्द
198.	198	हाजी मकबूल मण्डेलिया, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	चूरू	चूरू
199.	199	हेमसिंह भडाना, श्री	भारतीय जनता पार्टी	थानागाजी	अलवर
200.	200	हेमाराम चौधरी, श्री	इण्डियन नेशनल काँग्रेस	गुढामालानी	बाड़मेर

तेरहवीं राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दल तथा सत्ता पक्ष एक नजर में

पद नाम	तेरहवीं विधान सभा (11.12.2008–09.12.2013)
राज्यपाल	शीलेन्द्र कुमार सिंह (निधन 01.12.2009) (06.09.2007 से 01.12.2009) श्रीमती प्रभाराव (25.01.2010 से26.04.2010) श्री शिवराज वी. पाटिल (28.04.2010 से निरन्तर)
मुख्यमंत्री	श्री अशोक गहलोत (13.12.2008 से 09.12.2013)
अस्थाई अध्यक्ष	श्री देवी सिंह भाटी (01.01.2009 से 02.01.2009)
अध्यक्ष	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (02.01.2009 से 21.01.2014)
उपाध्यक्ष	रामनारायण मीणा (29.02.2012 से09.12.2013)
सदन के नेता	श्री अशोक गहलोत (13.12.2008 से 09.12.2013)
विपक्ष का नेता	श्रीमती वसुन्धरा राजे (02.01.2009 से 25.02.2010) श्री गुलाब चन्द कटारिया (21.02.2013 से 09.12.2013)

सरकारी मुख्य सचेतक	श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (29.12.2008 से 23.11.2011) डॉ. रघु शर्मा (23.11.2011 से 09.12.2013)
उप मुख्य सचेतक	श्री रतन देसाई (देवासी) (23.11.2011 से 09.12.2013)
विधान सभा के गठन के समय विपक्ष की दलीय स्थिति	भारतीय जनता पार्टी –79 लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी –01 समाजवादी पार्टी –01 जनता दल (यूनाइटेड) –01 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)–03 निर्दलीय –13

इस प्रकार दोनों विधान सभाओं के हुए आम चुनाव से यह स्थिति उभरकर सामने आती हे कि जनता ने दोनों ही कार्यकालों में सता परिवर्तन का जनादेश दिया हैं। जिसमें एक बार भारतीय कॉंग्रेस पार्टी तथा दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी शासन सता में रही है।

तृतीय अध्याय–सन्दर्भ सूची

1. गोस्वामी, आचार्य भालचंद्र 'प्रखर' 'विधानमण्डलों के गठन में चुनाव और मनोनयन की भूमिका' लोकतंत्र और विधानमण्डल, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2014 पृष्ठ नं. 56
2. लालचंद, संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ता के लिए सुझाव, विधान बोधनी,संसदीय लोकतंत्र अंक,(राजस्थान विधान सभा सचिवालय जयपुर, जनवरी–अप्रेल, 2006) पृष्ठ 14
3. भार्गव प्रभा, चुनाव घोषणा पत्रः सिद्धान्त एंव स्थिति, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, प्रथम संस्करण, 2006 पृष्ठ सं.01
4. बाबेल बसन्तीलाल, संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, विपक्ष बनाम दल परिवर्तन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर 1998, पृष्ठ 53
5. पी.के. चड्डा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, (जयपुर यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि., 2001) पृष्ठ 382
6. एम.सी. कोली, राजनीतिक शास्त्र के मूल आधार, (जयपुर साहित्यगार, 2001) पृष्ठ 129
7. मरियम, अमेरिकन पार्टी सिस्टम, पृष्ठ 391–404
8. बाहेति स्वाति, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की भूमिका, (अप्रकाशित शोध रचना) 2013 पृष्ठ 83
9. भाजपा व काँग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र, 2003
10. भारतीय जनता पार्टी व काँग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र, 2008
11. राजस्थान पत्रिका 18.11.2003
12. दैनिक भास्कर 24.11.2003
13. घोषणा पत्र 2003
14. घोषणा पत्र 2008
15. राजस्थान पत्रिका 30.03.2012
16. बारहवीं राजस्थान विधान सभा (आँकडो में)2003–2008 राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर, 2011, पृष्ठ 01–02

17. अतुल कुमार अंजान, भाकपा राष्ट्रीय सचिव, राजस्थान पत्रिका, 26 नवम्बर, 2008

18. तेरहवीं विधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तेरहवीं राजस्थान विधानसभा (आंकडों में) 2008–2013 राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर, 2014, पृष्ठ 01–02

19. राजस्थान पत्रिका 9.9.2008

20. राजस्थान पत्रिका 30.11.2008

21. रघु ठाकूर राष्ट्रीय अध्यक्ष लोसपा 30.11.2008

राजस्थान विधानसभा के दौरान सदन की कार्यवाही और विपक्षी दल

(विधायी प्रकिया, राज्यपाल अभिभाषण, प्रश्नकाल, वित्तमंत्री का बजट भाषण)

विधायी प्रकिया और विपक्षो दल

संसदीय प्रजातंत्र में विधियों का निर्माण विधायिका का प्रमुख कार्य माना जाता है। विधायिका के सदस्य चूँकि जनप्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें ऐसी विधियां का निर्माण करना होता है। जो जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। इस कार्य में सत्तापक्ष के साथ–साथ विपक्ष की भी अहम् भूमिका रहती है। कई बार ऐसे अवसर आते है, जब विपक्ष के विरोध के कारण या तो सदन में प्रस्तुत ही नहीं हो पाते और यदि हो जाते है तो वे विधि का रूप नहीं ले पाते।[1]

विधान मण्डलों की सत्ता तथा शक्ति का मुख्य स्रोत उनकी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली है। जिसको विधान मण्डलों ने संविधान प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत निर्मित किया है। इनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जाता है। संविधान में विधान मण्डलों के कार्य संचालन के सम्बन्ध में यह उपबन्ध है कि राज्य के विधान मण्डलों का कोई भी सदन अपनी प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और जब तक ऐसे नियम नहीं बनाये जाते तब तक संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तथा स्थानीय प्रान्त के विधान मण्डलों के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत थे आवश्यक उपान्तरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए उस राज्य के विधान मण्डल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे, जिन्हें यथास्थिति, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति स्वीकार करें।

राजस्थान विधानसभा के प्रथम गठन के बाद इनके कार्य संचालन के सम्बन्ध में तत्कालीन पूर्वी पंजाब राज्य के नियम संविधान के प्रावधानों के तहत राजप्रमुख की आज्ञा से अध्यक्ष द्वारा अपरिवर्तित रूप से अभिस्वीकृत किये जाकर राजस्थान विधानसभा के लिए भी मार्च, 1952 में अंगीकार किये गये।[2]

विधान मण्डलों के सार संग्रह के रूप में सर 'थॉमस इरस्किन' की पुस्तक 'द लॉ प्रिविलेजेज प्रोसीडिंग्स एंड यूसेज ऑफ पार्लियामेंण्ट' उपलब्ध है। इससे पूर्व सन् 1818 में 'हट्सेल' की पुस्तक 'प्रिसीडिंग्स' में भी इसका संकलन किया गया है। इनमें व्यवहार के वे स्थापित नियम हैं जो कार्यपालिका के नियंत्रण तथा व्यवस्थापिका के गठन के लिए आवश्यक है।

भारत के संविधान में इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 194, 211, तथा 298 में प्रावधान किये गये हैं। संसद की भाँति राज्य विधान मण्डल भी संविधान के अन्तर्गत ही कार्य संचालन के लिए नियमों, प्रक्रियाओं, परम्पराओं तथा व्यवस्थाओं (विनिर्णयों) का निर्माण करते हैं। राजस्थान विधानसभा ने संविधान के अनुच्छेद 208 (1) के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए अपने प्रक्रिया तथा कार्य संचाालन सम्बन्धी नियमों का विकास किया है। इन नियमों के साथ ही स्थापित प्रथाओं एवं परम्पराओं का भी विधान सभा की कार्यवाही पर सक्रिय प्रभाव पड़ता है।

संसदीय प्रजातंत्र में प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य अवसरानुकूल कार्यपालिका की मुक्त आलोचना तथा सरकार की पराजय को सुगम बनाना है, अर्थात् सदस्यों को निर्बाध वाद–विवाद तथा स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति और मतदान का अधिकार देना है।

सदन के पीठासीन अधिकारी

किसी सदन को यदि व्यवस्थित और कुशल ढंग से कार्य करना हो तो उसके किसी प्राधिकारी का होना आवश्यक है जो उसकी कार्यवाहियों को और कार्यकरण का नियमित करे। संविधान में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का और राज्यसभा के लिए सभापति तथा उपसभापति का इसी उद्देश्य से उपबंध किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रत्येक सदन में सभापति तालिका भी बनाई जाती है। उस तालिका के सदस्य अपने–अपने सदन की अध्यक्षता करते हैं। जब दोनों पीठासीन अधिकारियों में से कोई भी उपस्थित नहीं हो तो उसके बाद प्रत्येक सदन में महत्त्वपुर्ण महासचिव होता है।[3]

विधान मण्डलों के सदनों की कार्यवाही के संचालन में सदन के पदाधिकारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होतो है। इन पदाधिकारियों में प्रथम, पीठासीन अधिकारी तथा दूसरे, विधान सभा के अधिकारी होते हैं। पीठासीन अधिकारियों में विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष (अस्थायी अध्यक्ष), अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति तालिका के सदस्य आते हैं। वहीं विधान सभा के अधिकारियों मे सदन के नेता (मुख्यमंत्री), विरोधी दल के नेता, सरकारी मुख्य सचेतक तथा सरकारी उप मुख्य सचेतक आते हैं। यहां पीठासीन अधिकारियों का ही विवरण देना प्रासंगिक समझा गया है।

सामयिक अध्यक्ष (प्रो– टेम स्पीकर)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 (2) के अनुसार साधारण चुनाव के बाद गठित विधान सभा की पहली बैठक के तुरन्त पूर्व विघटित विधान सभा का अध्यक्ष अपना पद त्याग कर देता है, क्योंकि उस समय न तो अध्यक्ष होता है और न कोई उपाध्यक्ष। जब अध्यक्ष

और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होते हैं, तब अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का निवर्हन करने के लिए राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 95 (1) के अन्तर्गत विधान सभा के वरिष्ठ सदस्य की नियुक्ति की जाती हैं, जिसे अस्थायी सम–सामयिक अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष कहा जाता है।[4]

नव–निर्वाचित विधायकों में से प्रायः वरिष्ठतम सदस्य, जिसे संसदीय कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन हो उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष बनाये जाने का एक कारण यह भी होता है कि नव–निवार्चित सदस्यगण ऐसे वरिष्ठ सदस्य से शपथ ग्रहण करते समय गौरव अनुभव करें तथा उनके जैसे ही गरिमामय तरीके से प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत जनहित की समस्याओं को सदन में उठा सकें।

राजस्थान विधानसभा में इस परम्परा का पालन किया गया हैं लेकिन लोकसभा में इस परम्परा का हमेशा पालन नहीं हुआ। यद्यपि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत श्री जी. वी. मावलंकर तथा सेठ गोविन्द दास सदन के वरिष्ठतम सदस्य थे, लेकिन वर्ष 1956 में सरदार हुकम सिंह तथा वर्ष 1977 में मनोनीत अस्थायी अध्यक्ष डी. ए. तिवाड़ी तत्समय सदन के वरिष्ठतम सदस्य नहीं थे।[5]

अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब विघटित विधान मण्डल का अध्यक्ष, जो सदन की पहली बैठक से पूर्व तक अपने पद पर बना रहता है, अपना पद त्याग देता है और उसे किसी अन्य नया अध्यक्ष चुने जाने तक सभा की अध्यक्षता करनी होती है।

राजस्थान विधान सभा में निर्वाचन के पश्चात् नव–निवार्चित सदस्यों को शपथ दिलाने, प्रतिज्ञान कराने और अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वह सभा द्वारा अध्यक्ष का चुनाव करने के तत्काल बाद अपना पद त्याग देता है। राजस्थान विधान सभा (प्रथम से तेरहवीं) में राजप्रमुख महामहिम राज्यपाल द्वारा अब तक 9 सदस्यों को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो इस प्रकार है महाराव संग्राम सिंह (24.03.1952), नारायण सिंह मसूदा (24.04.1957 एंव 07.03.1962), पूनम चंद विश्नोई (28.04.1967, 8.03.1990, 22.12.1993, 5.5.1995, एंव 18.07.1998), यशवंत सिंह नाहर (17.03.1972), मेजर फतेह सिंह (13.07.1977), परशराम मदेरणा (03.07.1980), लक्ष्मण सिंह (11.03.1985), भैरोसिंह शेखावत (14.12.1998), गंगाराम चौधरी (06.01. 2004) तथा देवीसिंह भाटी (01.01.2009)[6]

संविधान तथा प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत तथा अन्यथा, सामयिक अध्यक्ष को वे सारी शक्तियाँ प्राप्त है जो कि अध्यक्ष को होती है। तथापि, वह तभी तक कार्य करता है, जब तक सभा द्वारा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता।

विधानसभा अध्यक्ष

अध्यक्ष का पद संसदीय प्रणाली में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। विगत 700 वर्षो के इतिहास के दौरान इसकी गरिमा और शक्तियों का निरन्तर विकास हुआ हैं। सर्वप्रथम ब्रिटेन में सन् 1377 में कॉमन्स सभा के अध्यक्ष के पद की सर्जना हुई थो जब सर टॉमस हेगर फोर्ड इसके अध्यक्ष चुने गये थे। तब से यह पद अनवरत कायम है और धीरे–धीरे इसकी गरिमा और शक्तियों का विकास हुआ। शुरू–शुरू में उसके कृत्य वाद–विवाद के अन्त में, पक्ष और विपक्ष, दोनों के तर्कों का निष्कर्ष निकालना और सदन के विचार' काउन के समक्ष प्रस्तुत करना हुआ करता था। अतः वह सम्राट के समक्ष कॉमन्स सभा का प्रवक्ता या' स्पीकर हुआ करता था।[7]

विधान मण्डल के पीठासीन अधिकारी को विभिन्न देशों में स्पीकर, अध्यक्ष, सभापति, प्रेसीडेंट, चेयरमेन आदि नामों से जाना जाता है। प्रजातांत्रिक विधान मंडलों में अध्यक्ष का प्रमुख स्थान है। वह विधान मण्डल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अभिसामयिक एवं अनुष्ठानिक प्रमुख होता है। विधान मण्डल का प्रमुख होने के फलस्वरूप अध्यक्ष की सामूहिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और बाहर के व्यक्तियों के लिए विधान मण्डल का एक मात्र पतिनिधि होता है। संसदीय लोकतंत्र में संविधान के अन्तर्गत विधान मण्डल के अध्यक्ष की स्थिति अद्वितीय है। विधान मण्डल का पीठासीन अधिकारी होने के नाते अध्यक्ष का पद बहुत अधिकार–सम्पन्न, गरिमामय और अनन्य होता है। वह विधान मण्डल में होने वाले वाद–विवाद और कार्यवाही को नियंत्रित एवं नियमित करता है तथा विधान मण्डल में व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व भी उसी का होता है। वह विधान मण्डल के विशेषाधिकारों और सभी सदस्यों के अधिकारों का संरक्षक होता है।

अध्यक्ष के पद पर आसीन व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। संसदीय प्रक्रियाओं की जटिलताओं को सुलझाने के लिए उसे विधि का समुचित ज्ञान भी होना चाहिए। अध्यक्ष पद के चुनौतीपूर्ण दायित्वों के निवर्हन के लिए उस सभा में सदस्यों की मनः स्थिति पहचानने में भी दक्ष होना चाहिए तथा उसे यह ज्ञान भी होना चाहिए कि किस स्थिति में किस सदस्य को नियमों में शिथिलता देकर अथवा उन पर दृढ़ रहकर बोलने की अनुमति देनी चाहिए। धीर–गम्भीर और संयमी होने के साथ अध्यक्ष में वाग्वैदग्ध्य और हार–परिहास का भी अभाव नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष पद अपनी स्थापना के समय से ही कुछ अन्तर्विरोधों और विसंगतियों से ग्रस्त रहा है। एक ओर तो यह

कहा जाता है कि सभा में अध्यक्ष का प्राधिकार सर्वोच्च है एवं उसके निर्णयों और निर्देशों पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, वहीं दूसरी ओर देश के अधिकांश विधान मण्डलों में आय दिन अध्यक्ष के विनिर्णयों के विरोध में बहिर्गमन के दृश्य देखने में आते हैं। स्वयं स्वर्गीय जी. वी. मावलंकर ने इस पद के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्थापना का निरूपण किया है—

"संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष ही एक मात्र ऐसा अधिकारी है जिसे असीम शक्तियाँ प्राप्त है, जिसका अर्थ यह है कि उसे अपने प्राधिकार को प्रयोग में लाने के लिए किसी से परामर्श करने अथवा किसी कि सहमति लेने की जरूरत नहीं होती तथा उसके प्राधिकार पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।"[8]

विधान मण्डल के अध्यक्ष की व्यापक और विस्तृत शक्तियां होती हैं। उसका सबसे पहला काम यह देखना होता है कि सदन की गरिमा अक्षुण्ण रहे। साथ ही सदन की कार्यवाही अनुशासित एवं सुचारू रूप से संचालित हो। सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बोलने वाले सदस्य का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सभी सदस्य बोलने का अवसर प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष की निगाह में आने का प्रयत्न करते हैं। अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को बोलने की अनुमति देते समय उसे सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। दल के नेता को बोलने हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष के लिए सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाये रखना सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कई बार सदन में नारेबाजी और बहिर्गमन के कारण विपक्षी सदस्यों की यह भावना रहती है कि अध्यक्ष का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। इसके लिए उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष को देकर स्वस्थ परम्परा विकसित किये जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष के निवार्चन के समय प्रतिपक्ष के सभी दलों की राय लेना और सर्वसम्मत अध्यक्ष मनोनीत किया जाना निष्पक्ष अध्यक्ष का चयन सुनिश्चित किये जाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास हो सकता है।

अध्यक्ष और सदस्यों के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों का काफी महत्त्व है। सदस्यगण अध्यक्ष को एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। अध्यक्ष को सदस्यों के प्रति सदाशयता रखते हुए न्यायोचित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों को समान रूप से आवश्यकतानुसार सभी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

पीठासीन अधिकारी होने के नाते अध्यक्ष द्वारा ही यह निर्धारित किया जाता है कि सभा के कार्यवाही वृतान्त में क्या सम्मिलित किया जाये तथा क्या सम्मिलित नहीं किया जाये।

आपत्तिजनक एवं असंसदीय शब्दों और अभिव्यक्तियों को कार्यवाही से निकालने का अधिकार अध्यक्ष का है। सिद्धान्त रूप में अध्यक्ष ही विधान मण्डल की समितियों के सभापतियों को नियुक्त करता है, लेकिन उसकी यह शक्ति नियमों और राजनीतिक दृष्टि पर निर्भर रहती है। अध्यक्ष स्थायी समितियों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में मार्गदर्शन देता है, नियंत्रण रखता है तथा निर्देश जारी करता है। समिति के प्रक्रिया मामलों का निर्णय भी करता है। यदि समितियों की बैठक विधान मण्डल के भवन से बाहर आयोजित करनी हो तो उसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है।[9]

विधान सभा अध्यक्ष को दोहरे दायित्वों का निवर्हन करना होता है। प्रथम, पीठासीन अधिकारी के रूप में उसका यह गुरूत्तर दायित्व है कि वह बिना भय, दबाव या पक्षपात के विधान–मण्डल की कार्यवाही का संचालन सुचारू रूप से करे। दूसरा, उसे विधान–मण्डल सचिवालय के प्रमुख कार्यपाल के रूप में भी कार्य करना होता है।

संविधान के अनुच्छेद 187 के अन्तर्गत विधान सभा सचिवालयों के गठन तथा उनके संचालन हेतु नियम बनाने के दिशा–निर्देश दिये गये है। इन दिशा–निर्देशों के अनुरूप बनाये गये नियमों के अनुसार अध्यक्ष विधानसभा सचिवालय की सेवा के लिए कार्मिकों के चयन हेतु नियुक्ति अधिकारी बनाया गया है। विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी वृन्द ऐसा वेतन एवं भत्ते आहरित करते हैं जो अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर निधारित किये जाते हैं। अध्यक्ष विधान सभा सचिवालय के कार्मिकों के अनुशासनिक नियंत्रक तथा दाण्डिक प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। निर्वाचन से सम्बन्धित सभी प्रश्न अध्यक्ष को निर्देर्शित किये जाने का प्रावधान है और उन पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

सदन द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन और विपक्षी दल

अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि राज्यपाल निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा।[10] राजस्थान विधान सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियम 7(4) में यह प्रावधान है कि विपक्ष तथा सत्तापक्ष दोनों अपने–अपने प्रत्याशियों के नाम का प्रस्ताव करते हैं। एक दूसरा सदस्य इसका अनुमोदन करता है। आवश्यकतानुसार मत विभाजन के द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसे निर्वाचित किया जाये।

राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन की परम्परा रही है। अर्थात् सभी दल मिलकर सर्व–सम्मति से अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभाओं में भी इसी परम्परा का निर्वाह हुआ है। दिनांक 16 जनवरी, 2004 को बारहवीं

विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्य श्रीमती सुमित्रा सिंह के निर्वाचन के लिए सदन के नेता श्रीमती वसुन्धरा राजे ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन प्रतिपक्ष के नेता डॉ. बुलाकी दास कल्ला ने किया। इसके बाद श्रीमती सुमित्रा सिंह को सर्वसम्मति से विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया और सभी दलों के नेताओं ने उन्हें अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी।[11]

इसी प्रकार 2 जनवरी, 2009 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन श्रीमती वसुन्धरा राजे ने किया। सदन द्वारा प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करने के उपरान्त श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत सर्वसम्मति से विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए आठ सदस्यों ने विचार प्रकट किये। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने भी सदन को सम्बोधित किया।[12]

इस प्रकार बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा में अध्यक्ष के निर्वाचन में प्रतिपक्ष ने स्वस्थ परम्परा का निर्वाह किया। अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए राज्यपाल एक तिथि नियत करता है। अध्यक्ष का निर्वाचन आमतौर पर सदन की पहली बैठक के दिन अस्थायी अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को शपथ दिलाने के तुरन्त बाद ही अगली बैठक में होता है। अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए गुप्त मतदान आवश्यक नहीं है। अध्यक्ष का निर्वाचन सदन की एक सामान्य प्रक्रिया है और इसके लिये किसी नियम को निलम्बित करने की भी आवश्कता नहीं है।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन और विपक्षी दलों की भूमिका

बारहवीं विधान सभा में दिनांक 19 जुलाई, 2004 को मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भाजपा के रामनारायण विश्नोई को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाये, प्रस्ताव का अनुमोदन भाजपा के गुलाबचन्द कटारिया द्वारा किया गया। इसी प्रकार राजेन्द्र राठौर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जैन, उद्योग मंत्री नरपत सिंह राजवी द्वारा प्रस्तुत पस्ताव का अनुमोदन नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा तथा सिचाई मंत्री सावर लाल जाट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन महिला एवं बाल विकास मंत्री कनकमल कटारा द्वारा किया गया। अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा रामनारायण विश्नौई को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मोहम्मद माहिर आजाद ने कहा कि जब काँग्रेस ने उपाध्यक्ष के लिए कोई प्रत्याशी नहीं

बनाया तो चारों प्रस्ताव सत्तापक्ष की ओर से ही लेने जरूरी नहीं थे। एक–आध प्रस्ताव विपक्ष की ओर से भी किया जाता तो सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता।[13]

तेरहवीं विधान सभा में 29 फरवरी, 2012 को श्री अशोक गहलोत, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 'रामनारायण मोणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या–155) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाये। श्री शान्ति कुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस प्रकार के अन्य प्रस्ताव श्री गुरूमीत सिंह कुन्नर, श्री जाकिर हुसैन गेसावत, श्री कमल बैरवा ने प्रस्तुत किया। जिनका अनुमोदन कमशः श्री हरजीराम बुरड़क, श्री महेन्द्र चौधरी तथा श्रीमती कान्ता भील ने किया। श्री आशोक गहलोत द्वारा प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकार किया जाकर श्री रामनारायण मीणा को सर्व–सम्मति से राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया।

श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजे, नेता प्रतिपक्ष, श्री शाँतिकुमार धारीवाल संसदीय कार्यमंत्री, श्री घनश्याम तिवाड़ी उप नेता भारतीय जनता पार्टी, डॉ. रघु शर्मा सरकारी मुख्य सचेतक, श्री रतन देवासी सरकारी उप मुख्य सचेतक व श्री अमराराम नेता माकपा द्वारा नव–निर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई दी गई। इस अवसर पर श्री अशोक गहलोत, श्रीमती वसुन्धरा राजे तथा श्री अमराराम ने विचार व्यक्त किये। माननीय अध्यक्ष श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने भी नव–निर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई दी। श्री रामनारायण मीणा ने सदस्यों से सहयोग की कामना करत हुए निर्विरोध निर्वाचित किये जाने पर आभार व्यक्त किया।[14]

यह आश्चर्य की बात है कि जिस प्रकार सदन के सदस्यों, मंत्रियों, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि सभी पदाधिकारियों, यहाँ तक कि विधायक होने वाले प्रत्याशी तक के पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेने का प्रतिज्ञान करने का प्रावधान है, ऐसा कोई प्रावधान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए नहीं है जब कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कर्त्तव्य एवं अधिकार सामान्य सदस्यों की शक्तियों एवं अधिकारों से भिन्न एवं एवं गुरूत्तर दायित्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष के चुनने की तिथि निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष का है। जबकि अध्यक्ष के चुनने की तिथि राज्यपाल तय करता हैं। यह दोनों पद संवैधानिक दायित्व के है और परस्पर समकक्ष है। ऐसी स्थिति में दोनों के निर्वाचन की तिथियों के विनिश्चय का अधिकार पृथक–पृथक अधिकारियों को देना युक्तिसंगत प्रतीत नही होता। इसका एक अनिवार्य परिणाम यह होता है कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन में अनेक बार अनुचित विलम्ब होता है जिसका एक कारण राजनीतिक समीकरण हो सकता है। इसी वजह से यह विलम्ब विवादास्पद हो जाता है।[15]

उपाध्यक्ष की सीट उसी दल की बैंचों में होनी चाहिए जिसका वह सदस्य है। यह संतोष का विषय ह कि अक्टूबर, 1999 में निर्वाचित तेरहवीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस पार्टी को दिया गया था जो कि लोक सभा का सबसे बड़ा विपक्षी दल था।

सभापति तालिका

सदन के प्रारम्भ पर या समय–समय पर जैसी भी स्थिति को अध्यक्ष सदस्यों में से अधिक से अधिक चार सभापतियों की एक तालिका मनोनीत करेगा, जिसमें से कोई एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा तत्समय पीठासीन व्यक्ति के कहने पर, सदन में पीठासीन हो सकेगा।[16]

राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियम 9 के अनुसार विधान सभा के गठन के बाद सदन के प्रारम्भ पर या समय–समय पर जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष सदस्यों में से अधिक से अधिक चार सभापतियों की एक सभापति–तालिका का गठन करता है। इनमें कोई एक सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन में पीठासीन होता है। पीठासीन सभापति अध्यक्ष के अधीन नहीं होता। वह स्वतंत्र रूप से अपनी व्यवस्था दे सकता है। अधिकांशतः सभापति तालिका के सदस्यों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे संसदीय प्रक्रिया, कार्यवाही और विशेषाधिकारों से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी रखें। अतः व्यवहार में वे अपनी ओर से व्यवस्था देने से बचते हैं।

सभापति तालिका का कोई सदस्य जब सभा की बैठक में पीठासीन होता है तो उसकी वही शक्तियाँ होती है, जो कि अध्यक्ष की होती है, जब वह पीठासीन होता है। (प्रक्रिया नियम 10) सभापति के निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती और न ही उस पर कोई चर्चा या अपील हो सकती है। प्राधिकारपूर्ण विनिर्णय के लिए सभापति बहुधा प्रमुख विषयों को अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय के लिये सुरक्षित रखते हैं।

बारहवीं राजस्थान विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के प्रद्युम्न सिंह (15.1.2004 से 19.1.2004), रामनारायण चौधरी (19.1.2004 से 27.1.2006), रामनारायण मीणा (2.3.2006 से18.2.2008) मोहम्मद माहिर आजाद (18.2.2008 से 10.12.2008) सभापति तालिका के सदस्य मनोनीत किये गये। बारहवीं राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थलाल मीणा (15.01.2004 से 19.01.2004), राजेन्द्र राठौड़ (19.01.2004 से 31.05. 2004), अमराराम चौधरी (19.01.2004 से 31.05.2004), डॉ. एन.एस.गुर्जर (19.01.2004 से 24.12.2007), रामनारायण विश्नोई (30.06.2004 से 19.07.2004), राव राजेन्द्र सिंह (03. 03.2006 से 10.12.2008), शाँतिलाल चपलोत (10.02.2008 से 10.12.2008), प्रो0 वीरू

सिंह राठौड़ (18.02.2008 से 10.12.2008) सभापति तालिका के सदस्य मनोनीत किये गये।[17]

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के सुन्दरलाल (01.01.2009 से 02.01.2009), भगराज चौधरी (01.01.2009 से 02.01.2009), राव राजेन्द्र सिंह (03.01. 2009 से 09.12.2013), जनता दल (यू) के फतेहसिंह (01.01.2009 से 02.01.2009) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बाबूलाल नागर (03.01.2009 से 07.07.2009), सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (03.01.2009 से 09.12.2013), डॉ.परमनवदीप सिंह (03.01.2009 से 09.12. 2013), मेजर ओ.पी.यादव (07.07.2009 से 09.12.2013) सभापति तालिका के सदस्य मनोनीत किये गये।[18]

बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधान सभाओं की दलीय स्थिति को देखते हुए सभापति तालिका में विपक्षी सदस्यों को मनोनयन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा है। दोनों ही विधान सभाओं में सभापति तालिका में विपक्षी सदस्यों का मनोनयन करते समय सदस्यों के अनुभव व वरिष्ठता का विशेष ध्यान रखा गया।

विधान सभा में विशेषाधिकार और विपक्षी दल

सविधान में विधान मण्डल और उनके सदस्यों के लिए कुछ ऐसे असाधारण अधिकारों का प्रावधान किया गया है जो विधान मण्डल के सदस्यों को उनके सांविधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे गये हैं। संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य विधान मण्डल की स्वतंत्रता, प्राधिकार और गरिमा की रक्षा करना है। यह अधिकार सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से तथा विधान मण्डल के प्रत्येक सदन और उसकी समितियो को सामूहिक रूप से दिये गये हैं।

भारत के सविधान में संघ और राज्यों के सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को अनुच्छेद 105 एवं 194 में उपबन्धित किया गया है। इन अनुच्छेदों में उल्लिखित शब्द 'विशेषाधिकार', 'शक्ति' तथा उन्मुक्ति' में अर्थान्तर है, जिनके अनुसार सदन की अपनी आंतरिक कार्यवाही को नियंत्रित एवं विनियमित करने का अधिकार 'विशेषाधिकार' माना जाता है, अवमानना के लिए दण्ड देने के इसके अधिकार को इसकी शक्ति कहना अधिक उपयुक्त होगा तथा सदन के भीतर सदस्य द्वारा कही गई किसी बात और दिये गये मत के लिए उसके किसी न्यायालय के प्रति दायित्वाधीन नहीं होने के अधिकार को 'उन्मुक्ति' की श्रेणी में रखा जा सकता है।[19]

विशेषाधिकारों का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य सदन में स्वतंत्रतापूर्वक आ सके और जब सदन में आ जाये तो स्वतंत्रतापूर्वक भाषण अथवा मत दे सके। विधान

मण्डल में वाक्–स्वातंत्रय एवं सदन में अथवा समिति की बैठक में किसी बात के लिए कानूनी उन्मुक्ति जैसे प्रमुख विशेषाधिकारों का तो संविधान में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है। अन्य मामलों के लिए कहा गया है कि प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय–समय पर विधि द्वारा परिभाषित करे और जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जाती, तब तक वे ही होंगी, जो ब्रिटिश 'हाउस आफ कॉमन्स' तथा उसके सदस्यों एवं समितियों की हैं।

अभी तक न तो संसद ने और न ही किसी राज्य विधान मण्डल ने अपने सदन और उसके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को परिभाषित करने के लिए कोई व्यापक कानून बनाया है। इसलिए ऐसे किसी कानून के अभाव में संसद और राज्य विधान मण्डलों के सदनों और उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ वही हैं जो कि संविधान के प्रारम्भ ब्रिटेन के 'हाउस ऑफ कामन्स' उसके सदस्यों तथा उसकी समितियों की थी।

हमारे संविधान निर्माताओं न 'हाउस ऑफ कॉमन्स' के विशेषाधिकारों को केवल अस्थायी रूप से ही अंगीकार किया था। क्योंकि उस समय संविधान के समक्ष विशेषाधिकारों को संहिताबद्व करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। तत्समय मूल अधिकार, विधायी शक्तियों का विभाजन, विधान मण्डलों की शक्तियाँ, राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के कार्य आदि विषयों पर विचार–विमर्श करना अधिक महत्वपूर्ण समझा गया था।

संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताबद्व नहीं किये जाने के कारण इनका स्वरूप अप्रचलित, अनिश्चित और कुछ मनमाना सा हो गया है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की मातृभ्मि इग्लैण्ड में ही गत दशकों में इन्हें संहिताबद्व, युक्ति–युक्त, न्यायसंगत और सुपरिभाषित करने की मांग की जाती रही है। सदन की कार्यवाहियों से अपरिचितों को अपवर्जित रखने तथा सदन में हुए वाद–विवाद के प्रकाशन पर लगाये गये प्रतिबन्ध तो व्यवहार में त्याग दिये गय हैं।

लोकतंत्र की मूल भावना तथा हमारे संविधान के दर्शन के अनुसार सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के बराबर हैं। संसद तथा विधान मण्डलों के सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार देने का औचित्य केवल इतना है कि बिना किसी बाधा के, स्वतंत्रता के साथ अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन कर सके।[20]

भारत में विधान मण्डलों (संसद तथा राज्य विधान सभाओं) को संविधान के अनुच्छेद 105 तथा 194 के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं। अनुच्देद 105 के अर्न्तगत संसद के विशेषाधिकार इस पकार है:[21]

1. इस सविधान के उपबन्धों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक्–स्वातंत्रय होगा।

2. संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिये गये किसी मत के सम्बन्ध में, उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जायगी और किसी व्यक्ति के विरूद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

3. अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन को और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होगी जो संसद समय–समय पर विधि द्वारा, परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती है तब तक वही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ होने के समय इग्लैण्ड की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स तथा उसके सदस्यों और समितियों की है।

4. जिन व्यक्तियों का इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है उनके सम्बन्ध में खण्ड (1), खण्ड (2), और खण्ड (3) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार संसद के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 194 में राज्यों के विधान मण्डलों के विशेषाधिकार दिये गये हैं वे भी संसद के समान ही हैं। सन् 1978 के संविधान के चवालीसवां संविधान संशोधन के माध्यम से 'इग्लैण्ड की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स तथा उसके सदस्यों और समितियों 'शब्दावली को हटाकर '(चवांलीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 15 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों एवं समितियों की थी' कर दिया गया है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत में विधान मण्डलों और उनके सदस्यों और उनकी समितियों के कतिपय विशेषाधिकारों का संविधान द्वारा, कतिपय विभिन्न कानूनों द्वारा तथा कुछ अन्य का विधान मण्डलों के प्रक्रिया नियमों के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट किया गया

है तथा शेष विशेषाधिकार ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के पूर्व उदाहरणों एवं हमारे देश के विधानमण्डलों में विकसित परिपाटियों पर आधारित हैं। इन अधिकारों की प्रमुख रूप से तीन अवस्थितियाँ हैं प्रथम, विधान मण्डलों के सदस्यो की सुरक्षा प्रदान करना, द्वितीय, सदन को एक संस्था के रूप में सुरक्षा प्रदान करना, और तृतीय सदन के विशेषाधिकारों का हनन करने वाले को दण्डित करने का सदन का ही अधिकार अर्थात् इस संदर्भ में सदन को न्यायालय के आश्रय की आवश्यकता नहीं है।

बारहवीं तथा तेरहवी विधानसभा के कार्यकाल में विपक्षी सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार हनन के मामले प्रस्तुत किये गये हैं।[22]

बारहवीं विधानसभा के कार्य काल के दौरान सदस्यों द्वारा कुल 19 विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्तावों की सूचनाएँ दी गई जिसमें से 10 प्रस्ताव अस्वीकार किये गये तथा 5 मामले अध्यक्ष द्वारा समिति के निर्दिष्ट किये गये। उक्त मामलों में से 3 प्रस्ताव विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। विपक्षी सदस्यों के मामलों का संक्षेप में उल्लेख निम्नानुसार है–

1. दिनाँक 28 मार्च, 2004 को खुशवीर सिंह जोजावर व 9 अन्य सदस्यों द्वारा खुशवीर सिंह को उसके निवास स्थान पर 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा विधान सभा में शराब माफिया का मामला नहीं उठाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा समिति को निर्दिष्ट किया गया।

2. दिनाँक 1 अक्टूबर, 2004 को प्रमोद जेन 'भाया' द्वारा भूपेन्द्र सिंह चूड़ावत, पुलिस अधीक्षक, छबड़ा के विरूद्व कार्यवाही बाबत विशेषाधिकार प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा समिति को निर्दिष्ट किया गया है।

3. दिनाँक 20 सितम्बर, 2005 को संयम लोढ़ा द्वारा अन्तः सत्रकाल में पूछे गये प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिये जाने बाबत विशेषाधिकार प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा समिति को निर्दिष्ट किया गया।

प्रथम प्रकरण में विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना दते हुए उल्लेख किया था कि दिनाँक 26 जुलाई, 2004 को दो अज्ञात व्यक्ति उनके निवास पर आये और उन्होंने धमकी दी कि विधान सभा में शराब ठेकेदार के विरूद्व मामला उठाया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह विधायक के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार तथा विधान सभा के काम में बाधा डालना है। प्रकरण विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया। समिति ने विचार–विमर्श के बाद प्रकरण समाप्त कर दिया।

दूसरे प्रकरण में बताया गया है कि उप अधीक्षक, छबड़ा के पद पर पदस्थापित राजस्थान पुलिस के अधिकारी भूपेन्द्र सिंह चूड़ावत द्वारा पंचायत समिति के एक सदस्य से मार–पीट करने की जानकारी मिलने पर विधायक द्वारा जब घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक को देनो चाही तो उप अधीक्षक ने उन्हें रोका तथा उनके साथ अभद्रता से पेश आये व गाली–गलौच की। उनके द्वारा इसकी रिपोर्ट लिखाई गई जिसे पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), कोटा द्वारा झूठी और मनगढ़ंत बताकर पुलिस अधिकारी को बचाने का प्रयास किया गया और विशेषाधिकार भंग किया गया है। इसके सम्बन्ध में निर्दलीय विधायक प्रमोद जैन 'भाया' द्वारा प्रक्रिया के नियम 157 के तहत सूचना दी गई। प्रकरण विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया, लेकिन समिति ने इस मामले में विचार करने के बाद इसमें कोई रिपोर्ट देने का निर्णय नहीं लिया और मामला समाप्त हो गया।

तीसरा प्रकरण विधायक संयम लोढ़ा द्वारा दी गई सूचना थी जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अन्तः सत्रकाल में उनके द्वारा दिये गये प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा सदस्य को यह सूचना भिजवाई गयी कि विधान सभा के प्रक्रिया नियम 37 (1) के अन्तर्गत उत्तर दिये जाने योग्य नहीं है। सदस्य ने अपने प्रस्ताव में यह लिखा है कि किसी प्रश्न की ग्राह्यता निश्चित करने का अधिकार विधान सभा अध्यक्ष को है और राज्य सरकार ने स्वयं ही प्रश्न को उत्तर देने योग्य नहीं बताकर विशेषाधिकारों का हनन किया है। यह प्रकरण भी विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया तथा समिति ने मामले को विचार–विमर्श के बाद किसी सिफारिश के योग्य नहीं माना। बारहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया जिस पर समिति अपनी अनुशंसा करती। समिति के समक्ष प्रस्तुत कोई प्रकरण ऐसा नहीं पाया गया जिस पर कोई प्रतिवेदन दिया जाता।

तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र् में दिनाँक 20 जुलाई, 2009 को श्री घनश्याम तिवाड़ी व श्री राजेन्द्रसिंह राठौड ने मुख्य सचिव की उपस्थिति में उच्चाधिकारियों की माह जून, 2009 के तीसरे सप्ताह में हुई बैठक में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 33 (क) क अन्तर्गत माननीय सदस्यों द्वारा अन्तः सत्रकाल में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्नों पर रोक लगाने से सम्बन्धित विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर विचार व्यक्त किये। माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उन्होंने दोनों विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों को राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिए भिजवाया है।[23]

1. दिनाँक 19.07.2010 को महिला थाना, गाँधी नगर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सुश्री रत्ना गुप्ता, थानाधिकारी महिला थाना (पूर्व), जयपुर के द्वारा समिति

के सभापति तथा सदस्यों के साथ अशिष्ट एवं अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा समिति को निर्दिष्ट किया गया।

2. दिनाँक 14.06.2011 को श्री ओम बिरला द्वारा रामबाग पोलो एवं गोल्फ क्लब पर अवैध रूप से पार्किंग पर कब्जा करने एवं सेण्ट्रल पार्क के विभिन्न दरों पर अवैध रूप से पार्किंगं शुल्क वसूलने के सम्बन्ध में प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा समिति को निर्दिष्ट किया गया।

3. दिनाँक 28.03.2012 को श्री प्रभुलाल सैनी ने राजस्थान आवासन मंडल एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदनों की ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा समिति को निर्दिष्ट किया गया।

प्रथम प्रकरण में विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी संकल्प का पाठ इस प्रकार है कि यह सदन विशेषाधिकार समिति 2013–2014 के पथम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को अंगीकार करते हुए संकल्प करता है कि सुश्री रत्ना गुप्ता, तत्कालीन थानाधिकारी, महिला थाना, गाँधी नगर (पूर्व) जयपुर द्वारा राजस्थान विधानसभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति को चाही गई जानकारी उपलब्ध नही करवाकर समिति के सभापति एवं सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार की दोषी है। यही नहीं विशेषाधिकार समिति द्वारा सुश्री रत्ना गुप्ता को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए चार बार पत्र प्रेषित किये गये तथा वारण्ट भी जारी किया गया परन्तु उन्होंने जानबूझकर विशेषाधिकार समिति के आदेशों की अवज्ञा करते हुए समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होकर विशेषाधिकार समिति की अवमानना की दोषी है। साथ ही सुश्री रत्ना गुप्ता ने राजस्थान विधान सभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति तथा विशेषाधिकार समिति के विशेषाधिकारों का भी हनन किया है। अतः सुश्री रत्ना गुप्ता, तत्कालीन थानाधिकारी, महिला थाना गाँधी नगर (पूर्व), जयपुर को 30 दिनों के कठोर कारावास की सजा दी जाये और उन्हें जेल भेज दिया जाये, उक्त प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

इस प्रकार बारहवीं तथा तेरहवीं दोनों विधान सभाओं में विशेषाधिकार हनन क प्रस्तावों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हुआ है कि विपक्षी सदस्य सदन और विधायकों के विशेषाधिकारों के प्रति पर्याप्त रूप से सजग थे। दोनों विधान सभाओं में विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी मामले विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से प्रस्तुत किये गये।

प्रक्रिया सम्बन्धी नियम और विपक्षी दलों की भूमिका

भारतीय राज्य विधान मण्डलों के दोनों सदनों म सदस्यों को सदन की कार्यवाही के दौरान विधान सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुरूप ही आचरण करना होता है। बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा के कार्य काल के दौरान विभिन्न अवसरों पर जैसे राज्यपाल अभिभाषण व धन्यवाद प्रस्ताव, प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख का प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के समय विपक्षी सदस्यों द्वारा नियमों की पालना क प्रति जो दृष्टिकोण रहा उसका विवेचन किया जा रहा है।

विपक्षी दल तथा राज्यपाल का अभिभाषण

भारतीय सविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात् नवगठित विधान सभा के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में तथा प्रत्येक कलैण्डरवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में सदन को सम्बोधित करते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की रीति–नीति का दस्तावज होता है, जिसमें राज्य सरकार की गत वर्ष की विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों तथा भावी नीतियों और विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया जाता है। अभिभाषण की विषयवस्तु पर सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा चर्चा की जाती है। प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता सत्तापक्ष के सदस्य होते है। बारहवीं राजस्थान विधान मे हुए अभिभाषण पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, और नावें सत्र में प्रस्तुत किये गये। इन अभिभाषणों पर पस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए सामान्य वाद–विवाद के दौरान कुल 138 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें से 70 सदस्य विपक्षी दलो के थे। वर्ष 2008 में सामान्य वाद–विवाद के दौरान विपक्षी सदस्यों की संख्या काफी कम रही। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में विपक्षी सदस्यों ने कथित रूप से संविधान का उल्लंघन कर संसदीय सचिवों की नियुक्ति किये जाने के विरोध में दिनाँक 19.02.2008 को सदन में की गई नारेबाजी से घोर व्यवधान हुआ और चर्चा नहीं हो सकी। व्यवधान के कारण दिनाँक 20.02.2008 को भो चर्चा नहीं हो सकी। दिनांक 21.02.2008 को केवल चार घण्टे चचा संभव हो सकी जिसमें 11 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें 5 सदस्य विपक्ष के थे।[24]

दिनांक 3 फरवरी, 2005 को अभिभाषण से पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. बी. डी. कल्ला के बोलने से व्यवधान हुआ। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी की गई। कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन करने के बाद राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा। अभिभाषण 11.08 बजे प्रारम्भ हुआ तथा 12.18 बजे समाप्त हुआ।

तालिका संख्या–4.1

बारहवीं विधान सभा में राज्यपाल अभिभाषण पर हुए वाद विवाद में सहभागी सदस्य

राज्यपाल	अभिभाषण की तिथि	सामान्य वाद विवाद की तिथियाँ	चर्चा में सहभागी कुल सदस्य	चर्चा में सहभागी विपक्ष के सदस्य
श्री मदन लाल खुराना	19.01.2004	20–22.01.2004	36	20
श्रीमती प्रतिभा पाटील	03.02.2005	14–17.02.2005	39	17
श्रीमती प्रतिभा पाटील	28.02.2006	01–04.03.2006	33	17
श्रीमती प्रतिभा पाटील	01.03.2007	05–07.03.2007	19	11
श्री शीलेन्द्र सिंह	18.02.2008	19–21.02.2008	11	05

दिनांक 1 मार्च, 2007 को माकपा के अमराराम, बसपा के सुरेश मीणा व मुरारी लाल मीणा और लोक जनशक्ति पार्टी के रणवीर सिंह गुढ़ा ने वल में आकर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल प्रतिभा पाटील को अभिभाषण नहीं पढ़ने दिया। चारों विधायकों को शेष सत्र् के लिये निलम्बित कर दिया गया। अमराराम ने पिछले दिनों किसानों को जयपुर में नहीं घुसने देने का मामला उठाते हुए बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद अमराराम तथा उसके साथ सुरेश मीणा, मुरारी लाल मीणा व लोकजन शक्ति पार्टी के गुढ़ा आसन के सामने आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। राज्यपाल ने अध्यक्ष के अनुरोध पर अभिभाषण की अंतिम पंक्तियाँ पढ़ी। अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया।

दिनाँक 18 फरवरो, 2008 को अभिभाषण से पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री हेमाराम चौधरी के बोलने से व्यवधान हुआ। अभिभाषण के दौरान निरन्तर हुए व्यवधान के बीच श्री अमराराम ने अभिभाषण का बहिष्कार करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। राज्यपाल ने अभिभाषण के प्रारंभिक पृष्ठों के बाद अंतिम पैरा पढ़ने के बाद कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना जाये। अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया।

तेरहवीं विधान सभा में राज्यपाल अभिभाषण

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में कुल पाँच बार अभिभाषण हुए तथा इस अवधि में कुल चार राज्यपालों ने अभिभाषण दिये। पहला अभिभाषण शीलेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2009 को प्रस्तुत किया गया तथा बाद के अभिभाषण श्रीमती प्रभा राव, श्री शिवराज वी. पाटिल, तथा श्रीमती माल्ग्रेट आल्वा द्वारा प्रस्तुत किये गये।

प्रस्तुत विधान सभा के दूसरे अधिवेशन में राज्यपाल अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव द्वारा दिनाँक 22 फरवरी, 2010 को अभिभाषण पढ़ा गया। 23 फरवरी, 2010 को सदस्य डॉ. रघु शर्मा ने राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन श्री अल्लाउद्दीन आजाद ने किया। प्रस्ताव पर चार दिनों तक चर्चा हुई जिसके पश्चात् मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाद–विवाद का उत्तर दिया। वाद–विवाद में 83 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें विपक्ष के सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी के 41, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के 35, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 3, निर्दलीय, जनता दल (युनाईटेड), समाजवादी पार्टी तथा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के एक–एक सदस्य ने भाग लिया। 14 महिला सदस्यों ने भी उक्त चर्चा में भाग लिया, जिसमें सात भारतीय जनता पार्टी तथा सात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्याएं थी।

तालिका संख्या –4.2

तेरहवीं विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण पर हुए सामान्य वाद–विवाद में सहभागी सदस्य

राज्यपाल	अभिभाषण की तिथियां	सामान्य वाद–विवाद की तिथियाँ	चर्चा में सहभागी कुल सदस्य	चर्चा में सहभागी विपक्ष के सदस्य
श्री शीलेन्द्र कुमार	03.01.2009	06–10.01.2009	–	–
श्रीमती प्रभा राव	22.02.2010	23–26.02.2010	83	41
श्री शिवराज वी. पाटिल	15.02.2011	17–23.02.2011	70	35
श्री शिवराज वी. पाटिल	27.02.2012	28–02.03.2012	58	29
श्रीमती मार्ल्ग्रेट आल्वा	21.02.2013	22–27. 02.2013	41	21

तेरहवीं विधान सभा का दसवाँ अधिवेशन 21 फरवरी, 2013 को प्रारम्भ हुआ। जिसमें महामहिम राज्यपाल श्रीमती माल्ग्रेट आल्बा द्वारा अभिभाषण पढ़ा गया। प्रस्ताव पर चार दिन हुई चर्चा के पश्चात् 27 फरवरी, 2013 को मुख्यमंत्री ने वाद–विवाद का उत्तर दिया। वाद–विवाद में 41 सदस्यों ने भाग लिया। जिसम विपक्ष के 21 सदस्य सदन में मौजूद थे।

बारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभा में तेरहवीं विधान सभा में राज्यपाल अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए सामान्य वाद–विवाद में विपक्ष के अधिक सदस्यों ने भाग लिया। तेरहवीं विधान सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य विपक्ष के थे। जिन्होंने राज्यपाल अभिभाषण पर हुई बहस में भाग लिया। जबकि बारहवीं विधान सभा में राज्यपाल अभिभाषण के समय विपक्ष के आधे से भी कम सदस्य मौजूद थे।

विधान सभा का सत्राहूत एवं सत्रावसान :

संविधान की व्यवस्था है कि विधानमण्डल के दो सदनों के बीच छह माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए।[25] संसदीय शासन व्यवस्था मे विधान मण्डल के सदन का सत्राहूत तथा सत्रावसान करना कार्यपालिका का प्रमुख परमाधिकार है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 174 के अनुसार दो सत्रों के मध्य को अधिकतम अवधि की सीमा छह माह निर्धारित की गई है। राज्य में विधान मण्डल के सत्राहूत मुख्यमंत्री और उसकी

मंत्रिपरिषद् की राय से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। प्रायः कार्यपालिका का यह प्रयास रहता है कि वह विधान मण्डल का कम से कम सामना करें। इसलिए सांविधानिक आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से ही विधान मण्डल की बैठक बुलाई जाती है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमो में यह प्रावधान है कि विधान मण्डल के एक कलैण्डर वर्ष में कम से कम तीन सत्र् तथा तीन सत्रों की बैठकों की कुल संख्या 60 से कम नहीं होगी।[26] लेकिन व्यवहार में इस नियम की पूर्ति नहीं हो पा रही है। यदि विधानसभा अध्यक्ष को विधान सभा के सत्र बुलाने की शक्ति हो तो वह इस नियम की पूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।

राज्यपाल विधान सभा का सत्राहूत करता है। राजस्थान विधानसभा की बारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभा में राज्यपाल द्वारा क्रमशः 10 एवं 11 बार सत्राहूत किये गये। यहां बारहवीं विधान सभा एवं तेरहवीं विधान सभा में को गई बैठकों की संख्याओं को तालिकाओं के माध्यम से समझाया जा रहा है।

तालिका संख्या– 4.3

बारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभा की बैठकों का विवरण

सत्र	बारहवीं विधान सभा मं बैठकों की संख्या[27]	तेरहवीं विधान सभा में बैठकों की संख्या[28]
पहला	09	07
दूसरा	20	02
तीसरा	25	17
चौथा	03	23
पांचवां	25	04
छठा	05	15
सातवां	21	04
आठवां	04	22
नौवां	24	03
दसवां	04	18
ग्यारहवां	—	04
योग	140	119

उपर्युक्त तालिका को देखने से यह स्पष्ट होता है कि दोनों विधान सभाओं में बैठकों का औसत प्रतिशत तेरहवीं विधान सभा की अपेक्षा बारहवीं विधान सभा का अधिक रहा। दोनों विधान सभाओं में एक सत्र में बैठकों की संख्या न्यूनतम02 रही जबकि अधिकतम 25 रही। बारहवीं विधानसभा में बैठकों की संख्या तीसरे व पांचवे सत्र में सर्वाधिक 25 रही तो तेरहवीं विधानसभा में बैठकों की संख्या चौथे सत्र में सर्वाधिक 23 रही।

विधायी सदनों में बैठकों की घटती संख्या के पीछे कारण यह बताया जाता है कि सत्तारूढ़ दल का यह प्रयास रहता है कि विधानसभा का कम से कम सामना किया जाये। विधान सभा की तुलना यदि लोकसभा से की जाये तो यह सामने आता है कि वहां वर्ष में तीन सत्र होते है यथा बजट सत्र (1 फरवरी से 7 मई), ग्रीष्मकालीन सत्र (15 जुलाई से 15 सितम्बर) तथा शीतकालीन सत्र् (5 नवम्बर या दीपावली के बाद चौथे दिन से 22 दिसम्बर) यह कलेण्डर 22.04.1955 को हुई सामान्य प्रयोजन सम्बन्धी समिति की सिफारिश पर मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया था। बजट सत्र में 50 से 60 बैठकें तथा शेष सत्रों में 30–30 बैठकें होती हैं।

विधायिका के सदनों की बैठकें संक्षिप्त तथा कार्यपालिका की सुविधा के अनुसार ही आहूत की जाती है। वर्ष 1992 में पीठासीन अधिकारियों, दलों के नेताओं, संसदीय कार्य मंत्रियों, सचेतकों, सांसदों, विधायकों तथा राज्य विधान मण्डलों के वरिष्ठ अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन शिमला में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया था कि प्रतिवर्ष संसद को कम से कम 120 बैठकें, बड़ें राज्यों के विधान मण्डलों की कम से कम 90 तथा छोटे राज्य विधान मण्डलों की कम से कम 50 बैठकें होगी। लेकिन किसी भी विधान मण्डल में बैठकों की इस निर्धारित संख्या के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान विधान सभा में अब तक के 50 वर्षों में सदन की बैठको की संख्या में उतरोत्तर कमी आयी है। वर्ष 1952 से 1967 तक की प्रथम तीन विधान सभाओं के कार्यकाल में सदन की बैठकों की संख्या औसतन प्रतिवर्ष 50 से अधिक रही है। इसके विपरीत वर्ष 2004 से 2013 तक की बारहवीं से तेरहवीं विधान सभा के कार्यकाल में बैठकों की संख्या का औसत प्रतिशत 28.37 रहा है। इस संकल्प को कियान्विति के लिये विधान मंण्डलों को अपने प्रक्रिया नियमों में संशोधन करना पर्याप्त नही होगा।

प्रश्न काल और विपक्षी दलों की भूमिका

विपक्ष का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य सदन में सत्ता पक्ष के मंत्रिमण्डल के सदस्यों से विभिन्न विषयों एवं समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछना है। इन प्रश्नों के माध्यम से विपक्ष सत्ता पक्ष से न केवल जानकारी एंव सूचनाएँ प्राप्त करता है, अपितु सरकार की कमियों

एंव त्रुटियों को भी प्रकट करता है। साथ ही विकास की गति को तेज करने में भी ये प्रश्न अत्यन्त सहायक होते हैं।[29]

विधान सभाओं के सदस्य सम्पूर्ण राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं। उनकी जानकारी में जनता के हितों से जड़ी जो बातें आती हैं उन्हें वह सरकार के सामने रखना चाहते हैं इसलिए विधानसभा में प्रश्न पूछते हैं। ज्यों ही प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आता है और उस पर सरकार का ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

प्रश्नोत्तर के जरिय सरकार के ध्यान में आता है कि किस गाँव में या राज्य के किस जिले में क्या कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर क्या काम करना जरूरी है। सरकार के अपने अधिकारी होते हैं, वह जानकारी एकत्रित करते हैं और उसे सरकार तक पहुँचाते भी हैं लेकिन इन अधिकारियों की तुलना में निर्वाचित सदस्य अधिक लोगों से मिलते हैं और उनके मन की बात को अधिक अच्छी तरह से जान सकते हैं। प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह भी है कि सरकार के ध्यान में ऐसी बातें लायी जाये जो शासकीय नीतियों की क्रियान्विति में सहायक हो। दूसरा यह है कि कोई अधिकारी गलती कर देता है या सरकार की किसी नीति में कोई कमी है तो उस पर ध्यान केन्द्रित करने के लिय प्रश्न प्रभावी माध्यम हो सकता है। सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्नों से सरकार को मार्गदर्शन भी मिलता है।राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 29 के अनुसार प्रश्नों को तीन वर्गो के होगे।[30]

1. **तारांकित प्रश्न**– तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते है जिनका कोई सदस्य मौखिक उत्तर चाहता है, और जिसके सम्बन्ध में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते है।

2. **अतारांकित प्रश्न**– अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न है, जिनके उत्तर लिखित में दिये जाते है।

3. **अल्प सूचना प्रश्न**– वे प्रश्न जिनका कोई सदस्य पूरे चौदह दिनों से कम अवधि के भीतर मौखिक उत्तर चाहता है।

उक्त वर्गीकरण में एक चौथा वर्ग 'गैर–सरकारी सदस्यों के प्रश्न' भी होना चाहिए, जिसके लिये प्रक्रिया नियम 36 में व्यवस्था है और तद्नुसार नियम 29 में परिवर्तन किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय कि लोकसभा में प्रक्रिया नियमों में भी ऐसे प्रश्नों के लिए नियम 40 में प्रावधान किया गया है। ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में वहीं प्रक्रिया अपनाई जाती है जो मंत्री का सम्बन्धित प्रश्नों के सम्बन्ध में अपनाई जाती है। ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में सामान्यतः अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाती तथापि अनुरोध किये जाने पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा सकती है।

प्रक्रिया नियम 31 के तहत जब तक अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार प्रत्येक बैठक का पहला घण्टा अल्प सूचना प्रश्नों सहित तारांकित प्रश्नों के पूछने और उनके उत्तर देने के लिए निर्धारित रहता है प्रश्न पूछने और उसका उत्तर देने के लिए साधारणतः 5 मिनट से अधिक नहीं लगना चाहिए और यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार किया जाये। लेकिन व्यवहार में ऍसा नहीं होता है, एक घंटे के प्रश्न काल में अधिकतर 4–5 प्रश्नों पर ही विचार हा पाता है। इसी प्रकार अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम 46 में यह व्यवस्था है कि प्रश्नो के उत्तर के सम्बन्ध में चर्चा की अनुमति नहीं होगी। लेकिन कोई सदस्य अध्यक्ष के पुकारे जाने पर किसी ऐसे तथ्य के विषय के अग्रेत्तर स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए जिसके बारे में उत्तर दिया है जिससे की अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा।

अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में दसवीं विधानसभा में अध्यक्ष ने यह भी व्यवस्था दी थी कि 'एक प्रश्न पर पांच से अधिक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। अनुपूरक प्रश्न सीधा और स्पष्ट होना चाहिए, असम्बन्द्व विषय पर प्रश्न नहीं पछा जाना चाहिए। मूल प्रश्न कर्ता दो अनुपूरक प्रश्न तथा तीन सदस्य एक–एक प्रश्न पूछ सकेंगे।[31]

अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते है जिनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। जिसके द्वारा सदन के सदस्य मंत्रियों से अधिकतम एक दिन में 230 प्रश्न पूछ सकते है। बारहवीं विधानसभा के दौरान हुए अधिवेशनों में अधिकतम कुल 9693 प्रश्न पूछे गये जिसमें अधिकतम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा पूछे थे तथा कुल विपक्षी सदस्यो के द्वारा 5488 प्रश्न पूछे गये।

अल्प सूचना प्रश्न

निर्धारित अवधि से कम समय पर यदि कोई सदस्य ऐसी जानकारी चाहे जो आवश्यक प्रकृति हो तो वह उसका कारण बताते हुए अल्प सूचना का प्रश्न पूछ सकता है। इसकी प्रकिया यह है कि ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष सम्बन्धित मंत्री से पूछते है कि क्या वह जानकारी देने की स्थिति में है और यदि उत्तर हाँ में हो तो वह प्रश्न सदन की प्रश्न सूची में आ जाता है। और प्रश्नकाल के तुरन्त बाद उसे ले लिया जाता है। बारहवीं विधान सभा के कार्य काल में कुल 6 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 1 प्रश्न को स्वीकार किया गया तथा तेरहवीं विधान सभा में कुल 11 सत्रों में से तीसरे, छठे, आठवाँ तथा दसवें म कुल 21 प्रश्न पूछे गये जिसमें से 21 प्रश्न ही स्वीकृत किये गये।

आधे घण्टे की चर्चा

प्रश्न तारांकित हो चाहे अतारांकित, किसी भी प्रश्न पर यानी तारांकित प्रश्न पर प्रश्नोत्तर कर चुकने के बाद तथा अतारांकित प्रश्न का उत्तर आधा –अधूरा आने पर, यदि सम्बन्धित प्रश्नकर्ता को ऐसा लगे कि उत्तर अस्पस्ट है या गलत है, तो वह अध्यक्ष को उस पर आधे घण्टें की चर्चा का नोटिस दे सकता है और अध्यक्ष यदि उसे ग्राह्य ठहराए तो किसी भी अगले दिन उसे सदन की कार्यसूची के अंत में विचारार्थ ले लिया जाता है।[32]

प्रक्रिया के नियम 49 में प्रश्न के उत्तर से उठने वाले किसी लोक महत्त्व के विषय पर आधे घण्टे की चर्चा का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष प्रश्नोत्तर से उत्पन्न किसी लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने की अनुमति दे सकता है जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रह चुका हो और जिसके उत्तर का उक्त विषय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आवश्यक हो। यह निर्णय अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है कि जिस विषय पर चर्चा उठाई जानी है वह समुचित लोक महत्त्व का है कि नहीं। सूचना स्वीकार कर लेने के बाद केवल आधे घण्टे के लिए ही चर्चा होती है। यह चर्चा किसी बैठक के अन्तिम आध घण्टे के लिए ही होती है। अध्यक्ष सप्ताह में तीन बैठकों में आधे घण्टे की चर्चा उठाने की अनुमति दे सकता है।

बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल में आधा घंटे की दो चर्चाएँ स्वीकार की गई। यह दोनों सूचनाएँ विपक्षी सदस्यों द्वारा ही दी गई थी। पहली सूचना विधानसभा में मा.क.पा. के सदस्य अमराराम द्वारा फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कृषि जिन्स के सम्बन्ध में थी जिस पर 15.7.2004 को सदन में चर्चा हुई। दूसरी चर्चा पाँचवें सत्र् में इ. ने.का. सदस्य संयम लोढ़ा द्वारा प्रदेश में गृहकर हित निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में थी, जिस पर 3.3.2006 को सदन में चर्चा हुई।[32]

तेरहवीं विधानसभा के कार्यकाल में भी दो चर्चाएं स्वीकार की गई। यह दोनों सूचनाएं विपक्षी सदस्यों द्वारा दी गई थी। पहली सूचना विधानसभा में छठा सत्रदिनांक 14.03. 2011 को श्री कालीचरण सर्राफ एवं राजेन्द्र राठौर द्वारा दी गई जो नया जयपुर योजना के पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल में संशोधन विधेयक से सम्बन्धित था तथा दूसरा प्रश्न दसवें सत्र् दिनांक 07.03.2013 को डा. जसवन्त सिंह द्वारा आबकारी शराब के ठेकेदारों से बकाया राजस्व की वसूली से सम्बन्धित चर्चा थी।[33]

उक्त आँकड़ों स यह परिलक्षित होता है कि राजस्थान विधानसभा में आधे घण्टे की चर्चा के लिये बहुत कम प्रस्ताव स्वीकार हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अध्यक्ष इनकी

ग्राह्यता तभी प्रदान करता है जब सम्बन्धित मंत्री की स्वीकृति प्राप्त हो जाये। यद्यपि नियमों में इसकी आवश्कता नहीं है। नियमों में मंत्री की सहमति केवल नोटिस अवधि को कम करने पर ली जाती है। प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिए नहीं। अतः इस व्यवस्था को उदार बनाया जाना चाहिए।

आधा घण्टे की चर्चा हेतु प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद उस पर किसी सदस्य द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दो सकती। आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से सम्बन्धित मंत्री अथवा विधायक पर मानहानिकारक आरोप नहीं लगाये जा सकते। न्यायालय में विचाराधीन चुनाव याचिका के विषय में आधे घण्टे की चर्चा नहीं उठाई जा सकती। आधा घण्टे की चर्चा के विषय में दिया गया वक्तव्य 'मंत्री के वक्तव्य' की परिधि में नहीं आता, अतः उस पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

नियमानुसार आधा घण्टे की चर्चा उठाने के लिए सदस्य जिस दिन विषय उठाना चाहता है उससे तीन दिन पहले सचिव को लिखित में सूचना देगा तथा वह संक्षेप में उन बातों का उल्लेख करेगा जिन्हं वह उठाना चाहता है। सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से किया जायेगा। आधे घण्टे की चर्चा के समय न तो कोई औपचारिक प्रश्न होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त व्यक्तव्य दे सकेगा और सम्बन्धित मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा। मुद्दे पर सूचना देने वाले सदस्य का स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछनें की अनुमति दी जा सकेगी। यदि सूचना देने वाला सदस्य, अनुपस्थित हो तो कोई ऐसा सदस्य, जिसने सूचना का समर्थन किया हो, अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा का सूत्रपात कर सकेगा।

तेरहवीं विधानसभा के छठे सत्र में दिनाँक 14.03.2011 को श्री काली चरण सर्राफ एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ ने नगरीय विकास के सम्बन्ध में नया जयपुर योजना के पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल में संशोधन सम्बन्धी विधेयक को तारांकित प्रश्न संख्या 29/206/ नगरीय विकास एवं आवासन का उत्तर जो दिनांक 18 फरवरी, 2011 को दिया गया था से उत्पन्न मुद्दों के सम्बन्ध में चर्चा हुई। इस प्रकार बारहवीं एवं तेरहवी राजस्थान विधान –सभा के दोनों सदनों के कार्यकालों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आाधे घण्टे की चर्चा के विषय में दिया गया वक्तव्य मंत्री की परिधि में नहीं आता तो उस पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः दोनों कार्यकालों में आधे घण्टे की चर्चा का सदन की कार्यवाही को चलाने में बहुत महत्त्व होता है।

शून्यकाल (जीरो आवर) और विपक्षी दल

संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर 'शून्यकाल' अथवा जीरो आवर के नाम से जाना जाने लगा है। यह एक से अधिक अर्थों में शून्यकाल होता है। 12 बजे दोपहर का समय न तो मध्यान्ह पूर्व का समय होता है और न ही मध्यान्ह पश्चात का समय। 'शून्यकाल' 12 बजे प्रारम्भ होने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। इसे 'ऑवर' भी कहा गया क्योंकि पहले 'शून्यकाल' पूरे घण्टे तक चलता था, अर्थात् 1 बजे तक सदन के मध्यान्ह भोजन के लिए स्थगित होने तक।[34]

प्रश्नकाल के बाद तथा कार्य–सूची में शामिल किये गये विषयों का सदन में विचारार्थ लिए जाने के मध्य की अवधि को आमतौर पर श्न्यकाल (जीरो ऑवर) के नाम से जाना जाता है। बारह बजे दोपहर का समय न तो मध्यान्ह पूर्व का समय होता है और न ही मध्यान्ह पश्चात् का, उस समय शून्य की स्थिति होती है तथा इसकी अवधि एक घंटे की होती है, अतः इसे शून्यकाल तथा अंगजी में 'जीरो आवर' कहा जाता है। शून्यकाल का उद्देश्य सामान्यतया किसी मामले पर सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही करायी जाना अथवा सरकार की राय या विचार जानना होता है। संसद तथा राज्य विधान मंडलों की प्रक्रिया नियमों में शून्य काल का उल्लेख नहीं है और न ही शून्य काल में सदस्यों द्वारा उठाये जाने वाले अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषयों का उल्लेख उस दिन की कार्य–सूची में होता है।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही अध्यक्ष सदस्यों से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव, विशेष उल्लेखों के प्रस्तावों पर अपनी व्यवस्था सदन में पढ़कर सुनाते हैं। उसके उपरान्त अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रथमतः स्थगन प्रस्ताव तथा उसके पश्चात् विशेष उल्लेख की सूचना प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को सदन में सूचना पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। विशेष उल्लेख की सूचनाएँ सदस्यों द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् आसन द्वारा राजस्थान विधान सभा में पर्ची प्रणाली के अन्तर्गत शलाका में निकाले गये 4 सदस्यों को सदन में जनहित के मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान किया जाता है।

स्थगन प्रस्ताव व विपक्षो दल

स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सर्वोपरि महत्त्व के किसी ऐसे सार्वजनिक विषय पर विचार–विमर्श किया जाता है, जो अचानक घटित हुआ हो तथा जिस पर तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता हो। स्थगन प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि यह हाल ही में घटित किसी ऐसे निश्चित विषय से सम्बद्ध हो तथा अविलम्बनीय लोक महत्त्व का हो। अगर

कोई स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह सरकार की नीतियों के प्रति असहमति माना जाता है। इस अर्थ में यह निंदा प्रस्ताव के अधिक समीप है।

स्थगन प्रस्ताव रखने वाला सदस्य विधान सभा की बैठक शुरू होने से पूर्व अध्यक्ष, सम्बद्ध मंत्री तथा सचिव को इसकी सूचना देता है। अगर अध्यक्ष सहमति दे–दे तो सम्बद्ध सदस्य स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति माँगता है। अगर कोई आपत्ति करता है तो अध्यक्ष उन सदस्यों से अपने स्थान पर खड़े होने की प्रार्थना करता है, जो अनुमति प्रदान करने के पक्ष में है। स्वीकृति हेतु सदस्यो के कम से कम 1/10 भाग का खड़ा होना आवश्यक है।[35]

यहाँ 'इन नियमो के उपबन्धों के अधीन रहते हुए' शब्दावली न केवल अनावश्यक है बल्कि स्थगन प्रस्तावों के अन्तर्निहित उद्देश्य के विपरित भी है क्योंकि स्थगन प्रस्ताव नियमों में दी गई अन्य व्यवस्थाओं व प्रक्रियाओं का अतिलंघन करते हुए स्वीकार किया जाने वाला एक प्रकार से असाधारण स्थिति का प्रस्ताव है। जब कोई गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसके कारण पूर्व निर्धारित कार्य–सूची के चलते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़े। अतः इन शब्दों का विलोप किया जाना चाहिए।[36]

विधान सभा अध्यक्ष द्वारा आमतौर पर स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार ही किया जाता है। राजस्थान विधानसभा में स्थापित परम्परा के अनुसार स्थगन प्रस्ताव केवल विपक्ष के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है।

राजस्थान विधानसभा में अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषयों पर सदस्यों द्वारा प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव प्रातः 9.30 बजे तक तीन प्रतियों में सचिव को प्रस्तुत किया जाता है अथवा विधानसभा भवन के पश्चिमी द्वार पर रखी गई पेटी में डाला जाता है। नियम 50 के अन्तर्गत यदि अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव में उल्लिखित विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सदन में प्रस्तुत किये जाने की सम्मति दे तो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के पक्ष में सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या के कम से कम दसवें भाग के सदस्य खड़े हो ता अध्यक्ष द्वारा सदन में प्रस्ताव पर विचार किये जाने की अनुमति दी जाती है। स्थगन पस्ताव पर प्रथमतः प्रस्ताव प्रस्तुत सूची के अनुसार सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान किया जाता है। तदुपरांत स्थगन प्रस्ताव पर हुए वाद–विवाद पर राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाता है। यदि राज्य सरकार के उत्तर से स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सतुष्ट हो जाते हैं तो वे अपना स्थगन प्रस्ताव वापस ले लेते हैं। अन्यथा उनके द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर मतदान की माँग की जाती है। यदि सदन द्वारा प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया जाता है, तो उसके परिणामस्वरूप सरकार गिर जाती है।

आमतौर पर स्थगन प्रस्ताव को सदन में विचारार्थ नहीं लिया जाता है। सदन में सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव उसी दशा में प्रस्तुत करने चाहिए जबकि जनहित इस पकार प्रभावित हुआ हो कि राज्य में या राज्य के किसी जिले, नगर या कस्बे में कानून व्यवस्था की स्थिति विफल हो गई हो तथा यदि उस मुद्दे को तत्काल सदन में नहीं उठाया गया तो राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती हो तथा सदस्य के पास राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने हेतु स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई अवसर तत्काल उपलब्ध नहीं हो।

राजस्थान विधानसभा में 1952 से अब तक प्रकिया के नियम 50 के अन्तर्गत प्राप्त 5 स्थगन प्रस्तावों पर सदन में विचार–विमर्श किये जाने हेतु प्रक्रिया नियमावली के नियम 54 के अनुसार माननीय अध्यक्ष द्वारा शून्यकाल में उठाये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है जो वर्ष 1952 से 1977 के मध्य के है। ये सभी प्रस्ताव चर्चा के बाद अस्वीकृत हुए हैं।

विधान सभा के प्रकिया नियम 152 के अनुसार अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सदन को स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार कतिपय निर्बन्धनों के अधीन होता है। इस पावधान के अन्तर्गत एक सदस्य द्वारा एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित होता है। स्थगन प्रस्ताव न्यायालय में विचाराधीन विषयों अथवा विशेषाधिकार प्रश्नों के सम्बन्ध में नहीं हो सकता।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सदन को स्थगित करने का निम्न निर्बन्धों का होना आवश्वक है।[37]

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जायेगा।

(2) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नही होगी।

(3) प्रस्ताव हाल ही में घठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित हो।

(4)प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जायेगी जिस उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो।

बारहवीं विधान सभा में सदस्यों द्वारा कुल 366 प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिनमें से 316 प्रस्ताव प्रमुख विपक्षी दल इ.ने.का. से सदस्यों से थे। माकपा के सदस्य की ओर से 29 स्थगन प्रस्तावों की सूची दी गई। सबसे कम एक प्रस्ताव की सूचना इ.ने.लो.द. द्वारा दी गई। प्राप्त सभी प्रस्तावों पर अध्यक्ष द्वारा निर्णय देते हुए उन्हें अस्वीकार किया गया।

इसी प्रकार तेरहवीं विधान सभा में प्रकिया नियम संख्या 50 के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा कुल 962 प्रस्ताव प्राप्त हुए। जिनमें से 46 प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये। जिनमें मंत्रियों द्वारा अभियुक्ति वाले प्रस्तावों की संख्या 118 थी।

राजस्थान विधान सभा चूँकि स्थगन प्रस्ताव केवल विपक्षी सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते है। इसलिए सरकार पर नियंत्रण का एक सशक्त साधन होते हैं।

तालिका संख्या–4.4

बारहवीं विधानसभा विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्तावों की संख्या

सत्र	कुल प्रस्ताव	इ.ने. कां.	इ.ने. लो. द.	बस पा	माकपा	जद (यू)	लो.ज.श. पा.	निर्दलीय	विपक्ष के कुल प्रस्ताव
पहला	6	4	—	—	2	—	—	—	6
दूसरा	37	27	—	—	6	1	—	3	37
तीसरा	47	45	—	—	2	—	—	—	47
चौथा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पाँचवां	75	62	—	—	6	3	2	2	75
छठा	35	33	—	—	2	—	—	—	35
सातवां	47	42	—	—	2	—	1	2	47
आठवां	15	—	—	—	—	—	—	—	—
नौवां	81	69	1	—	8	—	3	—	81
दसवां	23	19	—	—	1	—	2	1	23
योग	366	316	1	—	29	4	8	8	366

स्त्रौतः– बारहवीं विधान सभा के समस्त सत्रों की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव

तेरहवीं विधानसभा के प्रथम सत्र लेकर ग्यारहवें सत्र तक के अध्ययन से यह विदित होता है कि जहाँ प्रथम सत्र के दौरान माननीय अध्यक्ष द्वारा अपनी व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 17 माननीय सदस्यों के 26 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से तीन प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभ्युक्ति दी गई। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 14 सदस्यों ने 19 प्रस्ताव, माकपा के दो सदस्यों ने 6 प्रस्ताव तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के एक सदस्य ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दो महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी तीन प्रस्ताव भाजपा की महिला सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये। श्री पवन कुमार दुग्गल, श्री पेमाराम तथा श्री राजेन्द्र राठौड़ ने सर्वाधिक 3–3 स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये। जिसमें दसवें सत्र में सबसे अधिक स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये। इस कार्यकाल के दौरान कुल 962 प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये। जिसमें 46 प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये।

तालिका संख्या–4.5

तेरहवीं विधानसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्तावों की संख्या

सत्र	कुल प्रस्ताव	भाजपा	इ.ने. लो. द.	सपा	माकपा	जद (यू)	लो.स.श. पा.	निर्दलीय	विपक्ष के कुल प्रस्ताव
पहला	26	19	–	–	6	–	–	1	26
दूसरा	00	–	–	–	–	–	–	–	–
तीसरा	121	108	–	–	13	–	–	–	121
चौथा	155	138	–	–	15	–	–	2	155
पाँचवां	27	23	–	–	4	–	–	–	27
छठा	100	87	–	1	12	–	–	–	100
सातवां	17	13	–	–	4	–	–	–	17
आठवां	160	138	–	–	22	–	–	–	160
नौवां	44	38	–	–	6	–	–	–	44
दसवां	218	207	–	–	11	–	–	–	218
ग्यारहवां	48	44	–	–	4	–	–	–	48
योग	962	815	–	1	97	–	–	3	916

स्त्रौतः– तेरहवीं विधान सभा के समस्त सत्रों की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

राजस्थान विधानसभा में माननीय सदस्यों को प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचना प्रस्तुत कर अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय को उठाने का एक और अवसर उपलब्ध है। नियम 295 में प्रावधान है कि जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहता है, जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देगा जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतलायेगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतलायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दी जाने के बाद ही ऐसा समय तथा तिथि दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करे। इसके अन्तर्गत सदस्य जनहित के विषय को 250 शब्दों में लिखकर सचिव, विधान सभा को प्रस्तुत करते हैं। अध्यक्ष अपनी व्यवस्था के द्वारा ऐसी सूचनाओं में से सामान्यतया 12 सूचनाएं प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को, इन सूचनाओं को सदन में पढ़ने का अवसर प्रतिदिन प्रदान किया जाता है, यदि कोई सदस्य इस अवधि में सदन में उपस्थित नहीं रहता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विशेष उल्लेख की सूचना के सम्बन्ध में तथ्यात्मक जानकारी देना चाहे तो वे अपना स्पष्टीकरण सदन में दे सकते हैं, लेकिन किसी मंत्री को किसी विशेष उल्लेख की सूचना के सम्बन्ध में उत्तर दिये जाने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।

नियम 295 के अधीन उठाये जाने वाले विषयों के लिए प्रक्रिया अध्यक्षीय निदेश संख्या 14 में दी गई है, जो 11 फरवरी, 1988 को जारी किये गये हैं। इस नियम के तहत उन विषयों को उठाया जा सकता है जो विशेष उल्लेख के लिए विहित शर्तो को पूरी करते हैं और जिन प्रश्नों, अल्प सूचना प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और व्यवस्थाओं के मुद्दों आदि से सम्बन्धित नियमों के अधीन नहीं उठाया जा सकता। अध्यक्ष द्वारा समयाभाव के कारण कभी–कभी ऐसी सूचनाओं को सदन में पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। सदन में सदस्यों द्वारा पढ़ी गई अथवा पढ़ी हुई मानी गई सभी विशेष उल्लेख की सूचनाएँ राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिए भिजवाई जाती हैं तथा ऐसी सभी सूचनाओं की जानकारी राज्य सरकार द्वारा सीधे माननीय सदस्य को भिजवाते हुए उसकी प्रतिलिपि विधानसभा को प्रेषित की जाती है।

तालिका संख्या–4.6

बारहवीं विधान सभा में विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

सत्र	कुल प्रस्ताव	इ.ने. कां.	इ.ने. लो. द.	बसपा	माकपा	जद (यू)	लो. ज. श. पा.	निर्दलीय	विपक्ष के कुल प्रस्ताव
पहला	58	20	1	1	1	1	1	4	29
दूसरा	197	40	4	3	1	2	–	10	60
तीसरा	192	48	–	1	–	1	–	11	61
चौथा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पाँचवां	259	76	1	3	1	2	–	8	91
छठा	45	15	1	–	–	–	–	3	19
सातवां	213	44	–	3	–	1	–	16	64
आठवां	36	16	–	–	–	1	–	–	17
नौवां	273	66	1	–	1	2	–	16	86
दसवां	22	10	–	–	–	–	–	2	12
योग	1295	335	8	11	4	10	–	64	439

अध्यक्ष द्वारा विशेष उल्लेख की उन सूचनाओं को जिनकी सत्रावसान के पश्चात् भी राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त नहीं होती हैं उन्हें प्रक्रिया नियमावली के नियम 253 (ट) के अन्तर्गत प्रश्न एवं संदर्भ समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाता है। तत्पश्चात् प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा ऐसी सूचनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारो प्राप्त कर संबंधित सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती है।

तालिका संख्या–4.7

तेरहवीं विधान सभा में विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

सत्र	कुल प्रस्ताव	भाजपा	इ.ने. लो. द.	सपा	माकपा	जद (यू)	लो. स. पा.	निर्दलीय	विपक्ष के कुल प्रस्ताव
पहला	35	29	–	–	1	–	–	1	31
दूसरा	00	–	–	–	–	–	–	–	–
तीसरा	147	93	–	–	5	–	1	2	101
चौथा	211	136	–	–	11	1	1	1	151
पाँचवां	34	21	–	–	3	–	–	–	24
छठा	115	78	–	1	5	1	1	1	87
सातवां	19	14	–	–	–	–	–	–	14
आठवां	218	149	–	–	7	–	1	4	162
नौवां	12	1	–	–		–	–	–	44
दसवां	180	207	–	–	11	–	–	–	218
ग्यारहवां	34	1	–	–	1	1	–	1	04
योग	1006	729	–	–	44	3	4	10	836

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विपक्षी दल

ध्यानाकर्षण सूचनाओं के लिए उपबंध पहली बार वर्ष 1954 में किया गया। इससे पूर्व किसी महत्त्वपूर्ण और अविलंबनीय मामले को उठाने की स्पस्ट प्रक्रिया की आवश्यकता

महसूस की जा रही थी। आनुनिक संसदीय प्रकिया में ध्यानाकर्षण सूचनाओं के लिए प्रकिया नियमों में व्यवस्था करने का विचार केवल भारत की देन है। इसमें उतर के लिए प्रश्नों, अनुपूरक प्रश्नों और संक्षिप्त टिप्पणीयों का सम्मिश्रण है, जिसमें सभी दृष्टिकोण संक्षेप में और स्पष्टतया व्यक्त किये जाते है और सरकार को अपनी बात कहने का प्र्याप्त अवसर मिल जाता हैं। कभी–कभी इनमें सदस्यों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार की आलोचना करने और किसी महत्त्वपूर्ण मामले में सरकार की विफलता या उसकी अपर्याप्त कार्यवाही को उजाकर करने का अवसर मिलता है।[38]

राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत कोई भी सदस्य अविलम्बनीय जोक महत्त्व के किसी विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है। ध्यान आकर्षित करने के इच्छुक सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतः और संक्षिप्तः सूचना में विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्ताव, सचिव, विधानसभा को तीन प्रतियों में प्रस्तुत करते हैं। सदस्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को राज्य सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के लिए भेजा जाता है। सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय के महत्त्व तथा उसमें निहित जनहित की महत्ता को ध्यान में रखकर कार्य सूची में सम्मिलित करने हेतु आदेश प्रदान करते हैं। अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई तिथि को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लिया जाता हैं तथा उस प्रस्ताव पर सम्बन्धित मंत्री एक वक्तव्य देते हैं। अध्यक्ष द्वारा अनुमति देने पर सम्बन्धित सदस्यगण तथा दो अन्य सदस्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से उत्पन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।[39]

बारहवीं विधान सभा में प्रमुख विपक्षी दल रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और से 52.94 प्रतिशत प्रस्ताव स्वीकार हुए जो विपक्षी सदस्यों के कुल प्रस्तावों का 81.81 प्रतिशत था। बारहवीं विधानसभा में अन्य दलों की और से जनता दल (यू) तथा निर्दलीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में से एक–एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। वहीं तेरहवीं विधानसभा में अन्य दलों की ओर से तथा निर्दलीय सदस्यों द्वारा तीन प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

तालिका संख्या–4.8

बारहवीं विधान सभा विपक्षी दलों के सदस्यो द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के संख्या

सत्र	कुल प्रस्ताव	इ.ने. कां.	इ.ने. लो. द.	बसपा	माकपा	जद (यू)	लो. ज. श. पा.	निर्दलीय	निर्णीत कुल प्रस्ताव
पहला	32	–	–	–	–	–	–	–	–
दूसरा	196	5	2	–	–	–	–	–	–
तीसरा	86	4	1	–	–	–	1	–	–
चौथा	34	–	–	–	–	–	–	–	–
पाँचवां	131	6	5	–	–	–	–	–	–
छठा	34	–	–	–	–	–	–	–	–
सातवां	131	6	5	–	–	–	–	–	–
आठवां	42	–	–	–	–	–	–	–	–
नौवां	175	1	–	–	–	–	–	–	1
दसवां	25	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	886	17	9	–	–	–	1	–	1

तालिका संख्या–4.9

तेरहवीं विधानसभा विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की संख्या

सत्र	कुल प्रस्ताव	भाजपा	इ.ने. लो. द.	बसपा	माकपा	जद (यू)	लो. ज. श. पा.	निर्दलीय	विपक्ष के कुल पस्ताव
पहला	21	–	–	–	–	–	–	–	–
दूसरा	00	–	–	–	–	–	–	–	–
तीसरा	175	–	–	–	–	–	–	–	–
चौथा	210	12	–	–	–	–	–	–	12
पाँचवां	66	–	–	–	–	–	–	–	–
छठा	246	2	–	–	–	–	–	–	2
सातवां	66	–	–	–	–	–	–	–	–
आठवां	292	5	–	–	–	–	–	–	5
नौवा	83	–	–	–	–	–	–	–	–
दसवां	329	9	–	–	1	–	–	–	10
ग्यारहवां	75	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	1563	28	–	–	1	–	–	–	29

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की कम संख्या के बारे में यह कहा जाता है कि नियम 131 (ग) के अनुसार एक दिन में दो से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कार्य सूची में शामिल नहीं किये जा सकते । पूर्व में एक ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जा सकता था और दिनाँक 23.01. 1976 को दो प्रस्ताव कार्य–सूची में रखने पर आपत्ति प्रस्तुत करने पर अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उन्होंने विषय के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए दो प्रस्ताव स्वीकार किये है।

याचिकाएँ और विपक्ष

लोकतंत्र में सर्वसाधारण को देश के विधान मण्डल में अपनी याचिकाएँ प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है ताकि वे उसके समक्ष अपनी शिकायतें रख सके और लोक महत्त्व के विषयों पर रचनात्मक सुझाव दे सकें। भारत में यह अधिकार सुस्थापित है और प्राचीन काल से चला आ रहा है। शिकायतों को दूर करने के लिए याचिका देने की संकल्पना को अब परोक्ष रूप से संविधान में अनुच्छेद 350 में भी स्वीकार कर लिया गया है।

याचिकाओं के माध्यम से जनहित के दबाव से उचित शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही के लिए सरकार को बाध्य किया जाता है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के अध्याय 11 में याचिकाओं के सम्बन्ध में नियम 56 से 105 तक आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

याचिकाएँ विधानसभा अध्यक्ष की सम्मति से जनहित के उन विषयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जा सकती हैं जो सदन के समक्ष लम्बित कार्यों से सम्बन्धित हो। न्यायालय में विचाराधीन विषयों के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती। ये ऐसे विषयों के सम्बन्ध में भी नहीं हो सकती तो मूल प्रस्ताव या संकल्प के द्वारा उठाया जा सकता है। सदस्यों द्वारा याचिकाएँ स्वयं अपनी क्षमताओं में ही प्रस्तुत की जाती हैं तथा उनमें दिये गये वक्तव्य तथा सदन में उठने वाले प्रश्नों के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होते है।[40]

तालिका संख्या –4.10

बारहवीं विधानसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत याचिकाएँ

सत्र	कुल याचिकाएँ	इनेका	इनेलोद	बसपा	जद (यू)	लोजशपा	माकपा	निर्दलीय	विपक्ष की कुल याचिकाएँ
प्रथम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दूसरा	30	7	–	–	–	–	1	–	8
तीसरा	42	14	–	–	–	–	–	7	21
चौथा	2	–	–	–	–	–	–	–	
पाँचवां	65	23	–	–	–	–	1	2	26
छठा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सातवां	78	21	–	–	–	–	–	11	32
आठवां	2	–	–	–	–	–	–	–	–
नौवां	46	4	–	–	–	–	–	–	4
दसवां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	265	69	–	–	–	–	2	20	91

बारहवीं विधान सभा में कुल 265 याचिकाएँ उपस्थापित की गई जिसमें से 91 याचिकाएँ विपक्षी सदस्यों द्वारा उपस्थापित की गई थी। इसमें से भी 69 याचिकाएँ मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 2 याचिकाएँ मा.क.पा. के सदस्यों द्वारा तथा 20 याचिकाएँ निर्दलीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बारहवीं विधान सभा में सबसे अधिक 78 याचिकाएं सातवें सत्र में तथा सबसे कम 2 याचिकाएं आठवें सत्र में प्रस्तुत की गई थी।[41]

तालिका संख्या –4.11

तेरहवीं विधानसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत याचिकाएँ

सत्र	कुल याचिकाएँ	भाजपा	इनेलोद	बसपा	जद (यू)	लोजशपा	माकपा	निर्दलीय	विपक्ष की कुल याचिकाएँ
प्रथम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दूसरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तीसरा	23	4	–	–	–	–	–	–	4
चौथा	17	8	–	–	–	–	1	–	9
पाँचवां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छठा	43	8	–	–	–	–	2	1	11
सातवां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
आठवां	57	20	–	–	–	–	1	–	21
नौवां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
दसवां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्यारहवां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	140	40	–	–	–	–	4	1	45

तेरहवीं विधानसभा में कुल 140 याचिकाएँ उपस्थापित की गई जिसमें से 45 याचिकाएँ विपक्षी सदस्यों द्वारा उपस्थापित की गई थी। इसमें से भी 40 याचिकाएँ मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 4 याचिकाएँ मा.क.पा. के सदस्यों द्वारा तथा 1 याचिका निर्दलीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तेरहवीं विधान

सभा में सबसे अधिक 57 याचिकाएं आठवें सत्र में तथा सबसे कम 17 याचिकाएं चौथे सत्र में प्रस्तुत की गई थी।[42]

व्यवस्था का प्रश्न

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 294 (1) के अनुसार सदन में उठाये जाने वाले ऐसे व्यवस्था के प्रश्न को राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों अथवा परम्पराओं या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के निर्वचन या प्रर्वतन से संबंधित होना चाहिए, जो सभा के कार्य के विनियमन से संबंधित है। इस नियम के तहत केवल ऐसा प्रश्न उठाया जाना चाहिए जो कि अध्यक्ष के संज्ञान में हो तथा तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में हो।

नियमों में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार पीठासीन अधिकारी को ही प्रक्रिया नियमों के निर्वचन का अधिकार है और यदि उठाये गये ऐसे व्यवस्था के प्रश्नों में सांविधानिक उपबन्धों का उल्लेख किया गया हो तो पीठासीन अधिकारी उन संवैधानिक उपबन्धों की व्याख्या भी कर सकते हैं। यदि पीठासीन अधिकारी आवश्यक समझे तो ऐसे मामलों में महाधिवक्ता की राय भी ले सकते हैं लेकिन पीठासीन अधिकारी ऐसी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। व्यवस्था के प्रश्नों के संम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय बाध्यकारी होता है तथा अध्यक्ष के निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती। जो सदस्य अध्यक्ष के निर्णय पर विरोध प्रकट करता है, वह सभा और अध्यक्ष की अवमानना का दोषी होता है।

सभा में यह प्रथा सुस्थापित हो चुकी है कि अध्यक्ष किसी ऐसे व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में विनिर्णय नहीं देता, जिसमें यह प्रश्न उठाया गया हो कि कोई विधेयक सांविधानिक रूप से सभा की विधायी क्षमता के क्षेत्र में आ जाता है या नहीं अथवा कोई घोषणा/करार/संधि अथवा जिस पर किसी प्रस्ताव/संकल्प के माध्यम से चर्चा की जा रही है सांविधानिक है या नहीं, ऐसे विषयों का विनिश्चय करना सभा की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष इस प्रश्न के बारे में भी अपना विनिश्चय नहीं देता है कि क्या कोई संशोधनकारी विधेयक संविधान के किसी अनुच्छेद के प्रतिकूल है अथवा नहीं।[43]

सदन में निम्नांकित अवसरों पर/विषयों पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता

1. काल्पनिक प्रस्थापना के लिए।
2. मत विभाजन की घंटी नहीं बजी या सुनाई नहीं पड़ी।
3. मंत्रियों द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में।

4. प्रश्नकाल में।

5. शून्यकाल में।

6. जानकारी प्राप्त करने के लिये।

7. किसी सदस्य की अनर्हता के बारे में।

8. कार्य के ऐसे मद के बारे में जिसका निपटारा किया जा चुका हो।

9. पीठासीन अधिकारी के क्षेत्राधिकार में न आने वाले मामलों में।

10. ऐसे विषय जो पीठासीन अधिकारी की जानकारी में न हो।

लोकतंत्रीय प्रणाली में सदस्यों को व्यवस्था के प्रश्न के रूप में एक महत्त्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। सदस्यों को व्यवस्था के प्रश्न के अधिकार का प्रयोग विधान सभा में व्यवधान के लिए नहीं किया जाना चाहिए वरन् इस अधिकार का प्रयोग वे वाद–विवाद में अपनी निपुणता का परिचय दे सकते है तथा व्यवस्था के प्रश्न के द्वारा अध्यक्ष से निर्णय करवाकर प्रक्रिया नियमों में रहीं त्रुटि या कमी को दूर करने व परम्पराएं स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

तेरहवीं विधानसभा की तुलना में बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र म 5 व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये जिनमें से दो प्रश्न इ.ने.कां. के सदस्यों द्वारा उठाये गये थे। मोहम्मद माहिर आजाद ने 26 जुलाई, 2004 को जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां चर्चा वाले दिन नही वितरित करवाने को लेकर व्यवस्था का पश्न उठाया कि प्रतिवेदन एक दिन पहले वितरित कर दिये जाने चाहिए। इसी प्रकार सी. पी. जोशी ने दिनांक 28 जुलाई, 2004 को राजस्थान विनियोग विधेयक (भाग–3) विधेयक 2004 के विचार के समय संवैधानिक व्यवस्था के उल्लंघन की बात कहते हुए व्यवस्था का प्रश्न खड़ा कर दिया।

बारहवीं विधानसभा के तीसरे सत्र में 7 व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये जिनमें 4 सी. पी. जोशी तथा एक बी. डी. कल्ला द्वारा उठाया गया था। सी. पी. जोशी ने दिनांक 21 फरवरी, 2005 को राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2005 के प्रस्तुत करने तथा सिविल सेवा (सेवा मामले के लिये अपिल अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2005 को संसदीय सचिव द्वारा विचारार्थ लिये जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

इसी प्रकार 22 फरवरी, 2005 को राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिये जाते समय भी

व्यवस्था का प्रश्न खड़ा कर दिया था। दिनांक 24 मार्च, 2005 को सदन की बैठक 12 बजे प्रारम्भ होने पर भी सी. पी. जोशी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

19 अप्रेल, 2005 को बी. डी. कल्ला ने उनके स्वयं सहित सभी मंत्रियों के फोन टेप किये जाने की बात कहते हुए व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाही कि किसके द्वारा किसकी अनुमति से और कौन से नियमों के तहत फोन टेप किये जा रहे हैं। बारहवें विधानसभा के छठे सत्र में सी. पी. जोशी ने दिनाँक 4 अक्टूबर, 2006 को मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जिसे अध्यक्ष ने सांविधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।

सातवें सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर 4 व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये। 01 मार्च, 2007 को संयम लोढ़ा ने राज्यपाल अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लेने तथा 2 अप्रेल, 2007 को सी. पी. जोशी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा देते हुए निरस्त किया गया।

आठवें सत्र में दिनाँक 21 सितम्बर, 2007 को मंत्रिमंडल के विरूद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सी. पी. जोशी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया जिसे नियमों, पूर्व नियमों का उदाहरण देते हुए निरस्त कर दिया गया।[44]

तेरहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में दिनाँक 3 जनवरी, 2009 को सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने कार्य सलाहकार समिति के गठन के अभाव म संसदीय काय्र मंत्री द्वारा सदन के इतने दिनों तक चलने, यह कार्यवाही होगी, इसके बाद सदन स्थगित हो जायेगा, सत्रावसान नहीं करेगें इत्यादि से सम्बन्धित समाचार प्रकाशित होने से गोपनीयता भंग तथा समिति की महत्ता कम होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठावा गया।[45]

दिनांक 10 मार्च, 2010 को सदस्य श्री राजेन्द्र राठौर के प्रश्न तथा दिनांक 11 मार्च, 2010 को घनश्याम तिवाड़ी व श्री अमराराम द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष ने 30 तार्च, 2010 को व्यवस्था दी कि दि. 9 मार्च, 2010 को सदन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण के पैरा 291 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची 4 में वर्णित वस्तुओं पर वेट 4% से बढ़ाकर 5%कर दी गई।[46]

संकल्प (रेजॉल्यूशन) और विपक्षी दल

संकल्प भी एक प्रकियागत उपाय है, जो आम लोगों के हित के किसी मामले पर सदन में चर्चा उठाने के लिए सदस्यों और मंत्रियों को उपलब्ध है।[47]संकल्प वास्तव में मूल

प्रस्ताव होता है। सामान्य रूप के प्रस्ताव के समान, दोनों सदनों के प्रकिया नियमों में संकल्पों के प्रारूप दिये गये हैं।[48]

संकल्प वे माध्यम है, जिनके द्वारा सदन का कोई मत व्यक्त होता हैं। या संशोंधन प्रस्तावों आदि प्रस्तावों से भिन्न होते है और इनका विशेष महत्त्व होता हैं। संविधान के अन्तर्गत प्रख्यातित अध्यादेशें को अस्वीकार करने जैसे संकल्प परिनियम संकल्प कहलाते है। संकल्प सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों पक्षों से रखे जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के संकल्प सरकार सरकार की सहमति से ही पास हो सकते है, अन्यथा नहीं।[49]

विधान मंडल का सदन स्वयं अपनी राय एवं उद्देश्यों की घोषणा के लिए संकल्प का सहारा लेता है। संकल्प सदन की राय की घोषणा के रूप में, अनुशंसा अथवा अन्य किसी रूप में हो सकता है जिससे सरकार के किसी कार्य अथवा नीति से सदन की सहमति अथवा असहमति प्रकट की जाती है। संकल्प के माध्यम से संदेश दिया जा सकता है, किसी कार्य के लिए अनुरोध किया जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है, सरकार के विचार के लिए किसी मामले अथवा परिस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।[50]

राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अध्याय 12 में संकल्पों के लिए समुचित प्रावधान किये गये हैं। किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया संकल्प गैर–सरकारी संकल्प तथा किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया संकल्प शासकीय संकल्प कहलाता है। संविधान के अन्तर्गत प्रख्यापित अध्यादेश को अस्वीकार करने जैसे संकल्प परिनियत संकल्प कहलाते हैं।[51]

शासकीय संकल्प

बारहवीं तथा तेरहवीं विधानसभा में शासकीय और गैर–शासकीय दोनों ही प्रकार के संकल्प प्रस्तुत किये गये थे। बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र में 1 जुलाई, 2004 को मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिन्धिया द्वारा रावी–व्यास नदियों के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में पंजाब सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में राजस्थान विधानसभा में सर्वदलीय प्रस्ताव शासकीय संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसका सभी दलों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।[52]

तीसरे सत्र् में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने दिनाँक 20 मार्च, 2006 को सदन में राजस्थान के किसानों के व्यापक हित को देखते हुए उनकी खड़ी फसलों के लिए अविलम्ब पोंग डेम के स्तर को 1301 फिट से पूर्व की भाँति नीचा कर आवश्यक पानी उपलब्ध करवाने सम्बन्धी शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से पारित किया गया।[53]

पाँचवें सत्र् में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2006 को सदन में भारत सरकार से सरसों की खरीद का समर्थन मूल्य बढ़ाने तथा किसानों को उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने के रेल्व रेक्स की व्यवस्था भी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके पूर्व संकल्प की भाषा में संशोधन के सम्बन्ध में तीन सदस्यों ने विचार व्यक्त किये जिस पर मुख्यमंत्री ने सदन को इस संकल्प के सम्बन्ध में तथ्यात्मक जानकारी दी।[54]

नौवें सत्र में दो शासकीय संकल्प प्रस्तुत किये गये। दिनांक 27 फरवरी, 2008 को सहायता एवं पुनर्वास मंत्री लक्ष्मीनारायण दवे ने राष्ट्रीय आपदा कोष के मापदण्डों में संशोधन कर पाला शीत लहर से नष्ट फसलों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा पारित किया गया। दिनाँक 26 मार्च, 2008 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री नरपत सिंह राजवी को राज्य में अस्पताल, परिचर्यागृहों, प्रसूतिगृहों, औषधालयों इत्यादि को सम्मलित करते हुए क्लिनिकल स्थापनों के विनियमन उपलब्ध करने और उनके लिए न्यूनतम मानक विहित करने हेतु क्लिनिकल स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2007 को अधिनियमित करने के लिये संसद को सशक्त करने के लिये संकल्प प्रस्तुत किया गया जो सर्वसम्मति से सदन द्वारा पारित किया गया।[55]

अंतिम दसवें सत्र् में दिनाँक 16 जुलाई, 2008 को विधि मंत्री ने सदन में संकल्प प्रस्तुत किया कि 'राजस्थान सरकार राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 को संविधान के पद 31–ख के अन्तर्गत सविधान की नवीं सूची में सम्मलित करवाने के लिए भारत सरकार से आग्रह करे।' सदन द्वारा उक्त संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।[56]

तेरहवीं विधानसभा के सप्तम् सत्र के दौरान दिनांक 29 अगस्त, 2011 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रो एमादुदीन अहमद खान 'दुर्रूमियां' द्वारा विचार एवं पारण हेतु विधानसभा यह समझती है कि देश में नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए तथा इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए सम्पूर्ण भारत में समान विधि होना वांछनीय है। और यतः सविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबंधित के सिवाय उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में संसद को राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति नहीं है और यह सविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों के विधान मण्डलों के समस्त सदनों के द्वारा इस

प्रभाव के संकल्प पारित किये गये है। अतः राजस्थान में भी उक्त संकल्प पारित किया गया।[57]

अष्टम् सत्र के दौरान दिनाँक 18 अप्रेल, 2012 को शान्तिकुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्य में विधान परिषद् का सर्जन किये जाने हेतु शासकीय संकल्प विचार एवं पारण हेतु सदन प्रस्तुत किया जिसके तहत राजस्थान विधान मण्डल में जनता को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राज्य में विधान परिषद् की अति आवश्यकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) के अनुसरण में सदन यह संकल्प पारित करता है कि राजस्थान राज्य में विधान परिषद् का सृजन करने के लिए संसद विधि पारित करे। इस संकल्प पर विधानसभा में मतदान हुआ जिसमें कुल उपस्थित 156 सदस्यों ने भाग लिया संकल्प के पक्ष में 152 तथा विपक्ष में 4 मत पड़े और संकल्प ध्वनि मत से पारित हुआ।[58]

अंतिम दसवें सत्र के दौरान दिनांक 22 मार्च, 2013 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री एमादूद्दीन अहमद खान 'दुरूमियां' ने शासकीय संकल्प विचार एवं पारण हेतु सदन में प्रस्तुत किया । संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में गोवा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधान मंडलों के सभी सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किये गये। संविधान का अनुच्छेद यह अनुसरण करता है कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 को राजस्थान राज्य में अंगीकार किया जाये। इस हेतु प्रस्तुत संकल्प राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया।[59]

गैर–शासकीय संकल्प

बारहवीं विधानसभा के कार्यकाल में कुल 73 गैर–शासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से केवल 9 गैर–शासकीय संकल्पों पर सदन में चर्चा हुई। तीसरे सत्र् में दिनाँक 21 अप्रेल, 2005 को विपक्षी सदस्य चन्द्र शेखर बैद, हरिमाहन शर्मा, संयम लोढ़ा, बनवारी लाल शर्मा एवं सी. पी. जोशी (सभी इ.ने.का.) द्वारा प्रखर चिन्तक एवं राष्ट्रीय संत आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा अहिंसक चेतना के विकास के उद्देश्य से विगत चार वर्षो से जारी अहिंसा यात्रा के दौरान जयपुर प्रवेश के अवसर पर शान्ति एवं सद्भावना के संदर्भ में यात्रा के प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में प्रस्तुत गैर–सरकारी संकल्प के संदर्भ पर चर्चा हुई। इसके अलावा विपक्ष के ही रामनारायण मीणा (इ.ने.का.) द्वारा राज्य में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में तथा भाजपा के राम किशोर मीणा द्वारा राज्य में जल की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए आवश्यक कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई जो अधूरी रही। रामनारायण मीणा एवं राम किशोर मीणा के गर–शासकीय संकल्पों पर अग्रेत्तर

चर्चा पाँचवें सत्र में दिनांक 31 मार्च, 2006 को विचार किया गया। उक्त दोनों संकल्पों पर मदन राठौड़ एवं डॉ. जालम सिंह रावलोत के संशोधनों को अस्वीकार करने के बाद प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किये गये। इसी दिन चार अन्य गैर–सरकारी संकल्पों पर भी चर्चा हुई जो लम्बित रही। इनमें श्री गोपाल बाहेती तथा सात अन्य सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता दिये जाने का प्रावधान करने के सम्बन्ध में मोहम्मद माहिर आजाद तथा 6 अन्य सदस्यों ने राज्य में लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से मादक द्रव्य तम्बाकू, गुटका की सार्वजनिक बिक्री व उपयोग को प्रतिबन्धित करने, मंगलाराम गोदारा तथा 12 अन्य सदस्यों ने राज्य में राजकीय सेवारत चिकित्सकों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने, प्रहलाद गुंजल तथा 5 अन्य सदस्यों ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने हेतु समाप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में गैर–शासकीय संकल्प प्रस्तुत किये थे।

सातवें सत्र् में दिनाँक 2 अप्रेल, 2007 को आसन की व्यवस्था के पश्चात दिनाँक 31 मार्च, 2006 को श्री गोपाल बाहेती तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गैर–सरकारी संकल्पों पर अग्रेत्तर विचार हुआ जिसमें चार सदस्यों ने विचार व्यक्त किये तथा वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री ने सरकार की ओर से उत्तर दिया। प्रस्तुत संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किया गया। मोहम्मद माहिर आजाद तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत द्वितीय संकल्प पर 3 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये तथा संकल्प अनिर्णित रहा।[60]

तेरहवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र के दौरान दिनाँक 13 अप्रेल 2012 को पांच सदस्यों ने सदन में गैर–सरकारी प्रस्तुत किये। प्रस्तुत संकल्प श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया कि प्रदेश में तेजी से बड़ रहे दाम्पत्य बिखराव के मामलों को रोके के लिए सरकार का कदम उठाने चाहिए। श्रीमती चन्द्रकांन्ता मेघवाल ने प्रदेश में सरकार शराब, गुटखा, जर्दा, पान मसाला आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, श्री प्रभुलाल सैनी ने संकल्प प्रस्तुत किया, कि यह सदन संकल्प करता है कि पत्रकारिता (चौथे स्तम्भ) का दायरा बढ़ने एवं आदर्शोन्मुखी यथाथवाद पर बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर प्रेस कांउसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना निश्चित कराने हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार को पुरजोर सिफारिश करे। श्री ओम बिरला ने सदन में संकल्प किया कि स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये। उक्त प्रस्तावों पर सदन में विचार किया गया। विचार–विमर्श के दौरान श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्री प्रभुलाल सैनी द्वारा प्रस्तुत संकल्पों को अस्वीकार कर दिया गया।[61]

इस प्रकार स्पष्ट है कि बारहवीं विधानसभा के कार्यकाल में शासकीय संकल्प और गैर–शासकीय संकल्पों की न केवल संख्या अधिक रही बल्कि इस विधान सभा द्वारा व्यापक महत्त्व के दूरगामी परिणाम वाले संकल्प भी पारित किये गये है।

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प

मंत्रिपरिषद में अविश्वास या विश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव एक साधारण प्रस्ताव के रूप में सदन में लाया जा सकता है।, जब कि अध्यक्ष /उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 179(ग) के तहत एक संकल्प लाना आवश्यक है जिस पर सूचना के 14 दिन के पश्चात और 21 वें दिन से पूर्व बहस हो सकती है। लोक सभा में यह अवधि 14 दिन के पश्चात कभी भी हो सकती है। यदि संकल्प अध्यक्ष के विरूध हो तो उपाध्यक्ष, तथा उपाध्यक्ष के विरूद्व हो तो अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।[62]

राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 134 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के अनुसार कोई सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की सूचना संविधान के अनुच्छेद 179 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत सचिव को देगा। अध्यक्ष ऐसे संकल्प की सूचना प्राप्त होने की तिथि से पूरे 14 दिन के बाद और पूरे 21 दिन के पहले किसी दिन की कार्य सूची में इस संकल्प को सदन में विचारार्थ सम्मिलित कर सकते हैं।

संकल्प प्रस्तुत करने पश्चात् आसन की और से कहा जायेगा कि जो सदस्य इस संकल्प के पक्ष में हो वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें और यदि सदस्यों की समग्र संख्या में से कम से कम पाँचवें भाग के सदस्य खड़े हो जाये तो आसन से संकल्प को रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। आसन द्वारा संकल्प पर चर्चा के लिए समय का नियमन किया जाता है। संकल्प नियत दिन की कार्य सूची में प्रश्नकाल के पश्चात् और उस दिन का कोई कार्य प्रारम्भ होने के पहले विचार के लिए सम्मिलित किया जाता है। संकल्प पर विचार–विमर्श के उपरान्त आसन द्वारा संकल्प सदन के विनिश्चय के लिए मतदान हेतु रखा जाता है। यदि मतदान के प्रश्न पर समग्र सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक मत मिल जाते हैं, तो संकल्प पारित हो जाता ह। इसके उपरान्त अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने पद से हट जाते हैं।[63]

बारहवीं विधानसभा के पाँचवें सत्र में दिनाँक 24 मार्च, 2006 को अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह द्वारा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 306 के अर्न्तगत प्रक्रिया के नियम 134 के प्रवधानों को निलम्बित करत हुए रामनारायण चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तथा

39 सदस्यों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्तुत किये गये संकल्प को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अध्यक्ष ने सदन में संकल्प प्रस्तुत करने हेतु सभी 40 सदस्यों के नाम पुकारे लेकिन किसी भी सदस्य ने अध्यक्ष को पद से हटाने सम्बन्धी संकल्प सदन में प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी।

बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल में विपक्षी सदस्यों द्वारा राज्य में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत गैर–सरकारी संकल्प स्वीकार किया गया। इस प्रकार बारहवीं विधानसभा में विपक्ष द्वारा व्यापक महत्त्व के दूरगामी परिणाम वाले संकल्प पारित करवाकर अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया है।

बारहवीं विधानसभा में विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट होकर उसे पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया, लेकिन अन्ततः वह अस्वीकार हो गया। इसी विधान सभा में विपक्ष की और से अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भी दी गई, जो नियमानुकूल नहीं होने के बावजूद भी अध्यक्ष द्वारा विचार के लिए ली गई लेकिन नेता प्रतिपक्ष को विचार व्यक्त करने के लिए बार–बार पुकारने पर भी उनके खड़े नहीं होने के कारण प्रस्ताव अस्वीकार हो गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बारहवीं विधानसभा के सदस्यों ने अधिक मुखरता से अपनी सजगता का परिचय दिया है।

अविश्वास का प्रस्ताव

मंत्रिपरिषद तब तक पदासीन रहती है जब तक उसे लोक सभा का का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद विश्वास का अभाव व्यक्त करते ही सरकार संवैधानिक रूप पद त्याग करने के लिए बाध्य होती है, चाहे प्रधानमंत्री सभा के विघठन की सिफारिश करे या न करे। इस विश्वास का का पता लगाने के लिए नियमों में इस आशय का एक प्रस्ताव पेशकश करने का उपबन्ध है, जिसे 'अविश्वास प्रस्ताव' कहा जाता है।[64]

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि मंत्रिमण्डल विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अतः अविश्वास प्रस्ताव सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् के विरूद्ध लाया जाता है। विपक्ष को सरकार पर प्रहार के जितने भी मंच उपलब्ध है उनमें मंत्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक प्रमुख मंच है। इसका महत्त्व अनेक दृष्टियों से है। इसकी सबसे बड़ी अहमियत तो यह है कि विपक्ष हमेशा इस ताक में रहता है कि वह सरकार को गिरा दे और कोई न कोई ऐसा मौका तलाशता रहता है, जिससे वह अपने इस उद्देश्य में सफल हो। वैसे तो सरकार के विरोध में मतदान करने का उसे हमेशा ही अवसर

रहता है पर सरकार विपक्ष के प्रत्येक मत से गिरती नही है, बल्कि किसी भी मत से नहीं गिरती है जब तक कि स्वयं सरकार अल्प मत मे नहीं आ जाये। अल्पमत में आने पर कोई भी प्रस्ताव सरकार को गिराने में कारगार हो सकता है।

राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया के नियम 132 के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। ऐसे प्रस्ताव उठाने वाले सदस्य द्वारा मंत्रिमंडल की असफलता से सम्बन्धित प्रकरणों पर सदन में विचार व्यक्त किये जाते है। यदि अध्यक्ष की राय में प्रस्ताव नियमानुकूल है तो प्रस्तावक सदस्य सदन में प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा और सदस्यों से प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के पक्ष में अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए निवेदन करेगा। तद्नुसार समग्र सदस्यों की संख्या के कम से कम पाचवें भाग के सदस्य (अर्थात 40 सदस्य) प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हो जाये तो अध्यक्ष सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करने की सूचना देगा। अध्यक्ष द्वारा अविश्वास के पस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटें का समय नियत किया जाता रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का मुख्यमंत्रो द्वारा उत्तर दिये जाने के पश्चात् यदि मतदान के प्रश्न पर प्रस्ताव के पक्ष में समग्र सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक मत मिल जाते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार गिर जाती है।

बारहवीं विधान सभा के आठवं सत्र् में दिनाँक 21 सितम्बर, 2007 का नेता प्रतिपक्ष रामनारायण चौधरी एवं 25 अन्य सदस्यों ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 132 के अन्तर्गत मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। विधान सभा अध्यक्ष ने सूचित किया क नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव की सूचना सचिव, राजस्थान विधान सभा को 10.00 बजे पूव देनी होती है लेकिन सूचना 10.55 बजे दी गई और सचिव को भी नही दी गई, इस प्रकार सूचना नियमानुसार नहीं है तथापि अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखने की अनुमति प्रदान की। इस पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जिसको अध्यक्ष ने 40 सदस्यों के खड़े होने के कारण विचारार्थ स्वीकार किया। तत्पश्चात संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव पर चर्चा हेतु समय नियत करने का अनुरोध किया जिस पर अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए दो घण्टे चर्चा हेतु नियत किये। अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को विचार व्यक्त करने के लिए बार–बार पुकारा लेकिन नेता प्रतिपक्ष के विचार व्यक्त करने हेतु खड़े नहीं होने के कारण सदन द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के पास पूर्ण बहुमत होने के कारण अविश्वास का प्रस्ताव सदन में

किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार बारहवीं तथा तेरहवीं दोनों विधान सभाओं के कार्यकालों के दौरान अविश्वास का प्रस्ताव पारित नही हो सका।

विश्वास मत का प्रस्ताव

नौवीं राजस्थान विधान सभा के कार्यकाल के दौरान पक्रिया नियमों में नियम 132 (क) जोड़कर मंत्रिपरिषद् में विश्वास के प्रस्ताव सम्बन्धी प्रावधान किये गये है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 132(क) के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रकट किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। यदि मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव प्रकट करने सम्बन्धी प्रस्ताव भी नियम के अन्तर्गत प्राप्त हो तो मंत्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव पर पूर्ववर्तिता दी जायेगी। चूँकि बारहवों एवं तेरहवीं विधान सभाओ मे सत्तारूढ़ दल के पास पर्याप्त बहुमत था इसलिए विश्वास मत के प्रस्ताव का प्रयोग नहीं किया गया।

किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया

राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 273 के अंतर्गत यदि कोई सदस्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध आरोप लगाना चाहता है तो उसे उन आरोपों की सूचना अध्यक्ष के साथ–साथ सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व में देना अनिवार्य है। अध्यक्ष किसी भी समय सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से रोक सकते हैं, जब उनको यह प्रतीत हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरूद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई हित सिद्ध नहीं होता हो।

सदस्यों का निलम्बन

राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 292 के अन्तर्गत यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो वह उस सदस्य का नाम ले सकेगा जो अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करें या हठपूर्वक और जान–बुझकर सदन के कार्य में बाधा डाल कर सदन के नियमों का दूरूपयोग करे। नियमानुसार निलम्बित सदस्य तुरंत सदन की परि–सीमाओं से बाहर चला जायेगा।

बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के सदस्यों के निलम्बन के अनेक अवसर आये हैं। बारहवीं विधानसभा में सदस्यों के निलम्बन के 18 अवसर आये। बारहवीं विधानसभा के कार्य काल में 14 विधायकों को निलम्बित किया गया जिनमें लोक जनशक्ति पार्टी के रणवीर सिंह गुढ़ा को चार बार तथा इ.ने.कां. के संयम लोढ़ा को दो बार निलम्बित

किया गया। बारहवीं विधान सभा क 18 निलम्बनों में से 17 के समय सदस्यों को सत्र् की शेष अवधि के लिए तथा एक बार एक दिन के लिए निलम्बित किया गया।

तेरहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र के दौरान दिनाँक 28 जुलाई, 2009 को सरकारी मुख्य सचेतक श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ने प्रस्ताव रखा कि दिनाँक 27 जुलाई, 2009 को सदन की कार्यवाही जब पुनः प्रारम्भ हुई और माननीय अध्यक्ष स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहे थे, उसी समय प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य वैल में आकर हल्ला करने लगे। श्री ज्ञानदेव आहुजा, श्री हेमसिंह भड़ाना और श्री भवानी सिंह राजावत ने आसन के नजदीक आकर माननीय अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था देने से रोका एवं माइक को हटा दिया। जिससे माननीय अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इन सदस्यों को तत्काल से निलम्बित कर दिया गया तथा 27.08.2009 को इनका निलम्बन वापस लिया।

विधायी कार्य एवं विपक्षो दल

राजस्थान विधान सभा का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ और इससे गठित विधानसभा 1956 तक 5 वर्ष (1952–56) चली। आगे के 51 वर्षों में केवल छठी व नवीं विधानसभा को छोड़कर जिनमें से दोनों का कार्यकाल तीन–तीन वर्ष (1977–79 व 1990–92) रहा, तेरहवीं तक की शेष विधानसभाओं ने अपना पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा किया। अब तक पारित विधेयकों की वर्षवार तथा विधानसभा वार सूची को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 52 वर्षों में पारित कानूनों का औसत प्रतिवर्ष 22.7 रहा हैं। सबसे कम विधेयक छठी विधान सभा में (5.1–13.1 प्रतिवर्ष) पारित किये गये और सबसे अधिक दूसरी विधानसभा में (233–44.6 प्रतिवर्ष) पारित किये गये।

राजस्थान विधानसभा में अध्यादेशों की अधिकतम संख्या पांचवीं विधानसभा के कार्यकाल (1972–77) में 83 और दसवीं विधानसभा के कार्यकाल 1993–1998 में न्यूनतम 14 थी। सबसे अधिक 28 अध्यादेश वर्ष 1975 में प्रख्यापित हुए। पहली से तेरहवीं विधानसभा तक की 61 वर्ष तक की अवधि में कुल 560 अध्यादेश जारी हुए।[65]

राजस्थान का निर्माण देखा जाये तो उसमें निवास करने वाले अधिकांश निवासियों की आर्थिक दुरवस्था की पृष्ठभूमि में हुआ था। अतः ऐसी स्थिति में सरकार का पहला कार्य यह हो जाता है कि किसान और सरकार के बीच जमीदारों और जागीरदारों के रूप में काम कर रहे बिचौलियों को हटाना, किसानों को पूर्ण खातेदारी का अधिकार दिलाना, उन्हें लागबाग व अन्य देन–दारियों से मुक्त करना, उन पर हो रहे भारी कर्जों की रकम को माफ करना आदि।[66]

सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह था कि भिन्न–भिन्न देशी रियासतों की भिन्न–भिन्न प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को एक करके उन्हें एक सूत्र में बाँधना। इसमें कानूनी व प्रशासनिक दोनों प्रकार के एकीकरण सम्मिलित थे। साथ ही राजस्व से सम्बन्धित तथा प्रशासनिक मामलों की देखरेख कि लिए भिन्न–भिन्न स्थानों पर प्रशासनिक इकाइयां जैसे– राज्य के अन्तर्गत कमिशनरियों, जिले, सब–डिविजन, तहसीलें, नायब तहसीलें व ग्राम पंचायतें स्थापित करना व न्याय व्यवस्था के लिए राज्य में उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र् न्यायालय तथा नीचे के स्तर पर छोटे–मोटे न्यायालय स्थापित करना। राजस्व सम्बन्धी मुकदमों की सुनवाई के लिए राजस्व मण्डल नामक एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त इकाई भी गठित की गई जिसके निर्णयों के विरूद्ध अपील केवल उच्च न्यायालयों में ही की जा सकती थी। करों की वसूली के लिए भी कानून बनाये गए। जिनमें मुख्य रूप से कृषि भाड़ा, बिक्री कर, मनोरंजन कर यात्री एवं माल कर मोटरगाड़ी कर आदि प्रमुख थे। सिचाई कार्यों को नियमित करने, वन संपदा की सुरक्षा के लिए तथा सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए भी कानून बनाये गए। गावों में पंचायतों की तर्ज पर नगरों में नगर पालिकाओं के गठन के लिए भी प्रावधान किया गया।[67]

यदि हम मोटें तौर पर आकलन करें तो हमें पता चलता है कि कानून बनाने का अधिकांश कार्य प्रथम दस वषों में हुआ। जिनमें से प्रथम पाँच वर्षों में 98 व अगले पांच वर्षों में 112 मूल कानून बनाए गए। इसी प्रकार संशोधी कानून भी कमशः 71 व 112 बनाए गए। दूसरी अवधि में 52 अध्यादेश भी जारी किये गये। इस कार्यकाल को कानून का स्वर्णकाल कहा जा सकता है।

कानूनों का वर्गीकरण

विषयवस्तु की दृष्टि से यदि विचार किया जाये तो पारित कानूनों का हम निम्न प्रकार से वर्गीकरण कर सकते है[68] –

1. राजस्व, भूमि सुधार, कृषि, ग्राम विकास, पंचायतीराज, सहकारिता आदि विषयक् कानून।
2. शहरी, औधोगिक एवं आर्थिक विकास सम्बन्धी कानून।
3. न्याय– व्यवस्था व विधि सम्बन्धी कानून।
4. जन–सेवाओं जैसे–शिक्षा, खाद्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवहन आदि से सम्बन्धित कानून।
5. समाज सुधार व सामाजिक सरोकार से सम्बन्धित कानून।

6. प्रशासन के संगठन से सम्बन्धित कानून।

7. कराधान सम्बन्धी कानून।

इनके अतिरिक्त एक वर्ग उन कानूनों का भी हो सकता है जो केन्द्रीय या अन्य राज्य के कानूनों को राज्य में लागू करने या न करने या उन्हें संशोधित रूप से लागू करने से सम्बन्धित है।

प्रथम वग– में वह कानून आते है जो राजस्व, कृषि, पंचायतीराज, एवं ग्राम सुधार से सम्बन्धित होते है। जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कायापलट करने का प्रयास किया गया हैं। इस वर्ग में बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों में से निम्नांकित मूल विधेयकों को रखा जा सकता है–

1. राजस्थान भू–राजस्व विधेयक, 2003
2. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 2010
3. राजस्थान पंचायतीराज विधेयक, 2010
4. राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्गहण विधेयक, 2011

द्वितीय वर्ग–में वह कानून आते है जो शहरी औधोगिक, व्यावसायिक एवं आर्थिक विकास की दिशा से सम्बन्धित होते है। इस वर्ग में बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों में से निम्नांकित मूल विधेयकों को रखा जा सकता है–

1. राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास विधेयक, 2003
2. राजस्थान राज्य विकास सड़क निधि विधेयक, 2004
3. राजस्थान नगरपालिका विधेयक, 2009
4. राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक, 2010

तीसरा वर्ग– न्याय व्यवस्था, दण्ड विधान एवं कानूनों से सम्बन्धित होता है। इस वर्ग में बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों में से निम्नांकित मूल विधेयकों को रखा जा सकता है–

1. राजस्थान सम्पति विरूपण विधेयक, 2006
2. राजस्थान समाज विरोधी कियाकलाप निवारण विधेयक, 2006
3. राजस्थान भूमि (अन्तरण पर निर्बन्धन)विधेयक, 2013

चौथा वर्ग– इस वर्ग में शिक्षा, चिकित्सा, जनस्वास्थ्य एवं जनहित के अन्य विषयों पर पारित विधेयक आते है। बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों में से निम्नांकित मूल विधेयकों को रखा जा सकता है–

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005
2. राजस्थान स्वपोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005
3. राजस्थान तकनीको विश्वविद्यालय विधेयक, 2006
4. राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक, 2006
5. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008
6. जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय जयपुर, 2008
7. सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनू) विधेयक, 2008
8. एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान जयपुर विधेयक, 2008
9. निम्स विश्वविद्यालय, राजस्थान जयपुर विधेयक, 2008
10. सरदार पदमपथ सिंघानिया विश्वविद्यालय विधेयक, 2008
11. बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009
12. महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009
13. श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवरल विश्वकवद्यालय, चुडेला (झुन्झुनूं) विधेयक, 2009
14. राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां संशोधन विधेयक, 2010
15. श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनूं) विधेयक, 2010
16. होम्योपैथी विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2010
17. रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011
18. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकार (नियुक्ति के लिए चयन) संशोधन विधेयक, 2011
19. महाराज विनायक गलोबल विश्वविद्यालय, जयपुर, विधेयक, 2012
20. राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2012

21. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, (संशोधन) विधेयक, 2013

22. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013

पाँचवां वर्ग– सामाजिक एवं समाज सुधार से सम्बन्धित विधेयक आते इस वर्ग में आते है। बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों म से निम्नांकित मूल विधेयकों को रखा जा सकता है–

1. राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008

2. राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राजस्थान की शैक्षिक संस्थाआ में सीटों और राजस्थान के अधीन सेवाओं में नियुक्ति और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008

छठा वर्ग– इस वर्ग प्रशासन व उससे सम्बन्धित संगठन आते है। बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों में से निम्नांकित मूल विधेयकों को रखा जा सकता है–

1. राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007

2. राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012

सातवां वर्ग– इस वर्ग के अन्तर्गत वित्त सम्बन्धी एवं कराधान सम्बन्धी विधेयकों को रखा जा सकता है। बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों में से निम्नांकित मूल विधेयकों को रखा जा सकता है–

1. राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005

2. राजस्थान विनियोग विधेयक, 2013

वित्तीय कार्य एवं विपक्षी दल

सरकार द्वारा बजट प्रस्तावों को जिन्हें संवैधानिक भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते है, जिसमें सरकार के पिछले वर्षों को वास्तविक आय और व्यय के लेखे–जोखे व अगले वर्ष की आय और व्यय दोनों प्रस्तावित अनुमान है। अनुमोदित करना संसदीय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण भाग है और ऐसा करना संसद का न केवल वैधानिक दायित्त्व और पुनित कर्तव्य है बल्कि संसद का अधिकार भी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संसद जब तक इन अनुमानों को अपनी मंजूरी नहीं देती तब तक सरकार को न केवल विकास

कार्यो बल्कि अपने रोजमर्रा के प्रयोजन के लिए एक पैसा भी खर्च करने का अधिकार नहीं है।[69] प्राचीन काल में निरंकुश शासन में तथा राजशाही के जमाने में राजाओं तथा उनके मंत्रियों को या सीमित मात्रा में उनके जागीरदारों को अपना स्वयं का खर्चा चलाने व राजकाज के लिए जो राशि अपेक्षित होती थी वह उसे अपने कोष से अपनी मर्जी से खर्च कर सकते थे। संसदीय लोकतंत्र में यह दायित्व और अधिकार अब निर्वाचित विधानमण्डलों के पास आ गये है जिनके लिए संविधान में आवश्यक प्रावधान रखे गये हैं।[70]

राजस्थान विधानसभा में आमतौर पर बजट की प्रक्रिया मार्च माह से प्रारम्भ होती है जिस दिन विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है उस दिन सामान्यतः वाद–विवाद नही होता।

वित्तीय प्रक्रिया

साधारण विधेयक की भाँति बजट प्रक्रिया की भी तीन अवस्थाएँ होती है। (1) बजट का प्रस्तुतीकरण (2) बजट पर विचार तथा (3) बजट का पारण। केन्द्र में रेल बजट तथा सामान्य बजट (जिसमें रक्षा बजट भी शामिल होता है) अलग–अलग तिथियों को पेश किये जाता है, जबकि राज्यों में पूरा बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। दोनों स्थानों पर आजकल पहले एक आंशिक बजट पेश किया जाता है। जिसे लेखानुदान कहते है और बाद में शेष बजट पेश किया जाता है।[71]

बजट पर चर्चा

बजट पर चर्चा सामान्यतः दो भागों में होती है। पहले तीन चार दिन पहले सामान्य बहस होती है, जिसमें सभी पक्षों के प्रतिनिधि खुलकर बजट की आलोचना–प्रत्यालोचना या प्रशंसा–अनुशंसा करते हैं और उसके बाद अनुदानों की माँगों पर माँगवार चर्चा होती है। और प्रत्येक मांग या मांग समूह को अलग–अलग ध्वनि–मत से पास किया जाता है।

अनुदानों की माँगे

अनुदानों की मांगों को भी दो भागों में बांटा जाता हैः– (1) प्रभृत व्यय, और (2) दत्तमत विनियोग। प्रभृत व्यय वह होता है, जो बजट का अंग होते हुए और मांगों में शामिल किये जाने पर भी उन पर चर्चा तो की जा सकती है, उस पर सदन का मत नहीं लिया जाता, क्योंकि वह अनिवार्य कोटि का मत होता है। जैसे राष्ट्रपति/राज्यपाल का खर्च, न्यायाधीशों पर होने वाला खर्च, अध्यक्ष के वेतन भत्ते आदि। शेष सभी व्यय सदन के मत के लिए रखे जाते हैं। इतना होते हुए भी दोनों प्रकार की माँगों पर स्वीकृति एक पूर्ण प्रक्रिया है।[72]

सामान्य चर्चा के पश्चात् अनुदानों की माँगों पर सामान्य चर्चा की जाती ह और इन पर मतदान भी होता है। विभिन्न अनुदानों के लिए अलग–अलग तिथिया निर्धारित की जाती है। विधानसभा को सरकार द्वारा प्रस्तावित माँग पर अनुमति देने, या इन्कार करने का अधिकार होता है। विधानसभा को प्रभुत्व राशि पर केवल चर्चा करने का अधिकार होता है मतदान करने का नहीं। प्रभुत्व राशि पर राज्यपाल के परिलाभ तथा वेतन भत्ते, विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि का उल्लेख होता है।[73]

सदस्यों के बजट के प्रावधानों पर चर्चा के समय आलोचना करने तथा राज्यों की स्थिति सुधारने तथा प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव देने का पूर्ण अवसर मिलता है। अनुदान की माँगों को सदन में विचारार्थ लिए जाने हेतु समय का निर्धारण एवं माँगों को प्रस्तुत किये जाने व उन पर विचार किये जाने वाले कम की सिफारिशे कार्य सलाहकारी समिति द्वारा की जाती है। कार्य–सलाहकार समिति द्वारा नियत समय के अंतिम दिन मुखबंद का प्रयोग किया जाकर शेष माँगे बजट में दिये गये कम में मतदान हेतु रखी जाकर पारित की जाती है।[74]

करारोपण विधेयक

करारोपण विधेयक को वित्त विधेयक भी कहा जाता है, जिसके द्वारा नवीन करों या वर्तमान में प्रवृत करों में परिवर्तन अपेक्षित हो। यह विधेयक आय–व्यय के उपस्थापन के तुरन्त पश्चात पुनः स्थापित किये जाते हैं और यह भी विचार किये जाने हेतु रखे जाते हैं। विधेयक के जिन प्रावधानों के द्वारा नवीन करों या प्रवृत करों में अपेक्षित परिवर्तन अभिष्ट हो उन करों आदि का संग्रहण राजस्थान प्रोविजन क्लेक्शन ऑफ टेक्सेस अधिनियम के प्रावधानों के अध्ययीन, विधेयक के विधानसभा में पुनः स्थापित किये जाने से ही या विधेयक में यदि कोई तिथि नियत कर दी जाती है, तो उस तिथि से ही प्रभावशाली हो जाता है।

विनियोग विधेयक

बजट पर सामान्य चर्चा या अनुदान की माँगों पर मतदान हो जाने के पश्चात् सरकार विनियोग विधेयक पुनः स्थापित करती है। विनियोग विधेयक सरकार की, राज्य को राज्य की संचित निधि में से उस सीमा तक खर्च करने की अनुमति प्रदान करता है जिस सीमा तक विधानसभा इसे निमित्त स्वीकृति दे। इस विनियोग विधेयक का पारण करने हेतु वही प्रकिया अपनाई जाती है जो अन्य विधेयको में अपनाई जाती है।

अनुदान की माँगें स्वीकृत होने के पश्चात विनियोग विधेयक रखा जाता है। इसे विधानसभा से स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। विनियोग विधेयक पर वाद–विवाद का क्षेत्र अनुदानों में निहित सार्वजनिक महत्त्व के उन सभी मामलों अथवा प्रशासनिक नीतियों तक सीमित रखता है, जो अनुदान की माँगों पर विचार विमर्श के दौरान नहीं उठाये गये है। विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित नही किया जा सकता, जिसमें संचित निधि से किये जाने वाले खर्च पर कोई प्रभाव पड़ता हो। बजट की सभी मागें पारित होने के बाद नियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

विनियोग विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है और उसे सदन ध्वनि मत से पास करता है। इसके साथ ही वित्त विधेयक पर भी बहस होती है। जिसमें कराधान सम्बन्धी प्रस्ताव होते हैं और वह भी पास किया जाता है। हालाँकि उसमें किसी कर विशेष को लेकर चर्चा नही होती । बजट की तीसरी अवस्था अनुपूरक बजट की है जो वित्तिय वर्ष से तीन चार माह पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि बजट में स्वीकृत राशि से कुछ अधिक खर्च हो गया, तो सदन से उसकी स्वीकृति ली जाये। इसकी प्रकिया भी वही है जो मूल बजट की है और उसका भी विनियोग विधेयक पास होता है।[75]

वित्त मंत्री के बजट भाषण पर सामान्य वाद–विवाद

बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं में पाँच–पाँच बार वित्तमंत्री के भाषण हुए। बारहवीं विधानसभा में वसुन्धराराजे ने पाँच बार वित्तमंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत किया। जबकि तेरहवीं विधानसभा के कार्यकाल में श्री अशोक गहलोत ने वित्तमंत्री के रूप पाँच बार बजट पस्तुत किया। इसके अलावा वसुन्धराराजे ने 2004–05 में परिवर्तित बजट भी प्रस्तुत किया तथा श्री अशोक गहलोत द्वारा 2009–10 में परिवर्तित बजट पेश किया गया। बारहवी एवं तेरहवीं विधानसभा में प्रस्तुत बजट भाषण और बजट पर हुए सामान्य वाद–विवाद विवरण को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 4.12

बारहवीं विधानसभा में बजट पर हुए सामान्य वाद–विवाद में सहभागी सदस्य

वर्ष	वित्तमंत्री	बजट भाषण की तिथि	सामान्य वाद–विवाद की तिथियाँ	चर्चा में सहभागी कुल सदस्य	चर्चा में सहभागी विपक्ष के सदस्य
2004–05	वसुन्धरा राजे	04.02.2004	–	–	–
2004–05 (परिवर्तित बजट)	वसुन्धरा राजे	12.02.2004	13–16.7.04	66	27
2005–06	वसुन्धरा राजे	24.03.2005	28,29,31.3.05 / 1.4.05	29	14
2006–07	वसुन्धरा राजे	08.3.2006	9,11.17.3. 2006	37	16
2007–08	वसुन्धरा राजे	09.3.2007	12,15.3.2007	19	4
2008–09	वसुन्धरा राजे	25.2.2008	26–29.2.2008	50	19

तालिका संख्या 4.13

तेरहवीं विधान सभा में बजट पर हुए सामान्य वाद–विवाद में सहभागी सदस्य

वर्ष	वित्तमंत्री	बजट भाषण की तिथि	सामान्य वाद–विवाद की तिथियाँ	चर्चा में सहभागी कुल सदस्य	चर्चा में सहभागी विपक्ष के सदस्य
2009–10	अशोक गहलोत	26.2.2009	9,10,13,15.7.2009	36	13
2010–11	अशोक गहलोत	9.3.2010	10,11,12,15.3.2010	85	18
2011–12	अशोक गहलोत	9.3.2011	10,11,14,15.3.3. 2011	62	11
2012–13	अशोक गहलोत	26.3.2012	27,28,29,30,.3.2012	70	16
2013–14	अशोक गहलोत	6.3.2013	7,8,11,12.3.2013	46	15

उक्त दोनों तालिकाओं से देखने पर यह ज्ञात होता है कि बारहवीं विधान सभा में बजट भाषण के बाद उस पर हुए सामान्य वाद–विवाद के दौरान पक्ष विपक्ष के कुल 201 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें से 80 सदस्य विपक्षी दलों का प्रतिनित्त्व करने वाले थे। तथा तेरहवीं विधानसभा में बजट भाषण के दौरान हुए सामान्य वाद–विवाद के समय पक्ष विपक्ष के कुल 299 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें से 73 सदस्य विपक्षो दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के अन्तर्गत बजट पर हुए सामान्य वाद–विवाद में बारहवीं विधानसभा की अपेक्षा तेरहवीं विधानसभा में सहभागी सदस्यों की संख्या कम थी।

कटौती प्रस्ताव और प्रतिपक्ष

'कटौती प्रस्ताव' का प्रकट और परोक्ष आशय सरकार की आलोचना करना होता है। वास्तव में सरकार के पास बहुमत होने के कारण ये कटौती प्रस्ताव पास नहीं होते। विधेयकों पर संशोधनों की भाँति कटौती प्रस्ताव भी दोनों पक्षा की ओर से प्रस्तुत किये जा सकते हैं, केवल विपक्ष की ओर से ही नहीं। राज्यसभा में माँगवार चर्चा नहीं होती, अतः वहाँ पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं आता। माँगें वास्तव में प्रस्तुत नहीं की जाती, बजट के प्रस्तुत होने के साथ ही प्रस्तुत की गई मान ली जाती है। यही हाल कटाती प्रस्तावों का है, जिन्हें विपरित किये जाने पर वे भी प्रस्तुत मान लिए जाते है। कटौती प्रस्ताव सदन की अनुमति से वापस भी लिए जा सकते हैं। कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी अधिक होने के कारण सभी प्रस्तावों पर सभी प्रस्तावकों को बोलने का अवसर नहीं मिलता, केवल पार्टी के सचेतक द्वारा आसन को दी गई नामों की सूचियों के आधार पर आसन सीमित सदस्यों को चर्चा का अवसर देता है।

वैसे कटौती प्रस्ताव तीन तरह के होते है–(1) नीति अनुमोदन कटौती प्रस्ताव (2) मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, तथा (3) सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, किन्तु व्यवहार में ये तीनों प्रस्ताव चर्चा के समय एक दूसरे में शामिल हो जाते हैं और उनका विभाजन केवल किताबी रह जाता है। सदस्यों को बजट की प्रस्तावित राशि में बढ़ात्तरी प्रस्तावित करने का कोई अधिकार नहीं है।[76]

बारहवीं विधानसभा में कार्यकाल में कुल पाँच बार पारित अनुदानों की मागों के अन्तर्गत कुल 27 विभागों की माँगें चर्चा के बाद पारित की गई। इन माँगों के पारण के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने कुल 9690 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। सबसे अधिक 1218 कटौती प्रस्ताव शिक्षा, कला एवं संस्कृति विभाग (माँग संख्या 24) के लिए प्राप्त हुए थे। इनके अलावा पुलिस विभाग (माँग संख्या 16), ग्रामीण विकास के विशेष

कार्य (माँग सख्या 28) तथा कृषि विभाग (माँग संख्या 37) की मांगें भी प्रति वर्ष बहस के बाद पारित हुई थी। पुलिस विभाग की मांग के समय 834 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सबसे कम कटौती प्रस्ताव राजकीय उपक्रम विभाग (माँग संख्या 40) के लिए प्राप्त हुए थे। बारहवीं विधानसभा में अनुमानों की माँगों के लिए प्राप्त कुल 9690 कटौती प्रस्ताव में सबसे अधिक 2669 कटौती प्रस्ताव वर्ष 2007 में प्रस्तुत बजट के समय प्राप्त हुए थे।

तालिका संख्या–4.14

बारहवीं विधानसभा में बजट की अनुदान मांगो पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों की संख्या[77]

माँग विभाग संख्या	कटौती प्रस्तावो की संख्या					
	2004	2005	2006	2007	2008	योग
6 सामान्य प्रशासन	49	–	–	79	–	127
8 राजस्व	–	–	146	166	–	312
9 वन	92	141	124	–	–	357
16 पुलिस	89	164	206	192	183	834
17 कारागार	25	54	72	86	85	322
19 लोक निर्माण कार्य	37	–	–	65	76	178
20 आवास	–	–	42	60	–	102
21 सड़क एवं पुल	152	–	–	249	180	581
24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति	206	163	271	315	263	1218
26 चिकित्सा एवं लोक	–	174	191	252	165	782
स्वास्थ्य	–	–	202	251	230	683
27 पेयजल	89	100	122	137	76	524
28 ग्रामीण विकास के कार्य	–	56	94	124	144	418
29 नगर आयोजन,प्रा. विकास	–	54	51	61	–	166
30 जनजाति क्षैत्रीय विकास	–	–	–	68	–	68
32 नागरिक आपूर्ति	101	–	55	–	55	211
33 सामाजिक सुरक्षा व	120	–	–	–	83	203
कल्याण	118	126	50	135	121	550
36 सहकारिता	–	95	–	148	114	257
37 कृषि	–	21	–	–	–	21
39 पशुपालन एवं चिकित्सा	66	–	–	–	27	93
40 राजकीय उपकम	72	79	109	–	100	360
41 सामुदायिक विकास	62	63	89	–	76	290
42 उद्योग	–	–	152	190	172	514
43 खनिज	–	62	–	–	118	180
46सिचाई (इ.गां.न.परि.यो.	42	–	–	–	61	103
सहित)	–	–	45	91	–	136
योग	1319	1352	2021	2669	2329	9690

इसी प्रकार तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के कार्यकाल में हुए कुल पाँच बार पारित प्रस्तावों में अनुदान की माँगों के अन्तर्गत कुल 27 विभागों की माँगें चर्चा के बाद पारित की गई। इन मांगों के पारण के समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने कुल 10807 कटौती प्रस्ताव पारित किये थे। इन प्रस्तावों में सबसे अधिक 1144 पेयजल, पुलिस (माँग संख्या–16) तथा शिक्षा एवं कला संस्कृति (माँग संख्या–24) के लिए प्राप्त हुए थे। पुलिस विभाग को मांग के समय कुल 1141 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। सबसे कम कटौती प्रस्ताव 68 (माँग संख्या–19) के लिए प्राप्त हुए।

तेरहवीं विधानसभा में अनुमानों की माँगों के लिए प्राप्त कुल 10807 कटौती प्रस्तावों में सबसे अधिक सन 2012 में 2411 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। जब कि 2011 में सबसे कम 1870 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए।

उपयुक्त बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा के दोनों कार्य–कालों की तुलना करने पर शोधार्थी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि तेरहवीं विधानसभा में बारहवीं विधानसभा की अपेक्षा अधिक कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। जा कि लोकतांत्रिक प्रजातंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। जिसके आधार पर विपक्ष की एक सशक्त भूमिका सामने आतो है।

तालिका संख्या–4.15

तेरहवीं विधानसभा में बजट की अनुदान मांगों पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों की संख्या[78]

माँग विभाग संख्या	कटौती प्रस्तावो की संख्या					
	2009	2010	2011	2012	2013	योग
6 सामान्य प्रशासन	–	–	–	–	–	–
8 राजस्व	–	–	–	–	177	177
9 वन	–	120	–	–	137	257
16 पुलिस	239	210	273	181	238	1141
17 कारागार	107	88	126	98	87	506
19 लोक निर्माण कार्य	–	–	–	68	–	68
20 आवास	–	–	–	–	–	–
21 सड़के एवं पुल	–	–	–	236	–	236
24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति	294	262	–	263	262	1081
26 चिकित्सा एवं लोक	273	294	–	307	–	874
स्वास्थ्य	–	258	319	279	288	1144
27 पेयजल	126	–	161	117	143	547
28 ग्रामीण विकास के वि.	–	–	–	–	87	87
कार्य	56	72	–	–	–	128
29 नगर आयोजन, प्रा.	–	114	155	–	–	269
विकास	141	128	124	–	–	393
30 जनजाति क्षैत्रीय विकास	–	–	–	–	–	–
32 नागरिक आपूर्ति	153	167	198	187	179	884
33 सामाजिक सुरक्षा व	154	168	180	188	180	870
कल्याण	–	–	–	–	–	–
36 सहकारिता	–	–	46	57	–	103
37 कृषि	142	141	–	116	112	511
39 पशुपालन एवं चिकित्सा	–	97	–	106	98	301
40 राजकीय उपकम	162	102	187	123	182	756
41 सामुदायिक विकास	124	–	–	–	–	124
42 उद्योग	–	–	101	85	85	271
43 खनिज	79	–	–	–	–	79
योग	2050	2221	1870	2411	2255	10807

दिनाँक 27 जुलाई, 2004 को सरकार के दो मंत्रियो द्वारा अपने विभागों की अनुदान माँगों पर जवाब दिये बिना माँगें पारित करवानी पड़ो। विपक्ष ने किसी भी मंत्री और संसदीय मंत्री तक को नहीं बोलने दिया। व्यवस्था के तहत आसन को भी बिना मंत्रियों के ही माँगें पारित करवाने के आदेश देने पड़े।[79]

11 अप्रेल, 2005 को स्वायत्त शासन, ग्रामीण व जनजाति क्षेत्रीय विकास जैसे महत्त्वपूर्ण विभागों की अनुदान माँगों पर चर्चा होनी थो। लेकिन काँग्रेसी सदस्यों और सत्ता पक्ष के अड़ियल रवैये के कारण सदन में चर्चा नहीं हो सकी।[80]

23 मार्च, 2006 को प्रतिपक्ष के विरोध के बोच अनुदान माँगे पारित की गई। काँग्रेसी विधायक रघुवीर मीणा के निलम्बन से उपजा गतिरोध तीसरे दिन भी जारी रहा। समूचे विपक्ष ने एक दिन पहले से ही सदन में धरना दे रखा था। नारे–बाजी, शोरगुल के बीच खनिज एवं उद्योग विभाग की मांगें अनुदान माँगें पारित करवा दी गई।[81]

20 मार्च, 2007 को न्याय प्रशासन की अनुदान माँगों पर चर्चा के दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने न्यायपालिका की कार्यवाही की आलोचना करते हुए कहा कि न्यायालयों की संख्या बढ़ने के बावजूद निर्णित मामलों की संख्या कम हो गई है। जज न्यायालयों कम बैठते है, चर्चा के दौरान सदस्यों ने अति उत्साह में न्यायापालिका में कुछ स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी टिप्पणीयाँ की गई।[82] काँग्रेस के महिपाल मदेरणा ने 12 मार्च, 2008 को सार्वजनिक विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस के दौरान अपने भाषण में पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री राजेन्द्र राठौर को घेरने की कोशिश की। मदरणा ने कहा कि प्रदेश में 124 तहसील हेडक्वार्टर सड़क से वंचित है। बीओटी सड़को का चलन बढ़ा है और पी. डब्ल्यू.डी. विभाग भ्रष्टाचार और गुणवत्ता की कमी के कारण बदनाम हो चला है।[83]

जब–जब मुख्यमंत्री वित्तमंत्री के रूप में कार्य करते है और बजट पेश करते ह तो उनका नजरीया राजनीतिक हो जाता है। इस कारण वह बजट प्रस्तावों, कानूनी और आर्थिक पहलुओं को भूला बैठते हैं। इस बात का श्रेय अशोक गहलोत को जाता है उन्होंने गलती सुधारने में देर नहीं की और गेहू, चावल, दाल आदि उपयोग की उन वस्तुओं पर वेट की दर एक प्रतिशत घटाकर एक घोर गलती को सुधार लिया।[84]

निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बारहवीं एवं तेरहवीं राजस्थान विधान सभाओं में सर्व–सम्मति से अध्यक्ष का निर्वाचन कर प्रतिपक्ष ने स्वस्थ परम्परा का निवर्हन किया है। दोनों ही विधान सभाओं में अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रतिपक्ष के सदस्यों की और से सत्ता पक्ष के प्रत्याशी का समर्थन किया गया। चूँकि अध्यक्ष को मनोनयन सत्ता पक्ष से होता है, अतः लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा के अनुसार उपाध्यक्ष का चयन विपक्ष से होना चाहिए। लोकसभा तथा राजस्थान विधान सभा में अनेक वर्षों तक ऐसी ही परम्परा रही है। इसी परम्परा को ध्यान में रखते हुए सदन में उपाध्यक्ष की सीट विपक्ष की बेंचों में पहले स्थान पर होता है और अब जबकि इस परम्परा का प्रायः निर्वाह नहीं होता तो भी उपाध्यक्ष की सीट विपक्ष की बैचों में रखना अव्यावहारिक है।

बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं की दलीय स्थिति को देखते हुए सभापति तालिका में विपक्षी सदस्यों के मनोनयन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा है। दोनों ही विधान सभाओं में सभापति पालिका में विपक्षी सदस्यों का मनोनयन करते समय सदस्यों के अनुभव एवं वरिष्ठता का विशेष ध्यान रखा गया है।

बारहवीं एवं तेरहवीं राजस्थन विधान सभाओं में प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों से यह स्पष्ट हुआ है, कि विपक्षी दलों के सदस्य सदन और विधायकों के विशेषाधिकारों के प्रति पर्याप्त रूप से सजग थे। दोनों विधान सभाओं में क्रमशः 57.89 एवं 50 प्रतिशत मामले विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से प्रस्तुत किये गये। यद्यपि तुलनात्मक रूप से बारहवीं विधानसभा के अधिक सदस्यों ने विशेषाधिकार के मामले की सूचनाएं दी है लेकिन इस विधान सभा का एक भी प्रकरण इस प्रकृति का नहीं था कि समिति उस पर अपनी राय देती और ऐसी सिफारिश करती जो भविष्य के लिए मार्ग–दर्शक बनती।

विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के सम्बन्ध में समग्र रूप से विवेचन के बाद यह कहा जा सकता है कि विपक्षी सदस्य चाहे वे बारहवीं विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के हो अथवा तेरहवीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ही नियमों और परम्पराओं के पालन की दृष्टि से पूरी तरह से सजग रहे। यह सजगता स्वयं द्वारा नियमों के पालन के स्थान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नियमों का पालन करवाने में अधिक रही है। बारहवीं विधान सभा में राज्यपाल अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए सामान्य वाद–विवाद में भाग लेने वाले विपक्ष के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य थे। जब कि तेरहवीं विधान सभा में 50 प्रतिशत से भी कम विपक्षी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया था।

विपक्षी सदस्य व्यवस्था के प्रश्न का प्रयोग कर प्रक्रिया नियमों में रही त्रुटियों/कमियों को दूर करने के साथ–साथ वाद–विवाद में अपनी निपुणता एवं कुशलता का परिचय भी देते हैं। दोनों ही विधान सभाओं के जागरूक और सक्रिय सदस्यों द्वारा इस विधा का प्रयोग किया गया है। यद्यपि लगभग सभी व्यवस्था के प्रश्न अध्यक्ष के निर्णय के बाद निरस्त कर दिये जाते हैं। तथापि इनके माध्यम से विपक्ष सत्तापक्ष को सदन की कार्यवाही में मनमानी नही करने देता। बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं में बैठकों की संख्या नियमानुसार तथा विपक्ष की अपेक्षाओं से काफी कम रही हैं। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कई बार विधान मंडलों के सदनों की कम हो रही बैठकों में चिन्ता प्रकट करते हुए इस बात की सिफारिश की गई है कि एक वर्ष में बैठकों की संख्या बड़े राज्य विधान मंडलों में कम से कम 100 दिन तथा छोटे राज्य विधान मंडलों

में 60 दिन होनी चाहिए। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संविधान में संशोधन आवश्यक बताया गया है।

विधायी सदनों के सत्रों एवं बैठकों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से यह सुझाव भी दिया जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 174 (1) में संशोधन करके दो सत्रों के मध्य के अन्तराल के 6 माह के स्थान पर 4 माह किया जाये। ऐसा होने पर सत्रों की संख्या तो अनिवार्य रूप से बढ़ जायेगी लेकिन बैठकों की संख्या फिर भी कार्यपालिका की इच्छा पर निर्भर करेगी। यह भी हो सकता है कि सांविधानिक पूर्ति के लिए अल्पावधि सत्र बुलाये जाये। अतः स्थिति में सुधार के लिए अनुच्छेद 174 (2) में संशोधन करके विधान मंडल के सत्र को आहूत करने तथा सत्रावसान करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को दे दिये जाने का सुझाव अवश्य कारगर हो सकता है।

प्रश्न काल और शून्य काल दोनों ही अवसरों पर विपक्षी दल काफी सक्रिय रहते हैं। राजस्थान विधानसभा में चूँकि स्थगन प्रस्ताव केवल विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं इसलिए सरकार पर नियंत्रण का यह सशक्त साधन होते हैं। इन विधानसभाओं में लगभग बराबर ही स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। राजस्थान विधान सभा में स्थगन प्रस्तावों की बढ़ती हुई संख्या के कारण पर्ची पद्धति के रूप में एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत है जिसके सत्तापक्ष एवं विपक्ष दोनों के सदस्यों को अविलम्बिनीय लोक महत्त्व के विषयों को तुरंत सदन में उठाये जाने का अवसर मिलता है। दूसरी और उस विषय पर राज्य सरकसर की ओर से की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी भी सदन में तत्काल दी जाती है। विपक्षी सदस्य व्यवस्था के प्रश्न का प्रयोग कर प्रक्रिया नियमों में रही त्रुटियों/कमियों को दूर करने के साथ–साथ, वाद–विवाद में अपनी निपुणता एवं कुशलता का परिचय भी देते हैं। दोनां ही विधान सभाओं के जागरूक और सक्रिय सदस्यों द्वारा इस विद्या का प्रयोग किया गया है। यद्यपि लगभग सभी व्यवस्था के प्रश्न अध्यक्ष के निर्णय के बाद निरस्त कर दिये जाते हैं। तथापि इनके माध्यम से विपक्ष सत्ता पक्ष को सदन की कार्यवाही में मनमानी नहीं करने देता।

बारहवीं एवं तेरहवीं दोनों ही विधान सभाओं में कई महत्वपूर्ण शासकीय संकल्प प्रस्तुत किये गये, जिन्हें सदन द्वारा विचार करने के बाद सर्व–सम्मति से स्वीकार किया गया। बारहवीं विधानसभा रावी–व्यास नदियों के बटवारे सम्बन्धी संकल्प तथा सरसों की खरीद का समर्थन मूल्य बढ़ाने सम्बन्धी शासकीय संकल्प महत्त्वपूर्ण था जो विपक्ष के सहयोग से सर्व–सम्मति से पारित किया गया।

अध्याय–चतुर्थ सन्दर्भ सूची

1. बाबेल बसन्तीलाल, संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका,राजस्थान हिन्दी साहित्य अकादमी, जयपुर 1998, पृष्ठ 30–31
2. महेश्वर नाथ कोल एवं श्याम लाल शकधर, संसदीय पद्धति और प्रक्रिया, तीसरा हिन्दी संस्करण (नई दिल्ली, मेट्रोपोलिटिन बुक कम्पनी प्रा. लि., 2012, पृष्ठ 125)
3. कश्यप सुभाष, हमारी संसद,(पांचवा संस्करण) निदेशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत,नई दिल्ली, 2013,पृष्ठ 80
4. कश्यप सुभाष, भारत का संविधान,निदेशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत,नईदिल्ली, 2013, पृष्ठ 68
5. महेश्वर नाथ कौल एंव श्याम लाल शंकधर, संसदीय पद्धति और प्रकिया, तीसरा हिन्दी संस्करण (नई दिल्ली, मेट्रोपोलिटन बुक कम्पनी प्रा. लि., 2012) पृष्ठ 125
6. प्रथम विधान सभा से तेरहवीं विधान सभा (आंकड़ों में) (1952–2008)
7. बालचंद्र गोस्वामी 'प्रखर' आचार्य, संसदीय लोकतंत्र, सफल या असफल? राज पब्लिशिंग हाउस जयपुर, 2007 पृष्ठ 48
8. भाभड़ा हरिशंकर, अध्यक्ष का पद–चुनौतिपूर्ण उत्तरदायित्व'', विधान बोधनी (जयपुर, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जुलाई, 2006 वर्ष 13 अंक 1) पृष्ठ 12
9. भाभड़ा हरिशंकर, अध्यक्ष का पद–चुनौतिपूर्ण उत्तरदायित्व'', विधान बोधनी (जयपुर, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जुलाई, 2006 वर्ष 13 अंक 1) पृष्ठ 18–19
10. विधान सभा प्रकिया एंव कार्य संचालन, अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़, 2009 पृष्ठ 19
11. राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही दिनाँक 16 जनवरी, 2004, पृष्ठ 2
12. राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही दिनाँक 2 जनवरी, 2009, पृष्ठ 4
13. राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही, दिनाँक 19 जुलाई, 2004, पृष्ठ सं. 32–36
14. राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही, दिनाँक 29 फरवरी, 2012, पृष्ठ सं. 42–43
15. टिप्पणी 10 पृष्ठ 24

16. नियम समिति 1980–81 (सातवीं विधानसभा) के प्रथम प्रतिवेदन द्वारा पूर्व उपनियम 9(1) के स्थान पर प्रतिस्थापित

17. बारहवीं राजस्थान विधानसभा (आँकड़ों में) 2003–2008, जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 2011, पृष्ठ सं. 4

18. तेरहवीं राजस्थान विधानसभा (आँकड़ों में) 2008–2013, जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 2014, पृष्ठ सं. 4

19. भाभड़ा, हरिशंकर, संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्व करने का प्रश्न, विधान बोधनी (जयपुर राजस्थान विधानसभा सचिवालय, खण्ड 14, अंक 1–2, जनवरी–अप्रेल, 2007) पृष्ठ सं. 1

20. बाहेति स्वाति, राजस्थान विधान सभा में विपक्ष की भूमिका, (अप्रकाशित शोध) कोटा विश्वविद्यालय, कोटा 2013 पृष्ठ 176

21. लालचन्द, '' संसदीय अधिकार और प्रेस'',विधान बोधनी (जयपुर, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, खण्ड 10–11, अंक 4 व 1, अक्टूबर, 2003–जनवरी, 2004) पृष्ठ सं. 26

22. तत्रैव 17 पृष्ठ 26–27

23. तत्रैव 18 पृष्ठ 19–29

24. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिमाहन शर्मा, सी.एस. बेद व हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष) निर्दलीय रामप्रताप कासनिया तथा जनता (यू) के जीतमल खाट

25. अनुच्छेद 85(1)/174(1)

26. तत्रैव 20 पृष्ठ 190

27. तत्रैव 17 पृष्ठ 7

28. तत्रैव 18 पृष्ठ 6

29. तत्रैव 1 पृष्ठ 22

30. गोस्वामी आचार्य भालचंद्र 'विधानसभा प्रकिया एवं कार्य संचालन'अभिषेक पब्लिकेशन्ज, 2009 पृष्ठ 52

31. तत्रैव 7 पृष्ठ 42

32. गुप्ता कृष्ण मुरारी, 'राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल एंव आधे घण्टें की चर्चा' विधान बोधनी, (जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, वर्ष 4 अंक, 4,अक्टूबर, 1997), पृष्ठ 109

33. तत्रैव 18 पृष्ठ 11

34. काश्यप सुभाष, हमारी संसद'राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत 2015(पाँचवा संस्करण) पृष्ठ 103

35. ऋचा बंसल, 'राजस्थान विधानसभा विपक्ष की भूमिका' (अप्रकाशित) कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा 1996 पृष्ठ 122

36. राजस्थान विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, ग्यारहवाँ संस्करण, जयपुर, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय 2003, पृष्ठ 23–24

37. राजस्थान विधानसभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, (बारहवाँ संस्करण) जयपुर, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय 2008, पृष्ठ 25

38. तत्रैव 34 पृष्ठ 109

39. टिप्पणी 17 पृष्ठ 15

40. तत्रैव 20 पृष्ठ 214

41. सत्र समीक्षा (बारहवीं विधानसभा के प्रथम सत्र से दसवें सत्र तक) में उपस्थापित याचिकाएँ

42. सत्र समीक्षा (तेरहवीं विधानसभा के प्रथम सत्र से ग्यारहवें सत्र तक) में उपस्थापित याचिकाएँ

43. बारहवीं राजस्थान विधानसभा के संक्षिप्त कार्य विवरणों से संकलित

44. तत्रैव 20 पृष्ठ 214–217

45. सत्र समीक्षा (तेरहवीं विधानसभा के प्रथम एवं द्वित्तीय सत्र) पृष्ठ 2

46. सत्र समीक्षा (तेरहवीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र) पृष्ठ 3

47. नियम 189 और 190

48. काश्यप सुभाष, हमारी संसद, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली, 2015 पृष्ठ 116

49. गोस्वामी आचार्य भालचन्द्र 'प्रखर' लोकतंत्र और विधानमण्डल, पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2014 पृष्ठ 147

50. सत्र समीक्षा, विधान बोधनी (जयपुर, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय, वर्ष 14, अंक 1–2, जनवरी–अप्रेल, 2007) पृष्ठ 64–65

51. सत्र समीक्षा, विधान बोधनी (जयपुर, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय, वर्ष 14, अंक 4, अक्टूबर, 2007) पृष्ठ 64–65

52. सत्र समीक्षा, विधान बोधनी (जयपुर, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय, वर्ष 10–11, अंक 4, अक्टूबर, 2004) पृष्ठ 51

53. तत्रैव पृष्ठ 57

54. सत्र समीक्षा, विधान बोधनी (जयपुर, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय, वर्ष 10–11, अंक 4, अप्रेल–जूलाई, 2004) पृष्ठ 56

55. सत्र समीक्षा, विधान बोधनी (जयपुर, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय, वर्ष 13, अंक 1–2, अप्रेल–जूलाई, 2006) पृष्ठ 70

56. सत्र समीक्षा, विधान बोधनी (जयपुर, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय, वर्ष 13, अंक 4, अक्टूबर, 2006) पृष्ठ 59–60

57. तेरहवीं राजस्थान विधान सभा (आंकड़ों में) 2008–2013, जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 2014, पृष्ठ सं. 32

58. तत्रैव 57 पुष्ठ 33

59. तेरहवीं राजस्थान विधान सभा (आंकड़ों में) 2008–2013, (जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 2014), पृष्ठ सं. 33

60. तत्रैव 20 पृष्ठ 220–221

61. सत्र समीक्षा विधान बोधनी (जयपुर, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय) अंक 8, सत्र 2013 पृष्ठ 11

62. टिप्पणी 49 पृष्ठ 187

63. सत्र समीक्षा विधान बोधनी (जयपुर, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय) वर्ष 14 अंक 1,अप्रेल 2007 पृष्ठ 78

64. काश्यप सुभाष, हमारी संसद, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली, 2015 पृष्ठ 120

65. परिशिष्ट–2, विधान बोधनी, (जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, वर्ष 19, अंक 4, अक्टूबर, 2012 पृष्ठ 66) एवं राजस्थान तेरहवीं विधानसभा (आंकडों में) जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 2014

66. आचार्य भालचन्द्र गोस्वामी, राजस्थान का विधायी इतिहास (जयपुर, पब्लिकेशन स्कीम, 2006) (द्वितीय संस्करण) टिप्पणी–1 पृष्ठ 49

67. तत्रेव–66 पृष्ठ 49

68. तत्रेव–66 पृष्ठ 56

69. 'प्रखर' आचार्य भालचंद्र गोस्वामी, "विधानसभा प्रकिया एंव कार्य संचालन", अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्डीगढ़, 2009 पृष्ठ 125

70. तत्रैव 14 पृष्ठ 125

71. तत्रैव 14 पृष्ठ 127

72. तत्रैव 14 पृष्ठ 128

73. पारीक, श्याम सुन्दर, राजस्थान विधानसभा में आय–व्यय, विधान बोधनी (जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, वर्ष 2, अंक 3, जुलाई, 1995) पृष्ठ 57

74. तत्रैव 5 पृष्ठ 58

75. तत्रैव 14 पृष्ठ 128

76. तत्रैव 14 पृष्ठ 126

77. कटौती प्रस्तावो का विवरण बारहवीं राजस्थान विधानसभा बुलेटिन भाग–1 के विभिन्न अंकों से संकलित किया गया।

78. कटौती प्रस्तावो का विवरण तेरहवीं राजस्थान विधानसभा बुलेटिन भाग–1 के विभिन्न अंकों से संकलित किया गया।

79. दैनिक नवज्योति 28 जुलाई, 2004

80. महका भारत 12 अप्रेल, 2005

81. महका भारत 24 मार्च, 2006

82. राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त (जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, अंक 7 संख्या 14, 20 मार्च, 2007) पृष्ठ 186–189

83. दैनिक नवज्योति 13 मार्च, 2008

84. राजस्थान पत्रिका, अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, 13 मार्च, 2008

राजस्थान विधानसभा के दौरान सदन के बाहर व भीतर धरने व प्रदर्शन

संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका सदन के बाहर और अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। वह विपक्ष ही है जो सदन के बाहर लोकमत तैयार करता है। सरकार के सृजन और उत्पादन की भूमिका सदन के बाहर ही बनती है। सदन के बाहर विपक्ष की भूमिका को हम निम्न शिर्षकों के अन्तर्गत सखकर अध्ययन कर सकते है।[1]

1. सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करना
2. लोकमत का निर्माण करना
3. चुनावों का संचालन करना
4. राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना
5. सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता करना
6. सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान प्रदान करना

इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था में निम्न बिन्दुओं के माध्यम से हम उन सभी राजनीतिक दलों का अध्ययन कर सकते है, जिन्होंने शासन व्यवस्था के बाहर एवं भीतर रहकर शासन व्यवस्था को प्रभावित किया है। उनमें से कुछ राजनीतिक दल निम्न है :–

भारतीय जनता पार्टी

वर्ष 1980 में जनता पार्टी के चुनावों में पराजित होने बाद इस दल का विघटन हो गया। अप्रेल 1980 में दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में 'भारतीय जनता पार्टी' नाम से एक नये राजनीतिक दल का गठन किया गया। जनसंघ जनता पार्टी से अलग होकर पुनः एक दल के रूप में अस्तित्व में आया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। 6 अप्रेल, 1980 को पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ गैर–जन संघी सदस्यों सिकन्दर बख्त, शान्ति भ्षण, राम जेठमलानी तथा ए. के. हेगड़े को भारतीय जनता पार्टी को शामिल कर लिया।[2]

भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वर्ष 1980, 1985 एवं 1999 में गठित सातवीं, आठवीं और ग्यारहवीं विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में सामने आयी। राष्ट्रीय स्तर पर

भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृषण अडवाणी, श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धिया, श्रीमती सुषमा स्वराज, अरूण जेटली और यशवन्त सिन्हा रहे हैं।

प्रान्तीय स्तर पर भाजपा के नेताओं के रूप में भैरोसिहं शेखावत, भँवर लाल शर्मा, गिरधारी लाल भार्गव, उजला अरोड़ा, हरिशंकर भाभड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी, गुलाब चन्द कटारिया और घनश्याम तिवाड़ी का नाम उल्लेखनीय है। अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे, उमा भारती, कैलाश जोशी, शिवराज सिंह चौहान, गुजरात में नरेन्द्र मोदी, हरिन पाठक, काशीराम राणा, उत्तर प्रदेश में डॉ. मुरली मनोहर जोशी, भुवन चन्द खंडूरी, विनय कटियार, कल्याण सिंह, बिहार में कैलाशपति मिश्र, शाहवान हुसैन, कुरिया मुण्डा, राजीव प्रताप रूढ़ी, हरियाणा में डॉ. मंगल सेन, पंजाब में डॉ. बलदेव प्रकाश, हिमाचल प्रदेश में शान्ता कुमार, महाराष्ट्र में राम नाईक आदि प्रमुख कहे जा सकते हैं।

भारतीय जनता पार्टी का संगठन :–

भारतीय जनता पार्टी का दलीय संगठन स्थानीय स्तर पर एक इकाई के रूप में शुरू होता है। इसे स्थानीय समिति कहा जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड के रूप में संगठित होती है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार स्थानीय समिति को 4 श्रेणीयों में विभाजित किया जाता हैं।[3]

1. प्रथम श्रेणी की स्थानीय समिति जिसमें 25 से 49 सदस्य होते है।
2. द्वितीय श्रेणी की स्थानीय समिति जिसमें 50 से 149 सदस्य होते है।
3. तृतीय श्रेणी की स्थानीय समिति जिसमें 150 से 299 सदस्य होते है।
4. चतुर्थ श्रेणी की स्थानीय समिति जिसमें 300 से अधिक सदस्य होते ह।

प्रथम श्रेणी की स्थानीय समिति के लिए एक अध्यक्ष तथा 12 सदस्यों का निर्वाचन होता है, जिसमें चार महिलाएँ होती हैं। अध्यक्ष सदस्यों में से 2 सचिवा का मनोनयन करता है। दूसरी समिति की स्थानीय समिति के लिए अध्यक्ष तथा 18 सदस्यों का निर्वाचन होता है जिनमें से कम से कम 6 महिलाएँ होती है। अध्यक्ष इनमें से एक महासचिव, दो सचिव मनोनीत करता है जिनमें एक महिला होती है। तीसरी श्रेणी की स्थानीय समिति के लिए अध्यक्ष तथा 24 सदस्यों का निर्वाचन होता है जिनमें कम से कम 8 महिलाएं होती है। अध्यक्ष द्वारा 2 उपाध्यक्ष, एक महासचिव तथा 2 सचिवों का मनोनयन किया जाता है। इन पदाधिकारियों में कम से कम 2 महिलाएँ होती है। चौथी श्रेणी की स्थानीय समिति के लिए अध्यक्ष तथा 30 सदस्या का निर्वाचन होता है जिनमें दस महिलाएँ होती है। अध्यक्ष द्वारा इन सदस्यों में से 3 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव तथा 3

सचिवों का मनोनियन किया जाता है। इन पदाधिकारियों में कम से कम तीन महिलाएँ होनी आवश्यक है।

मण्डल समिति

यह स्थानीय से बड़ी इकाई है। इसके सदस्य भी कार्यकारिणी का गठन करते हैं। प्रथम श्रेणी की मण्डल समिति में एक अध्यक्ष और अधिकतम 30 सदस्य होता है जिनमें कम से कम 10 महिलाएँ और 3 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से अधिकतम 3 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा अधिकतम 3 सचिवों का मनोनयन किया जाता है। पदाधिकारियों में कम से कम 3 महिलाएँ और 1 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि होता है।

दूसरी श्रेणी की मण्डल समिति में एक अध्यक्ष और अधिकतम 45 सदस्यों के लिए चुनाव होता है जिनमें कम से कम 15 महिलाएँ और 3 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से अधिकतम 4 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा अधिकतम 5 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। पदाधिकारियों में कम से कम 4 महिलाएँ और 1 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि होता है।

तालिका संख्या–5.1

भारतीय जनता पार्टी के दलीय संगठन का संरचनात्मक ढाँचा

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

महासचिव

सचिव

सदस्य

राष्ट्रीय परिषद्

निर्वाचन करती है

राज्य परिषद्

प्रदेश कार्यकारिणी

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव,

सचिव, कोषाध्यक्ष

निर्वाचन करती है

जिला समिति

कार्यकारिणी

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव

सचिव, कोषाध्यक्ष

निर्वाचन करती है

मण्डल समिति

कार्यकारिणी :– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव,

कोषाध्यक्ष, एवं सचिव

निर्वाचन करती है

स्थानीय समिति

वार्ड	पंचायत
(शहरो क्षेत्र)	(ग्रामीण क्षेत्र)
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव

तीसरी श्रेणी की मण्डल समिति में एक अध्यक्ष और अधिकतम 60 सदस्यों के लिए चुनाव होता है जिनमें से कम से कम 20 महिलाएँ और 4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से अधिकतम 6 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा अधिकतम 6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। पदाधिकारियों में कम से कम 5 महिलाएँ और 2 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते है। मण्डल समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का निर्वाचन मण्डल की स्थानीय समितियों के निर्वाचित अध्यक्षों द्वारा किया जाता है।

जिला समितियाँ –

मण्डल समिति द्वारा जिला समितियों का गठन किया जाता है। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला समिति गठित की जाती है। जिला समिति भी चार श्रेणियों की होती है। प्रथम

श्रेणी की जिला समिति एक अध्यक्ष और अधिकतम 45 सदस्यों से बनती है जिनमें 15 महिलाएँ और 4 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते है। जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा 6 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 1 महासचिव (संगठन), एक कोषाध्यक्ष और अधिकतम 6 सचिवों का मनोनयन किया जाता है। इन पदाधिकारियों में 5 महिलाएं और 2 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते है।

दूसरी श्रेणी की जिला समिति एक अध्यक्ष और अधिकतम 66 सदस्यों से बनती है जिनमें 22 महिलाएं और 6 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते है। जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा 6 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 1 महासचिव (संगठन) एक कोषाध्यक्ष और अधिकतम 6 सचिवों का मनोनयन किया जाता है। इन पदाधिकारियों में 5 महिलाएँ और 2 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते है।

तीसरी श्रेणी की जिला समिति एक अध्यक्ष और अधिकतम 90 सदस्यों से बनती है जिनमें 30 महिलाएँ और 6 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते है। जिला समिति के अध्यक्ष द्वारा 8 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 1 महासचिव (सगंठन), एक कोषाध्यक्ष और अधिकतम 8 सचिवों का मनोनयन किया जाता है। इन पदाधिकारियों में 7 महिलाएँ और 2 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते है।

मण्डल समिति द्वारा अपने सदस्यों में से जिला अध्यक्ष के लिए एक मण्डल प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। जिला समिति का अध्यक्ष मण्डल समितियों के निर्वाचन अध्यक्षों तथा मण्डल प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है।

राज्य परिषद्

इसमें जिला इकाईयों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। एक जिले की मण्डल समितियों के निर्वाचित सदस्य राज्य परिषद् के लिए उतनी संख्या में निर्वाचित करते है जितनी संख्या उस जिले की विधानसभा सीटों की होती है। इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए उतनी ही संख्या में सदस्यों का निर्वाचन किया जाता हैं जितनी की आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होती है।

राजनीतिक दल के 10 प्रतिशत विधायकों का निर्वाचन पार्टी के सदस्यों द्वारा किया जाता है जो 10 से कम नहीं होते। यदि विधायकों की संख्या 10 से कम हो तो सभी को लिया जाता है। 10 प्रतिशत सांसदों का चुनाव होता है। कम से कम 3 सांसदों का चुनाव होना चाहिए। यदि यह संख्या कम हो तो सभी को राज्य परिषद् में लिया जाता है। इनके अलावा राज्य से राष्ट्रीय परिषद् के सभी सदस्य, पूर्व राज्य अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी के सभी सदस्य, क्षेत्रीय समिति के सभी पदाधिकारी, राज्य विधान मण्डल के

दलों के नेता, राज्य की जिला समितियों के अध्यक्ष एवं महासचिव, पार्टी अध्यक्ष व स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य (25 तक) तथा सम्बद्ध मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल होते हैं।

राज्य कार्यकारिणी

इसमें प्रथम श्रेणी के राज्यों के लिए अध्यक्ष और अधिकतम 75 सदस्य जिनमें 25 महिलाएं और 6 अनुसूचित जनति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। द्वितीय श्रेणी के राज्यों के लिए एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 90 सदस्य होते है जिनमें 30 महिलाएँ तथा 7 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। तृतीय श्रेणी के राज्यों के लिए एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 105 सदस्य होते हैं जिनमें 35 महिलाएँ तथा 9 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचित अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी समिति का मनोनयन करता है जिनमें 25 प्रतिशत नये सदस्यों का मनोनयन होता है।

राष्ट्रीय परिषद्

राष्टोय परिषद् में राज्य परिषद् के निर्वाचित सदस्यों के साथ–साथ 10 प्रतिशत सांसद होते हैं, जो कम से कम 10 होते है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी राज्य अध्यक्ष, लोक सभा तथा राज्य सभा के दल के नेता, राज्य विधान मण्डलोंके दल के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य (40 तक) तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी

इसमें अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 120 सदस्य होते है जिनमें 40 महिलाएं और 12 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अधिकतम 13 उपाध्यक्ष, 9 महासचिव, 1 महासचिव (संगठन), एक कोषाध्यक्ष, 15 सचिव मनोनित किये जाते है। पदाधिकारियों में से कम से कम 13 महिलाएँ तथा 3 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, इनमें 25 प्रतिशत नये सदस्य होते हैं।

भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से लोकतांत्रिक आधार पर किया जाता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधियों के निर्वाचन में पंचायत स्तर के सदस्यों की भी सक्रिय भागीदारी होती है। राजनीतिक दल अपना जन–संपर्क सहायक संगठनों के माध्यम से करते हैं जो उनमें सम्बद्ध हो या न हो लेकिन उनका वैचारिक साम्य अवश्य होता है।

यद्यपि दल के संविधान में उनका उल्लेख नहीं होता, तथापि वे दलीय संगठन में एक महत्त्वपूर्ण इकाई का गठन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सहायक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिन्दू महासभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, भारतीय मजदूर संघ, शिक्षक संघ तथा भारतीय किसान संघ का उल्लेख किया जा सकता है।

इण्डियन नेशनल काँग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस)

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का भारत की स्वतंत्रता में विशेष योगदान रहा हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काँग्रेस ने भारत की राजनीति में एक दल का स्थान प्राप्त कर लिया। काँग्रेस एक ऐसा लोकतांत्रिक दल हैं जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी हैं। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का उद्देश्य भारत के लोगों की भलाई और उन्नति है शाँतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज्य कायम करना है जो संसदीय जनतंत्र पर आधारित हो, जिसमें अवसर और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की समानता हो तथा जिसका लक्ष्य विश्व–शाँति और विश्व–बन्धुत्व हो।[4]

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का दलीय संगठन, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। संगठन की प्रारम्भिक इकाइयों के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाएं तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड समितियाँ आती हैं। इनमें एक अध्यक्ष और एक प्रतिनिधि का चुनाव करते है। प्रत्येक वार्ड समिति तथा ग्राम पंचायत समिति से ये दो सदस्य ब्लाक समिति का गठन करते हैं। ब्लाक समिति अपनी कार्यकारिणी का निर्माण करती है जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष तथा सात सदस्य होते है। सचिव का मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के संविधान की धारा 6 (अ)(क) एवं (ख) के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार ब्लाक काँग्रेस कमेटो की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए 33 महिलाओं तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित किये जाते है।

जिला स्तर पर काँग्रेस कमेटी होती है। जिसमें (1) उस जिले के अन्तर्गत आने वाली सभी ब्लाक कमेटियों द्वारा गुप्त मतदान से चुने गये6–6 प्रतिनिधि, (2) जिला काँग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, (3) प्रदेश काँग्रेस कमेटी के सदस्य जो जिले में रहते हैं, (4) जिले के कांग्रेस विधायक दल (केन्द्र एवं राज्य दोनों) के सदस्य, (5) जिले की नगरपालिका, नगर निगम, जिला बोर्ड तथा जिला परिषद् के काँग्रेस दल के नेता, (6) कार्य समिति के निर्धारित नियमों के अनुसार जिला काँग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सहवरित सदस्य। (धारा–10)

प्रदेश स्तर पर कॉँग्रेस कमेटी राज्य के सभी कॉँग्रेसियों का प्रतिनिधि संगठन होता है। इसका गठन संविधान की धारा 11 के अनुसार निम्न के द्वारा होता है। –

1. एक लाख की आबादी वाले निर्वाचन के क्षेत्र के क्रियाशील सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने गये सदस्य,
2. प्रदेश कॉँग्रेस कमेटियों के भूतपूर्व अध्यक्ष,
3. जिला कॉँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष,
4. अखिल भारतीय कॉँग्रेस कमेटियों के सदस्य, जो प्रदेश में रहते है,
5. अपंगों के सहवरित सदस्य जिन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है,
6. संसद में कॉँग्रेस के नेता तथा कॉँग्रेस विधायक दल द्वारा चुने गये सदस्य तथा
7. विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति।
8. राजस्थान कॉँग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति का गठन 20 सदस्यों से मिलकर होता है जो इस कमेटी के सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है। यह दल के दैनिक कार्यों के संम्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण अंग है।

तालिका संख्या – 5.2

भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस के दलीय संगठन का संरचनात्मक ढाँचा

अध्यक्ष

अखिल भारतीय कॉँग्रेस कमेटी

अ. भा. का. कमेटी के डेलीगेट

प्रादेशिक चुनाव समिति

प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा

(निर्वाचन करती है)

राजस्थान प्रदेश कॉँग्रेस कमेटी

पदाधिकारी :– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव,

सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य

(निर्वाचन करती है)

जिला कॉँग्रेस कमेटी

पदाधिकारी :— अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव,

सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य

(निर्वाचन करती है)

ब्लाक कॉँग्रेस कमेटी

पदाधिकारी : — अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,

सचिव, कोषाध्यक्ष

(निर्वाचन करती है)

नगर कॉँग्रेस कमेटी

(निर्वाचन करती है)

वार्ड कॉँग्रेस कमेटी ग्राम पंचायत कॉँग्रेस कमेटी

पदाधिकारी : — अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष

अखिल भारतीय कॉँग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि का चुनाव राजस्थान प्रदेश कॉँग्रेस कमेटी द्वारा किया जाता है। जिसमें राजस्थान प्रदेश कॉँग्रेस कमेटी द्वारा चुने गये सदस्यों के अतिरिक्त प्रदेश कॉँग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, कॉँग्रेस विधायक दल के नेता व दल के उस वग के लोग शामिल होते हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राजस्थान प्रदेश कॉँग्रेस कमेटी प्रादेशिक चुनाव समिति का भी गठन करती है जिसमें प्रदेश कँग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, कॉँग्रेस विधायक दल का नेता और राजस्थान प्रदेश कॉँग्रेस कमेटी द्वारा निर्वाचित कुछ सदस्य हाते हैं।

बारहवीं राजस्थान विधानसभा के कार्य काल के समय भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस प्रतिपक्ष का प्रमुख संगठन था जिसके सहायक संगठनों के रूप में निम्नांकित संस्थाएँ थीं —

(1) प्रदेश युवक कॉँग्रेस

(2) प्रदेश कॉँग्रेस सेवादल

(3) भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस सेवादल

(4) प्रदेश महिला समिति

बहुजन समाज पार्टी

बहुजन समाज पार्टी समाजवादी सोच वाला, भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसका गठन मुख्यतः ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था जो भारतीय जाति व्यवस्था के अन्तर्गत सबसे नीचे माने जाने वाले बहुजन, जिनमं दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक शामिल थे। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इस दल का दर्शन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बाद्ध दर्शन से प्रेरित है।

बहुजन समाज पार्टी का गठन करिश्माई दलित नेता काशीराम द्वारा 14 अप्रेल, 1984 को किया गया था। इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश रहा है और पार्टी ने इस प्रदेश में कई बार अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार भी बनाई है। काशीराम के गिरते स्वास्थ्य के कारण मायावती पार्टी की अग्रिम नेता बन गई और अन्ततः वह 1990 में पार्टी की अध्यक्ष बनी। मायावती के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पार्टी का जना–धार बड़ा और उत्तर प्रदेश में सदियों से यहाँ सर्वाधिक दुःखी व उपेक्षित रहे अनुसूचित जाति /जनजाति वर्गो के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने व उसके उत्थान हेतु तथा इन वर्गो के मसीहा भारत रत्न बाबा सा. डा. भीमराव अम्बेडकर व उनके मुवमेंट को गति देने वाले मान्यवर श्री काशीराम के शासन कालों में ऐतिहासिक निर्णय लेने का घोषणा पत्र में प्रावधान किये जाने का निर्णय पार्टी ने लिया। यहाँ विधानसभा और लोक सभा की सीटों मे काफी वृद्धि हुई। वर्ष 1993 में हुए चुनावों में मायावती ने मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और मुलायम सिंह यादव की साझा सरकार में शामिल हुई।

वर्ष 1995 में मायावती ने सरकार से समथन वापस ले लिया और मुलायम सिंह सरकार गिर गई। 3 जून, 1995 को मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई। लेकिन अक्टूबर, 1995 में भाजपा के समर्थन वापस लेने से मायावती सरकार भी गिर गई। इसके बाद भी मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई।[5]

राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव और आधार बहुत बड़ा नहीं है। नौवीं और दसवीं विधानसभा में भी इस पार्टी के प्रत्याशियों ने भी भाग्य आजमाया लेकिन कोई भी निर्वाचित नहीं हो पाया। ग्यारहवीं एवं बारहवीं विधानसभा में इस पार्टी को मात्र 2–2 सीटें मिली। तेरहवीं विधानसभा में बहुजन पार्टी को मात्र 6 सीटें प्राप्त हुई जो किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर काँग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और वे

सदस्य काँग्रेस में मिल गये। जिससे बहुजन समाजवादी पार्टी का जनाधार में और भी कमी देखी गई।

जनता दल

जनता दल का गठन अक्टूबर, 1988 में जनता पार्टी, लोकदल (ब) और जनमोर्चा के विलय के परिणामस्वरूप हुआ। वर्ष 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में इस दल ने अन्य दलों के समर्थन के साथ केन्द्र में सरकार का गठन किया, लेकिन दल के आंतरिक मतभेदों के कारण इसकी सरकार 11 माह में ही गिर गई। इस दल के कई विभाजन हो चुके हैं।

जनता दल एक भारतीय राजनीतिक दल है जो जनता पार्टी, लोकदल, काँग्रेस (एस) और वी. पी. सिंह के नेतृत्व वाले जन मोर्चा के विलय के फलस्वरूप 11 अक्टूबर, 1988 को अस्तित्व में आया। भ्रष्टाचार के आरोपों, बोफोर्स तोप घोटालों एवं कतिपय अन्य मुद्दां के कारण काँग्रेस सरकार की विफलता के बाद जनता दल वी. पी. सिहं के नेतृत्व में सत्ता में आया। लेकिन नवम्बर, 1990 में में गठबंधन सरकार के पतन के बाद समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) के चन्द्रशेखर ने काँग्रेस के बाहरी समर्थन से कुछ समय तक सत्ता की बागडोर संभाली। वर्ष 1996 में जनता दल के नेतत्व वाले संयुक्त मोर्चा ने दूसरी बार काँग्रेस के बाहरी समर्थन से सत्ता संभाली और एच. डी. देवगौड़ा थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। काँग्रेस ने एक वर्ष से भी कम अवधि में ही समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद आई. के. गुजराल प्रधानमंत्री बने लेकिन फरवरी, 1998 में जनता दल के नेतृत्व वाला गठबंधन समाप्त हो गया।[6]

जनता दल के विभाजन के बाद अलग हुए समूह में राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, जनता दल सेक्यूलर, जनला दल युनाइटेड और समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) के रूप में सामने आये। इनके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी और जनता पार्टी जैसे छोटे दल भी उभर कर सामने आये। राष्ट्रीय जनता दल जनता दल के पुनः विभाजन के बाद लालूप्रसाद यादव ने अपने समर्थकों के साथ 5 जुलाई, 1997 को राष्ट्रीय जनता दल के नाम से एक नये दल की घोषणा की। इससे पूव 3 जुलाई, 1997 को सम्पन्न जनता दल के अध्यक्ष के चुनाव का लालू यादव समर्थकों ने बहिष्कार किया था। 5 जुलाई को बुलाये गये सम्मेलन में राष्ट्रीय जनता दल के गठन की घोषणा की गई। सम्मेलन में लालूप्रसाद यादव को सर्व–सम्मति से दल का अध्यक्ष चुना गया तथा उन्हें दल का संविधान एवं नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। सम्मेलन में तीन केन्द्रीय मंत्रियों सहित लोकसभा के 17 तथा राज्य सभा के 8 सदस्य भी उपस्थित

थे। पृथक दल की पहचान के लिए लोकसभा के महासचिव तथा राज्य सभा के सभापति को अनुरोध किया गया।[7]

राजस्थान में बारहवीं विधान सभा तथा तेरहवीं विधानसभा में अन्य दलों के समान ही राष्ट्रीय जनता दल का भी अधिक प्रभाव नहीं रहा। बारहवीं विधानसभा में जनता दल (युनाइटेड) के 2 सदस्य निर्वाचित हुए थे।

जहाँ तक जनता दल के संगठन का प्रश्न है, इस दल के संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस संगठन के समान ही व्यापक रूप से नियम एवं अन्य प्रावधान है।

जनता दल (यूनाइटेड)

जनता दल (यूनाइटेड) भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित दल है जो गाँधीवादी सिद्धान्तों, समृद्व हैरिटेज और आदश परम्पराओं तथा देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रेरणा से पोषित है। यह दल आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित करने में विश्वास रखता है। यह दल सत्याग्रह और अहिंसक संघर्ष वाले शाँतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किये जाने वाले विरोध का समर्थन करता है।[8]

जनता दल (यू) के संगठन की रचना अन्य बड़े दलों के समान ही है जिसमें केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परिषद् और राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य स्तर पर राज्य परिषद् और राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला परिषद् आर जिला कार्यकारिणी होती है। प्रारम्भिक स्तर पर प्राथमिक समितियाँ और ब्लॉॅक स्तर पर ब्लॉक या तहसील या निर्वाचन परिषद् और कार्यकारिणी गठित की जाती है।[9]

दल की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम पंचायत या वार्ड या जिला परिषद् द्वारा निर्धारित क्षेत्र शामिल होता है। इस इकाई में एक सक्रिय सदस्य तथा 25 प्राथमिक सदस्य होते है। प्राथमिक समिति में एक अध्यक्ष सहित कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 11 सदस्य होते है जो प्राथमिक इकाई के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक सचिव का मनोनयन करता है।

एक ब्लाक या तहसील परिषद् में प्राथमिक इकाईयों के चुने हुए सदस्य, पंचायत समिति या नगर निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित 10 प्रतिनिधि या सहवृत सदस्य सम्मिलित होते हैं। एक ब्लाक या तहसील कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते है जो एक ब्लॉक या तहसील परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

एक जिला परिषद् में एक ब्लाक या तहसील कार्यकारिणी के सदस्य, स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निर्वाचित सदस्यगण जो 100 से अधिक नहीं होते, जिला परिषद् के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने एक कार्यकाल पूरा किया हो और सक्रिय सदस्य हो, दल के केन्द्र और राज्य विधान मण्डल के सदस्य (सांसद एवं विधायक), स्थानीय निकायों, जिला मंडलों, जिला परिषदों के सदस्य तथा सहवृत सदस्यगण शामिल होते हैं।

एक जिला कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित 51 से अधिक सदस्य नहीं होते। अध्यक्ष द्वारा पदाधिकारियों के रूप में 3 उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और अधिकतम 5 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।

इसी प्रकार राज्य परिषद् में निम्न सदस्य होते है :–

(1) जिला परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्य,

(2) राज्य विधान मंडल में जनता दल (यू) के सभी सदस्य एवं संसद में दल के सभी सांसद,

(3) राज्य परिषद् के पूर्व अध्यक्ष जो दल के सकिय सदसय होने के साथ ही एक कार्यकाल पूरा कर चुके हों,

(4) राज्य विधान मंडल में दल के नेता,

(5) जिला परिषदों के वे अध्यक्ष जो राज्य जनता दल के अध्यक्ष या सचिव बनने की योग्यता नहीं रखते हों,

(6) राज्य में रह रहे राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य तथा

(7) सहवृत सदस्य सम्मिलित होते हैं।

राज्य कार्यकारिणी में में निर्धारित नियमों के अनुसार राज्य परिषद् द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष सहित 65 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। अध्यक्ष अधिक से अधिक 5 उपाध्यक्ष, एक महासचिव (संगठन), एक कोषाध्यक्ष तथा अधिकतम 10 महासचिवों तथा अधिकतम 10 सचिवों की नियुक्ति कर सकता है। राज्य विधान मंडल में दल का नेता राज्य कार्यकारिणी समिति का पदेन सदस्य होता है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

वर्ष 1964 से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों एक ही पार्टी–'भारतीय कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पार्टी' के रूप में जाने जाते थे। इस पार्टी पर

रूस और चीन की साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। सन् 1953 में रूस के शासक स्टालिन की मृत्यु हो जाने के बाद रूस तथा चीन क मध्य वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आये। इस बिखराव का विश्व के अन्य समाजवादी देशों पर भी प्रभाव पड़ा। वामपंथी गुट पार्टी से अलग हो गया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नाम से नया दल कहलाया।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अक्टूबर, 1964 को कलकत्ता काँग्रेस में नया संविधान स्वीकार किया। यह दल कैडर मॉडल की तरफ लौट आया क्योंकि इसमें जनरल सेक्रेटरी, पोलित ब्यूरो तथा एक केन्द्रीय समिति संविधान ने प्रदत्त की।[10]

मार्क्सवादी कम्युनिष्टपार्टी के नेतृत्व के हाथों में सदस्यों का सह–निर्वाचन करना तथा आधारभूत इकाइयों को भंग करने की शक्ति है। यह पोलित ब्यूरो की शक्ति में वृद्धि करता है। इसकी औपचारिक दलीय संरचना ने 'लोकतांत्रिक केन्द्रवाद' को प्रभावपूर्ण स्थान दिया है। सम्बद्ध संगठन–कम्युनिस्ट दलों ने अपने गठन के प्रारम्भिक काल से ही अन्य देशों की तरह भारत में भी ट्रेड यूनियन, किसान, युवा तथा विद्यार्थियों के संगठन बनाने में सफलता अर्जित की है। कम्युनिस्ट दलों के सर्वाधिक सक्रिय संगठन है–आल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस, अखिल भारतीय किसान सभा व सीटू आदि।

विपक्षी दलों के संगठन का विधान सभा की कार्यवाही पर प्रभाव

बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के प्रमुख विपक्षी दलों के क्रमशः भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दलीय संगठनों का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इनका संगठन देश की चुनावी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप किया गया है। सभी बड़े राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य चुनावों में विजय प्राप्त कर सत्ता प्राप्त करना होता है। विपक्षी दलों का बाह्य संगठन पिरामिड की भाँति है। इनका गठन लोकतांत्रिक आधार पर किया जाता है। इन दलों में स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों तथा वार्डो के नागरिकों को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में तो जिला स्तर की समिति ही प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। इन दलों के अन्तः संप्रेषण का ढाँचा इस प्रकार होता है कि प्रत्येक निर्वाचन के क्षेत्र की समस्याओं तथा आवश्यकताओं को दल के विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों तक पहुँचाने की समुचित व्यवस्था है।

बारहवीं विधानसभा में विधानसभा के बाहर किये गये धरने/प्रदर्शन/रैलियाँ

बारहवीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान दिनाँक 19 जुलाई, 2004 को एन. एस. यू. आई के छात्र संगठन ने अपनी उग्र मांगा को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जिसमें

सैकडों छात्र–छात्राएँ विश्वविद्यालय से विधान सभा पहुँचें और जमकर हंगामा व नारेबाजी की।[11]

जयपुर शहर युवक काँगस के अध्यक्ष के नेतृत्व में दिनाँक 31 मार्च, 2005 को काँग्रेस क विधायक संयम लौढ़ा के विधानसभा से निलम्बन के विरोध में कलेक्ट्रेट सर्किल पर माननीय मुख्यमंत्री का पूतला फूका गया। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष नीरज डांगी ने जनता की आवाज सदन में उठाने की कोशिश करने वाले विधायक के निलम्बन को मुख्यमंत्री की तानाशाही बताया।[12]

जयपुर में काँग्रेस ने अमरूदों के बाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, मौसमी बीमारियों की व्यवस्था में विफलता, राज्य में जंगलराज, सेज, बिजली–पानी की दुर्दशा आदि के विरूद्व दिनाँक 5 अक्टूबर, 2006 को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, काँग्रेस पदेश अध्यक्ष श्री बी. डी कल्ला, काँग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री मुकुल वासनिक जैसे काँग्रेस के बड़े–बड़े नेताओं ने सम्बोधित किया। जिसमें हजारों की तादात में कार्य–कर्ताओं ने विशाल रैली में भाग लिया।[13]

महिला काँग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ममता शर्मा के नेतृत्व में दिनाँक 1 मार्च, 2007 को प्रदेश में बिजली कानून व्यवस्था, छात्र–छात्राओं के यौन शोषण कांड तथा महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ विधानसथा के सामने धरना प्रदर्शन तथा नारेबाजी की गई तथा महिलाओं ने राज्यपाल प्रतिभा पाटिल को ज्ञापन दिया।[14]

भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल सिंह पूनिया ने दिनाँक 17 फरवरी, 2008 को राजस्थान में पाला पड़ने से हुए नुकसान के मुआवजे की माँग को लेकर विधान सभा के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया और स्वयं अपने को विधान सभा के दरवाजे से बांध दिया। जिसके आरोप में राजपाल सिंह पुनिया सहित छः जनों को गिरफ्तार कर लिया गया।[15]

तालिका संख्या–5.1

बारहवीं विधानसभा के बाहर किये गये धरने/प्रदर्शन/रैलियां

विपक्षीदल	दिनांक	मुख्य मुद्दा	सहायक संगठन	विशेष टिप्पणियाँ
इ.ने.का.	19.7.2004	सात सूत्री माँगों को लेकर रैली तथा विधानसभा पर प्रर्दशन	एन.एस.यू.आई	–
इ.ने.का.	31.3.2005	विधायक संयम लौढा के विधान सभा से निलम्बित के विरोध में जयपुर शहर जिला काँग्रेस ने कलेक्ट्रैट पर मुख्यमंत्री का पुतला फूका।	जयपुर शहर जिला काँग्रेस	–
इ.ने.का.	06.10.2006	सरकार के खिलाफ प्राकृतिक आपदा प्रबन्ध, मौसमी बीमारियों की व्यवस्था में विफलता, राज्य में जंगलराज, रोज बिजली पानी की व्यवस्था के विरूद्ध विशाल रैली व प्रर्दशन।	इ.ने.का.	रैली के बाद 101 काँग्रेसी नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौपा।
कांग्रेस	1.3.2007	महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के विरोध में विधान सभा के सामने प्रर्दशन किया।	महिला काँग्रेस	ममता शर्मा के नेतृत्व में प्रति निधि मण्डल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौपा।
इ.ने.का.	18.2.2008	15 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के बेनर तले हजारों शिक्षक जुलूश के रूप में विधान सभा पहुँचे जहाँ कांग्रेसी विधायकों ने सम्बोधित किया।	राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील)	–

तेरहवीं विधानसभा के बाहर किये गये धरने/प्रदर्शन/रैलियां

तेरहवीं विधानसभा के अन्तर्गत 25.02.2009 को विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने चीनी पर वैट को लेकर विधानसभा के समक्ष जमकर धरना प्रदर्शन किया। जिसमें भाजपा के विधायक ओम बिरला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार की जमकर आलोचना की।[16]

तीसरे सत्र के दौरान दिनाँक 17.03.2010 को विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सदन के बाहर हनुमान बैनिवाल की सदस्यता से निलम्बित किये जाने के विरोध में विपक्षी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। तथा सदन की वैल में आकर धरना दिया।[17]

दिनाँक 23.02.2011 को मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी के नेता श्री अमराराम व पैमाराम ने राज्य में ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने के लिए विधान सभा के समक्ष जमकर हंगामा व प्रदर्शन किया। जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जमकर नारेबाजी की।[18]

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिनाँक 05.03.2012 को संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा दिये गये बयान को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा व प्रदर्शन किया गया।[19]

विपक्षी पार्टी के नेता श्री गुलाबचंद कटारिया द्वारा कृषि विश्वविद्यालय विधेयक 2013 के पुनः स्थापन के दौरान हुए हंगामें बाजी को लैकर विधानसभा की वैल में आकर जमकर हंगामा किया गया। जिसके साथ मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी के नेता श्री अमराराम व पैमाराम ने भी विपक्ष का समर्थन किया।[20]

तालिका संख्या 5.2

तेरहवीं विधानसभा के बाहर किये गये धरने/प्रदर्शन/रैलियां

विपक्षी दल	दिनाँक	मुख्य मुद्दा	सहायक संगठन	विशष टिप्पणियाँ
भाजपा	25.02.2009	चीनी पर वेट को लेकर प्रश्नकाल के दौरान विधान सभा के बाहर हंगामा हुआ जिसके तहत भाजपा के नेता ओम बिरला ने आरोप लगाया कि सरकार ने चीनी से वेट हटाकर चीनी सस्ती करने की घोषणा की जब कि हकीकत यह की चीनी पर वैट लगता ही नही।	—	—
भाजपा	17.03.2010	भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने समीक्षा सत्र के दौरान हनुमान बेनीवाल को शेष अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बन समाप्त किये जाने की मांग को लेकर सदन की वैल में आकर धरना दिया।	—	—
माकपा	23.02.2011	भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी (माक्सवादी) के सदस्य श्री अमराराम व पैमाराम ने राज्य में ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में मंत्री के वक्तव्य की मांग को लेकर सदन की वैल में आकर धरना दिया।	भाजपा	—
भाजपा	05.03.2012	समीक्षा सत्र के दौरान संसदीय कार्यमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने वैल में आकर धरना दिया।	—	—
भाजपा	27.08.2013	प्रतिपक्ष के नेता श्री गुलाब चंद कटारिया ने कृषि विश्वविद्यालय विधेयक 2013 के पुनः स्थापन के दौरान विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ विपक्ष के सदस्यों ने सदन से बर्हिगमन किया।	माकपा व अन्य दल	

विधानसभा के भीतर विपक्ष का संगठन एवं कार्य प्रणाली

विपक्ष तो विपक्ष ही है और जब तक उनके लक्ष्यों की पूर्ति व कार्यों का संम्पादन होता रहे, तभी तक उनकी सफलता है। किन्तु इन्हीं उद्देश्यां को ध्यान में रखते हुए उनके विभिन्न रंगों की पहचान की जा सकती है। बल्कि उनके विपरित कार्य करने के विभिन्न तौर तरीके, उनकी शक्ति और क्षमता की सीमाएँ आर मूल लक्ष्य ही उनके कार्यो और गतिविधियों को परिभाषित और निर्धारित करते हैं।[21]

संसदात्मक लोकतंत्र में विपक्षी दलों का संगठनात्मक स्वरूप दो स्तरों पर पाया जाता है–एक तो, विधान मण्डल के बाहर और दूसरा, विधान मण्डल के भीतर। संसद के बाहर वह अनेक दबाव समूहों, संगठनों तथा संस्थाओं के माध्यम से सक्रिय रहता है तथा सरकार पर जनमत का दबाव डालने का काय करता है। विपक्षी दलों के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा दल सदस्यों को उनकें कायां में सहायता करने के लिए अनेक साधन अपनाये जाते हैं, जैसे जनसभायें आयोजित करना, समाचार पत्रों में वक्तव्य देना, आन्दोलनात्मक कार्यवाहियों का संचालन, दल की सदस्य संख्या बढ़ाना तथा सदस्यों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। विधान मण्डलों के अंदर, विपक्ष के संगठन में दल के नता, उपनेता, सचेतक तथा सामान्य सदस्य होते हैं। बहुदलीय प्रणाली में विपक्ष की संरचना अनेक दलों से मिलकर हैं।

विपक्षी दलों के सचेतक विपक्ष को संगठित कर, सत्तारूढ़ दल के विरूद्ध एकजुट होकर खड़ा करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत अध्याय में बारहवीं तथा तेरहवीं विधानसभा में विपक्षी दलों के संगठनों का दोनों स्तरों पर विधानसभा के भीतर तथा विधान सभा बाहर–विश्लेषण किया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों का एक विशेष सम्मिश्रण एवं समन्वय है। मंत्रिमंडल के सदस्य मूल रूप से विधायिका के सदस्य होते है और सदैव उसके अभिन्न बने रहते हैं। मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है तथा अपने अस्तित्व के लिए उसी के विश्वास पर आश्रित रहता है। विधायिका का विश्वास खोते ही मंत्रिमडल को त्याग पत्र देना पत्र देना पड़ता है। शासन की शक्ति का केन्द्र जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था विधायिका होता ह, इसलिए इस व्यवस्था को संसदीय शासन कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था में मत्रिमंडल विधायिका की कार्य कारिणी समीति के समान होता है। कार्यपालिका को विधायिका की और से शासन संचालन का काम सौंपा जाता है। इस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका सम्बन्ध एक प्रकार से स्वामी एवं सेवक के समान हो जाते हैं। विधायिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा समस्त विधायी तथा शासन सम्बन्धी कार्यो के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार कार्यपालिका

विधायिका का प्रतिनिधित्व करती है तथा अपने कार्य एवं व्यवहार के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहकर उसी से कार्यवाही का प्राधिकार प्राप्त करती है।

सांविधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति तथा राज्यपाल कार्यपालिका और विधायिका दोनों के प्रमुख होते हैं। यद्यपि वे प्रमुख होने के बावजूद भी उस शक्ति के वास्तविक प्रयोक्ता नहीं होते। वास्तव में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शक्तियों का स्रोत केन्द्र में प्रधानमंत्री तथा राज्य में मुख्यमंत्री होता है। वहीं व्यवस्थापिका का नेता तथा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता हैं। वह अपने मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यों सहित विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तथा विधायिका का अभिन्न सदस्य भी होता है। विधायिका का दायित्व इस बात की निगरानी करना है कि कार्यपालिका और उसके अधीन कार्य करने वाला प्रशासनिक ढांचा अपनी शक्ति का प्रयोग जनतांत्रिक सीमाओं में रहते हुए करे।

विपक्ष का सरकार पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं ह कि उसके द्वारा सरकार के प्रत्येक कार्य की छानबीन की जाये क्योंकि यह जनतांत्रिक सिद्धान्तों न तो संभव है और न ही उपयोगी। नियंत्रण ऐसा होना चाहिए कि विधायिका कार्यपालिका की पथ–प्रदर्शक तथा संशोधक के रूप में कार्य करे।

भारत में 1990 तक तो प्रमुख रूप से एक दल प्रधान प्रणाली ही रही है जिसमें एक दल तो सत्ता में रहा तथा शेष दलों ने विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया है। राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं रहा। यहाँ भी विपक्ष का गठन अनेक दलो से मिलकर होता है।

राजस्थान में बारहवीं विधान सभा में जहां राष्ट्रीय कॉंग्रेस दल प्रमुख विपक्षी दल था तो तेरहवीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल था। बारहवीं विधानसभा में विपक्षी दलों के 79 सदस्य थे, जिनमें राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सबसे अधिक 55 सदस्य थे। इण्डियन नेशनल लोकदल, जनता दल तथा बहुजन समाज पार्टी आदि विपक्षी दलों में शामिल थे।[22]

वहीं तेरहवीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के 98 सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी के 79 तथा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के (03), समाजवादी पार्टी के (01), लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का (01), जनता दल युनाईटेड के (01) आदि सदस्य शामिल थे। इनके अतिरिक्त निर्दलीय सदस्य भी विपक्ष के साथ थे।[23]

सदन में विपक्ष का नेतृत्व

संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली में वफादार विपक्ष की संकल्पना ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की विशेष देन है। विपक्ष के नेता के पद का उद्भव और विकास शासन के क्षेत्र में

उन्नीसवीं शताब्दी की महान् उपलब्धि माना जा सकता है। ब्रिटेन में वैचारिक रूप में इस पद को मान्यता मिली तथा विपक्ष के नेता को भी मंत्रियों के समान वेतन प्रदान किया जाने लगा। ब्रिटेन मे सरकारी मंत्री अधिनियम (ब्रिटिश मिनिस्टर्स आव् क्राउन एक्ट, 1937) में विरोधी पक्ष के नेता की परिभाषा इस प्रकार दी गई है– 'हाउस आव् क्राउन' का वह सदस्य जो उस सदन में सरकार का विरोध करने वाले दल का नेता हो जिसके सदस्या की संख्या सबसे अधिक हो।'इस अधिनियम में यह भी उपबन्ध किया गया है कि जहाँ कहीं संदेह हो, इस प्रश्न का फैसला अध्यक्ष करेगा।

अब यह स्पष्ट हो गया है कि संसद में 'नेता प्रतिपक्ष' का पद महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों में से एक है। एक कुशल संसद सदस्य जो सरकार के कार्यकरण पर निरंतर नजर रखता है और किसी भी समय, अवसर आने पर सत्ता संभालने के लिए तैयार रहता है।

विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत इनको निर्धारित वेतन के साथ–साथ कतिपय सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

नेता प्रतिपक्ष को निम्न अनुष्ठानिक विशेषाधिकार भी प्रदत्त हैं –

1. नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उसकी अध्यक्ष पीठ तक ले जाना।

2. राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को अभिभाषण देते समय प्रथम पंक्ति म आसन।

इनके अलावा लोक सभा के अध्यक्ष ने छठी लोक सभामेंविपक्षी नेता को निम्न विशेष सुविधाएँ प्रदान थी जो उन्हें आज भी प्रदत्त हैं–[24]

(क) लोकसभा में विपक्षी नेता को अध्यक्ष पीठ की बायों ओर प्रथम पंक्ति में बिठाया जाता है तो उपाध्यक्ष को अलग से अगली सीट आवंटित की जाती है।

(ख) विपक्षी नेता को संसद भवन में एक कक्ष तथा अलग से टेलिफोन की सुविधा प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही सार्वजनिक समारोहों में बैठने की व्यवस्था में विपक्षी नेता को मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के समकक्ष समझा जाता है। परम्परा के तौर पर वक्तव्य देने में और प्रश्न काल में पूरक प्रश्न पूछने में विपक्षी नेता को अधिमान्यता दी जाती है।

विपक्षी नेता का निर्धारण

संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार किसी भी संसदीय दल अथवा ग्रुप के रूप में मान्यता प्राप्त करन के लिए उस दल के सदस्यों की संख्या सभा के सदस्यों की कुल संख्या के दसवें हिस्से के बराबर होनी अनिवार्य है। संसद के विपक्षी नेता और भत्ता अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत पीठासीन

अधिकारियों को किसी भी संसदीय दल के नेता को विपक्षी नेता के रूप में मान्यता देने का अधिकार दिया गया है, यदि वह अधिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा इस मामले में लिया गया निर्णय अंतिम और निश्चयात्मक होता है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

राजस्थान विधानसभा में भी वर्ष 1977 से विपक्ष के नेता को मंत्रिमण्डल के सदस्यों के समान वेतन, भत्ते एवं सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। सदन में उन्हें मुख्यमंत्री के ठीक सामने बैठने के लिए प्रथम पंक्ति में प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है। बारहवीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल था। इस विधानसभा में विपक्षी नेता के रूप में काँग्रेस के तीन शीर्षस्थ नेता रहे। सबसे पहले डॉ. बी.डी. कल्ला, रामनारायण चौधरी तथा तीसरे नेता हेमाराम चौधरी रहे। रामनारायण मीणा का काँग्रेस विधायक दल के उप नेता थे। दल के अन्य शीर्षस्थ नेताओं में अशोक गहलोत, गाविन्दसिंह गुर्जर, डॉ. जितेन्द्र सिंह, शिवचरण माथुर, रामसिंह विश्नोई, प्रद्युम्न सिंह, सी.पी. जोशी और नारायण सिंह का नाम उल्लेखनीय है। जनता दल के फतेह सिंह और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अमराराम भी अनुभवी नेता थे।

इसी प्रकार तेरहवीं विधानसभा भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल था। इस दल की प्रमुख नेता गुलाब चन्द कटारिया को नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौपा गया। कुछ समय के लिए वसुन्धरा राजे सिन्धिया ने भी इस पद की गरिमा को बढ़ाया। इस कार्यकाल में घनश्याम तिवाड़ी, प्रभुलाल सैनी, डॉ. दिगम्बर सिंह, कालोचरण सर्राफ, अशोक परनामी, किरोड़ीलाल मीणा, श्रीमती अनिता भदेल, आदि अनुभवी नेता थे।

बारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभाओं में विपक्ष के नेता रहे बी. डी. कल्ला, रामनारायण चौधरी, गुलाब चन्द कटारिया व वसुन्धरा राजे सिन्धिया व्यक्तित्व की दृष्टि से काफी प्रभावशाली नेता रहे। गुलाब चन्द कटारिया में वाद–विवाद की कुशलता के रचनात्मक सोच एवं वाक्पटूता का अद्भुत मिश्रण रहा। वहीं काँग्रेस के नेताओं में भी अनुभव से समस्याओं के समाधान की दिशा में कारगर कदम उठाने में तत्परता दिखाई देती थी।

हरमन फाईनर के अनुसार, 'एक सफल नेता में सचेतनता, सामंजस्यता, वैचारिक दृढ़ता, दृढ़ धारणा, कर्त्तव्यनिष्ठा, साहस, सम्मोहन तथा चातुर्य आदि गुणों का होना आवश्यक है।[25] बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधान सभाओं के नेताओं में कमोबेस रूप से सभी गुण विद्यमान थे।'

विपक्ष के नेता का एक विशेष उत्तरदायित्व गैर–सरकारी सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। विपक्ष के नेता को सरकार की आलोचना करने का

विशेषाधिकार प्राप्त है। बारहवीं तथा तेरहवीं विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने प्रश्न काल में पूरक प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, स्थगन प्रस्तावों, शून्यकाल तथा अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से सरकार की विफलताओं को उजागर करने का भरपूर प्रयास किया। परिणामस्वरूप सरकार ने भी कुशलतापुर्वक अपने दायित्व के निर्वहन में कमियों के प्रति सजग रहते हुए कार्य करने का प्रयास किया है।

ब्रिटिस हाउस आव् कॉमन्स के समान ही भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में भी यह परम्परा रही है कि विपक्ष के नेता को वाद–विवाद के समय विशेष वरीयता प्रदान की जाती है। उसे राज्यपाल के अभिभाषण तथा बजट पर हुए सामान्य वाद–विवाद के बाद सरकार की ओर से सदन के नेता और वित्तमंत्री के उत्तर देने से पहले बोलने का अधिकार होता है। सदन में किसी मुद्दे पर पैदा हुए गतिरोध के बाद सदन की कार्यवाही के नियमन के समय उसे विवादित मुद्दे पर अपने विचार रखने का अधिकार होता है।

बारहवीं विधान सभा में विपक्ष के नेता श्री रामनारायण चौधरी ने अपने दीर्घ विधायी अनुभव के आधार पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को बड़े ही प्रभावशाली ढ़ग से निभाया। उन्होनें राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए अनेक रचनात्मक सुझाव दिये। नेता प्रतिपक्ष का काम केवल आलोचना करना ही नहीं हाता बल्कि अनेक अवसरों पर सरकार की बात का समर्थन करते हुए नीति विशेष की भी तारीफ करता है। राज्य हित में वह दलगत भावनाओं से रूपर उठकर सरकार का साथ देता है। उदाहरण के लिए 20 मार्च, 2006 को राजस्थान के किसानों के व्यापक हितों को देखते हुए प्रतिपक्ष के नेता रामनारायण चौधरी ने पोंग डेम के जल स्तर को 1301 फीट से पूर्व की भाँति नीचा करके आवश्यक पानी उपलब्ध कराने के लिए पंजाब सरकार से अनुरोध करने के लिए लाये गये शासकीय संकल्प को पारित करवाया।

इसी प्रकार प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा की दृष्टि से प्रतिपक्ष के नता रामनारायण चौधरी ने दिनाँक 5 अक्टूबर, 2006 को भारत सरकार से सरसों की खरीद का समर्थन मूल्यं को बढ़ाकर 1800 रूपये प्रति क्विंटल करने के लिए सरकार की ओर से लाये गये शासकीय संकल्प का समर्थन करते हुए उसे सर्व–सम्मति से उस पारित करवाया।

विपक्षी दलों की सचेतक व्यवस्था

संसदीय प्रणाली में विधान मण्डल के प्रत्येक दल का अपना आंतरिक संगठन होता है। इस सगंठन के अनेक अधिकारी होते हैं, जिन्हें सचेतक कहा जाता हैं और ये दल के

सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, संसदीय लोकतंत्र में सदन का कार्य बिना किसी बाधा के करना बहुत हद तक इन सचेतकों पर निर्भर करता है।

विधान मण्डल में न केवल किसी विचाराधीन मामले का भविष्य बल्कि मंत्रिपरिषद् का अस्तित्व ही किसी एक मत–विभाजन के परिणाम पर निर्भर करता है। जब मत विभाजन की घण्टी बजती है तो सदस्यों की दीर्घाओं, ग्रन्थालय, संसदीय शोध आदि से दौड़कर सभा कक्ष में पहुँचने के लिए साढ़े तीन मिनट का समय मिलता है। लेकिन फिर भी सरकार या कोई भी दल इस बात की ओर से निश्चिन्त होकर नहीं बैठ सकता है कि मत विभाजन के समय हमेशा इस दल के सभी सदस्य पर्याप्त संख्या में सभा परिसर में होंगे। अतः ऐसे अवसरों पर दल के सदस्यों को तैयार रखने की जिम्मेदारी सचेतकों की होती है।[26]

सचेतकों का मुख्य कार्य यह है कि जब भी सभा में कोई महत्त्वपूर्ण विषय विचाराधीन हो, अपने–अपने दल के सदस्यों को सभा के आस–पास रखें जिससे कि वे मत–विभाजन की घण्टी सुनते ही सभा में आ जाये। मत विभाजन के समय सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व सचेतकों का ही होता है। सत्र के दौरान विभिन्न दलों के सचेतक समय–समय पर अपने समर्थकों को सूचनाएँ भेजते रहते हैं जिन्हें 'व्हिप' भी कहा जाता है। इनमें उन्हें सावधान रहने की हिदायत दी जाती है कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर मत–विभाजन होने की संभावना है। उसमें उन्हें उपस्थित रहने के लिए कहा जाता है। मत विभाजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उस सूचना के नीचे कई रेखाएँ या तीन मोटी रेखाएँ खींच दी जाती हैं।

सचतकों क सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वे अपने दल के लिए न केवल आघात–मंदक का काम करते हैं, बल्कि उसके सचतक भी हैं। वे न केवल नेता के परामर्शदाता हैं बल्कि दल को एकजुट रखने वाली शक्ति भी है। वे विभिन्न क्षेत्रों तथा विचार धाराओं के व केवल विचारमापक हैं बल्कि सदस्यों के सलाहकार भी हैं।

सर थामस इरस्किने ने सचेतकों के जिन कार्यो का वर्णन किया है उसके संदर्भ में भारत की संसदीय प्रक्रिया में विपक्षी सचेतकों के कार्यो का निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है।[27]

1. सदन में प्रस्तावित सत्र में सदन की कार्यवाही की व्यवस्था सुनिश्चित करना। यह कार्य विपक्षी सचेतक सरकारी मुख्य सचेतक के साथ मिलकर करता है।

2. विपक्ष का सचेतक अपने दल के अन्य सदस्यों को दिशा–निर्देश देने के लिए 'व्हिप' जारी करता है।

3. वह विपक्षी सदस्यों को सदन में अपनाई जाने वाली नीति की जानकारी देता है तथा उन सभी प्रस्तावों की सूची उपलब्ध करता है, जिन्हें सदन में किसी प्रस्तावित मुद्दे पर सरकार के विरूद्ध अपने दल का पक्ष का प्रतिपादन करता है।

4. वह सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) के चाहे अनुसार उन विषयों का निर्धारण करने में सहायता करता है, जिससे सदन में की जाने वाली चर्चा का स्वरूप तय हो और सदन की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से चल सके।

5. सचेतक दलों के बीच सक्रिय मध्यस्थ का काम करते हैं। उन्हीं के माध्यम से वाद–विवाद या सभा के कार्य–संचालन के सम्बन्ध में एक दूसरे दल से बातचीत कर सकता है।

डिजरेली के अनुसार ''सचेतक में मानव स्वभाव का उत्कृष्ट ज्ञान, सौम्यतापूर्ण लचीलापन तथा आत्म–नियंत्रण आदि गुणों का समावेश आवश्यक बताया है। विपक्ष के सचेतक के लिए आवश्यक है कि वह अपने दल के सदस्यों के साथ निकट सम्पर्क रखे और उनकी रूची के विषयों, विशेष अभिक्षमताओं, योग्यताओं और क्षमताओं का पर्याप्त ज्ञान रखे। वे सभा के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए सदस्यों को शालीन एवं शिष्ट आचरण के लिए प्रेरित करते रहें। उसे यह भली–भाँति ज्ञान होना चाहिए कि दल के सदस्य क्या सोचते है, क्योंकि सचेतक ही नेता तथा दल के सामान्य सदस्यों को जोड़ने की महत्त्वपूर्ण कड़ी होता है। विपक्ष के सचेतक को दोहरी भूमिका का निर्वाह कराना होता है। एक तो उसे दल के सदस्यों की आशाओं–आंकाक्षाओं, विचारों, चिन्ताओं और अप्रसन्नता की जानकारी अपने दल के नेताओं को देनी होती है, दूसरी ओर उसे नेताओं के विचारों से सदस्यो से अवगत कराना होता है। अतः यह करना उचित होगा कि दल का अनुशासन, सामंजस्य तथासहयोग सचेतक की कार्य कुशलता, वाक्‌पटुता, योग्यता, अनुभव और उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है।

राजस्थान विधानसभा में व्हिप की सचेतक व्यवस्था

ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सरकार का मुख्य सचेतक और विरोधी दलों के सचेतकों के माध्यम से सरकारी कार्य–संचालन सम्बन्धी वार्ताएँ होती हैं। वहां की कंजर्वेटिव पार्टी तथा लेबर पार्टी के सचेतक संगठन में एक मुख्य सचेतक, 2 या 3 इन मुख्य सचेतक तथा इनके अधीन कई सचेतक होते है, लेकिन राजस्थान विधानसभा में विपक्षी दलों में हर एक दल का एक सचेतक होता है जो अपने दल के सभी सदस्यों को निर्देशित करता है। बारहवीं राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल था जिसमें जुबेर खान प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सचेतक थे। इसी प्रकार

तेरहवीं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में थी जिसमें राजेन्द्र राठोड़ प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सचेतक थे। इन दोनों ही विधान सभाओं में विशेष बात यह रही कि विपक्ष के अधिकांश दलों ने मुख्य विपक्षी दल के सचेतक की सलाह से सत्तापक्ष के विरूद्ध व्यूह–रचना में भागीदारी निभायी।

विधानसभा की कार्यवाही पर विपक्षी दलों के सचेतकों का प्रभाव

विधानसभा की कार्यवाही पर दलों के सचेतकों का विशेष प्रभाव रहता है। विधान सभा की कार्यवाही में सचेतक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा के विपक्षी सचेतकों ने सदन में विशेष अवसरों पर होने वाले वाद–विवाद में बोलने वाले अपने दल के सदस्यों की सूची तैयार करने में अपने दल के नेताओं को सहयोग दिया। बारहवीं विधानसभा में सचेतक द्वारा राज्यपाल अभिभाषण, बजट पर सामान्य वाद–विवाद तथा बजट अनुदानों मांगों के समय होने वाली चर्चा के समय अपने दल के सदस्यों को बोलने के लिए आवश्यक सूचना सामग्री भी सुलभ करवाई गई।

इन विधान सभाओं के कार्यकाल के दौरान विपक्ष के सचेतकों ने सदन की कार्यवाही के अलावा बाहर भी दल के हित में होने वाले कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के निर्वाचन के समय अपने दल के प्रत्याशियों को वोट देने तथा सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए जब कभी भी रैली या प्रर्दशन आदि का आयोजन किया गया। तो उसमें भी दल के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आयोजन को सफल बनाने के लिए उनके द्वारा आवश्यक व्यवस्था की गई। दोनों विधान सभाओं में विपक्षी सचेतकों ने विपक्षी दलों को एकजुट रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

विधानसभा के सत्र के दौरान विपक्षी सचेतकों के द्वारा समय–समय पर अपने दल के सदस्यों को अपने दल की नीतियों एवं योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए दल की बैठकों में निर्देश देते हैं। सचेतकों द्वारा महत्त्वपूर्ण अवसरों पर सूचनाएँ देने के लिए व्हिप जारी किये जाते हैं, जिनमें अवसर विशेष पर सदन में होने वाले संभावित मतदान के लिए अधिकांश संख्या में उपस्थित रहने और वोट देने की सूचना दी जाती है। कार्य के महत्त्व की दृष्टि से यह व्हिप एक लाइन, दो लाइन या तीन लाइन के जारी

किये जाते हैं। तीन लाइन के व्हिप की पालना अनिवार्य होती है। इसका उल्लंघन गंभीर दलीय अनुशासन की श्रेणी में आता है। संसद में एक लाइन, दो लाइन या तीन लाइन के व्हिप जारी किये जाते हैं लेकिन राजस्थान विधान सभा में जारी किये जाने वाले व्हिप को एक, दो अथवा तीन लाइनों से अधोरेखांकित नहीं किया जाता। यहाँ व्हिप में लिखे गये निर्देशों के आधार पर ही उनकी गंभीरता स्पष्ट हो जाती है।

विपक्ष और छाया मंत्रिमंडल

छाया मंत्रीमंडल की शुरूआत ब्रिटेन से हुई है। ब्रिटिश संसद में इसे 'दी ऑफिशियल लॉयल अपोजिशन' कहा जाता है। यह हर मेजेस्टी में लॉयल अपोजिशन दल के रूप में होता है, जो सरकार में सताधारी मंत्रियों के काम पर नजर रखता है।[28]

विपक्ष का नेता अल्पसंख्यकों का अधिकृत प्रवक्ता होता है और इस बात का सदा ध्यान रखता है कि उनके अधिकारों पर कोई कुठाराघात न हो। यद्यपि उसका काम उतना कठिन नहीं, होता जितना की प्रधानमंत्री का, लेकिन फिर भी उसके काम का समुचित लोक महत्त्व है। क्योंकि उसे एक 'प्रतिछाया मंत्रिमंडल' बनाये रखना पड़ता है जो आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन संभाल सके। अपने कर्त्तव्यों तथा दायित्वों को पूरा करने में विपक्ष के नेता को न केवल इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आज क्या है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना होता है, कि वह कल क्या बनने की आशा करता है।[29]

राजस्थान विधानसभा छाया मंत्रिमंडल की परम्परा को तो इस रूप में नहीं अपनाया गया है। बारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभाओं में औपचारिक रूप से किसी छाया मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों के वरिष्ठ सदस्यों की रूचि तथा अनुभव एवं जानकारी के अनुसार उन्हें सरकार के विभिन्न विभागों के काम के सम्बन्ध में विशेष निगाह रखने का दायित्व सौंपा गया था। विभागों की निगरानी का काम उनके पूर्व मंत्री के रूप में रहे अनुभव को देखते हुए दिया गया था। उदाहरण के बारहवीं विधानसभा के कार्यकाल में मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों को सभी प्रमुख विभागों की निगरानी का काम सौपा गया था। इसमें गोविन्द सिंह गुर्जर को भेड़ एवं

ऊन, वन एवं पर्यावरण, जगन्नाथ पहाड़िया को मंत्रिमंडल सचिवालय, राजकीय उपक्रम, डॉ. जितेन्द्र सिंह को उच्च शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नारायण सिंह को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, बनवारी लाल शर्मा को सूचना एवं जन सम्पर्क, डॉ.बुलाकीदास कल्ला को संसदीय कार्य, शिक्षा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, ममता शर्मा को महिला एवं बाल विकास, रघुवीर मीणा को सहकारिता, खेलकूद एवं युवा मामले, शिवचरण माथुर को उद्योग, वित्तीय मामले, राजकीय उपक्रम, डॉ.सी.पी. जोशी को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज तथा हरिमोहन शर्मा को आबकारी करारोपण आदि विभागों की निगरानी सौपी गई थी। इसी प्रकार तेरहवीं विधानसभा में भी छाया मंत्रिमंण्डल का निर्माण किया गया था। जो कि सरकार पर हमेशा नजर बनाये रखता है।

विधानसभा के भीतर विपक्षी सदस्यों की संख्यात्मक शक्ति

राजस्थान विधान सभा में विपक्षी सदस्यों की संख्यात्मक शक्ति उनको एक सुदृढ़ स्थान प्रदान करती है। बारहवीं विधान सभा में विपक्ष की स्थिति काफी बेहतर थी जिसमें विधान सभा का 40 प्रतिशत भाग का गठन किया था वहीं तेरहवीं विधान सभा में भी विपक्ष की स्थिति काफी मजबूत रही। बारहवीं विधान सभा विपक्षी दलों की संख्या 09 थी लेकिन दिनाँक 17 सितम्बर, 2007 को राजस्थान सामाजिक न्याय मंच के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाने पर विपक्षी दलों की संख्या 8 रह गई। वहीं तेरहवीं विधान सभा में विपक्षी दलों के सदस्यों की संख्या 9 थी लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायकों के काँग्रेस में शामिल हो जाने के कारण विपक्षी दलों की संख्या 8 रह गयी। दोनों ही विधान सभाओं में विपक्षी दलों की संख्या अधिक होते हुए भी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में एक दल का ही वर्चस्व रहा। बारहवीं विधान सभा में यह दल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस थी, तो तेरहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी थी। राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी ने 40 प्रतिशत तो भारतीय जनता पार्टी ने भी विपक्ष के 48 प्रतिशत भाग पर अधिकार किया।

तालिका संख्या–5.3

बारहवीं विधान सभा की दलीय स्थिति

दलो की संख्या	राजनीतिक दल	प्राप्त सीटें
1.	भारतीय जनता पार्टी	121
2.	राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी	55
3.	इण्डियन नेशनल लोकदल	04
4.	बहुजन समाज पार्टी	02
5.	जनता दल (यूनाइटेड)	02
6.	लोकजन शक्ति पार्टी	01
7.	राजस्थान सामाजिक न्याय मंच	01
8.	साम्यवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	01
9.	निर्दलीय	13
कुल	राजनीतिक दल	200

तलिका संख्या–5.4

तरहवीं विधानसभा की दलीय स्थिति

दलों की संख्या	राजनीतिक दल	प्राप्त सीटें
1.	राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी	102
2.	भारतीय जनता पार्टी	79
3.	इण्डियन नेशनल लोकदल	00
4.	बहुजन समाज पार्टी	00
5.	जनता दल (यूनाइटेड)	01
6.	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	01
7.	राजस्थान सामाजिक न्याय मंच	00
8.	साम्यवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	03
9.	निर्दलीय	13
कुल	राजनीतिक दल	200

सदन में विपक्षी सदस्यों को आवंटित स्थान

ब्रिटेन में 'हाउस ऑव् कामन्स' में सदन में सदस्यो के बैटने की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के सदस्य आमने–सामने बैठते हैं।

कार्टर ने लिखा है कि यह व्यवस्था सदन मे होने वाली चर्चा (बहस तथा वाद–विवाद) तथा विपक्ष व सत्तापक्ष के नेताओं द्वारा दिये जाने वाले भाषणों के समय सदस्यों पर

मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। विपक्षी सदस्य सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को सत्तारूढ़ दल के सदस्य विपक्षी सदस्यों का भली–भाँति दख सकते हैं तथा उनके चेहरों के हाव–भाव पढ़ सकते हैं। इसका प्रभाव वाद–विवाद की तीक्ष्णता पर पड़ता है। भारतीय संसद तथा राज्य विधान मण्डलों में ब्रिटेन की संसद के इसी आधारभूत सिद्वान्त को अपनाया गया है। यद्यपि दोनों में भिन्नता है, बिटिश संसद का सदन आयताकार है। वहां विपक्ष और सत्तापक्ष की सीटें एक सीधी पंक्ति में आमने–सामने रहती है जब कि भारतीय संसद और अधिकांश राज्य विधान मण्डलों क सदन अर्द्धवृत्ताकार हैं, फिर भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तथा विपक्षी नेता आमने–सामने ही बैठते हैं। राजस्थान विधान सभा के सदन में भी भारतीय संसद के समान अर्द्धगोलाकार आकार में बैठने के लिए सीटें बनी हुई हैं। अध्यक्ष के लिए सर्वप्रमुख स्थान निधारित रहता है। ब्रिटिश मॉडल के समान ही राजस्थान विधान सभा में भी अध्यक्ष के आसन के बायीं और विपक्षी सदस्यों तथा दायीं और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों क बैठने के लिए स्थान आवंटित किए गये हैं। जैसा कि चार्ट में दशार्या गया है, सभा कक्ष के ब्लाक 'एफ.जी.एच. विपक्षी सदस्यों के लिए सुरक्षित रखे गये हे। विपक्ष में इससे अधिक सदस्य होने पर ब्लाक 'ई' में कुछ सीटे विपक्षी सदस्यों को दी जाती हैं।

बारहवीं विधान सभा में विपक्षियों के बैठने के लिए आंवटित किये स्थानों को चार्ट में दर्शाया गया है।

बारहवीं विधान सभा में बहुजन समाज पार्टी (2), लोकजन शक्ति पार्टी (1), इंडियन नेशनल लोकदल (3), निर्दलीयों (10) तथा भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित सदस्यों (2) को ब्लाक 'ई' में तथा माकपा (1), जनता दल (यू), (2), निर्दलीय (3) तथा इंडियन नेशनल कॉंग्रेस से निष्कासित (1) सदस्य को ब्लाक 'एफ' में स्थान आवंटित किये गये थे।

वहीं तेरहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी (79) विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सबसे बड़े दल के रूप में सामने आयी तथा अन्य दलों को विपक्ष में बैठने के लिए उसी प्रकार व्यवस्था की गई जिस प्रकार बारहवीं विधानसभा में की गई थी। भाकपा (मा.) (03), समाजवादी पार्टी (01), लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (01), जनता दल (यू) (01) तथा निर्दलीय (13) को बहुजन समाजवादी पार्टी का विलय कॉंग्रेस में हो जाने के कारण उसे सत्तापक्ष के साथ बैठना पड़ा।

दोनों ही विधान सभाओं में सीट संख्या 231 विधानसभा के उपाध्यक्ष के लिए आरक्षित थी जिस पर सत्तारूढ़ दल के विधायक उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद बैठे थे। यह सीट विपक्षी सदस्यों की बैचो के साथ है। पूर्व में उपाध्यक्ष विपक्षी दलों में से चुनने की

परम्परा रही है, उसी को देखते हुए उपाध्यक्ष की सीट विपक्षी बैचों के साथ पमुख स्थान पर होती थी। अब चूँकि उक्त परम्परा का निर्वाह नहीं होता और उपाध्यक्ष भी सत्तारूढ़ दल द्वारा ही चुना जाता है। इसके बावजूद भी उपाध्यक्ष की सीट विपक्षी सदस्यों के साथ होती है। इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। उपाध्यक्ष जिस दल का हो उसकी सीट भी उसी दल के सदस्यों के साथ ही होनी चाहिए।

पाचवां अध्याय–सन्दर्भ सूची

1. बाबेल बसन्ती लाल, 'संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका' (राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर) 1998 पृष्ठ 36
2. दी टाइम्स ऑफ इण्डिया, 07.04.1980
3. भारतीय जनता पार्टी का संविधान
4. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का संविधान एवं नियम (धारा–1), (नई दिल्ली, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जनवरी, 2008), पृष्ठ 1
5. www-bspindia-org.accessed on20july, 2012
6. www-janatadal-org.accessed on20july, 2012
7. www-janatadalunited-org.accessed on21july, 2012
8. wikipwdia.org/wiki/janata-dal-{united},accessed on21july, 2012
9. eci.nic.in.../Constitution-of-political-parties%5CConstitution-of-Janatadal-united,accessed on22july, 2012
10. 31 अक्टूबर, से 7 नवम्बर, 1964 तक हुए कलकत्ता कांग्रेस में दल द्वारा स्वीकार किया गया संविधान अनुच्छेद 15 तथा 16
11. महका भारत , 20.07.2004
12. दैनिक भास्कर, 01.04.2005
13. राष्ट्रदूत, 06.10.2006
14. दैनिक भास्कर, 02.03.2007
15. दैनिक नवज्यौति 19.02.2008
16. राजस्थान पत्रिका 26.02.2009
17. राजस्थान पत्रिका 18.03.2010
18. दैनिक भास्कर 24.02.2011
19. राजस्थान पत्रिका 06.03.2012
20. राजस्थान पत्रिका 28.08.2013

21. गोस्वामी, आचार्य भालचन्द्र, लोकतंत्र और विधान मण्डल, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2014

22. बारहवीं राजस्थान विधानसभा (आँकड़ा में), 2003–08, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर

23. तेरहवीं राजस्थान विधानसभा (आँकड़ों में), 2008–13, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर

24. बाहेति स्वाति, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की भूमिका (अप्रकाशित शोध) 2013 पृष्ठ सं. 110–111

25. हरमन फाइनर, मजर गवर्नमेन्ट इन मार्डन यूरोप,इवान्सटन, पीटरसन एंड कम्पनी, 1960

26. इल्बर्ट– पार्लियामेन्ट, इट्स हिस्ट्री, कानस्टीटयूशन एण्ड प्रैक्टिस, लंदन, 1948 पृष्ठ 135

27. सितम्बर 1952 में काँग्रेस दल के सचेतक सम्मेलन में सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा दिये गये मुख्य भाषण से उद्धृत।

28. राजस्थान पत्रिका 'जागो जनमत' 4 दिसम्बर, 2008

29. महैश्वर नाथ कौल एवं श्याम लाल शंकधर ''संसदीय पद्वति एवं प्रकिया'' तीसरा हिन्दी संस्करण (नई दिल्ली, मेट्रोपोलिटन बुक कम्पनी पा. लि. 2012) पृष्ठ सं. 164

उपसंहार

हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण वेस्टमिन्स्टर मॉडल (West Minister model) के आधार पर किया तथा उसकी सभी परम्पराओं व प्रथाओं को संसद तथा विधानसभा दोनों स्तरों पर अपनाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय संघ के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की विधानसभा 1952 से 2013 तक के विरोधी पक्ष की भूमिका का अध्ययन करना तो संभव नहीं हो सकता । परन्तु फिर भी ऐतिहासिक आधार पर अध्ययन किया जाये तो उस प्रचलित धारणा का खण्डन होता है, जिसके अनुसार यह मान्यता थी कि भारतीय विरोध पक्ष का आचरण अशोभनीय एवं अनुत्तरदायीपूर्ण रहा ह।

भारत में पिछली करीब आधी शताब्दी से संसदीय संस्थाआ का परीक्षण होता आया है। राजस्थान में भी विपक्ष के अपने अनुभव रहे हैं। इसलिए हमारे लिए यह प्रश्न पूछना स्वाभाविक है कि क्या बारहवीं तथा तेरहवी राजस्थान विधान सभाओं में विपक्ष हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा के अनुरूप सांविधानिक मार्ग पर चलने को चुनौतियों को स्वीकार कर पाया है?

विधायिका का सत्तापक्ष व विपक्ष के रूप में विभाजन, शासन की संसदीय पद्धति का अनिवार्य लक्षण है। संसदीय प्रणाली में, कार्यपालिका विधायिका में बहुमत के आधार पर पदारूढ़ रहती है। विधायिका के सदस्यों के उस समूह के अतिरिक्त, जो कार्यपालिका के गठन में सहभागी होती है, विधायिका के शेष सदस्य स्वतः ही ''विपक्ष'' की परिभाषा की परिधि में आ जाते हैं। ''सत्तापक्ष व विपक्ष'' के रूप में विधायिका के सदस्यों का वर्गीकरण, संसदीय प्रणालो में संसदीय प्रक्रिया के व्यावहारिक कार्यक्रम का प्रथम सोपान है। संसदीय प्रणाली में सिद्धान्ततः कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा ही नियंत्रित होती है, व्यवस्थापिका में कार्यपालिका के सुनिश्चित बहुमत के कारण व्यवहारतः कार्यपालिका को नियंत्रित करने के व्यवस्थापिका के दायित्व का निर्वाह करके उसे विपक्षी सदस्यों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। यह स्पष्ट है कि संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका की प्रभावशीलता तथा शासकीय कार्यकरण में उसकी संस्थागत महत्ता व उपयोगिता को सुनिश्चित करने के गुरूत्तर दायित्व का निर्वाह ''विपक्ष'' द्वारा ही किया जाता है। इस दृष्टि से व्यवस्थापिका के विपक्षी सदस्यों के भूमिका–निष्पादन के अध्ययन व मूल्यांकन की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। व्यवस्थापिका में विपक्ष की भूमिका के अध्ययन का अद्यावधि प्रायः अभाव रहा है।

अध्ययन के विगत अध्यायों में राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में विपक्ष की भूमिका के विभिन्न आयामों का विश्लेषण व परीक्षण किया गया हैं। प्रस्तुत अध्ययन को बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की भूमिका का एक तुलनात्मक अध्ययन पर केन्द्रित किया गया हैं। अध्ययन के क्रम से इस तथ्य का संज्ञान किया गया है कि सदन में विपक्ष की भूमिका को निर्वाचन की पृष्ठभूमि, सदन के बाहर व्यावहारिक राजनीति में विकासमान दलीय समीकरण तथा अन्य कारणों से निर्मित व निर्धारित राजनीतिक पर्यावरण आदि कारक सहज ही प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से अध्ययन के प्रारम्भिक अध्यायों में, राजस्थान में संसदीय अनुभव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राज्य की दलीय राजनीति में समय–समय पर उभरे समीकरणों, बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन के दौरान मुखर हुए मुद्दों व प्रसगों तथा राजनीतिक दलों द्वारा 'निर्वाचन प्रतियोगिता' में अग्रणी स्थान सुनिश्चित करने के आयामों के क्रम में उभारी गई जनाकांक्षाओं व जनाक्रोश आदि का विश्लेषण किया गया है। सदन में विपक्षी दलों की भूमिका के विभिन्न पक्षों के अध्ययन से सम्बन्धित आयामों में विवेचन किया गया है।

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दो अवसर आए है जब वैचारिक स्तर पर भारतीय मतदाता के सामने दो स्पष्ट विकल्प कॉँग्रस एवं संयुक्त गैर–कॉँग्रेस थे। दोनों ही अवसरों पर अलग–अलग दलों का वर्चस्व रहा। बारहवीं राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ रही तो राष्ट्रीय कॉँग्रेस पार्टी व अन्य दलों ने विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय कॉँग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ हुई तो भारतीय जनता पार्टी व अन्य दलों ने मिलकर विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया। दोनों ही अवसरों पर अलग–अलग दलों द्वारा विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया गया जो एक सशक्त विपक्ष उभरकर सामने आता है।

भारत में पिछली करीब आधी शताब्दी से संसदीय संस्थाओं का परीक्षण होता आया है। राजस्थान में भी विपक्ष के अपने अनुभव रहे है। इसलिऐ हमारें लिए यह प्रश्न पूछना स्वाभाविक है कि क्या बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभाओं में विपक्ष हमारें संविधान निर्माताओं की इच्छाओं के अनुरूप सांविधानिक मार्ग पर चलने की चुनौती को स्वीकार कर पाया है या नहीं ?

हार्वे तथा बेदर ने ब्रिटिश संविधान की भूमिका के संदर्भ में विपक्ष के मुख्यतः चार कार्य बताये गये हैं। इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर हम यहाँ विपक्ष की भूमिका के परीक्षण का प्रयास करेंगें। बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभाओं के संदर्भ में विपक्ष की भूमिका को इन चार परीक्षणों की कसौटी पर कस कर देख सकते हैं –

1. क्या विपक्ष सरकार के कार्य पर सतत् निगरानी रखने में सफल रहा यदि रहा तो किस स्तर तक ?

2 क्या विपक्ष सत्ता में आने पर अपने द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक नीतियों को क्रियान्वित कर सका या नहीं ?

3 क्या विपक्ष ने सरकार के साथ सहयोग किया या नहीं ?

4 क्या विपक्ष जनता के वाक्– स्वातंत्र्य की रक्षा कर संसदीय प्रजातंत्र को वास्तविक रूप से सफलता प्रदान कर पाया ?

लॉर्ड हेलशम ने कहा है कि नीति जैसा कि सामान्यतया माना जाता है केवल बहुमत का ही निर्णय नहीं होती है। नीति निर्धारण सरकार द्वारा विचार–विमर्श से विपक्ष के तर्कों व आपत्तियों तथा लॉबियों में सरकार के बहुमत के मध्य अन्तः क्रियाओं द्वारा होता है। विपक्ष आलोचना करता है, छानबीन करता है, सरकार के उत्तरों का परीक्षण करता है, सरकार की कार्य पद्धति का विरोध करता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाता है, अतिवादी नीतियों को इंगित करता है, अल्पमतों के हितों की रक्षा करता है, संसद के बाहर सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करता है, तथा जनता म जागृति लाने के लिए संचार माध्यमों का उपयोग करता है।

सरकार तथा विपक्ष के मध्य अन्तःक्रिया राजनीति का जीवन–रक्त है। संसदीय प्रक्रिया के अन्तर्गत शासकीय कार्यों पर विचार–विमर्श के लिए विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा विपक्ष तथा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिलता है। बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधान सभाओं में विपक्ष ने सदैव सतर्क व सजग रहकर सत्तारूढ़ दल के ऊपर निगरानी रखी। विधानसभा में उपलब्ध विचार–विमर्श के विभिन्न अवसरों पर उसने सरकार के कार्यों व नीतियों के छिद्रान्वेषण तथा अपनी वैकल्पिक नीतियों के प्रस्तुतीकरण में कोई कमी नहीं रखी।

विपक्ष एवं राज्यपाल का अभिभाषण तथा धन्यवाद प्रस्ताव

प्रत्येक वर्ष नये सत्र के आरम्भ में राज्यपाल द्वारा अभिभाषण देने की ब्रिटिश परम्परा को राजस्थान विधानसभा में भी अपनाया गया है। यह अभिभाषण का नीति सम्बन्धी वक्तव्य हाता है। अभिभाषण पर रखे जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष को वाद–विवाद करने का अवसर प्राप्त होता है। बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभाओं में विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव तथा उस पर होने वाली बहस के समय सरकार के कार्यकमों तथा नीतियों की आलोचना की। विपक्ष द्वारा सरकार

को अनेक उपयोगी सुझाव भी दिये गये। राज्यपाल के अभिभाषण तथा धन्यवाद प्रस्ताव के समय विपक्ष की मुख्य रणनीतियाँ ये रही।

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय सदस्यों द्वारा शोर–शराबा करने तथा बर्हिगमन की घटनायें होती रही हैं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। मद्रास पहला ऐसा राज्य था जहाँ 11 दिसम्बर 1952 को राज्यपाल के अभिभाषण के समय तीन सदस्य सदन से बर्हिगमन कर गये थे।

बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभाओं में भी विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषणों का बहिष्कार करके अपना विरोध प्रकट किया।

बारहवीं राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल श्री मदनलाल खुराना के अभिभाषण का विपक्षी काँग्रेस तथा भारतीय कम्युनिस्ट पाटी ने बहिष्कार किया। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति असांविधानिक है।

बारहवीं राजस्थान विधानसभा में दिनाँक 3 फरवरी, 2005 को अभिभाषण से पूर्व नेता प्रतिपक्ष बी.डी. कल्ला के बोलने से व्यवधान हुआ। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी की गई। काँग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन के बाद राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा।

1 मार्च, 2007 को माकपा के अमराराम, बसपा के सुरेश मीणा व मुरारीलाल मीणा और लोक जनशक्ति पार्टी के रणबीर सिंह गुढ़ा ने वैल में आकर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल प्रतिभा पाटील को अभिभाषण नहीं पढ़ने दिया। अमराराम ने पिछल दिनों किसानों को जयपुर में नहीं घुसने देने का मामला उठाते हुए बोलना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद अमराराम तथा उनके साथ बसपा के सुरेश मीणा, मुरारी लाल मीणा व लोक जनशक्ति पार्टी के गुढ़ा आसन के सामने आ कर सरकार के खिलाप नारेबाजी करने लगे। राज्यपाल ने अध्यक्ष के अनुरोध पर अभिभाषण की अंतिम पंक्तियाँ पढ़ी। अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया।

दिनाँक 18 फरवरी, 2008 को अभिभाषण से पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री हेमाराम चौधरी के बोलने से व्यवधान हुआ। अभिभाषण के दौरान निरन्तर हुए व्यवधान के बीच अमराराम न अभिभाषण का बहिष्कार करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के साथ काँग्रेस के सदस्यों ने भी बहिर्गमन किया। राज्यपाल ने अभिभाषण के प्रारंभिक पृष्ठों के बाद अंतिम पैरा पढ़ा। अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना गया।

वहीं तेरहवीं राजस्थान विधानसभा में महामहिम राज्यपाल श्री शीलेन्द्र कुमार सिंह ने दिनाँक 3 जनवरी, 2009 को विधानसभा के सम्मुख अभिभाषण किया। अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव 06 जनवरी, 2009 को डॉ. रघु शर्मा (विभाजन संख्या–137) सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन श्री अल्लाउदीन आजाद (विभाजन संख्या–13) सदस्य, विधानसभा द्वारा किया गया। इस प्रस्ताव पर वाद–विवाद हेतु 4 दिन नियत किये गये। सदन में प्रतिपक्ष द्वारा निरन्तर व्यवधान व नारेबाजी किये जाने के फलस्वरूप वाद–विवाद का राज्य सरकार की ओर से उत्तर नहीं हो सका।

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामा, व्यवधान, धरना और बहिर्गमन

बारहवीं विधान सभा में वर्ष 2008 में विपक्षी सदस्यों ने कथित रूप से संविधान का उल्लंघन कर संसदीय सचिवों की नियुक्ति किये जाने के विरोध में दिनाँक 19 फरवरी, 2008 को सदन में की गई नारेबाजी से घोर व्यवधान हुआ और चर्चा नहीं हो सकी। व्यवधान के कारण दिनाँक 20 फरवरी 2008 को भी चर्चा नहीं हो सकी। दिनाँक 19 फरवरी, 2008 को राज्यपाल के अभिभाषण शुरू करते ही प्रतिपक्ष के नेता हेमाराम चौधरी ने खड़े होकर सरकार की साविधानिक स्थिति पर प्रश्न चिह्न लगात हुए कहा कि 'यह असांविधानिक सरकार का असांविधानिक भाषण है।' विपक्षी सदस्यों ने 'लोकतंत्र विरोधी सरकार हाय–हाय, के नारे लगाये। प्रतिपक्ष के नेता ने राज्यपाल से सरकार को बर्खास्त करने की माँग की तथा काँग्रेसी विधायकों के साथ अभिभाषण का बहिष्कार कर सदन से चले गये।

तेरहवीं विधानसभा में दिनाँक 26 फरवरी, 2009 को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वर्तमान सत्र् में प्रश्न काल नहीं रखे जाने तथा सदस्यों को जनहित के मुद्दे पर सदन में उठाने का अवसर उपलब्ध नहीं होने के विरोध में मुँह पर पट्टी बाधकर सदन में अपने स्थान पर कुछ समय बैठे रहे। श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया। इसी के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य अमराराम ने भी सदन से बहिर्गमन किया।

विपक्ष और प्रश्नकाल

संसदीय शासन व्यवस्था में प्रश्नकाल एक सर्वाधिक प्रभावपूर्ण समय होता है, जिसमें विपक्षी दलों को सरकार की कमियों तथा गलतियों को उजागर करने का अवसर मिलता है। अगर मंत्री अपने विभाग के कार्यो के सम्बन्ध में जरा भी लापरवाह होता है तो विपक्षी दल उसे प्रश्न काल के समय कठघरे में खड़ाकर, अपनी गलतियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है।

सरकार का वास्तविक परीक्षण पूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में होता है। मूल प्रश्नों के उत्तर तैयार करने में विभागाधिकारी मंत्रियों की सहायता करते हैं लेकिन पूरक प्रश्नों का उत्तर मंत्रियों को स्व–विवेक व अपनी योग्यता से ही देना पड़ता है। इस समय मंत्रियों की जानकारी तथा विपक्ष में उनकी पैंठ की वास्तविकता सामने आ जाती है। बारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभाओं में प्रश्न–काल के अवसर पर विपक्ष काफी सक्रिय रहा है। इन विधान सभाओं में विपक्षी सदस्यों ने प्रश्नकाल में नियमों को नजर अन्दाज करते हुए अनेक बार बहिर्गमन किया और सभा की कार्यवाही में व्यवधान भी पैदा किया।

बारहवीं विधानसभा के विपक्षी सदस्यों ने अधिक प्रश्न पूछे

बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं मे प्रश्नकाल में विपक्षी दलों के सदस्य सजग प्रहरी की भाँति सरकार की कमियों, खामियों और त्रुटियों को जनता के समक्ष उजागर करने के लिए तत्पर नजर आये। बारहवीं विधान सभा की तुलना में तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्नों की संख्या कम रही। बारहवीं विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के 41.61 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए वहीं तेरहवीं विधानसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा पूछे गये 23.14 तारांकित तथा 33. 56 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसका कारण स्पष्टतः यह रहा कि बारहवीं विधानसभा में विपक्षी सदस्यों का प्रतिनिधित्व तेरहवीं विधान सभा से अधिक था। दोनों ही विधान सभाओं में ऐसे कई अवसर आये जब विपक्ष के प्रबल विरोध के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही सफल नहीं हो सकी। ऐसा विपक्षी दलों द्वारा दबाव की व्यूहरचना के कारण हुआ। बारहवीं विधानसभा में इण्डियन नेशनल काँग्रेस और तेरहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के रूप में इस परिपाटी को अपनाया। नियंत्रण और दबाव की राजनीति के हावी रहने पर सरकार पर भेदभाव बरतने का आरोप दोनों ही विधान सभाओं के विपक्षी सदस्यों ने लगाया था लेकिन बारहवीं विधान सभा के अधिक अनुभवी काँग्रेसी सदस्य तो आसन पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हटे।

व्यवस्था का प्रश्न और विपक्ष

बारहवीं विधानसभा में 'व्यवस्था के प्रश्न' का उपयोग विपक्ष ने बहुत ही कारगर तरीके से किया। इस साधन का उपयोग करते हुए विपक्ष ने सरकारी कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण दर्शाने के साथ–साथ सरकार को प्रक्रिया नियमावली में संशोधन करवाने के लिए भी बाध्य कर दिया। दिनाँक 7 अप्रेल, 2005 को 'व्यवस्था के प्रश्न' के माध्यम से मामला उठाये जाने पर उर्जा राज्य मंत्री नें राजस्थान राज्य पावर निगम लि. के प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए खेद व्यक्त किया। संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौर ने

आसन से अनुरोध किया कि विलम्ब के लिए क्षमा प्रदान करके प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखने की अनुमति दे दी जाये।

व्यवस्था के प्रश्न का मूल उद्देश्य सभा के संचालन को नियमानुसार चलाना होता है और इन्हीं नियमों की अवहेलनाओं के कारण औचित्य प्रश्न उपस्थित होता है। बारहवीं विधानसभा में ऐसा उदाहरण भी उपस्थित हुआ जब औचित्य के माध्यम से उठाये गये विषय के फलस्वरूप विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन करना पड़ा। परिवर्तन के अन्तर्गत 'मंत्री' शब्द की परिभाषा में 'संसदीय सचिव' शब्दों को हटाकर संशोधन किया गया।

अविश्वास प्रस्ताव और विपक्ष

अविश्वास का प्रस्ताव विपक्ष का वह हथियार है जिसे वह दो अवसरों पर विशेष रूप से प्रयुक्त करता है। एक तब जब उसे विश्वास हो जाये कि सरकार वास्तव में अल्पमत में आ गई है या उसे अल्पमत में आने के बहुत प्रबल आसार है और जैसे ही मतदान होगा सरकार गिर जायेगी। किन्तु यदि सरकार अल्पमत में न भी हो और विपक्ष को ऐसा आभास हो कि ऐसी स्थिति– राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय या अन्य बन गई है। जब सरकार का बने रहना लोकतंत्र के हित में नहीं हैं तो भी वह सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, चाहे उसका परिणाम अनुकूल भी न हो।

अविश्वास प्रस्ताव का विधायी कार्य विपक्ष को अनेक अवसरों पर तथा अनेक माध्यमों से सरकार का विरोध करने का का मंच प्रदान करता है। बारहवीं विधानसभा के आठवें सत्र में दिनाँक 21 सितम्बर, 2007 को नेता प्रतिपक्ष रामनारायण चौधरी एवं 25 अन्य सदस्यों ने राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 132 के अन्तर्गत मंत्रिमंण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। कांग्रेस के सी.पी. जोशी के व्यवस्था के प्रश्न को खारिज करने के बाद प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करने के लिए नेता प्रतिपक्ष का नाम बार–बार पुकारा लेकिन नेता प्रतिपक्ष विचार व्यक्त करने हेतु खड़े नहीं हुए। मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल काँग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी किये जाने से सदन में व्यवधान हो गया जिसके कारण सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई। बैठक पुनः शुरू होने पर पुनः अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करने के लिए अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष द्वारा विचार व्यक्त करने के लिए खड़े नहीं होने पर सदन द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

विधायी कार्य और विपक्षी दल

विधायी कार्य विपक्ष को अनेक अवसरों पर तथा अनेक माध्यमों से सरकार का विरोध करने का मंच प्रदान करता है। बारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभाओं में विपक्षी सदस्यों को सत्ता पक्ष में रहने का अनुभव होने के कारण उन्होंने अपने दायित्वों के निर्वहन में उसका उपयोग किया। दोनों ही विधान सभाओं के विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों के पारण के समय व्यवस्था सम्बन्धो प्रश्नों के द्वारा अपना प्रभाव डालने का प्रयास किया लेकिन इस प्रयास में बारहवीं विधानसभा के सदस्यों ने अधिक प्रभावित किया।

शासकीय विधेयक विपक्ष के सहयोग से पारित किये जाते हैं। गैर–सरकारी विधेयकों के द्वारा विपक्ष को भी कानून निर्माण की शक्ति प्रदान की गइ है, लेकिन यह आजकल नहीं के बराबर होता है। बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभाओं में शासकीय विधेयकों पर विपक्षी सदस्यों की प्रतिक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आया है कि बारहवीं विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सदस्यों ने शासकीय विधेयकों के पारण के दौरान अपने पूर्व शासकीय अनुभव का लाभ उठाते हुए सत्तारूढ़ दल के सदस्यों पर हावी होने का भरपूर प्रयास किया गया। यद्यपि तेरहवीं विधान सभा में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बारहवीं विधानसभा से अनुभव प्राप्त करते हुए तथा उनका लाभ लेकर सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने का प्रयास किया लेकिन सत्ता–पक्ष के प्रचण्ड बहुमत के कारण वे अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाये।

बारहवीं तथा तेरहवीं दोनों ही विधान सभाओं में विपक्षी सदस्यों को सत्ता में रहने का अनभ्व होने के कारण उन्होंने अपने दायित्वों के निवर्हन में उसका उपयोग किया। दोनों ही विधान सभाओं के विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों के पारण के समय व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्नों के द्वारा अपना प्रभाव डालने का प्रयास किया लेकिन इस प्रयास में बारहवीं विधान सभा के सदस्यों ने अधिक प्रभावित किया।

बारहवीं विधान सभा तथा तेरहवीं विधान सभाओं के शासकीय विधेयकों की तुलनात्मक स्थिति का विश्लेषण किया जाये तो स्पष्ट होता है कि बारहवीं विधान सभा में जहां 102 विधेयक पारित हुए वहीं तेरहवीं विधान सभा में 159 विधयक पारित हुए । पारित विधेयकों में से बारहवीं विधान सभा में 49 संशोधित विधेयक तथा 53 मूल विधेयक पारित हुए। वहीं तेरहवीं विधान सभा में संशोधित विधेयकों की संख्या 71 तो मूल विधेयकों की संख्या 88 रही।

बारहवीं विधानसभा

1. राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004 प्रतिपक्ष तथा सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के विरोध के बाद दिनाँक 29 जुलाई, 2004 को पारित किया गया।

2. प्रतिपक्ष के जोरदार हंगामे और बहिर्गमन के बाद दिनाँक 2 अगस्त, 2004 को पचांयतीराज (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित कर दिया गया।

3. विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर प्रतिपक्ष की शंकाओं के बीच राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान (मेडिकल) विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 दिनाँक 18 फरवरी, 2005 को पारित कर दिया गया।

4. दिनाँक 20 अप्रेल, 2005 को प्रतिपक्ष की राजनीतिक लाभ लेने की आशंका के बीच राजस्थान सिविल सेवा (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित कर दिया गया। प्रतिपक्ष ने इस संशोधन का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह न्यायसंगत नहीं है।

5. दिनाँक 20 अप्रेल, 2005 को प्रतिपक्ष की माँग पर सरकार ने छोटी मंडी समितियों में विधायकों को सदस्य मनोनीत करने के प्रावधान सम्बन्धी संशोधन शामिल करते हुए राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक, 2005 पारित किया गया।

6. राष्ट्रपति द्वारा संशोधन के सुझाव के साथ लौटाये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को दिनाँक 20 अप्रेल, 2005 को प्रस्तावित संशोधन के साथ पुनः पारित किया गया।

7. दिनाँक 20 मार्च, 2006 को कांग्रेस के विरोध के बावजूद राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2006 ध्वनिमत से पारित किया गया।

8. दिनाँक 3 अप्रेल, 2006 को सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बहस के बाद राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया गया। काँग्रेस के सी. पी. जोशी, माहिर आजाद, संयम लोढ़ा ने विधेयक का यह कहते हुए विरोध किया कि यह विधेयक लाभ की दृष्टि से लाया गया है।

9. बारहवीं विधान सभा के पाँचवें सत्र् में दिनाँक 4 अप्रेल, 2006 को विपक्ष के विराध के बाद राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया गया।

10. पक्ष और प्रतिपक्ष के विरोध के बावजूद दिनाँक 3 अप्रेल, 2006 को ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल व मरम्मत का काम निजी क्षेत्र को देने सम्बन्धी राजस्थान संस्मारक पुरातत्वीय (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया गया।

तेरहवीं विधानसभा

1. पक्ष और विपक्ष के विरोध के बावजूद दिनाँक 26.02.2009 को राजस्थान नगरपालिका विधियाँ (निरसन और पुनः प्रवर्तन) सम्बन्धी विधेयक सदन द्वारा 2009 में पारित किया गया।

2. तेरहवीं विधानसभा के दूसरे सत्र के दौरान दिनाँक 27.08.2009 को प्रतिपक्ष के विरोध के बावजूद राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक सदन द्वारा 2009 को पारित किया गया।

3. प्रतिपक्ष के जोरदार हंगामें के बाद दिनाँक 2.04.2010 पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक 2010 पारित किया गया।

4. भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद दिनाँक 03.09.2010 को पंचायती राज अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2010 पारित किया गया।

5. दिनाँक 22.03.2011 को विपक्ष के बर्हिगमन के बाद राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकार (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक 2011 पारित किया गया।

6. पक्ष और प्रतिपक्ष के विरोध और बर्हिगमन के बावजूद दिनाँक 29.08.2011 को राजस्थान नगरीय पथ विकता (जिविका का संरक्षण और पथ विकय का विनियमन) विधेयक 2011 पारित किया गया।

7. दिनाँक 26.03.2012 को पक्ष और प्रतिपक्ष के विरोध के बावजूद राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या–3 विधेयक) 2012 पारित किया गया।

8. प्रतिपक्ष के विरोध और बर्हिगमन के बावजूद दिनाँक 12.10.2012 को कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2012 पारित किया गया। उक्त विधेयक को एक बार वापस भी लिया गया।

9. दिनाँक 18.03.2013 को वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक 2013 पारित किया गया। इसमें विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध किया।

10. भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य दलों के विरोध के बावजूद दिनाँक 19.03.2013 को महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ,उदयपुर (संशोधन) विधेयक 2013 पारित किया गया।

सुझाव

संसदीय लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दिये गये सुझाव इस प्रकार है :–

1. सदन में सदस्यों की गणपूर्ति की समस्या –

उपर्युक्त दोनों कार्यकालों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ऐसा देखने में आया है, कि शून्यकाल के बाद विधान मण्डलों के सदनों में सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम रहती है। क्योंकि सदस्य शून्यकाल के बाद सदन से बाहर चले जाते हैं। सायंकाल 5 बजे बाद तो कई बार सदस्यों की उपस्थिति इतनी कम रह जाती है कि गणपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए प्रक्रिया नियमों में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि ऐसे सदस्य जिन्होंने प्रश्न या किसी प्रस्ताव की सूचना दी है तो वे अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में अनुपस्थित नहीं रहे। यदि फिर भी अनुपस्थित रहते हैं तो उन पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। या इसके लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए जो इनको प्रतिबन्धित रखें।

2. विधायी कार्यवाही के संदर्भ में मीडिया की सकारात्मकता का प्रश्न–

लोकतंत्र में मीडिया की महत्ती आवश्यकता है। अतः मीडिया को निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करना चाहिए, चाहे वे सत्तापक्ष का मामला हो या प्रतिपक्ष का। मीडिया विधायी सदनों में होने वाली बहस के स्तर को उन्नत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज सर्वत्र यह धारणा व्याप्त है, कि विगत कुछ दशकों से भारतीय विधान मण्डलों में प्रतिपक्ष के सदस्य अपने दायित्वों से विमुख होते जा रहे हैं। मीडिया में बने रहने की लालसा अथवा राजनीतिक लाभ के लिए वे सदन में अनावश्यक हंगामा कर सदन की कार्यवाही बाधित करते हैं। मीडिया विधायी सदनों की नकारात्मक गतिविधियों को अधिक प्रकाशित–पचारित करता है। मीडिया को चाहिए कि वह सदन की नकारात्मक गतिविधियों को हतोत्साहित करें अथवा सकारात्मक गतिविधियों को अधिक महत्व दे।

3. सदस्यों में विधायी कौशल की आवश्यकता–

वर्तमान दौर में यह आवाज उठाई जा रही है कि युवाओं को राजनीति में जगह दी जानो चाहिए, और युवाओं को राजनीति में आगे लाया जाना चाहिए, परन्तु युवा अनुभवहीन होने के कारण विधान मंण्डलों में शौरगुल के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। विधान मण्डलों में होने वाले शोरगुल के कारणों की गहराई में जाये तो यह तथ्य उभरकर सामने आता है, कि आजकल बहुत से व्यक्ति पहली बार विधायक निर्वाचित होकर सदन में आते हैं। परिणामस्परूप उन्हें संसदीय संस्थाओं के नियमों एवं परम्पराओं का ज्ञान नहीं होता। इसके लिए सदस्यों को संसदीय प्रणाली तथा प्रक्रियाओं का समुचित ज्ञान प्रदान कर उन्हे समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

4. विधायन प्रक्रिया में विपक्षी दलों की प्रभाविता का प्रश्न–

विधान मण्डलों के सत्र शुरू होने से पूर्व विधेयकों के प्रावधानों की समुचित जाँच एवं अध्ययन, अर्थपूर्ण बहस के लिए आवश्यक है, कि विधानसभा में विधेयकों को विचारार्थ लेने से करीब एक सप्ताह पूर्व उन्हें पुनःस्थापित किया जाना चाहिए, जिससे विधायकों को उसका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सभी महत्त्वपूर्ण विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए, जिससे उसके प्रावधानों और प्रभावों को परखने और अनुशंसा करने की अनिवार्य प्रक्रिया में विपक्ष को पूरा अवसर सुलभ हो सके।

5. विधायकों में अनुशासन की आवश्यकता–

उक्त कार्यकालों के अध्ययन से अधिकतर यह देखने में आया है कि विधान सभा के सदस्य सदन में नारेबाजी, अनुचित शब्दों का प्रयोग तथा धरना देने जैसे कार्य करते हैं। विधान मंडल में सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी करने, धरना देने तथा काली पट्टी बाँधकर सदन में प्रवेश करना, जैसे कृत्यों को रोकने के लिए प्रक्रिया नियमों में 'सदाचार समिति' गठित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। सदस्यों के कदाचार के मामले इस समिति को सौंप दिये जायें जो मामले की गहराई में जाकर परीक्षण करने के बाद दंडात्मक सुझावों की सिफारिश करे।

6. श्रेष्ठ विधायी कार्य हेतु प्रोत्साहन –

संसद के 'आउटस्टैंडिंग पार्लियामंन्टेरियन अवार्ड' के समान ही राजस्थान विधानसभा में भी कुछ ऐसे नियम बनाये जाने चाहिए जिसमं प्रतिवर्ष श्रेष्ठ कार्य हेतु विधायकों को प्रोत्साहित किया जाये। राजस्थान में भी बारहवीं एवं तेरहवीं विधानसभा से यह परम्परा स्थापित की गई है और प्रत्येक वर्ष एक सदस्य को 'सर्वश्रेष्ठ विधायक' के रूप में

सम्मानित किया गया है। विपक्ष के विधायक भी इस सम्मान से सम्मानित किये गये हैं। आशा है कि सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य गण इससे से प्रेरित होकर पूरी तैयारी के साथ बहस में भाग लेंगे जिससे चर्चा के स्तर में सुधार आ सके।

7. विपक्ष की सकारात्मकता होना जरूरी –

किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य के प्रति सकारात्मकता ही उस आगे बढ़ाती है। विपक्ष का कार्य सदैव विरोध करना ही नहीं है, बल्कि रचनात्मक सुझाव भी देना होता है। जिस प्रकार सत्तापक्ष के सदस्यों को प्रश्न पूछने व अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, और इनका अन्तर्निहित उद्देश्य सत्तापक्ष का विरोध करना नहीं, बल्कि वैकल्पिक मार्ग बताना है या सूचना लेना है, वही अधिकार विपक्ष का भी है। इसी प्रकार विपक्ष के सदस्य गैर सरकारी विधेयक भी प्रस्तुत कर सकते हैं और सरकार को स्वीकार हो तो ऐसे विधेयक भी पारित हो सकते हैं या सरकार आश्वासन दे सकती है कि ऐसा ही विधेयक वह आगे किसी समय वह अपनी तरफ से सदन में प्रस्तुत करेगी। विपक्ष के उद्देश्य की पूर्ति इससे हो जाती है। विपक्ष की सकारात्मकता स्वस्थ लोकतंत्र की परिचायिका होती है।

8. विधायी कार्यो का सार्वजनीकरण होना आवश्यक–

विधानसभा के दोनों कार्यकालों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह तथ्य सामन आता है कि लोक सभा और राज्यसभा की तरह राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष रूप से दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर शासकीय नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में विधान मण्डलों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण तथा अन्य प्रकार के कवरेज में इन माध्यमों के लिए आवश्यक है कि सत्तापक्ष एवं विपक्ष दोनों पक्षों को अपेक्षित महत्त्व दिया जाये अन्यथा इन पर पक्षपात के आरोप लगने की संभावना बनी रहती है। यदि सम्भव हो तो निजी क्षेत्र में कार्यरत टेलीविजन चैनलों को भी विधान मण्डलों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के अवसर उपलब्ध करवाये जाने चाहिये।

9. राजनीतिक अनुशासन की अति आवश्यकता–

किसी भी प्रकार के शासन तंत्र में राजनीतिक अनुशासन की महत्ती आवश्यकता है। लोकतंत्र में स्वस्थ विकास के लिए विपक्षी दलों में संयम, धर्य और आत्मानुशासन की अधिक आवश्यकता है, ताकि वह सत्ता को नियंत्रित करने के प्रयास में स्वयं अनियंत्रित न हो जाये और ऐसा कुछ न कर बैठें, जिससे लोकतंत्र की सुस्थापित मर्यादाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। दोनों पक्षों के लिए एक विस्तृत आचार संहिता बनाई जानी चाहिए,

क्योंकि यह आचार संहिता दोनों ही पक्षों द्वारा अपने व्यवहार को संतुलित एवं मर्यादित बनाये रखने में एक दीप–स्तम्भ की तरह काम करेगी। उल्लेखनीय है कि सदन की नेता श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धिया ने दिनाँक 5 मार्च, 2007 को सदन में चल रहे गतिरोध को दूर करने के सम्बन्ध में उद्बोधन देते हुए 'कोड ऑव् कण्डक्ट' बनाये जाने का सुझाव दिया। सदन के वैल में आकर व्यवधान पैदा करने वाले सदस्यों पर प्रभावी रोक के लिए सुझाव है कि सभी विधान मण्डलों के प्रकिया नियमों में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि जब कभी कोई सदस्य वैल में आकर सदन की कार्यवाही को बाधित करे तो वह स्वतः हा उस दिन के लिए निलम्बित हो जाये और उसे उस अवधि के लिए कोई वित्तीय लाभ न मिले।

10. सांविधानिक परिसीमा तक ही विपक्ष का औचित्य –

माना जाता है कि विरोध करना विपक्ष का दायित्व है लेकिन लोकतंत्र मे इस विरोध में कुछ गंभीरता भी होनी चाहिए, अर्थात उसे संसदीय सीमाओं में रहकर ही विरोध करना चाहिए। आन्दोलन, घेराव या अमर्यादित आचरण विपक्ष को शोभा नहीं देता। विपक्ष का आक्रोश, सरकार या आसन तक ही सीमित नहीं रहता, कभी–कभी विपक्ष अपनी सीमाएँ लांघकर महामहिम राज्यपाल तक को अपने आक्रोश का शिकार बना लेता है, जिससे इस सर्वोच्च पद की गरिमा कम होती है। ऐसे दृष्टांतों से न केवल विपक्ष बल्कि सम्पूर्ण लोकतंत्र जनता की नजर से नीचे गिर जाता है। अतः सुझाव है कि राज्यपाल अभिभाषण के समय गरिमापूर्ण व्यवहार कर तथा सदन की गरिमा में रहकर ही सदन की कार्यवाही को सूचारू रूप से चलने दे।

11. विधानसभा की प्रश्न प्रकिया में सुधार आवश्यक –

विधानसभा के इस विषय पर भी विचार किया जाना चाहिए कि विपक्ष प्रश्न पूछने का अधिकार का अधिक उपयोग करता है। प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों की सूची में 30–35 प्रश्न होते हैं और नियमानुसार कम से कम 12 प्रश्नों के उत्तर सदन में आने चाहिए किन्तु प्रश्नकाल के 5–7 प्रश्नों के ही उत्तर आ पाते हैं। प्रश्न काल के दौरान अधिकतर वे ही सदस्य पूरक प्रश्न पूछते हैं, जो सदन में सक्रिय रहते हैं। अगिम पंक्ति के सदस्य तो प्रकिया के अन्य माध्यमों से भी निरन्तर कार्यवाही में भाग लेते रहते हैं। सदन की कार्यवाही में अधिकाधिक सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा पीछे बैठने वाले सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। विपक्ष को प्रश्न पूछने के पर्याप्त अवसर सुलभ होने चाहिए। प्रश्नों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अन्तः सत्रकाल में भी प्रश्न पूछने का प्रावधान

सभी विधान मंडलों के प्रक्रिया नियमों में किया जाना चाहिए। राजस्थान सहित कतिपय राज्य विधान सभाओं के प्रक्रिया नियमों में अतः सत्रकाल में अतारांकित प्रश्न पूछने का प्रावधान है। तारांकित प्रश्नों को भी अन्तः–सत्रकाल में पूछने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

12. शून्य काल में अनुशासन की आवश्यकता–

इन दस वर्षो के कार्यकालों का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि विधायन प्रक्रिया नियमों में शून्य काल के नियमन के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सबसे अधिक हंगामा इसी अवसर पर होता है। शून्य काल को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रश्न काल के समान इसकी समय सीमा को भी एक घण्टा निर्धारित किया जाना उचित होगा। ताकि विधायक समय सीमा को ध्यान में रखकर कार्य करे।

13. सत्र विस्तार की आवश्यकता–

12 वीं एवं 13 वीं विधान सभाओं में अक्सर यह देखने में आया है कि विधायक सदनों की बैठकों में ही विपक्ष अपनी भूमिका प्रभावी तरीके से निभा सकता है। लेकिन विधान मंडलों की बैठकों में निरन्तर आ रही कमी के कारण इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया नियमों के प्रावधानों के अनुसार एक कलैण्डर वर्ष में विधान सभा के न तो तीन सत्र हो रहे हैं और न ही निर्धारित संख्या में बैठकें हो रही हैं। अतः सुझाव है कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों में की गई सिफारिश के अनुरूप बड़े राज्य विधान मंडलों की 90 बैठकें सुनिश्चित करने की दिशा में तत्काल कदम उठाये जाये। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन भी किया जाये। यदि विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के सत्र बुलाने का शक्ति हो तो वह न्यूनतम बैठकों के नियम की पूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। यदि सरकार द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए काम काज की कमी हो तो विधान मंडल की समितियों तथा राजकीय उपकमों के प्रतिवेदनों पर विचार किया जा सकता है।

उपर्युक्त दोनों विधान सभाओं के कार्य कालों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही विधान सभाओं में विपक्षी दलों ने विपक्ष की भूमिका सशक्त रूप से निभायी है। बारहवीं विधानसभा में इण्डियन नेशनल काँग्रेस और तेरहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य दलों ने विपक्ष के रूप में अपने दायित्वों को इतने बखूबी एवं सुदृढ़ता के साथ निभाया है कि दोनों ही कार्यकालों में सत्ता का परिवर्तन हुआ। बारहवीं विधानसभा में इण्डियन नेशनल काँग्रेस एवं अन्य दलों ने भी विपक्ष के रूप में

अपनी सतर्कता, सक्रियता और सजगता के साथ भूमिका निभाते हुए पूरी क्षमता और शक्ति के साथ सरकार का विरोध करके उसकी गलतियों एवं कमियों को उजागर करने का पूरा–पूरा प्रयास किया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप तेरहवीं विधान सभा में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े दल के रूप में सामने आयी लेकिन स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी और बहुजन समाजवादी पार्टी के सहयोग से सत्तारूढ़ हुई। जिसने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कार्यकाल को पूरा किया। जिन्होंने पाँच साल के शासन में जनता को रिझाने के लिए एवं जनता को अपने कार्यों से संतुष्ट करने के लिये इतने प्रयास किए जिसको कुछ दिनों के लिए तो जनता ने गहलोत की सरकार को इतना सराहा, लेकिन जो छाप जनता के दिलों छोड़ना चाहते थे वे नहीं छोड़ पाये। इस सरकार ने बेरोजगारी, मँहगाई, भ्रष्टाचार आदि को कम करने पर कोई ध्यान नहीं दिया। विपक्ष ने इन कमियों को जनता के समक्ष रखा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने प्रचण्ड बहुमत के साथ चौदहवीं विधान सभा में पुनः सत्ता हासिल की। कांग्रेस पार्टी को चौदहवीं विधानसभा में विपक्ष की भूमिका का निवर्हन करने का अवसर मिला। लेकिन सदन में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत होने के कारण अपना प्रभाव इतना नहीं छोड़ पा रही जितना कि पिछले कार्यकालों में छोड़ पायी थी।

राजस्थान विधानसभा के बारहवें एवं तेरहवें कार्यकालों में प्रमुख दोनों दलों अर्थात इण्डियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य दलों के सदस्य विपक्ष के रूप में अपने चरित्र और कार्यकलापों से सत्ता पक्ष के वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों से किसी भी तरह कम नहीं रहे। बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा में सत्तापक्ष कभी विपक्ष में तो कभी सत्तापक्ष में आता जाता है। जिससे इसकी परस्पर भूमिकाएँ बदल गई हैं। कार्य–व्यवहार के नये–नये आयाम स्थापित हुए और नई व्यवस्थाओं की शुरूआत हुई। इन आयामों और व्यवस्थाओं में कुछ अच्छी थी तो कुछ खराब भी।

विपक्ष द्वारा सत्तापक्ष का सहयोग करना, राज्यहित को सर्वोपरि मानते हुए शासकीय संकल्पों का सर्वसम्मति से पारण करना तथा श्रेष्ठ विधायक सम्मान आदि की परम्परा को अच्छी व्यवस्थाओं में गिना जाएगा। तो सदन के नेता को बोलने से रोकना, सदन की वैल में आकर हंगामा करना, धरना प्रदर्शन सदन की कार्यवाही में बाधा डालना, अनशन आदि को खराब साधनों में माना जाये।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची
(BIBLIOGRAPHY)
प्राथमिक स्त्रोत (Primary Sources)
राजस्थान विधानसभा के प्रकाशन

1. राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (13 वां संस्करण), 2014
2. सदस्य परिचयः बारहवीं राजस्थान विधानसभा (जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 2005)
3. राजथान विधानसभा (आँकड़ो में) 2003–2008, (जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 2011)
4. राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का वृतान्त, बारहवीं विधानसभा, (पहले सत्र से दसवें सत्र तक) 2003–2008
5. राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का वृर्तान्त, तेरहवीं विधानसभा, (पहले सत्र से ग्यारहवें सत्र तक) 2008–2013
6. राजथान विधानसभा (आँकड़ो में) 2008–2013, जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 2014)
7. बारहवीं राजस्थान विधानसभा में किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण (पहले से दसवें सत्र तक) 2003–2008
8. राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णयों का संकलन (1952–2013) (जयपुर, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय, दिसम्बर, 2014)
9. राजस्थान विधानसभा के बीस वर्ष (1952–1972), (जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 1972)
10. राजस्थान विधानसभा रजत जयंती ग्रंथ (1952–1977), (राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 1977)
11. सदस्य परिचयः तेरहवीं राजस्थान विधानसभा (जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 2010)

12. राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, बारहवां संस्करण (जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 2008)

13. राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण, (जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 2002–2012)

14. राजस्थान विधानसभा में वित्तमंत्री के बजट भाषण, (जयपुर, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, 2002–2012)

15. तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के सत्रों में किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण, (प्रथम सत्र से ग्यारवें सत्र तक) 2008–2013

16. बारहवीं राजस्थान विधानसभा के सत्रों में किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण, (प्रथम सत्र से दसवें सत्र तक) 2003–2008

17. विधान बोधनी, बारहवीं राजस्थान विधानसभा सचिवालय, अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा, जयपुर, 2008

18. विधान बोधनी, तेरहवीं राजस्थान विधानसभा सचिवालय, अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा, जयपुर, 2014

19. राज्यपाल अभिभाषण, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर (अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा) 2002–2012

20. वित्तमंत्री का बजट भाषण, राजस्थान विधानसभा, जयपुर (अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा जयपुर,) 2002–2012

निर्वाचन विभाग के प्रकाशन

1. बारहवीं राजस्थान विधानसभा के आम चुनावों की रिपोर्ट (मेनेजमेंट ऑव् इलेक्शन एंड स्टेटिसटिकल इन्फोरमेशन), निर्वाचन विभाग, राजस्थान, 2004

2. तेरहवीं राजस्थान विधानसभा के आम चुनावों की रिपोर्ट (मेनेजमेंट ऑव् इलेक्शन एंड स्टेटिसटिकल इन्फोरमेशन), निर्वाचन विभाग, राजस्थान, 2008

राजनीतिक दलों के प्रकाशन एवं बेव साइट्स

1. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का संविधान एवं नियम (नई दिल्ली, अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी, जनवरी, 2008)
2. भारतीय जनता पार्टी का संविधान, 2003–2008

3- Eci.nic.in/…./constitution-of-political-parties%5CConstitution-of-janatadal-united, accessed on 22 july,2012

4- www.janatadalunited.org, accessed on 20 july,2012

5- www.janatadalunited.org, accessed on 21 july,2012

6- Wikipwdai.org./wiki/janata-dal-united, accessed on 21 july, 2012

7- www.bspindia.qrg,accessed on 20 july,2012

सहायक स्रोत (Secondary Sources)

1. डॉ. वीर गौतम, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं चिन्तन, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2013
2. महल अशोक कुमार, डॉ. ऑलिव पिकॉक, 'भारतीय राजव्यवस्था' अरिहन्त पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2011–12
3. डॉ. सिंह बालेन्द्र, भारतीय राज व्यवस्था में साझा सरकारें, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, 340, चौड़ा रास्ता, जयपुर, 2012
4. यादव डॉ. डी. एस. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, आस्था प्रकाशन चौड़ा रास्था, जयपुर, 2012
5. कुमार पवन, भारतीय राजनीति की दशा व दिशा, वंन्दना पब्लिकेशन, नई दिल्लो, 2011
6. महरोली दिलीप सिंह, भारतीय राजव्यवस्था, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2011
7. डॉ. विपल्व एवं नरेश, 'आधुनिक सरकारों के सिद्धान्त एवं व्यवहार', रूही पब्लिशिंग हाउस 348/6 शास्त्री नगर, मेरठ, 2011

8. डॉ. यादव डी. एस., भारतीय सरकार एवं राजनीति, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2011

9. बक्शी उपेन्द्र, विधायिका और न्यायपालिका, ऑरियन्ट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, 2011

10. चन्द्र विपिन, आधुनिक भारत में विचारधारा और राजनीति, अनामिका पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि., नई दिल्ली, 2011

11. प्रखर, आचार्य भालचन्द्र गोस्वामी, संसदीय शब्दकोष, राज पब्लिशिंग हाउस जयपुर, 2011

12. डॉ. वीर गौतम, भारत में राज्यों की राजनीति, ओमेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2009

13. सुधीर वेददान, भारतीय संविधान एवं राजनीति, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, अंसारी रोड़ दरियागंज, नई दिल्ली 2009

14. यादव डॉ. डी. एस. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, आस्था प्रकाशन चौड़ा रास्था, जयपुर, 2012

15. जैन, पुखराज, संसदीय व्यवस्थाः पुनर्विचार की आवश्यकता (आगरा, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, 1996)

16. चड्ढ़ा, पी. के., भारतीय राजनीतिक व्यवस्था (जयपुर, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि., 2001)

17. बसु, डॉ. दुर्गादास, भारत का सविधान, एक परिचय, दसवां संस्करण, publication व f LexisNexis (ए डिविजन आफ रिड इलेस्वर इण्डिया पी.वी.टी.) 28.08.2013

18. डॉ. श्रीवास्तव, सुनील कुमार, विरोधी दलों की राजनीति, जनपद स्तर पर एक अध्ययन,(राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली) 1995

19. डॉ. भार्गव प्रभा, चुनाव घोषणा पत्रः सिद्वान्त एवं स्थिति, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2006

20. विजय विनोद, ''उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की भूमिका'', (राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली) प्रथम संस्करण, 1991

21. अग्निहोत्री, रामावतार, भारतीय केन्द्रीय व्यवस्थापिका, 1886–1947 : गैर सरकारी सदस्यों का दृष्टिकोण (राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली) 1989

22. कश्यप, सुभाष, 'भारतीय संसद एवं समस्याएँ एवं समाधान' (दिल्ली, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, 1999)

23. कश्यप, सुभाष, हमारी संसद (नई दिल्ली,नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, 1991)

24. कश्यप, सुभाष, एवं गुप्त, विश्व प्रकाश, राजनीति कोष (दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 1971)

25. कोली, सी. एम. , राजनीतिक शास्त्र के मूल आधार, (जयपुर, साहित्यगार, 2001)

26. गोस्वामी, भालचन्द्र, राजस्थान का विधायी इतिहास (जयपुर, पब्लिकेशन्स, स्कीम, 2006)

27. गुप्ता, के.के., संसदीय प्रक्रिया (जयपुर, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1997)

28. गोस्वामी, भालचन्द्र, लोकतंत्र और विधान मंडल (जयपुर, पोइन्टर पब्लिशर्स 2005)

29. कौल, महेश्वरनाथ एवं शंकधर, श्यामलाल, संसदीय पद्धति और प्रक्रिया, तीसरा हिन्दी संस्करण (नई दिल्ली मेट्रोपोलिटिन बुक कम्पनी. प्रा. लि., 2012)

30. जैन, सी. के. (सम्पादक), अध्यक्ष महोदयः भूमिका और कृत्य (नई दिल्ली लोक सभा सचिवालय, 1992)

31. जैन, सी. के. (सम्पादक), भारत में संसद और राज्य विधान मंडल (नई दिल्ली, एलाइड पबिलशर्स लिमिटेड 1993)

32. टेलर, मिनाक्षी, भारत में संसदीय शासन के औचित्य का परीक्षण (जयपुर, पब्लिकेशन स्कीम, 1999)

33. दिवाकर, बी. एम., राजस्थान का इतिहास (जयपुर, साहित्यागार, 1998)

34. नारायण, इकबाल, शासन के सिद्वान्त एवं प्रमुख संविधान, भाग 2 (आगरा, अग्रवाल एण्ड कम्पनी, 1980)

35. पानगड़िया, बी. एल., राजस्थान का इतिहास : प्राचीन काल से 1995 तक (जयपुर, नेशनल पब्लिशिंग हाउस,1996)

36. बम्बवाल, के. आर., भारतीय राजनीति और शासन (1958 से), द्वितीय संस्करण (दिल्ली आत्माराम एण्ड संन्स, 1961)

37. सैनी, कैलाश चन्द, विधान सभा सचिवालय प्रशासन, (जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2004)

38. सैनी, आर. डी., घोषणा–पत्र की कसौटी पर सरकार (जयपुर, वाणीपुरम संस्थान, 2003)

39. सिंहल, बैजनाथ, शोध स्वरूप एवं मानक व्यावहारिक कार्य–विधि (नई दिल्ली, दि मैकमिलन कम्पनी ऑव् इण्डिया लिमिटेड, 1980)

40. सिंह, सुरेंन्द्र, सामाजिक अनुसंधान, भाग–1 एवं भाग–2 (लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1975)

41. शकधर, श्यामलाल, भारतीय संसद (नई दिल्ली, मेट्रोपोलिटिन बुक कम्पनी प्रा. लिमिटेड, 1978)

42. स्नेहलता, गठबंधन सरकार के प्रधान मंत्री की भूमिका (जोधपुर रॉयल पब्लिकेशन, 2011)

43. लोकसभा सचिवालय, भारतीय संसद : नौवीं लोक सभा 1989–91 : एक अध्ययन (नई दिल्ली, नोर्दन बुक सेन्टर, 1992)

44. राय, एस. एन., 'महाजनपदयुगीन शासन व्यवस्था, प्राचीन भारत का इतिहास (प्रारम्भ से 78 ई.) शिव कुमार गुप्त (संपादक) (जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1999)

JOURNALS & OTHER PERIODICAL

1. Brien, O. Derek, Derek, Introduces,**The Constitution and Parliament of India** (Rupa Publication In India, 2015).
2. Charles, R. Lister, **The Islamic State:An Introduction**,(Harper Collins India, 2015)
3. Bakshi, P.M., **Constitution of India,** (Universal law Public Corporation Private Ltd. Dehli 2013).
4. Khan, A. R., **TheConstitution India: Bare Act. With Short Notes For Student** (Assess Publishing India, Pvt. Ltd. Dehli 2013).
5. Malav Koshala, **The IndiaConstitution**, (Oxford University Press 2012).
6. Kothari Rajani, **Politics In India,** (Orient Black Swan 2012).
7. Kejriwal Arvind, **Swaraj**, (Harper Collins 2012).
8. Kashyap Subhash, **Our Constitution: An Introduction To India's Constitution and Constitutional Law** (National Book Trust, India 2011).
9. Rajasthan Legislative Assembly, **Centennial Souvenir** (Jaipur, CPA, Rajasthan Branch, Rajasthan Legislative Assembly, 2011).
10. Alan, R. Ball, **Modern Politics and Government** (London, Macmillan, 1971).
11. Ameller, Michel, **Parliament** (London, for Inter parliamentary Union, Cassell and Company, 1966).
12. Barker, Anthony and Rush**, Michael, Member of Parliament and hisinformation** (London, George Allen and Unwin, 1970).
13. Chubb, B., **The Control of Public Expenditure** (London, Clarendon Press, 1962).

14. Carter, G.M., **The government of United Kingdom** (London, Harcout Brace College Publishers, 1972)

15. Darda, R. S., **From Feudalism to Democracy** (New Delhi, S. Chand & Company Pvt.,1971).

16. Dharm Pal, **Rajasthan** (New Delhi, National Book Trust, India, 1968).

17. Fartyal, H. S., **Role of Opposition in Indian parliament** (Allahabad, Chaitanya Publishing House, 1971).

18. Gowda, H.D. Dave, **Role of Opposition in ParliamentaryDemocracy**, in, Lectures on Parliamentary Practice and Procedure. (1st Dec.1972 to12th Dec.1972) (Bangalore, Mysore Legislature Secretariat for Mysore Branch of commonwealth Parliamentary Association, 1972).

19. Graham, Bruce, **Hindu Nationalism and Indian Politics**: The origin & Dovelopment of the Bhartiya jan sanga (Cambridge, Cembridge University Press, 1993).

20. Saksena, Renu, **The Role of Opposition in india politics** (Delhi, Anmol Publications, 1986).

21. Sadasivan, S.Y. **Party and Democracy in India** (New Dehli, Tata Mcgrew-Hill Publishing Co. Ltd, 1977).

22. Pylee, M.V., **India`s Constitution** (Bombay, Asia Publishing House P. Ltd., 1979).

23. Raju, S.V. Kantikar, G.B. and Dandavate, M.R., **Problems of Developing an Opposition in india**, in, studies in Indian Democracy, S.P. Aiyer and R. Srinivasan,"ed.(Bombay, Allied Publishers, 1965)

24. Rana, M.M., **India Votes: Lok Sabha and Vidhan Sabha's Elections2001-2005** (New Dehli, Sarup and sons, 2006).

25. Ram, D., Sundar, ed., **The Role of Opposition Parties in IndianPolitics: The Andhara Pradesh Experience** (New Dehli, Deep & Deep Publications, 1992).

26. Singhvi, L. M., ed., **Parliament & Administration in India** (Delhi, Metropolitan Book Co., 1972).

27. Seksena, Renu, **The Role of Opposition in Indian Politics** (Dehli, Anmol Publications, 1986).

28. Puri, Shashi Lata, **Legeislative Elite in an Indian State: A CaseStudy of Rajasthan** (New Dehli, Abhinav Publications, 1978).

29. Jain, R. B., **The Indian Parliament: Innovations, Reforms andDevelopment** (Calautta, Minerva Associates (Publications) Pvt. Ltd., 1976).

30. Jennings, lvor, **Parliament** (London, Cambridge University Press, 1957).

31. Jennings, lvor, **Some Characteristics of the Indian Parliament** (London, oxfprd University Press. 1953).

32. Jennings, lvor, **The British Constitution** (London, Cambridge University Press, 1954).

33. Johari, J. C., **Indian Government and Politics** (Delhi, Vishal, 1987).

34. Jha, P., **Political Respresentation in India** (Meerut, Meenakshi Prakashan, 1976).

35. Kamal, K. L. and Ralph C. Meyer, **Democratic Politics in India** (New Dehli, Vikash Publishing House Pvt. Ltd., 1977).

36. Kamal, K. L., **Party Politics in an Indian State** (New Dehli, S. Chand and Co., 1970).

37. Kamal, K.L., **Party Politics in an Indian State: Study of Man Political Parties in Rajasthan** (Jaipur Prakashan, 1967).

38. Kashyap Subhash, **Parliament of India: Myth and Reality** (Delhi, National Publicshing House, 1988).

39. Kaul, M. N. and Shakdhar, S. L., **Practice and Procedure of Parliament**, Forth Edition (New Delhi, Meteropolitan Book Co. 1991).

40. Jennings, lvor, **Some Characteristics of the Indian Parliament** (London, Oxford University Press. 1953).

41. Carter, G. M., **The Government of United Kingdom** (London, Harcout Brace College Publishers, 1972).

42. Kaul, M.N., **Parliamentry Institutions and procedures** (Dehli, National Publishing House, 1979).

43. Kochanek, Stanely A., **The Congress Party of India: The Dynamics of one Party Democracy** (Princeton, Princeton University Press, 1969).

44. Kofnel, K., **Professional Staffs of congress** (West Lafayettle, purdue university press, 1962).

45. Kothari, Rajani, **India: Opposition in a Consensual Polity, in, Regimes and Opposition**, RobertA. Dhal, ed. (New haven, Yale University press, 1973).

46. Lal, A. B., ed., **The Indian Parliament** (Allahabad, Chaitanya Publihing House, 1965).

47. Laski, Herald, J., **Parliamentary Government in England** (London, George Allan an Unvin, 1959).

48. Naik, J.A., **The Opposition in India and Future of Democracy** (New Dehli, S. Chand & Co., 1883)

49. Carter, G. M., **The Government of United** Kingdon (London, Harcout Brace College Publishing, 1972).

50. Dahl, Robert A., **Polyarchy: Participation and Opposition** (New Haven, Yele University Press, 1971).

51. Darda, R.S., **From Feudalism to Democracy** (New Dehli, S. Chand & Company Pvt. Ltd., 1971).

52. Dhulup, K.N., **Role of Opposition and its Function**, in Lecturers on Parliamentary Practice and Procedure (Bombay, Maharastra Branch of the Commonwealth Parliamentary Association, 1966).

53. Dhulup, K. N., **The Opposition, its Role and Functions and theLeader of the house**, in, Lectures on Parliamentry Practice and Procedure (Bombay, Maharastra Branchof the Commonwealth Parliamentary Association, 1968).

54. Dube, Maya, **The Speaker in India** (New Dehli, S. Chand & Co. Pvt. Ltd., 1971).

55. Duverger, Maurice, **Political Parties : Their Organisation andActivity in the Modern State,** Translated from French by Barbara and North, Robert (London, Methuen & Co., 1964)

56. Stern, Robert W. **The Process Of Opposition in India Two Casestudies of haw Policy shapes politics** (London University of Chicago Press, 1970).

57. Swarnkar, R. C., **Political Elite** (Jaipur, Rawat Publication, 1988).

58. Laundy, Philip, **The office of The Speakar** (London, Cassell & Company Ltd., 1964).

59. Laski, Herald, J., **Parliamentary Government in England** (London, George Allan an Unvin, 1959).

60. Masani, M.R., **Role of the Functions of an opposition**, in, Lectures on Parliamentary Practice and Procedure (Bombay, Maharasthtra Branch of the Commonwealth Parliamentary Assocation, 1965).

61. Morris-Jones, W. H., **Parliament in India** (London, Longmans, Green and Co. 1957).

62. Narayan, Iqbal, **Election Studies in India**: An Evaluation (New Dehli, Allied Publication Pvt. Ltd. 1978).

63. Nair, Balakrishna **A.**, **Paraliamentary Control over Administration** (Trivendrum, Kerala Academy of Political Science, 1973).

64. Narayan, Iqbal, **State Politics in India** (Meerut, Meenakshi Prakashan. 1967).

65. Neumann, Robert G., **European and Commparative Government** (New York, Mac-Graw Hill, 1960).

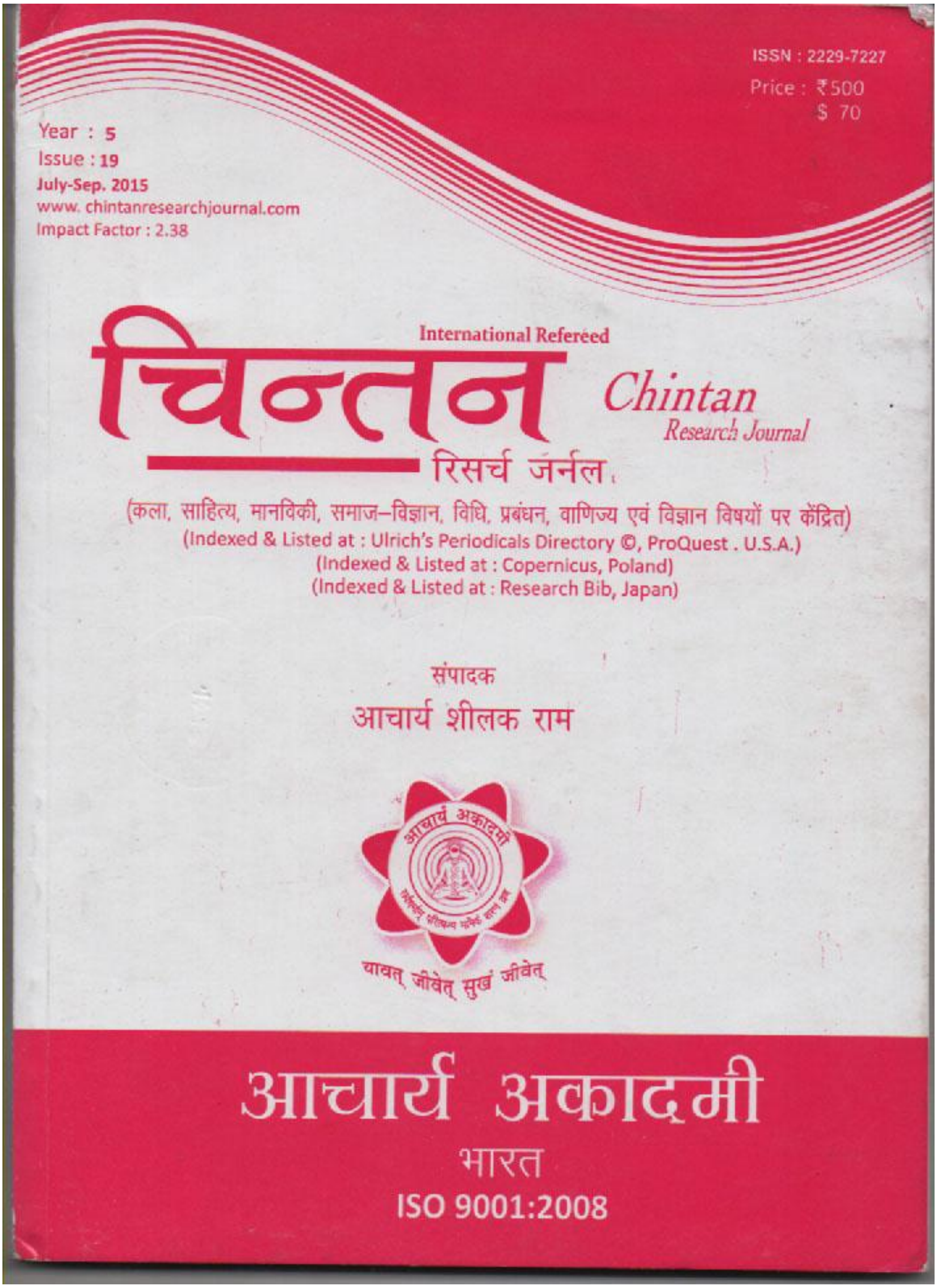
ISSN : 2229-7227
Price : ₹500
$ 70
Year : 5
Issue : 19
July-Sep. 2015
www. chintanresearchjournal.com
Impact Factor : 2.38
International Refereed
चिन्तन
Chintan
Research Journal
रिसर्च जर्नल
(कला, साहित्य, मानविकी, समाज–विज्ञान, विधि, प्रबंधन, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों पर केंद्रित)
(Indexed & Listed at : Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest . U.S.A.)
(Indexed & Listed at : Copernicus, Poland)
(Indexed & Listed at : Research Bib, Japan)
संपादक
आचार्य शीलक राम
आचार्य अकादमी
यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्
आचार्य अकादमी
भारत
ISO 9001:2008

राजनीति शास्त्र

International Refereed
Impact Factor : 2.38

'चिन्तन' अन्तर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल (ISSN : 2229-7227)
वर्ष 5, अंक 19 (पृ.सं. 141-146)
विक्रमी सम्वत्: 2072 (जुलाई-सित० 2015)

शासकीय एवं गैर शासकीय संकल्प (12 वीं एवं 13 वीं राजस्थान विधान सभा के परिप्रेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन)

मदन लाल मीणा
पुत्र श्री राम गोपाल मीणा
ग्राम-डडवाडा, पोस्ट-नोनेरा,
तहसील पीपल्दा, जिला-कोटा (राजस्थान)

शोध-आलेख सार

जहाँ-जहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपनिवेश स्थापित हुए वहीं संसदीय लोकतंत्र की संस्कृति का विसरण होता गया। भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव होने के कारण यहाँ पर भी संसदीय शासन को अपनाया गया है। भारतीय संसद का मूल प्रारूप वैसा ही है जैसा ब्रिटिश भारत में 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापिका का था। फिर भी भारतीय एवं ब्रिटिश संसद उद्‌भव के विभिन्न कारणों में यह विरोधाभाष है कि जहाँ ब्रिटिश संसद एक विशिष्ट ऐतिहासिक कालक्रम की उपज है, वहीं भारतीय संसद संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान का प्रतिफल है। वैसे तो संसदीय विपक्ष का प्रादूर्भाव सत्रहवीं सदी में हो गया था, परन्तु उसे एक संस्था या विधायी निकाय के रूप में मान्यता बहुत बाद में दी गई।

मुख्य-शब्द : शासकीय एवं गैर शासकीय संकल्प, सामंतवादी पृष्ठभूमि ।

किसी भी समाज पर पड़ने वाले राजनीतिक प्रभाव का सही मूल्याकंन करने के लिये उसकी सामाजिक, आर्थिक, तथा शैक्षणिक और अन्य पृष्ठभूमि का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे उसके राजनीतिक रूझान और राजनीतिक दलों के प्रति उनके व्यवहार और प्रक्रिया को बहुत दूर तक प्रभावित करते है, इसलिए राजनीतिक दल प्रजातंत्र की आधारशीला होते है। ये राजनीति के कियात्मक रूप को स्पष्ट व निर्धारित करते है तथा प्रजातंत्र के अव्यवस्थित मतों को सरकारी नीति में बदलना इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है, इनके बिना यह कार्य असंम्भव हो जाता है, यही राजनीतिक दल जनता की इच्छा को आवाज का रूप प्रदान करते है। इसमें विपक्ष का भी अपना एक महत्व है जो एक या अधिक राजनीतिक दलों से मिलकर बनता है। संसदीय राजनीति के मंच पर और विधान मण्डलों के बाहर विपक्ष ने अनैक भूमिका निभाई है। प्रारम्भ के 30 वर्षो मे जहाँ वह सत्ता पक्ष के विरोध तक सिमित रहा व उसमें दिग्गज नेताओं के होते हुए भी सत्तापक्ष का कुछ नही बिगाड़ सका, वहाँ आगे चलकर स्वयं सतापक्ष की असफलताओं ने विपक्ष को कम से कम चार बार सत्ता मे बैठनें का अवसर दिया, और उसने यह सिद्ध कर दिखाया, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, कि वह ब्रिटेन की शाही विपक्ष की तरह शासन का

एक प्रभावी विकल्प है। बिना राजनीतिक दलों के संसदीय लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि संसद या विधान सभा में एक ही राजनीतिक दल हो और वही राजनीतिक दल सरकार चलाये तो वह सरकार कुछ ही समय में लूली व लंगड़ी हो जायगी, क्यों कि वह गलती भी करेगी तो उसकी गलती को बताने वाला कोई नही होगा। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का होना अतिआवश्यक है।

जहाँ-जहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उपनिवेश स्थापित हुए वहाँ संसदीय लोकतंत्र की संस्कृति का विसरण होता गया। भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव होने के कारण यहाँ पर भी संसदीय शासन को अपनाया गया है। भारतीय संसद का मूल प्रारूप वैसा ही है जैसा ब्रिटिश भारत में 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापिका का था। फिर भी भारतीय एवं ब्रिटिश संसद उद्‌भव के विभिन्न कारणों में यह विरोधाभाष है कि जहाँ ब्रिटिश संसद एक विशिष्ट ऐतिहासिक कालक्रम की उपज है, वहीं भारतीय संसद संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान का प्रतिफल है। वेसे तो संसदीय विपक्ष का प्रादूर्भाव सत्रहवीं सदी में हो गया था, परन्तु उसे एक संस्था या विधायी निकाय के रूप में मान्यता बहुत बाद में दी गई। सन् 1826 ई. में ब्रिटेन में संसदीय विपक्ष को महामहिम का स्वामी भक्त विपक्ष नाम दिया गया। सन् 1905 व 1920 में क्रमशः कनाडा व आस्ट्रेलिया में भी विपक्ष को औपचारिक मान्यता दी गई। सन् 1937 में ब्रिटेन में शाही मंत्रियों का एक अधिनियम पारित हुआ जिसमें अन्य बातों के साथ विपक्ष के नेता को भी मान्यता व वेतन दिया गया।

भारतीय संविधान में विपक्ष को पहली बार लोक सभा में सन् 1969 में मान्यता दी गई। जब कि नवम्बर 1969 में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप (कांग्रेस संगठन) नामक एक और पार्टी गठित हुई और उस पार्टी को विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली दी है विपक्ष उसी का एक अभिन्न और अपरिहार्य अंग है। कोई भी लोकतंत्रीय सरकार विशेष रूप से संसदीय लोकतंत्रीय सरकार विपक्ष के बिना नहीं चल सकती, चाहे वह विपक्ष एक दल का हो या एक से अधिक दल का। विपक्ष जितना अधिक शक्तिशाली होगा, सरकार भी उतनी ही सतर्क और सही रास्तों पर चलने वाली होगी और विपक्ष जितना कमजोर होगा, सरकार उतनी ही निरंकुश होगी।

राजस्थान में लोकतांत्रिक संस्थाओं का उदय यद्यपि 1952 में हो गया था लेकिन सांमतवादी पृष्ठभूमि के कारण यहाँ विपक्ष को सह्रदयतापूर्वक स्वीकार नहीं किया गयाथा। सरकार के किसी भी प्रकार के विरोध को अनैतिक कृत्य माना जाता था। राजस्थान में प्रथम विधानसभा से ही कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है तथा विपक्ष की स्थिति कमजोर रही है। अत: विपक्ष की आवाज को दवा दिया जाता था। 1967 में प्रथम बार विधानसभा में कांग्रेस के एकाधिकार को चुनौती मिली। इन चुनावों में गैर कांग्रेसी दलों के, 'संयुक्त विधायक' दल के समक्ष कांग्रेस ने चुनावों में मिलने वाला बहुमत खो दिया। यद्यपि 1968 में हुए चतुर्थ आम चुनाव में कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई, लेकिन इन चुनावों में विपक्ष का महत्त्व बढ़ गया।

सन् 1977 में सम्पन्न छठी राजस्थान विधानसभा चुनावों में प्रथम बार कांग्रेस को पराजय का सामना कर विपक्ष में बैठना पड़ा। विभिन्न राजनीतिक विचार धाराओं वाले गैर-कांग्रेसी दलों, जनसंघ, संगठन कांग्रेस, समाजवादी दल, तथा भारतीय लोकदल से मिलकर बनी 'जनता पार्टी' ने सत्ता ग्रहण की। लेकिन एकताबद्व होकर सत्तारूढ़ होने का गैर कांग्रेसी दलों का यह प्रयास ढाई वर्ष की अल्पावधि के लिए ही सफल हो पाया।6जून 1980 को छठी विधानसभा भंग हो गई तथा अन्य 9 गैर कांग्रेसी शासित राज्योंके समान राजस्थान में भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 1990 से 1992 की अवधि में कुछ समय के लिए गैर-कांग्रेसी सरकार सत्तारुढ़ हुई। आगे चलकर राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक कार्यकालों में सत्ता

का परिवर्तन होता रहा। कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ हुई तो कभी भारतीय जनता पार्टी। क्यों कि राजस्थान में ये दो प्रमुख दल ही सत्ताधारी रहे है, जिसमें एक सत्तारूढ़ होता है तो दूसरा विपक्ष कीभूमिका का निर्वहन करते है। यही स्थिति बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधानसभामेंदेखी जा सकती है।

बारहवी तथा तेरहवी विधान सभा में दलीय स्थिति पक्ष व विपक्ष के लिहाज से उल्लेखनीय है। 12 वीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत (सदस्य संख्या-121) मिला, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल के (सदस्य संख्या-55) के रूप में संतुष्ट होना पड़ा। 13 वीं विधान सभा में इसके विपरित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत तो प्राप्त नही कर सकी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्यों के कांग्रेस में मिल जाने से कांग्रेस पार्टी बहुमत प्राप्त कर सतारूढ़ हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। उक्त दोनों विधान सभाओं के कार्यकालों में प्रमुख विपक्षी दल के विधायक वैचारिक एवं सांगठनिक रूप से एकजुट है, इससे एक सशक्त विपक्ष उभरकर सामने आता है। बारहवीं विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ मिलकर विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। इसके साथ बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी), जनता दल एवं निर्दलीय प्रमुख दल थे। इस अवधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सदन में दूसरे नंबर के सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर आई तथा आगामी चुनाव राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की आंकाक्षा को ध्यान में रखते हुए अकेले एवं अन्य दलों के सहयोग से राजस्थान की कार्यपालिका को नियंत्रित करने की राजनीति अपनाती रही। वहीं तेरहवीं विधान सभा अवधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अन्य दलों के सहयोग से बहुमत मिल पाया तथा सरकार बनाई। इस कार्यकाल में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी),इण्डियन नेशनल लोकदल, लोकजनशक्ति पार्टी, राजस्थान सामाजिक न्याय मंच, जनता दल (यूनाइटेड) तथा निर्दलीय आदि प्रमुख दल थे। भारतीय जनता पार्टी सदन में दूसरे नम्बर की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विपक्ष में रही है। यह दल आगामी चुनाव में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है तथा अन्य दलों के सहयोग से सरकार को सदन के बाहर एवं भीतर घेरने का प्रयास करता रहता है। शासकीय संकल्प और विपक्षी दल :-

विधान मंडल का सदन स्वयं अपनी राय एवं उद्देश्यों की घोषणा के लिए संकल्प का सहारा लेता है। संकल्प सदन की राय की घोषणा के रूप में, अनुशंसा अथवा अन्य किसी रूप में हो सकता है जिससे सरकार के किसी कार्य अथवा नीति से सदन की सहमति अथवा असहमति प्रकट की जाती है। संकल्प के माध्यम से संदेश दिया जा सकता है, किसी कार्य के लिए अनुरोध किया जा सकता है, आदेश दिया जा सकता है, सरकार के विचार के लिए किसी मामले अथवा परिस्थिति की और ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

राजस्थान विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अध्याय 12 में संकल्पों के लिए समुचित प्रावधान किये गये हैं। किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया संकल्प गैर-सरकारी संकल्प तथा किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया संकल्प शासकीय संकल्प कहलाता है। संविधान के अन्तर्गत प्रख्यापित अध्यादेश को अस्वीकार करने जैसे संकल्प परिनियत संकल्प कहलाते है।

शासकीय संकल्प

बारहवी तथा तेरहवीं विधान सभा में शासकीय और गैर-शासकीय दोनों ही प्रकार के संकल्प प्रस्तुत किये गये थे। बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र में 1 जुलाई, 2004 को मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिन्धिया द्वारा रावी-व्यास नदियों के पानी के बटवारे के सम्बन्ध में पंजाब सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में राजस्थान विधान सभा में सर्वदलीय प्रस्ताव शासकीय संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसका सभी दलों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

तीसरे सत्र में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने दिनांक 20 मार्च, 2006 को सदन में राजस्थान के किसानों के व्यापक हित को देखते हुए उनकी खड़ी फसलों के लिए अविलम्ब 'पौंग डेम' के स्तर को 1301 फिट से पूर्व की भाँति नीचा कर आवश्यक पानी उपलब्ध करवाने सम्बन्धी शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जो सर्वसम्मति से पारित किया गया।

पाँचवें सत्र में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2006 को सदन में भारत सरकार से सरसों की खरीद का समर्थन मूल्य बढ़ाने तथा किसानों को उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने के रेल्वे रेक्स की व्यवस्था भी सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके पूर्व संकल्प की भाषा में संशोधन के सम्बन्ध में तीन सदस्यों ने विचार व्यक्त किये जिस पर मुख्यमंत्री ने सदन को इस संकल्प के समवन्ध में तथ्यात्मक जानकारी दी।

नौवें सत्र में दो शासकीय संकल्प प्रस्तुत किये गये। दिनांक 27 फरवरी, 2008 को सहायता एवं पुर्नवास मंत्री लक्ष्मीनारायण दवे ने राष्ट्रीय आपदा कोष के मापदण्डों में संशोधन कर पाला शीत लहर से नष्ट फसलों को सम्मलित करने के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा पारित किया गया। दिनांक 26 मार्च, 2008 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री नरपत सिहं राजवी को राज्य में अस्पताल, परिचर्याग्रहों, प्रसुति गृहों, औषधालयों इत्यादि को सम्मलित करते हुए क्लिनिकल स्थापनों के विनियमन का उपलब्ध करने और उनके लिए न्यूनतम मानक विहित करने हेतु क्लिनिकल स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2007 को अधिनियमित करने के लिये संसद को संशक्त करने के लिये संकल्प प्रस्तुत किया गया जो सर्वसम्मति से सदन द्वारा पारित किया गया।

अंतिम दसवें सत्र में दिनांक 16 जुलाई, 2008 को विधि मंत्री ने सदन में संकल्प प्रस्तुत किया कि 'राजस्थान सरकार राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2008 को संविधान के पद 31-ख के अन्तर्गत सविधान की नवी सूची में सम्मलित करवाने के लिए भारत सरकार से आग्रह करे।' सदन द्वारा उक्त संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया।

तेरहवीं विधान सभा के सप्तम् सत्र के दौरान दिनांक 29 अगस्त, 2011 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एमादूदीन अहमद खान 'दुर्रूमिया' द्वारा विचार एवं पारण हेतु विधान सभा यह समझती है कि देश में नेदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए तथा इससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए सम्पुर्ण भारत में समान विधि होना वांछनीय है। और यतः सविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबंधित के सिवाय उपरोक्त विषयों के सम्बन्ध में संसद को राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति नहीं है। और यह सविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम राज्यों के विधान मण्डलों के समस्त सदनों के द्वारा इस प्रभाव के संकल्प पारित किये गये है। अतः राजस्थान में भी उक्त संकल्प पारित किया गया।

अष्टम् सत्र के दौरान दिनांक 18 अप्रेल, 2012 को श्री शान्ति कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्य में विधान परिषद् का सर्जन किये जाने हेतु शासकीय संकल्प विचार एवं पारण हेतु सदन में प्रस्तुत किया जिसके तहत राजस्थान विधान मण्डल में जनता को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राज्य में विधान परिषद् की अति आवश्यकता है। भारत के सविधान के अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) के अनुसरण में सदन यह संकल्प पारित करता है कि राजस्थान राज्य में विधान परिषद् का सर्जन करने के लिए संसद विधि पारित करें। इस संकल्प पर विधान सभा में मतदान हुआ जिसमें कुल उपस्थित 156 सदस्यों ने भाग लिया संकल्प के पक्ष में 152 तथा विपक्ष में 4 मत पडे और संकल्प ध्वनि मत से पारित हुआ।

अंतिम दसवें सत्र के दौरान दिनांक 22 मार्च, 2013 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री एमादूद्दीन अहमद खान 'दुरूमियां' ने शासकीय संकल्प विचार एवं पारण हेतु सदन में प्रस्तुत किया । सविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में गोवा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधान मंडलों के सभी सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किये गये। सविधान का अनुच्छेद यह अनुसरण करता है कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 को राजस्थान राज्य में अंगीकार किया जाये। इस हेतु प्रस्तुत संकल्प राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया।

गैर-शासकीय संकल्प

बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल में कुल 73 गैर-शासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से केवल 9 गैर-शासकीय संकल्पों पर सदन में चर्चा हुई। तीसरे सत्र में दिनांक 21 अप्रेल, 2005 को विपक्षी सदस्य चन्द्र शेखर बैद, हरिमोहन शर्मा, संयम लोढ़ा, बनवारी लाल शर्मा एवं सी. पी. जोशी (सभी इ.ने.कॉ.) द्वारा प्रखर चिन्तक एवं राष्ट्रीय संत आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा अहिंसक चेतना के विकास के उद्देश्य से विगत चार वर्षों से जारी अहिंसा यात्रा के दौरान जयपुर प्रवेश के अवसर पर शान्ति एवं सद्भावना के संदर्भ में यात्रा के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प के संदर्भ पर चर्चा हुई। इसके अलावा विपक्ष के ही रामनारायण मीणा (इ.ने. का.) द्वारा राज्य में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में तथा भाजपा के राम किशोर मीणा द्वारा राज्य में जन की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए आवश्यक कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई जो अधूरी रही। रामनारायण मीणा एवं राम किशोर मीणा के गैर-शासकीय संकल्पों पर अग्रेत्तर चर्चा पांचवें सत्र में दिनांक 31 मार्च, 2006 को विचार किया गया। उक्त दोनों संकल्पों पर तदन राठौड़ एवं जालम सिहं के संशोधनों को अस्वीकार करने के बाद प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किये गये। इसी दिन चार अन्य गैर -सरकारी संकल्पों पर भी चर्चा हुई जो लम्बित रही। इनमें री गोपाल बाहेती तथा सात अन्य सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता दिये जाने का प्रावधान करने के सम्बन्ध में मोहम्मद माहिर आजाद तथा 6 अन्य सदस्यों ने राज्य में लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से मादक द्रव्य तम्बाकू, गुटका की सार्वजनिक बिकी व उपयोग को प्रतिबन्धित करने, मंगलाराम गोदारा तथा 12 अन्य सदस्यों ने राज्य में राजकीय सेवारत चिकित्सकों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने, प्रहलाद गुंजल तथा 5 अन्य सदस्यों ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने हेतु समाप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था करने के समवन्ध में गैर-शासकीय संकल्प प्रस्तुत किये थे।

सातवें सत्र में दिनांक 2 अप्रेल, 2007 को आसन की व्यवस्था के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2006 को श्री गोपाल बाहेती तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्पों पर अग्रेत्तर विचार हुआ जिसमें चार सदस्यों ने विचार व्यक्त किये तथा वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री ने सरकार की ओर से उत्तर दिया। प्रस्तुत संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किया गया। मोहम्मद माहिर आजाद तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत द्वितीय संकल्प पर 3 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये तथा संकल्प अनिर्णित रहा।

तेरहवी विधान सभा के अष्टम् सत्र के दौरान दिनांक 13 अप्रेल 2012 को पांच सदस्यों ने सदन में गैर-सरकारी प्रस्तुत किये। प्रस्तुत संकल्प श्रीमती सुर्यकान्ता व्यास द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया कि प्रदेश में तेजी से बड़ रहै दाम्पत्य विखराव के मामलों को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। श्रीमती चन्द्रकांन्ता मेघवाल ने प्रदेश में सरकारी शराब, गुटका, जर्दा, पान मसाला आदि पर पूर्ण प्रतिबंद लगाने, श्री प्रभुलाल सैनी सदन में संकल्प करता है कि पत्रकारिता का दायरा बढ़ने एवं आर्दशोन्मुखी यथार्थवाद पर बढ़ती हुई प्रवृति पर प्रेस कांउसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना निश्चित कराने हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार को पुरजोर सिफारिस करें। तथा श्री औम

बिरला ने सदन में संकल्प किया कि स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु सरकार आवश्यक कदन उठावे। उक्त प्रस्तावों पर सदन में विचार किया गया। विचार विमर्श के दौरान श्रीमती सुर्यकान्ता व्यास, श्रीमती चन्द्रकांन्ता मेघवाल, श्री प्रभुलाल सैनी द्वारा प्रस्तुत सकल्पों को अस्वीकार कर दिया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल में शासकीय संकल्प और गैर-शासकीय संकल्पों की तेरहवीं विधान सभा से न केवल संख्या अधिक रही बल्कि इस विधान सभा द्वारा व्यापक महत्त्व के दूरगामी परिणाम वाले संकल्प पारित किये गये।

संदर्भ-ग्रन्थ

1. महेश्वर नाथ कौल एवं श्यामलाल शंकधर, संसदीय पद्ति एवं प्रकिया, तीसरा हिन्दी संस्करण (नई दिल्ली मैट्रोपॉलिटिन बुक कम्पनी प्रा. लि. 2012)
2. वर्मा सीताराम, 'राजस्थान विधान सभा के प्रकिया सम्बन्धी नियम: विकास कम, विधान बौधनी (राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर, 1997)
3. कुड़ी एच. आर., राजस्थान विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (बारहवाँ संस्करण) (राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर, 2008)
4. बारहवी राजस्थान विधान सभा (2003-08) (आँकड़ों में) (राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर, 2011)
5. तेरहवी राजस्थान विधान सभा (2008-13) (आँकड़ों में) (राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर, 2014)
6. सत्र समिक्षा (प्रथम सत्र से दसवें सत्र तक) (राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर, 2003-2008)
7. सत्र समिक्षा (प्रथम सत्र से ग्यारहवें सत्र तक) (राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर, 2008-2013)

ISSN : 2229-7227

सोचो !

आस्तिक नहीं अपितु नास्तिक कहे जाने वाले व्यक्ति परमात्मा के होने या न होने के संबंध में अधिक चिंतित होते है!

– आचार्य शीलक राम

'Chintan' Research Journal is a quarterly peer reviewed publication of Acharya Academy listed at : Ulrich's periodicals Directory ProQuest. U.S.A. & Copernicus Poland & Research Bib, Japan is acceptable for publication including original research papers, review research papers and all publication becomes the property of the journal.

प्रकाशक
आचार्य अकादमी
आचार्य शीलक राम
ग्राम+पत्रालय–चुलियाणा रोहज
जिला–रोहतक, (हरियाणा), भारत
पिन–124527
मो. 9992885894, 9813013065
e-mail : shilakram9@gmail.com
jangratoday@gmail.com
www.chintanresearchjournal.com

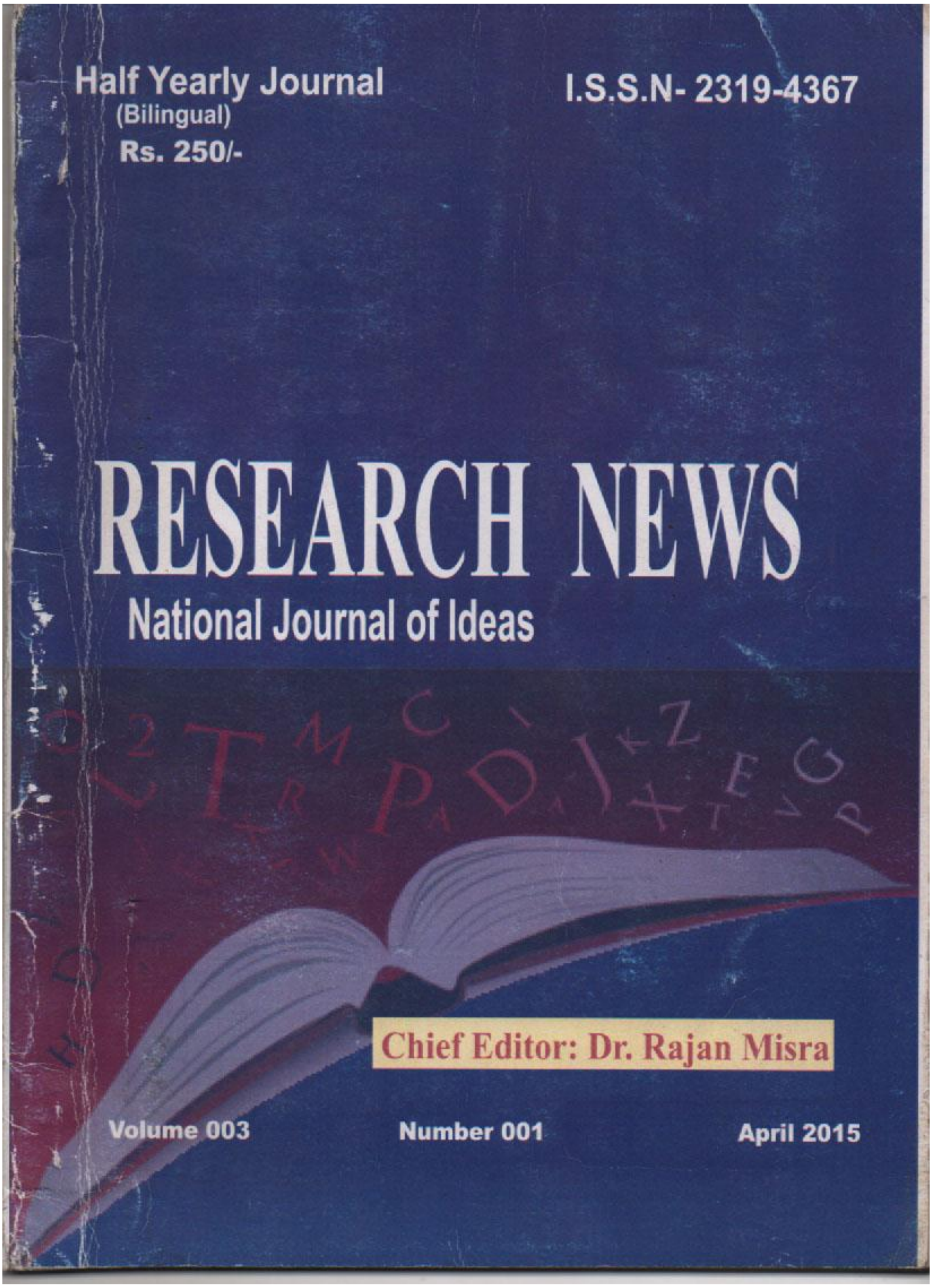
Half Yearly Journal
(Bilingual)
Rs. 250/-
I.S.S.N- 2319-4367
RESEARCH NEWS
National Journal of Ideas
Chief Editor: Dr. Rajan Misra
Volume 003
Number 001
April 2015

राजस्थान विधान सभा में विपक्षी दलों की भूमिका (बारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभा के परिपेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन)

शोधार्थी –मदन लाल मीणा, राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ,झालावाड़
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

संसदीय लोकतंत्र का विकास ब्रिटेन में हुआ है। उन्नीसवीं सदी के दौरान और बीसवीं सदी के प्रथम तीन दषकों में विपक्ष ब्रिटिष संवैधानिक प्रणाली का एक स्थापित तथा पूर्ण रूप से स्वीकार्य अंग बन चुका था। संसदीय प्रणाली में सरकार एवं प्रतिपक्ष के बीच विरोध ही नहीं बल्कि सहयोग का आधार भी आवष्यक होता है। विपक्ष की सफलता तभी मानी जाती है जब उनके लक्ष्यों की पूर्ति और कृत्यों का निरन्तर सम्पादन होता रहे। यह कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है जिसमें एक दल तो सत्तापक्ष में होता है और अन्य दलों द्वारा विपक्ष की भूमिका का निवर्हन किया जाता है। विपक्षी दल ही सरकार के षक्ति प्रयोग पर निरन्तर निगरानी रखता है जब निर्वाचक गण नीति परिवर्तन चाहते हैं तो विपक्ष सरकार का दायित्व संभालता है। विपक्ष सदैव विरोध ही नहीं करता बल्कि वह विधान मण्डल के वास्तविक कार्य संचालन में सरकार का सहयोग भी करता है। विपक्ष स्वतंत्र लोकतंत्र के अस्तित्व को दर्षाता है और उसकी आत्मा को आत्मसात करता हैं। आम जनता की दृश्टि से विपक्ष स्वतंत्रता को प्रतिबिम्बित करता है।

संसदीय राजनीति के मंच पर और विधान मण्डलों के बाहर विपक्ष ने अनेक भूमिका निभाई है। प्रारम्भ के 30 वर्शो में जहाँ वह सत्तापक्ष के विरोध तक ही सीमित रहा और उसके दिग्गज नेताओं के होते उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका वहाँ आगे चलकर स्वयं सत्तापक्ष की असफलताओं ने विपक्ष को कम से कम तीन बार सत्ता को संभालनें का मौका दिया और उसने यह सिद्व कर दिखाया, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, कि वह ब्रिटेन की 'षाही विपक्ष' की तरह षासन का एक प्रभावी विकल्प है। बरसों से एकछत्र षासन कर रहे एक दल को अपनी सही स्थिति का आभास हो गया। जनता यदि कभी एक मध्यपंथी दल को सत्ता

सौप सकती है तो दूसरे समय उससे सत्ता छीनकर दक्षिणपंथी या वामपंथी दल या दलों को भी सत्ता का ताज पहना सकती है और इसमें न तो गाली गलोच की जरूरत है न किसी दल विषेश को बुरा भला कहने की। यदि आप जनमत को अपने अनुरूप ढालने में समर्थ नहीं है तो उसका अनादर करना तो सीखिये। भारत ने यहीं सबक सत्ता पक्ष को दिया है।

संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष का एक महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। विधान मण्डल में विपक्ष संख्यात्मक दृश्टि से सत्तारूढ़ दल से निर्बल होता है लेकिन सरकार की नीतियों, विधायी प्रस्तावों व प्रषासनिक कार्यों में होने वाली छोटी सी भी त्रुटि को वह जनता के समक्ष उजागर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह अपनी वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करता है। सरकार अपने प्रषासनिक व विधायी कार्यो को पूरी सावधानी से करती है फिर भी विपक्ष सरकार के कार्यो में छिद्रान्वेशण का कोई अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देता है। विपक्ष सदैव जनता को यह अहसास दिलाता है कि वह चुस्त–बुद्विमान, जन–सेवक, रचनात्मक व संवैधानिक है जबकि इसके विपरीत सरकार भारी भूल करने वाली है। संसदीय प्रजातंत्र का स्वस्थ विकास षक्तिषाली विपक्ष की उपस्थिति में ही हो सकता है।

भारत में प्रान्तीय विधान मण्डलों का उद्‌भव एवं विकास

आधुनिक पद्वति वाले प्रान्त स्तरीय विधान मण्डलों का उद्‌भव सन् 1961 ई. के भारतीय परिशद् अधिनियम के उन प्रावधानों में देखा जा सकता है, जिनके अधीन बम्बई, मद्रास तथा अन्य प्रान्तों में विधान परिशदें बनाने की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से सर्वप्रथम विधायन कार्य में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गयी। व्यवहार में गैर सरकारी सदस्यों का तात्पर्य भारतीय सदस्यों से था। इस अधिनियम के अनुसार प्रान्तीय विधान परिशदों में कम से कम चार तथा अधिकतम आठ सदस्य मनोनित करने का प्रावधान था। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी रखना आवष्यक था। सन् 1892 ई. के अधिनियम के अनुसार सदस्यों की संख्या को न्यूनतम आठ और अधिकतम बीस कर दिया गया।

सन् 1909 ई. के अधिनियम के माध्यम से प्रान्तीय विधान मण्डलों में गैर–सरकारी सदस्यों के बहुमत का सूत्रपात किया गया। इससे विधान मण्डलों में मनोनीत गैर–सरकारी सदस्यों तथा निर्वाचित सदस्यों की संख्या को संयुक्त करते हुए सरकारी सदस्यों की संख्या से अधिक रखा गया। सभी विधान मण्डलों के सदस्यों की कुल संख्या 124 से बढ़ाकर 331 तथा निर्वाचित सदस्यों की संख्या 39 से बढ़ाकर 235 कर दी गई। इसके साथ ही प्रान्तीय विधान मण्डलों के कार्यों तथा अधिकारों में भी वृद्धि की गई।

राजस्थान में लोकतांत्रिक संस्थाओं का उदय यद्यपि 1952 में हो गया था लेकिन सांमतवादी पृश्ठभूमि के कारण यहां विपक्ष को सह्रदयतापूर्वक स्वीकार नहीं किया गया था। सरकार के किसी भी प्रकार के विरोध को अनैतिक कृत्य माना जाता था। राजस्थान में प्रथम विधान सभा से ही कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है तथा विपक्ष की स्थिति कमजोर रही है। अतः विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता था। 1967 में प्रथम बार विधान सभा में कांग्रेस के एकाधिकार को चुनौती मिली। इन चुनावों में गैर–कांग्रेसी दलों के 'संयुक्त विधायक दल' के रूप में संगठित होने से कांग्रेस ने चुनावों में मिलने वाला बहुमत खो दिया। यद्यपि 1968 में हुए चतुर्थ आम चुनाव में कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई लेकिन इन चुनावों में विपक्ष का महत्त्व बढ़ गया।

सन् 1977 में सम्पन्न छठी विधान सभा चुनावों में प्रथम बार कांग्रेस को पराजय का सामना कर विपक्ष में बैठना पड़ा। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले गैर–कांग्रेसी दलों–जनसंघ, संगठन कांग्रेस, समाजवादी दल तथा भारतीय लोकदल से मिलकर बनी 'जनता पार्टी' ने सत्ता प्राप्त की, लेकिन एकताबद्व होकर सत्तारूढ़ होने का गैर–कांग्रेसी दलों का यह प्रयास केवल ढाई वर्श की अल्पावधि के लिए ही सफल हो पाया। 6 जून 1980 को छठी विधान सभा भंग हो गई तथा अन्य गैर–कांग्रेस षासित राज्यों के समान राजस्थान में भी राश्ट्रपति षासन लागू कर दिया गया।

मई 1980 में सम्पन्न सातवीं विधान सभा चुनावों में राजस्थान में पुनः कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई तथा गैर–कांग्रेसी दल विपक्ष में आ गये। इस समय नवगठित भारतीय जनता पार्टी सबसे

प्रमुख दल के रूप में उभरी। उसका प्रभाव राजस्थान की राजनीति में स्पश्ट रूप से देखा जा सकता है। इस दल ने विपक्ष की भूमिका का निवर्हन किया। 1980–1990 के दषक तक राजस्थान की राजनीति में भारतीय राश्ट्रीय कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा तथा अन्य दलों ने विपक्ष में रहकर ही संतुश्टि प्राप्त की।

1990 से 1998 तक के कार्यकाल में राजस्थान की राजनीति में सत्ता का परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई तथा भारतीय राश्ट्रीय कांग्रेस एवं अन्य दलों ने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के समक्ष अपना प्रभाव एक मजबूत सत्ताधारी दल के रूप में नहीं छोड़ सकी जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान में राश्ट्रपति षासन लागू किया गया।

इसी के परिणाम स्वरूप 1998 में ग्यारहवीं विधान सभा के लिए चुनाव हुए जिसमें भारतीय राश्ट्रीय कांग्रेस पुनः पूर्ण बहुमत के सत्तारूढ़ हुई तथा भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य दलों को विपक्ष की भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल था। इस विधान सभा में विपक्षी दलों के 47 सदस्य थे। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक 33 सदस्य थे। जनता दल तथा राश्ट्रीय जनता दल अन्य विपक्षी दलों के रूप में सम्मिलित थे। इनके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), बहुजन समाजवादी पार्टी तथा निर्दलीय सदस्य भी विपक्ष के साथ थे।

राजस्थान में पहली से तेरहवीं विधान सभा तक दो राजनीतिक दल पहला, कांग्रेस एवं दूसरा, जनता पार्टीध्भारतीय जनता पार्टी ही सत्तारूढ़ हुए है। वर्श 1952, 1962 एवं 1967 में कमषः पहली, तीसरी एवं चौथी विधान सभा में प्रतिपक्ष संख्यात्मक दृश्टि से काफी सषक्त स्थिति में रहा। इसके विपरीत वर्श 1957, 1972 एवं 1977 में कमषः दूसरी, पाँचवी और सातवीं विधान सभा में प्रतिपक्ष कमजोर रहा। छठी विधान सभा (1977) में लोकदल(स्वतंत्र दल एवं बी. के. डी. का विलय), जनसंघ सोषलिस्ट पार्टी एवं कांग्रेस (ओ) के सयुक्त विलय से बनी जनता पार्टी ने तीन चौथाई बहुमत प्राप्त किया। यह प्रथम अवसर था जब राज्य में गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों की सरकार का गठन हुआ। जहाँ विधान सभा में राजनीतिक

दलों की संख्या में आम निर्वाचन के उत्तरोत्तर सोपानों में वृद्वि होती गई वहाँ अधिकांष प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों के जन समर्थन एवं लोकप्रियता में कमी आती गई। सभी तेरह विधान सभाओं के चुनावी आंकड़ो को देखकर यह तथ्य सामने आता है कि प्रतिपक्ष में जनसंघ अब (भाजपा) के अतिरिक्त कोई अन्य दल स्वयं को स्थाई नहीं रख सका। प्रतिपक्ष में अब भाजपा ने ही अपने अस्तित्व को बचाए रखा है। विधान सभा के षुरूआती निर्वाचन में निर्दलीय सदस्यों के विजयी होने का प्रतिषत ज्यादा था, लेकिन उत्तरार्द्व में उनकी संख्या में कमी आती गई। इस अध्ययन से निम्न दो तथ्य सामने आये है।

प्रथम, प्रतिपक्ष में सिर्फ भाजपा (पूर्व में जनसंघ) ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकी। दूसरे, निर्दलीय सदस्यों की भांति विभिन्न प्रतिपक्षी राजनीतिक दल भी षनैः–षनै समाप्त होते गए। राज्य के राजनीतिक दलों की संस्कृति में यह तथ्य विभिन्न विधान सभा चुनावों में परिलक्षित हुए हैं। पहली विधान सभा से तेरहवीं विधान सभा तक हुए 13 आम चुनावों में 4 बार गैर–कांग्रेसी दल (जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी) ने अपनी सरकार बनाई तथा षेश 9 बार राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही है।

इस अध्ययन से यह भी स्पश्ट हुआ है कि हमारी निर्वाचन प्रणाली की त्रुटियों का खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ा। राजस्थान में राजनीतिक दलों को निर्वाचन में प्राप्त मतों तथा विधान सभा में मिलने वाली सीटों के प्रतिषत में बहुत सी विसगंतियाँ देखने को मिली। विपक्षी दलों को प्राप्त कुल मतों का योग सत्तारूढ़ दल को प्राप्त मतों के योग से अधिक रहा। बारहवीं विधान सभा के लिए हुए चुनावों में प्रतिपक्ष के 80 सदस्यों को प्राप्त मतों का प्रतिषत 40 रहा जबकि 120 सीटें प्राप्त करने वाला सत्तरूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी मात्र 39.20 प्रतिषत मत प्राप्त कर सका। इसी प्रकार तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में भी यही स्थिति देखी गई।

राजस्थान में बारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभाओं के लिए हुए आम चुनावों के परिणामों से यह स्पश्ट हो गया है कि जनता न केवल विपक्ष को चाहती है, बल्कि उससे कुछ अपेक्षाएँ भी रखती है। जनता को लोकतंत्र के अच्छे–बुरे पहलुओं की पहचान हो गई है

इसलिए वह विपक्ष के लिए ऐसे योग्य, सक्षम और समझदार लोगों को चुनती है जो सत्तापक्ष के निरंकुष और भ्रश्टाचारी होने पर अंकुष लगा सके। इस अर्थ में जनता सत्तापक्ष के साथ–साथ विपक्ष से भी आषाएँ एवं अपेक्षाएँ रखती है।

राजस्थान के जागरूक मतदाता ने दोनों बार विपक्ष को पर्याप्त समर्थन के साथ सत्ता सौंपतें हुए जनकल्याण और विकास का मार्ग प्रषस्त करने का अवसर प्रदान किया है। विपक्ष के 'वैकल्पिक सरकार' के सैद्वान्तिक पक्ष पुश्ट करने में राजस्थान के मतदाता ने अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्षक की भूमिका का निर्वाह किया है।

सदन की भीतर विपक्षी सदस्यों की संख्यात्मक षक्ति के साथ उनकी योग्यता और अनुभव भी सदन में उनकी षक्ति और प्रभाव को बढाता है। विपक्ष के सदस्यों की योग्यता का स्तर, उनका आयु–वर्ग, उनकी सामाजिक पृश्ठभूमि, उनका व्यवसाय, पूर्व विधायी या संसदीय सदनों का अनुभव तथा सदन के भीतर उनके प्रभाव को बढ़ाने में सहायक कारक होते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में बारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभाओं में प्रतिपक्ष के सदस्यों की गुणात्मक योग्यता का विष्लेशण किया गया है।

प्रषासनिक अनुभव की दृश्टि से देखा जाये तो बारहवीं विधान सभा के सदस्य काफी अनुभवी रहे। इस विधान सभा के विपक्षी सदस्यों में तीन पूर्व मुख्यमंत्री, एक राज्यपाल तथा 12 मंत्री एवं राज्य मंत्री पद का अनुभव रखने वाले थे। इनमें जगन्नाथ पहाड़िया, पूर्व मुख्य मंत्री के साथ–साथ पूर्व राज्यपाल भी रहे थे तथा अषोक गहलोत और षिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके थे। बारहवीं विधान सभा में अनुभव रखने वाले 17 विधायक ऐसे थे जो राज्य मंत्रिपरिशद् के सदस्य रहे थे।

बारहवीं तथा तेरहवीं विधान सभा के कार्यवाही वृतान्तों के अध्ययन से स्पश्ट होता है कि उच्च षिक्षा प्राप्त विपक्षी सदस्यों की उपस्थिति से सदन के वाद विवाद का स्तर काफी उन्नत रहा। सदस्यों ने सदन में प्रकिया नियमों के अन्तर्गत विभिन्न अवसरों पर तर्क पूर्ण वाद

विवाद से गहरी छाप छोड़ी। इन सदस्यों ने अपनी कुषलता से समितियों में भी प्रभावषाली भूमिका निभाई।

बारहवीं विधान सभा के समय भारतीय जनता पार्टी ने घोशणा की थी कि वह एक लाख युवाओं को हर साल रोजगार देगी, महिलाओं को हर स्तर पर मुफ्त षिक्षा सुलभ करायेगी, गृहकर समाप्त करेगी, एक मेडिकल विष्वविद्यालय खोलेगी और सरकारी कर्मचारियों को बोनस सहित सभी बंद सुविधाएं फिर सत्ता में आने के बाद बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल में ये सभी घोशणाएं पूरी करने के लिए अपनी नीतियों में आवष्यक परिवर्तन किये। सरकार ने कर्मचारियों को बोनस, समर्पित अवकाष का भुगतान करने सहित सभी सुविधाओं को बहाल कर दिया, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी। राज्य कर्मचारी संगठनों ने घोशणा की कि वसुन्धरा सरकार ने अपने षासन के अस्सी दिन में उनकी दस मांगें स्वीकार कर दी है। अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि स्वीकृत मांगों में हड़ताल के दौरान दायर 43 मुकदमें वापस ले लिए गये है। बोनस, महंगाई भत्ता, अनाज के लिए अग्रिम, आवास के लिए सस्ती दर पर ऋण दिये जाएंगे।

भाजपा ने चुनावों के समय अपने घोशणा-पत्र में कहा था कि उनकी सरकार बनने पर नगरपालिकाओं द्वारा वसूल किये जाने वाला गृहकर समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार ने इनकी कियान्विति करते हुए वर्श 2007 में जाकर गृह कर समाप्त किया। भाजपा सरकार ने अपने घोशणा पत्र में किये गये वायदे के अनुसार राज्य में मिड डे मिल, 21 हजार गर्भवती महिलाओं के लिए जननी कलेवा स्कीम, पालनहार योजना षुरू की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, छात्राओं के लिए बीमा तथा स्कूटी, साईकिल व यातायात वाउचर प्रदान किये गये। वहीं तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के चुनावों के समय राजनीतिक दलों में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोशणा पत्र में जो वादे किये थे कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद अपने वादों को पूरा करेगी। और घोशणा पत्र में किये गये वादों में से बहुत से वादों को पुरा किया भी सही।

विवाद से गहरी छाप छोड़ी। इन सदस्यों ने अपनी कुषलता से समितियों में भी प्रभावषाली भूमिका निभाई।

बारहवीं विधान सभा के समय भारतीय जनता पार्टी ने घोशणा की थी कि वह एक लाख युवाओं को हर साल रोजगार देगी, महिलाओं को हर स्तर पर मुफ्त षिक्षा सुलभ करायेगी, गृहकर समाप्त करेगी, एक मेडिकल विष्वविद्यालय खोलेगी और सरकारी कर्मचारियों को बोनस सहित सभी बंद सुविधाएं फिर सत्ता में आने के बाद बारहवीं विधान सभा के कार्यकाल में ये सभी घोशणाएं पूरी करने के लिए अपनी नीतियों में आवष्यक परिवर्तन किये। सरकार ने कर्मचारियों को बोनस, समर्पित अवकाष का भुगतान करने सहित सभी सुविधाओं को बहाल कर दिया, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी। राज्य कर्मचारी संगठनों ने घोशणा की कि वसुन्धरा सरकार ने अपने षासन के अस्सी दिन में उनकी दस मांगें स्वीकार कर दी है। अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि स्वीकृत मांगों में हड़ताल के दौरान दायर 43 मुकदमें वापस ले लिए गये है। बोनस, महंगाई भत्ता, अनाज के लिए अग्रिम, आवास के लिए सस्ती दर पर ऋण दिये जाएंगे।

भाजपा ने चुनावों के समय अपने घोशणा–पत्र में कहा था कि उनकी सरकार बनने पर नगरपालिकाओं द्वारा वसूल किये जाने वाला गृहकर समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार ने इनकी कियान्विति करते हुए वर्श 2007 में जाकर गृह कर समाप्त किया। भाजपा सरकार ने अपने घोशणा पत्र में किये गये वायदे के अनुसार राज्य में मिड डे मिल, 21 हजार गर्भवती महिलाओं के लिए जननी कलेवा स्कीम, पालनहार योजना षुरू की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, छात्राओं के लिए बीमा तथा स्कूटी, साईकिल व यातायात वाउचर प्रदान किये गये। वहीं तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के चुनावों के समय राजनीतिक दलों में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोशणा पत्र में जो वादे किये थे कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद अपने वादों को पूरा करेगी। और घोशणा पत्र में किये गये वादों में से बहुत से वादों को पुरा किया भी सही।

राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रकिया नियमावली के नियम 7(4) में यह प्रावधान है कि विपक्ष तथा सत्तापक्ष दोनों अपने–अपने प्रत्याषियों के नाम का प्रस्ताव करते है। एक दूसरा सदस्य इसका अनुमोदन करता है। आवष्यकतानुसार मत विभाजन के द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसे निर्वाचित किया जाये।

राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन की परम्परा रही है। अर्थात् सभी दल सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव करते है। बारहवीं विधान सभा में दिनांक 16 जनवरी 2004 को विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भाजपा ने श्रीमती सुमित्रा सिंह को निर्वाचित करने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन प्रतिपक्ष के नेता डॉ. बुलाकी दास कल्ला ने किया। इसके बाद श्रीमती सुमित्रा सिंह को सर्वसम्मति से विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित घोशित किया गया और सभी दलों के नेताओं ने उन्हें अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी।

इसी प्रकार 2 जनवरी 2009 को तेरहवीं विधान सभा के लिए श्री दीपेन्द्र सिंह षेखावत को विधान सभा अध्यक्ष बनाने के लिए मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन श्रीमती वसुन्धरा राजे ने किया। सदन द्वारा प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित करने के उपरान्त श्री दीपेन्द्र सिंह षेखावत सर्वसम्मति से विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित घोशित किये गये। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष को बधाई देते हुए आठ सदस्यों ने विचार प्रकट किये। इस अवसर पर अध्यक्ष ने सदन को सम्बोधित किया।

बारहवीं राजस्थान विधान सभा के प्रथम अधिवेषन के तहत महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक 19 जनवरी, 2004 को विधान सभा के सम्मुख भाशण किया। अभिभाशण पर धन्यवाद प्रस्ताव 20 जनवरी, 2004 को श्री नन्द लाल मीणा (वि. सं.–68), सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका अनुमोदन श्री राजेन्द्र राठौर (वि. सं.– 135), सदस्य विधान सभा द्वारा किया गया वहीं दिनांक 16 जनवरी, 2004 को अस्थायी माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि राजस्थान विधान सभा के इण्डियन नेषनल कांग्रेस दल की बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार डा. बुलाकी दास कल्ला, विधायक को उक्त

विधायक दल का नेता चुना गया है। तथा डा. बुलाकी दास कल्ला को प्रतिपक्ष का नेता मान लिया गया है। वहीं तेरहवी राजस्थान विधान सभा के प्रथम अधिवेषन के तहत महामहिम राज्यपाल ने दिनांक 3 जनवरी 2009, को विधान सभा के सम्मुख अभिभाशण किया। अभिभाशण पर धन्यवाद प्रस्ताव 06 जनवरी 2009, को डॉ. रघु षर्मा (वि. सं.– 137) सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन श्री अल्लाउद्दीन आजाद (वि. सं.– 13) सदस्य, विधान सभा द्वारा किया गया। वहीं माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 2 जनवरी, 2009 को सदन को सूचित किया कि राजस्थान विधान सभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में इस आषय का निर्णय लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई है कि श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धिया को विधायक दल का नेता चुना गया है। माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों को भी सूचित किया कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा पार्टी के नेता श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धिया को प्रतिपक्ष का नेता चुन लिया गया।

उपर्युक्त षोध से ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान विधान सभा में प्रारम्भ सन् 1967 तक तो कांग्रेस दल का षासन रहा है लेकिन 1967 के बाद राजस्थान की राजनीति में कुछ परिवर्तन देखा गया। राजस्थान में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो कभी कांग्रेस पार्टी की। दोनों ही दलो को सत्ता पक्ष व विपक्ष की भूमिका का निवर्हन करने का बराबर अवसर मिलता रहा।

सन्दर्भ सूची

1. 'प्राखर', आचार्य गोस्वामी भालचन्द्र संसदीय लोकतत्र में विपक्ष की भूमिका–आविश्कार पब्लिषर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स 807, व्यास बिल्डिगं, चोड़ा रास्ता जयपुर, 1997 पृ. सं. 93.
2. तॅवर, महेष सिहं सचिव, बारहवीं राजस्थान विधान सभा के प्रथम सत्र में किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण (दिनांक 15 जनवरी, 2004 से 5 फरवरी, 2004) राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर

3. कूड़ी एच. आर. सचिव, तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के प्रथम सत्र में किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण, राजस्थान विधान सभा ,जयपुर (गुरूवार दिनांक 01 जनवरी, 2009 से षनिवार, दिनांक 10 जनवरी 2009)
4. पी. के. चड्ढा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, (जयपुर युनिवर्सिटी अुक हाउस प्रा. लि., 2001) पृश्ठ 382.
5. प्रभा भार्गव, चुनाव घोशणा–पत्र : सिद्वान्त एवं स्थिति, (जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2006), पृश्ठ सं. 1
6. डा. काष्यप सुभाश, संसदीय लोकतंत्र का इतिहास (प्राचीन काल से नेहरू युग तक) हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेषालय, दिल्ली विष्वविद्यालय (प्रथम संस्करण : 1998)
7. बाहेती स्वाति, षोध रचना, राजस्थान विधान सभा में विपक्षी दलों की भूमिका (ग्यारहवीं तथा बारहवीं विधान सभा के परिपेक्ष्य में एक तुलनात्मक अध्ययन)
8. गुप्ता कृश्ण मुरारी, राज्यपाल अभिभाशण, कार्यकारी सचिव, अन्वेशण एवं संदर्भ षाखा, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर (2002–2012)
9. डा. श्रीवास्तव सुनील कुमार, विरोधी दलों की राजनीति, राधा पब्लिकेषन्स 4378ध्4–ठ,मुरारी लाल गली, अंसारी रोड़ दरियागंज, नई दिल्ली प्रथम संस्करण 1995.
10. चौधरी जी. एल. विधान बोधनी, सम्पादक सचिव, पुस्तकालय, अन्वेशण एवं संदर्भ षाखा, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर, 2006.

The Present Study on the Social Values And Futuristic Perceptions of College Girls

Dr. Devendra Kumar Baghel, Education, Dr. B.R.A. University, Agra
Dr. Sher Singh, Education, Swami Vivekanand University, Sagar (M.P.)

The Problem

The problem study on the social values and futuristic perceptions of colleges girls belonging to different religions based on the confluence of three streams of knowledge Sociolgy

MANAV KALYAN SAMITI

(N.G.O)AGRA

Manav Kalyan Samiti (M.K.S) is a Professional body, germinated in the year 2007 with a view to serve the society in realizing its objectives of social welfare. M.K.S ever since its inception has been instrumentral in organising various training and professional programmes for the society.

Printed By :
Prem Graphics and Printers
F-16, Kaveri Centre,
Sanjay Place
Agra (U.P.)

Edited and Published By :
Manav Kalyan Samiti (N.G.O.)
H.O.-102, Sector-5, A.V.C.
Sikandra
Agra-282007 (U.P.) India

© Chief Editor